

अंतिम रिपोर्ट

ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन



प्रस्तुत किया गया :

निदेशक
सामाजिक कल्याण निदेशालय
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
गोलघर, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिला,
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पिन-744103



Submitted by :

AMCS

Atlas Management Consultancy Services Private Limited (AMCS)
114A, Ashokpuram, Opp. Road 4, Ashoknagar, Ranchi – 834 002, Jharkhand
Tel. : 0651-2240093; Mobile : 9044488350, Email : amcspl@rediffmail.com
www.amcs.co.in

विषयसूची

परिशिष्टों की सूची

पूर्वकथन

आभार प्रकट

संक्षिप्त रूपों की सूची

(क) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन रिपोर्ट

1. कार्यपालक सारांश	01 – 10
1.1 परियोजना का नाम	
1.2 जनहित उद्देश्य	
1.3 परियोजना का स्थान	
1.4 परियोजना क्षेत्रफल	
1.5 विचार किए गए विकल्प	
1.6 सामाजिक प्रभाव	
1.7 शमन (नियंत्रण) उपाय	
1.8 सामाजिक लागत एवं लाभ का मूल्यांकन	
2. परियोजना का विस्तृत विवरण	11 – 16
2.1 परियोजना की पृष्ठभूमि	
2.2 प्रबंधन संरचना	
2.3 परियोजना की युक्तिसंगतता	
2.4 परियोजना का विवरण	
2.5 विकल्पों की समीक्षा	
2.6 परियोजना निर्माण के चरण	
2.7 मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ, आकार एवं सुविधाओं के प्रकार	
2.8 सहायक आधारभूत संरचना की आवश्यकता	
2.9 कार्यबल की आवश्यकता	
2.10 यदि पहले से किया गया हो तो SIA/EIA का विवरण एवं तकनीकी व्यावहार्यता रिपोर्ट	
2.11 लागू कानून एवं नीतियाँ	
3. SIA की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं समय-निर्धारण	17 – 22
3.1 सभी टीम सदस्यों की सूची एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता	
3.2 प्रयुक्त कार्यप्रणाली एवं उपकरणों का विवरण और औचित्य	
3.3 अपनाई गई सैम्पलिंग कार्यप्रणाली	
3.4 उपयोग में लाई गई सूचनाओं/डाटा स्रोतों का अवलोकन	
3.5 परामर्श/सामूहिक विचार-विमर्श की समय-सारणी	
3.6 आयोजित जनसुनवाईयों का संक्षिप्त विवरण	
3.7 रिपोर्ट में सम्मिलित विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ	

4. भूमि का आंकलन 23 – 33

- 4.1 परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र
- 4.2 प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र
- 4.3 प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल एवं स्थान
- 4.4 क्या प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि न्यूनतम आवश्यक सीमा है
- 4.5 परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल एवं उनकी व्यावहारिकता
- 4.6 क्या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अंतिम विकल्प के रूप में है
- 4.7 अब तक खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई या अधिग्रहीत भूमि और प्रत्येक भूखंड का प्रस्तावित उपयोग
- 4.8 परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक एवं अप्रयुक्त भूमि के उपयोग की संभावना और क्या वह भूमि किसी के कब्जे में है
- 4.9 अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का स्वरूप, वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण
- 4.10 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में खाद्य सुरक्षा संबंधी विशेष प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं
- 4.11 भू-स्वामित्व आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, आवासीय मकान, सार्वजनिक एवं निजी आधारभूत संरचना एवं संपत्तियाँ
- 4.12 भूमि के मूल्य एवं स्वामित्व, हस्तांतरण एवं उपयोग में पिछले 3 वर्षों के भीतर हुए परिवर्तन

5. प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों का अनुमान एवं गणना 34 – 36

- 5.1 परिवार जिनकी भूमि या अन्य अचल संपत्तियाँ अधिग्रहित की जानी हैं
- 5.2 किरायेदारों के अधीन भूमि
- 5.3 अनुसूचित जनजातियों/परंपरागत वनवासी परिवारों के वनाधिकारों की हानि
- 5.4 कृषि मज़दूरों, उपभोगाधिकार रखने वालों, बंटाईदारों या कारीगरों के परिवार जो प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं
- 5.5 राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित किए गए परिवार
- 5.6 शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित अधिग्रहण से 3 वर्ष या अधिक समय से निवास कर रहे परिवार
- 5.7 वे परिवार जो परियोजना से परोक्ष रूप से प्रभावित होंगे
- 5.8 उत्पादन संपत्तियों एवं महत्वपूर्ण भूमि का सूचीकरण

6. सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल	37 – 62
6.1 प्रभावित आबादी का जनसांख्यिकीय विवरण	
6.2 आय एवं गरीबी स्तर	
6.3 कमजोर समूह	
6.4 भूमि उपयोग और आजीविका	
6.5 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	
6.6 स्थानीय आजीविका में सहायक कारक	
6.7 पारिवारिक संरचना एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन	
6.8 मंदिर, देवस्थल एवं पवित्र स्थल	
6.9 प्रशासनिक संगठन	
6.10 राजनीतिक संगठन	
6.11 समुदाय आधारित एवं नागरिक समाज संगठन	
6.12 क्षेत्रीय गतिशीलता एवं ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ	
6.13 जीवन परिवेश की गुणवत्ता	
6.14 लोगों की धारणाएँ	
7. सामाजिक प्रभाव	63 – 76
7.1 प्रभावों की पहचान हेतु रूपरेखा एवं दृष्टिकोण	
7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण	
7.3 भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव	
7.4 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	
7.5 निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं पर प्रभाव	
7.6 स्वास्थ्य पर प्रभाव	
7.7 संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर प्रभाव	
7.8 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव	
7.9 भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभाव	
7.10 संचयी प्रभाव	
7.11 प्रस्तावित परियोजना के प्रभावों की प्रकृति का सारांश	
8. लागत-लाभ विश्लेषण एवं अधिग्रहण पर सिफारिश.....	77 – 84
8.1 जनहित के उद्देश्य का मूल्यांकन	
8.2 न्यूनतम विस्थापन एवं भूमि की न्यूनतम आवश्यकता वाले विकल्प	
8.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति एवं तीव्रता	
8.4 शमन उपायों की व्यवहार्यता एवं प्रतिकूल प्रभावों/लागतों को संबोधित करने की उनकी क्षमता की सीमा	

(ख) सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)

- 9. शमन (नियंत्रण) के लिए दृष्टिकोण 85 – 91**
- 9.1 अध्ययन के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक उपाय
 - 9.2 प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों के लिए शमन उपाय
 - 9.3 भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव तथा प्रस्तावित शमन उपाय
 - 9.4 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव तथा प्रस्तावित शमन उपाय
 - 9.5 निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं पर प्रभाव तथा प्रस्तावित शमन उपाय
 - 9.6 स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा प्रस्तावित शमन उपाय
 - 9.7 संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर प्रभाव तथा प्रस्तावित शमन उपाय
 - 9.8 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव तथा शमन उपाय
 - 9.9 भिन्नात्मक (Differential) प्रभाव तथा शमन उपाय
 - 9.10 संचयी प्रभाव तथा शमन उपाय
 - 9.11 आवश्यक निकाय (Requiring Body) द्वारा प्रस्तावित उपाय
 - 9.12 SIA रिपोर्ट एवं जनसुनवाई के आधार पर आवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपाय

(ग) जनसुनवाई एवं अंतिम सिफारिशें

- 10. जनसुनवाई 92 – 104**
- 10.1 जनसुनवाई का विवरण
- 11. अंतिम सिफारिशें 105 – 107**
- 11.1 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर SIA टीम की अंतिम सिफारिशें
 - 11.2 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर SIA टीम का अंतिम निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची

फोटो गैलरी

परिशिष्टों की सूची

- परिशिष्ट - 1 : 55 मीटर सड़क के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि
- परिशिष्ट - 2 : सहायक सड़क के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि
- परिशिष्ट - 3 : उपयोग में लिया गया प्रश्नावली प्रपत्र
- परिशिष्ट - 4 : भूमि एवं अन्य संपत्तियों की सर्किल दरें
- परिशिष्ट - 5 : SIA अध्ययन में शामिल पीएएफ (PAF) की सूची
- परिशिष्ट - 6 : वयस्क पुरुषों की शैक्षिक स्थिति
- परिशिष्ट - 7 : वयस्क महिलाओं की शैक्षिक स्थिति
- परिशिष्ट - 8 : स्वयं के व्यवसाय का विवरण
- परिशिष्ट - 9 : दूसरों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय का विवरण
- परिशिष्ट - 10 : निर्मित भवन का विवरण
- परिशिष्ट - 11 : निर्मित शेड (छप्पर/ढांचा) का विवरण
- परिशिष्ट - 12 : निर्मित चारदीवारी का विवरण
- परिशिष्ट - 13 : निर्मित कुएं का विवरण
- परिशिष्ट - 14 : निर्मित तालाब का विवरण
- परिशिष्ट - 15 : वृक्षों का विवरण
- परिशिष्ट - 16 : मुख्य पेशा – वयस्क पुरुष
- परिशिष्ट - 17 : मुख्य पेशा – वयस्क महिलाएँ
- परिशिष्ट - 18 : जन सुनवाई बैठकों का नोटिस की प्रति
- परिशिष्ट - 19 : 14.07.2025 को जन सुनवाई बैठक में भाग लेने वालों की सूची
- परिशिष्ट - 20 : 15.07.2025 को जन सुनवाई बैठक में भाग लेने वालों की सूची

पूर्वकथन

ग्रेट निकोबार द्वीप में सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने और यात्रा व परिवहन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कों) का निर्माण आवश्यक हो गया था। इस उद्देश्य के लिए प्रारंभ में ANIIDCO द्वारा निकोबार जिले की ग्रेट निकोबार तहसील के छह गांवों – कैपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर – में कुल 90.935 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, बाद में जब अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि को अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तावित सड़क के संरेखण पर कार्य किया गया, तब अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग की सर्वेक्षण टीम द्वारा 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव तय किया गया। ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए प्रस्तावित 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण सभी हितधारकों के लिए लाभकारी है, यद्यपि इससे वर्तमान भूमि मालिकों की भूमि और संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, विकासात्मक गतिविधियों की प्रकृति, स्थान संबंधी आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता तथा समाज की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनके अंतर्गत जनहित में भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों का विस्थापन होता है, जबकि अन्य मामलों में केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और कोई विस्थापन नहीं होता। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के मामले में यह अपेक्षित है कि किसी भी भू-स्वामी को उनके वर्तमान निवास स्थान से विस्थापित नहीं किया जाएगा।

बढ़ती अवसंरचना आवश्यकताओं, आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को देखते हुए, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) के निर्माण की यह विकासात्मक पहल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास योजना है। यह ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में आवश्यक सड़क अवसंरचना प्रदान करेगी, जिसके लिए 6 गांवों में कुल 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। ज्ञात हो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल भूमि क्षेत्र 91,000 हेक्टेयर (910 वर्ग किलोमीटर, सुनामी के बाद अधिसूचित क्षेत्र) है।

आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और संभावित विकास की संभावना के साथ, स्थानीय निवासियों को बेहतर अवसंरचना, अधिक अवसरों और बढ़े हुए आय विकल्पों तक पहुंच मिलने से लाभ होने की संभावना है। हालांकि, यह आकलन करना आवश्यक है कि ये सभी लाभ स्थानीय निवासियों तक किस प्रकार पहुंचेंगे और स्थानीय संसाधनों की कितनी लागत पर—बिना उनके आजीविका स्रोतों को प्रभावित किए और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न किए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है और लोग मुख्य रूप से बागानी फसलों पर निर्भर हैं, जो उनके घरेलू आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण से परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संपत्ति अधिकारों का नुकसान हो सकता है और इसके गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) द्वारा ग्रीन

फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास और एक विद्युत संयंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। GNI के एकीकृत विकास की यह परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब वहां उपयुक्त और पर्याप्त सड़क संपर्क उपलब्ध हो — जो वर्तमान में अत्यंत अपर्याप्त और जर्जर स्थिति में है।

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI), निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह अंडमान द्वीपों से टेन डिग्री चैनल द्वारा अलग है। यह क्षेत्र अभी भी विरल जनसंख्या वाला है, जहां 85 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र पर सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन फैले हुए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रमुख रूप से दो आदिवासी समुदाय निवास करते हैं — शॉम्पेन और निकोबारी। ऐसे में यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) का इन आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जीवन के विभिन्न पहलुओं में जीवन यापन को सरल बनाने के लिए विकासात्मक गतिविधियाँ करना न केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है। अब तक कम विकसित रहे क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित गतिविधियाँ करना देश के समान विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज में समरसता लाने और सभी क्षेत्रों के समान विकास को प्रोत्साहन देने हेतु यह आवश्यक था कि विकासात्मक गतिविधियों की पहुँच उन सभी क्षेत्रों तक बढ़ाई जाए, जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का एकमात्र उद्देश्य यह आकलन करना है कि यह ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़क परियोजना स्थानीय जनसंख्या पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालेगी, तथा इन प्रभावों का सर्वोत्तम समाधान खोजकर सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना और नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।

* * * * *

आभार

ग्रेट निकोबार द्वीप में सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने और यात्रा व परिवहन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) द्वारा ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कों) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो GNI के व्यापक आर्थिक एवं एकीकृत विकास योजना का हिस्सा है। विधिक प्रावधानों के अनुसार, किसी भी भूमि अधिग्रहण के स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से भूमि मालिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन किया जाना आवश्यक था।

इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन में सभी पहलुओं को विस्तारपूर्वक शामिल किया गया है। यह स्थानीय लोगों के जीवन पर संभावित प्रभावों का एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण है। यह संकलन उन जीवन क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें इस हस्तक्षेप के कारण प्रभावित होने की संभावना है। प्रभावों को यथासंभव मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को संकलित, क्रॉस-जांच, विश्लेषण किया गया है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

प्रारंभिक चर्चा अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ की गई, और संबंधित क्षेत्र की द्वितीयक जानकारी एकत्र कर गहनता से समीक्षा की गई। इससे इस रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिली। इसके अलावा, कैपबेल बे के सहायक आयुक्त एवं क्षेत्र के पंचायत सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गईं। परियोजना से प्रभावित सभी 6 गांवों में स्थानीय जनमत निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि क्षेत्र की जमीनी वास्तविकताओं और स्थानीय लोगों की सामान्य धारणा को समझा जा सके।

दस्तावेज़ को व्यापक, सरल, रोचक और पाठकों के लिए अनुकूल बनाने हेतु एक सहज प्रारूप को चुना गया है तथा मानक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। निष्कर्षों और प्रस्तुतियों को पाठ्य सामग्री के साथ-साथ चित्रण और तालिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। हम श्री रविंदर कुमार, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन; डॉ. केशव नरेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त, कैपबेल बे; श्री मोहम्मद परवेज़, महाप्रबंधक (परियोजनाएं), एवं श्री साजी सैमुअल, वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना), एएनआईआईडीसीओ, श्री ए.के. बिस्वास, परिवीक्षा अधिकारी एवं श्री निशांत लाल, समन्वयक, सामाजिक कल्याण विभाग; श्री ई. एस. रमेश, प्रमुख; श्री संजय कुमार एक्का, उप-प्रमुख; श्री प्रह्लाद सिंह, प्रधान, लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत; श्रीमती रमेश्वरी, प्रधान, कैपबेल बे पंचायत; श्री अय्यप्पन, सरपंच, लक्ष्मी नगर पंचायत; तथा अन्य सभी व्यक्तियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस अध्ययन में सहयोग प्रदान किया।

हम उन प्रतिभागियों के योगदान के लिए आभारी हैं, जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने अपना समय देकर विषय पर अपने विचार साझा किए। उनके सुझावों को भली-भांति प्रलेखित किया गया है, जिससे इस रिपोर्ट में स्पष्टता और गहराई आई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमें अनेक व्यक्तियों से पर्याप्त सचिवीय एवं अन्य सहयोग प्राप्त हुआ, जिन सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

विक्रम श्रीवास्तव

निदेशक, एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.

रांची, झारखंड

मई-जुलाई 2025

* * * * *

संक्षिप्त रूप : पूर्ण रूप

AAJVS	: अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति
AGRI.	: कृषि
AMCS	: एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
ANIIDCO	: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड
ANM	: सहायक नर्स दाई
AWW	: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
BRO	: सीमा सड़क संगठन
CFC	: क्लोरो फ्लोरो कार्बन
DCA	: कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा
EIA	: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
FGD	: केंद्रित समूह चर्चा
GNI	: ग्रेट निकोबार द्वीप
GREF	: सामान्य रिजर्व अभियंता बल
ICDS	: एकीकृत बाल विकास योजना
ICTT	: अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल
ICWAI	: भारत की लागत एवं कार्य लेखा संस्थान
IFA	: आयरन फोलिक एसिड
Kms.	: किलोमीटर
LLB.	: कानून में स्नातक
LPG	: द्रवित पेट्रोलियम गैस
Ltd.	: लिमिटेड
M.A.	: कला में स्नातकोत्तर
MADE	: दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर
MBA	: व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर
MGNREGA	: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
Mtrs.	: मीटर
NGO	: गैर-सरकारी संगठन
PAF	: परियोजना प्रभावित परिवार
PAP	: परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PGDCA	: कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
PGDDE	: दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
PGDRD	: ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
PHC	: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PIU	: परियोजना क्रियान्वयन इकाई
PRA	: सहभागिता आधारित ग्रामीण मूल्यांकन
Pvt.	: निजी
PVTG	: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
PWD	: लोक निर्माण विभाग
RFTLARR	: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
Rs.	: रुपए
SIA	: सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
SIMP	: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना
UT	: केंद्र शासित प्रदेश
Yrs.	: वर्ष

कार्यकारी सारांश

1.1 परियोजना का नाम

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) को ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के समग्र विकास की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस व्यापक योजना के अंतर्गत – एक ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास और एक विद्युत संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है। इन योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे का होना अनिवार्य था। इसी उद्देश्य से ANIIDCO द्वारा ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना की योजना बनाई गई है।

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों सहित) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में आवश्यक सड़क अवसंरचना प्रदान करेगी, जिसके लिए प्रारंभ में 90.935 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, बाद में जब अधिग्रहण हेतु चिन्हित भूमि को अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तावित सड़क के संरेखण पर कार्य किया गया, तो अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग की सर्वेक्षण टीम द्वारा 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गई, जो कि छह गांवों – कैपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर – में स्थित है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल भूमि क्षेत्रफल 91,000 हेक्टेयर (910 वर्ग किलोमीटर, सुनामी के बाद अधिसूचित क्षेत्र) है। यह ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा ग्रेट निकोबार द्वीप में यातायात एवं परिवहन क्षमता के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी।

1.2 सार्वजनिक उद्देश्य

चिन्हित भूमि का जो हिस्सा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया था, वह एकसमान (सन्निकट) रूप से स्थित था। साथ ही, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित निजी भूमि केवल भू-स्वामियों के भूखंड का एक भाग थी, उनकी सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा था। यह भूमि लगभग 201 परिवारों की थी और प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण इन परिवारों में से किसी को भी अपने वर्तमान निवास स्थान से विस्थापित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनका वर्तमान आवास उनके स्वामित्व की किसी अन्य भूमि पर स्थित है। हालांकि, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित बड़ी भूमि पर रोपण फसलें एवं अन्य संरचनाएं मौजूद थीं, जो इस अधिग्रहण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी।

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के सभी गांवों को आपस में जोड़ेगी, जिससे लोगों और वस्तुओं की आवाजाही अधिक सुगम हो जाएगी। सभी गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों की नींव रखेगी और क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी। यह व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी और मार्ग में पड़ने वाले सभी गांवों एवं अब तक आंतरिक एवं असंबद्ध रहे क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान देगी। इसके अलावा, प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,

अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास आदि के सुचारु संचालन के लिए भी एक उचित सड़क नेटवर्क आवश्यक होगा।

बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ती गतिविधियों और विकास की संभावनाओं के साथ, स्थानीय निवासियों को बेहतर अवसर, उन्नत अवसंरचना और संसाधनों जैसे बाजार, संचार अवसंरचना और परिवहन का लाभ मिलने की संभावना है। चूंकि ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, इसलिए उन्नत अवसंरचना के माध्यम से कृषि उत्पादकों को भी लाभ होगा, क्योंकि वे अपने उत्पादों को बिना किसी असुविधा और देरी के शीघ्रता से परिवहन कर सकेंगे, और कृषि उत्पाद खरीदारों को अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

हालांकि, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा, जिससे कुछ परिवारों को अपनी भूमि खोनी पड़ेगी, जो उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामान्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं और भूमि को अपने आजीविका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। ऐसे में केवल भूमि स्वामी ही नहीं, बल्कि अस्थायी मजदूर, उत्पादक, विक्रेता, खरीदार तथा कृषि एवं पशुपालन से जुड़े अन्य लोग भी उस भूमि पर निर्भर होते हैं। इसी कारण, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से भूमि मालिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ उससे संबंधित सभी लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों के लाभ और हानि को समझना आवश्यक था।

किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक था। इस मूल्यांकन का आधार था "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" तथा "अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियम, 2018"। सरकार की सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी नीतियाँ और योजनाएँ इन्हीं नियमों के अनुसार क्रियान्वित की जानी थीं।

1.3 स्थान

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के 6 गांवों से होकर गुजरेगा।

तालिका-1 : ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना का स्थान

क्र.	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील
1	कैपबेल बे	कैपबेल बे	कैपबेल बे
2	गोविंद नगर	गोविंद नगर	कैपबेल बे
3	जोगिंदर नगर	लक्ष्मी नगर	कैपबेल बे
4	विजय नगर	लक्ष्मी नगर	कैपबेल बे
5	लक्ष्मी नगर	लक्ष्मी नगर	कैपबेल बे
6	गांधी नगर	गांधी नगर	कैपबेल बे

(स्रोत: <https://villageinfo.in>)

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें। मुख्य सड़क की चौड़ाई 55 मीटर प्रस्तावित की गई है और इसके लिए उपरोक्त 6 गांवों में से कैपबेल बे गांव को छोड़कर सभी में निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा। सहायक सड़कों की चौड़ाई 18/24/30 मीटर

प्रस्तावित की गई है, जो भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, ताकि मौजूदा संरचनाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इन सहायक सड़कों के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी 6 गांवों में निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

1.4 परियोजना क्षेत्र

1.4.1 प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का आकार

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका-2 : प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का आकार

क्र.	वर्गीकरण	55 मीटर सड़क के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	द्वितीयक सड़कों के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बंदरगाह कॉलोनी के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कैंपबेल बे	-	0.4654	-	-	0.4654
2	गोविंद नगर	12.6162	9.3059	-	-	21.9221
3	जोगिंदर नगर	2.1136	10.7979	0.007	-	12.9185
4	विजय नगर	6.0118	6.7331	-	-	12.7449
5	लक्ष्मी नगर	5.3554	12.2821	0.234	-	17.8715
6	गांधी नगर	11.0542	3.2946	3.027	4.492	21.8678
कुल		37.1512	42.8790	3.268	4.492	87.7902

सभी 6 गांवों को मिलाकर, मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 37.1512 हेक्टेयर है। मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 में दी गई है। इसी प्रकार, सभी 6 गांवों को मिलाकर, द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 42.8790 हेक्टेयर है। द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-2 में दी गई है। उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 3.268 हेक्टेयर था, जबकि बंदरगाह कॉलोनी के लिए 4.492 हेक्टेयर था। इस प्रकार, कुल मिलाकर 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसे उक्त ट्रंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना है।

1.4.2 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार

मुख्य सड़क और सहायक सड़कों की ट्रंक आधारभूत संरचना सड़क परियोजना के लिए प्रस्तावित 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि को राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। गांव-वार प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु भूमि का प्रकार नीचे दिया गया है। प्लॉट संख्या / सर्वे संख्या अनुसार विवरण परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-3 : अधिग्रहण हेतु भूमि का प्रकार

क्र.	गांव का नाम	55 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार	सहायक सड़कों हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार
1	कैंपबेल बे	-	पी-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल, वाणिज्यिक
2	गोविंद नगर	पी-I, पहाड़ी	पी-I, पहाड़ी, आवासीय स्थल
3	जोगिंदर नगर	पी-I	पी-I, पी-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल
4	विजय नगर	पी-I	पी-I
5	लक्ष्मी नगर	पी-I, पी-II	पी-I, पी-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल
6	गांधी नगर	पी-I, पी-II, पहाड़ी	पी-I, पी-II

(स्रोत: राजस्व विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन)

1.4.3 भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित गांवों का विवरण

जनगणना 2011 के अनुसार इन 6 गांवों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) गांव कैंपबेल बे

गांव कैंपबेल बे का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 752.40 हेक्टेयर था। कैंपबेल बे गांव की कुल जनसंख्या 5,736 थी, जिसमें से 3,362 पुरुष और 2,374 महिलाएं थीं। कैंपबेल बे गांव की साक्षरता दर 75.87% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.55% और महिलाओं की साक्षरता दर 69.25% थी। गांव कैंपबेल बे में लगभग 1,608 आवास थे।

तालिका-4 : गांव कैंपबेल बे की भूमि का विवरण

क्र.	गांव	गांव का कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गांव की कुल भूमि में से प्रस्तावित अधिग्रहण का प्रतिशत
1	कैंपबेल बे	752.40	0.4654	0.062%

(स्रोत: <https://villageinfo.in>)

गांव की कुल भूमि क्षेत्रफल की तुलना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव कैंपबेल बे की कुल भूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा, केवल 0.062 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(ख) गांव गोविंद नगर

गांव गोविंद नगर का कुल भौगोलिक भूमि क्षेत्रफल 750.08 हेक्टेयर था। गांव की कुल जनसंख्या 676 व्यक्ति थी, जिनमें से 385 पुरुष एवं 291 महिलाएं थीं। गांव गोविंद नगर की साक्षरता दर 73.52% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.88% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 69.07% थी। गांव में कुल लगभग 194 मकान थे।

तालिका-5 : गांव गोविंद नगर की भूमि का विवरण

क्र.	गांव का नाम	गांव का कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गांव की कुल भूमि में से अधिग्रहित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	गोविंद नगर	750.08	21.9221	2.923%

(स्रोत : <https://villageinfo.in>)

गांव की कुल भूमि क्षेत्रफल की तुलना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव गोविंद नगर की कुल भूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा, केवल 2.923 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(ग) गांव जोगिंदर नगर

गांव जोगिंदर नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 838.51 हेक्टेयर था। गांव की कुल जनसंख्या 693 व्यक्ति थी, जिसमें से 401 पुरुष और 292 महिलाएं थीं। गांव जोगिंदर नगर की साक्षरता दर 70.56% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 74.06% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.75% थी। गांव में लगभग 208 घर थे।

तालिका-6 : गांव जोगिंदर नगर की भूमि का विवरण

क्र.	गांव का नाम	गांव का कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गांव की कुल भूमि में से प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का प्रतिशत
1	जोगिंदर नगर	838.51	12.9185	1.540%

(स्रोत : <https://villageinfo.in>)

गांव की कुल भूमि क्षेत्रफल की तुलना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव जोगिंदर नगर की कुल भूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा, केवल 1.540 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(घ) गांव विजय नगर

गांव विजय नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 808.71 हेक्टेयर था। गांव की कुल जनसंख्या 100 व्यक्ति थी, जिनमें 95 पुरुष और 5 महिलाएं थीं। गांव विजय नगर की साक्षरता दर 65.00% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 66.32% और महिलाओं की साक्षरता दर 40.00% थी। गांव में लगभग 12 मकान थे। यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद, गांव विजय नगर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसके कारण अधिकांश परिवारों को सुनामी आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया था, विशेषकर कैपबेल बे में। जनगणना 2011 के समय, अधिकांश परिवार अभी भी कैपबेल बे और अन्य आश्रय स्थलों में रह रहे थे। इसलिए उस समय गांव विजय नगर में मकानों की संख्या कम दर्ज की गई थी। हालांकि वर्तमान में, कई परिवार अब दोबारा गांव विजय नगर में पुनः बस गए हैं।

तालिका -7 : विजय नगर गांव की भूमि का विवरण

क्र.	गांव का नाम	गांव का कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गांव की कुल भूमि में से प्रस्तावित अधिग्रहण का प्रतिशत
1	विजय नगर	808.71	12.7449	1.576%

(स्रोत : <https://villageinfo.in>)

गांव की कुल भूमि क्षेत्रफल की तुलना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव विजय नगर की कुल भूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा, केवल 1.576 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(ड) गाँव लक्ष्मी नगर

गाँव लक्ष्मी नगर का कुल भौगोलिक भूमि क्षेत्रफल 447.60 हेक्टेयर था। गाँव की कुल जनसंख्या 230 व्यक्ति थी, जिसमें से 226 पुरुष और 4 महिलाएँ थीं। गाँव लक्ष्मी नगर की साक्षरता दर 63.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 62.83% और महिलाओं की साक्षरता दर 75.00% थी। गाँव में लगभग 13 मकान थे। विजय नगर की ही तरह, वर्ष 2004 के दिसंबर में आई सुनामी के बाद अधिकांश परिवारों को लक्ष्मी नगर गाँव से कैम्पबेल बे में बने आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि गाँव लक्ष्मी नगर सुनामी में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। जनगणना 2011 के समय, अधिकांश परिवार अभी भी कैम्पबेल बे और अन्यत्र राहत शिविरों में रह रहे थे, इसीलिए उस समय गाँव में मकानों की संख्या कम थी। हालांकि, वर्तमान समय में, कई परिवार पुनः गाँव लक्ष्मी नगर में बस चुके हैं।

तालिका-8 : गाँव लक्ष्मी नगर की भूमि का विवरण

क्र.	गाँव का नाम	गाँव का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गाँव की कुल भूमि में से अधिग्रहित भूमि का प्रतिशत
1	लक्ष्मी नगर	447.60	17.8715	3.992%

(स्रोत : <https://villageinfo.in>)

गाँव की कुल भूमि क्षेत्रफल की तुलना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनुपात देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गाँव लक्ष्मी नगर की कुल भूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा, केवल 3.992 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(च) गाँव गांधी नगर

गाँव गांधी नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 599.49 हेक्टेयर था। गाँव की कुल जनसंख्या 69 थी, जिनमें से 62 पुरुष और 7 महिलाएँ थीं। गाँव गांधी नगर की साक्षरता दर 68.12% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 69.35% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.14% थी। गाँव में लगभग 13 घर थे। गाँव विजय नगर और लक्ष्मी नगर की तरह, गाँव गांधी नगर के अधिकांश परिवारों को दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद गांधी नगर से कैम्पबेल बे में बने आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि गाँव गांधी नगर भी उस समय सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जनगणना 2011 के समय, अधिकांश परिवार अभी भी कैम्पबेल बे और अन्य राहत शिविरों में रह रहे थे, इसलिए उस समय गाँव में घरों की संख्या कम दर्ज की गई थी। हालांकि, वर्तमान में कई परिवार पुनः गाँव गांधी नगर में बस गए हैं।

तालिका-9 : गाँव गांधी नगर की भूमि का विवरण

क्रम सं.	गाँव का नाम	गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गाँव की कुल भूमि में से अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत
1	गांधी नगर	599.49	21.8678	3.647%

(स्रोत : <https://villageinfo.in>)

गाँव की कुल भूमि में से अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के अनुपात को देखते हुए, गाँव गांधी नगर की कुल भूमि का मात्र 3.647 प्रतिशत ही ट्रंक अधोसंरचना सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित था, जो

कि अत्यंत अल्प मात्रा है। हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि गाँव गांधी नगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी 506.7547 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव था, जो कि एक बड़ा भू-भाग है।

1.5 विकल्पों पर विचार

1.5.1 न्यूनतम भूमि अधिग्रहण एवं विकल्पों की जांच

प्रस्तावित ट्रंक अथोसंरचना सड़क (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा न्यूनतम आवश्यक भूमि थी। इस उद्देश्य के लिए चयनित भूमि क्षेत्र एकसंध (contiguous) था और कुल 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव था। इस परियोजना विकल्प को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) के विशेषज्ञों द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद चुना गया।

यह विकल्प पर्यावरणीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण इस परियोजना के वर्तमान निर्माण चरण के लिए न्यूनतम आवश्यक था। इस निर्माण कार्य में निश्चित रूप से कुछ हानियाँ होंगी, जैसे कि—परिवारों द्वारा भूमि स्वामित्व की हानि, आजीविका के साधनों की हानि, बागवानी एवं चारे की हानि, आदि। हालाँकि, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की तुलना करने पर यह परियोजना विकल्प सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त पाया गया।

1.5.2 प्राप्त अनुमोदन एवं स्वीकृतियाँ

प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) ANIIDCO के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। इस परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा के उपरांत इसे संबंधित नियामक प्राधिकरणों की विशेषज्ञ टीम द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि किसी भी वन्यजीव अभयारण्य या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। हालाँकि, परियोजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई आवश्यक होगी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए ऐसा कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं था, जहाँ कम या अन्यत्र भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती।

1.6 सामाजिक प्रभाव

यह देखा गया कि चूंकि वर्तमान भूमि मालिकों को अपनी कृषि भूमि खोनी पड़ेगी, इसलिए उनकी जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी, क्योंकि वे मुख्य रूप से कृषि/बागवानी फसलों पर आजीविका के लिए निर्भर थे। इसके अतिरिक्त, पैतृक संपत्ति की हानि का वर्तमान मालिकों पर शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना थी। हालाँकि, प्रभावों के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहाँ एक ओर किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा, वहीं भूमि, आजीविका, भौतिक संसाधनों, सार्वजनिक सुविधाओं या सांस्कृतिक पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम या नगण्य होगा।

परियोजना से प्रभावित परिवारों में, जिनकी भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव था, सभी आयु वर्गों के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे। इस परियोजना के कारण क्षेत्र के लोगों की, विशेषकर महिलाओं की, कुछ आजीविका संबंधी गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं। हालाँकि, चूंकि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में कोई

लैंगिक भेदभाव नहीं था और न ही वेतन में कोई लैंगिक पक्षपात था, अतः परियोजना के कारण लिंग आधारित किसी भी प्रकार के भिन्न प्रभाव की संभावना नहीं थी। इसी प्रकार, चूंकि उक्त अधिग्रहण के कारण कोई सामुदायिक संपत्ति जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पूजा स्थल आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे थे, इसलिए उन पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की कोई संभावना नहीं थी।

सामाजिक प्रभावों की पहचान एवं शमन उपायों के निर्धारण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) टीम ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की अनुसंधान विधियों का संयोजन किया। इन दोनों विधियों को अपनाने का उद्देश्य अधिक समग्र डेटा प्राप्त करना एवं मूल्यांकन के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़े बिना अधिक व्यापक परिणाम प्राप्त करना था। प्रस्तावित शमन उपाय विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों, जैसे—परियोजना से प्रभावित जनसंख्या, पंचायत सदस्य, प्रमुख स्थानीय मत-निर्माता आदि के साथ की गई चर्चाओं एवं संवादों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्धारित किए गए। सामाजिक प्रभाव से संबंधित जो भी जानकारी एकत्र की गई, उसे आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर अध्ययन किया गया और उसी के आधार पर शमन योजना तैयार की गई। इस तरह के संवादों की प्रक्रिया अंततः विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, टालने अथवा न्यूनतम करने हेतु उपायों को अंतिम रूप देने में परिणत हुई।

1.7 निवारण उपाय (शमन उपाय)

प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर लागू किए जाने की आवश्यकता है:

- परियोजना का कार्यान्वयन सभी लागू विधियों, नीतियों और निवारण उपायों के अनुरूप किया जाएगा, जैसे कि पर्याप्त मुआवजा या आजीविका के साधनों एवं संसाधनों का विकास, जो कि राष्ट्रीय एवं केंद्रशासित प्रदेश (UT) के कानूनों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
- जहाँ तक संभव हो, परियोजना के क्रियान्वयन में प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने हेतु पर्याप्त संसाधन सृजित करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ इन प्रभावों की अवधि, तीव्रता और प्रसार को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, उन प्रभावों को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा जिन्हें पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता (उदाहरण के लिए – कृषि भूमि, आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवन गुणवत्ता, आदि)।
- परियोजना की प्राथमिकता प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के कल्याण और आजीविका के अनुसार तय की जाएगी और इसके लिए उपयुक्त निर्माण विधियाँ, समय-सारणी और अन्य निवारण उपाय अपनाए जाएँगे।
- परियोजना का निर्माण और संचालन प्राकृतिक पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधे प्रभाव डाल सकता है। ऐसे सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभावों का सही और पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है तथा इन्हें कम करने हेतु उपयुक्त निवारण उपाय अपनाने होंगे।
- परियोजना में विशेष ध्यान कमजोर व्यक्तियों और परिवारों को दिया जाना आवश्यक है, जैसे कि – छोटे भू-स्वामी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, ऐसे परिवार जिनमें कोई कार्यशील सदस्य नहीं है, आदि। ऐसे

व्यक्ति और परिवार नई परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने, सलाह-मशविरा करने और चर्चा में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। साथ ही, वे परियोजना के अंतर्गत नए रोजगार के साधनों और कार्य के अवसरों से भी अनभिज्ञ होते हैं।

- परियोजना को उन सभी व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के वैध अधिकारों और हितों का ध्यान रखना चाहिए जो परियोजना से प्रभावित होंगे। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी भूमि, फसल और अन्य संपत्तियाँ अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर स्थित हैं, और वे लोग जिनकी सुविधा, जीवन स्तर और अन्य सुरक्षा उपाय प्रभावित हो सकते हैं।
- परियोजना से संबंधित विषयों पर विचार व्यक्त करने का अधिकार सभी प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को होना चाहिए, क्योंकि वे परियोजना के हितधारक हैं, और उनकी तर्कसंगत बातें, हित और विचारों को उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।

1.8 सामाजिक लागत एवं लाभ का आकलन

यह देखा गया कि कई परिवारों को अपनी भूमि खोनी पड़ेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से बागवानी/कृषि को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत मानते हैं। इन परिवारों के लिए पैतृक संपत्ति की हानि न केवल आर्थिक, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि, राजस्व विभाग के सर्वेक्षकों द्वारा ट्रंक रोड के लिए तैयार किए गए विस्तृत सरिखण के आधार पर, यह संभावना थी कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा।

SIA टीम द्वारा यह भी देखा गया कि उपरोक्त उल्लेखित कई नकारात्मक प्रभावों को उचित और प्रभावी शमन उपायों / रणनीतियों के माध्यम से कम या काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में गांवों के प्रमुख स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, ताकि प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना एवं उससे जुड़े भूमि अधिग्रहण पर उनकी राय जानी जा सके। सभी प्रतिभागियों ने यह राय व्यक्त की कि क्षेत्र में विकास कार्यों का कोई विरोध नहीं है, किंतु परियोजना से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त और समय पर मुआवजा मिलना चाहिए।

किसी भी विकासात्मक गतिविधि के तहत यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो स्थानीय निवासियों की ओर से कुछ हद तक प्रतिरोध या संकोच स्वाभाविक होता है। यह प्रतिरोध परिवर्तन के प्रति नहीं, बल्कि अनिश्चितता और अनभिज्ञता के डर से अधिक होता है। ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के लोग बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके गांवों का समुचित विकास हो और वे जीवन में समय-समय पर आने वाली चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनें। अब तक की उदासीनता, जिसने स्थानीय लोगों के मन में शंका और अविश्वास को जन्म दिया, पूरी तरह से निराधार नहीं थी। खस्ताहाल सड़कों, अनियमित बिजली आपूर्ति, बहुत सीमित चिकित्सा सुविधाओं, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्रों की अनुपस्थिति, रोजगार के अवसरों का अभाव और विकासात्मक गतिविधियों से सीमित संपर्क ने स्थानीय लोगों को आशावादी बनाने के बजाय संदेहशील बना दिया है।

समृद्धि ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) तक पहुँचना अनिवार्य है और यह प्रशासकों की जिम्मेदारी है कि वे तीव्र विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुनिश्चित करें, ताकि यह समृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और स्थानीय जनसंख्या के आत्म-सम्मान में वृद्धि जैसे व्यापक उद्देश्य की दिशा में एक प्रारंभिक कदम बन सके। स्थानीय और जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप तथा संसाधनों के शोषण के नाम पर, GNI के लोगों को प्रकृति की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही उन्हें उपेक्षित किया जा सकता कि वे गरीबी, वंचना और शोषण का सामना करते रहें।

अतः यह बिना किसी संदेह के निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) के निर्माण हेतु 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यदि सभी पात्र हितधारकों को समुचित एवं समय पर मुआवजा प्रदान किया जाए तो इसका शुद्ध प्रतिकूल प्रभाव नगण्य होगा। जब यह प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगी, तब इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो भी, तो वह भी इसके कारण उत्पन्न होने वाले सामाजिक, आर्थिक और अवसरचरणात्मक लाभों की तुलना में अत्यंत कम या नगण्य होगी।

परियोजना का विस्तृत विवरण

2.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) को ग्रेट निकोबार द्वीपों (GNI) के समग्र विकास की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। अपने समग्र योजना के हिस्से के रूप में - जिसमें ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास और एक पावर प्लांट शामिल हैं, ANIIDCO ने एक ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना की योजना बनाई है। प्रस्तावित व्यापक योजना के लाभों को अधिकतम करने के लिए, इस क्षेत्र में एक अच्छी तरह से जुड़ी हुई सड़क अवसंरचना का होना अनिवार्य था।

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में आवश्यक सड़क अवसंरचना प्रदान करेगी, जिसके लिए कुल 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि 6 गांवों में अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिनके नाम हैं: कैपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर। ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल भूमि क्षेत्रफल 91,000 हेक्टेयर (910 वर्ग किलोमीटर, सूनामी के बाद अधिसूचित क्षेत्र) है। यह ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना GNI में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने और आवागमन एवं परिवहन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करेगी।

2.2 प्रबंधन संरचना

2.2.1 भूमि अधिग्रहण में शामिल सरकारी अधिकारियों की संरचना एवं विवरण

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) के निर्माण हेतु प्रस्ताव का आधिकारिक प्रवर्तक है। ANIIDCO ने यह प्रस्ताव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सामाजिक कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिले को प्रस्तुत किया, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन कराने हेतु नोडल सरकारी निकाय है।

जिला निकोबार में किसी भी भूमि से संबंधित मामलों के लिए जिला उपायुक्त का कार्यालय नोडल कार्यालय है। संबंधित लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु कैपबेल बे स्थित सहायक आयुक्त का कार्यालय है। इस परियोजना में कैपबेल बे के सहायक आयुक्त कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे –

1. सहायक आयुक्त, कैपबेल बे
2. तहसीलदार, कैपबेल बे
3. राजस्व निरीक्षक, कैपबेल बे
4. पटवारी, कैपबेल बे
5. सर्वेक्षक एवं नक्शानवीस, कैपबेल बे

2.3 परियोजना का औचित्य

2.3.1 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण जनहित में है

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के सभी गांवों को आपस में जोड़ेगी, जिससे लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही सुगम होगी। सभी गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास की आधारशिला रखेगी। यह व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगी और मार्ग में आने वाले सभी गांवों एवं अब तक असंबद्ध आंतरिक क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान देगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास आदि के सुचारु संचालन के लिए एक उपयुक्त सड़क नेटवर्क की आवश्यकता होगी।

बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ती गतिविधियों और विकास की संभावनाओं के साथ, स्थानीय निवासियों को बेहतर अवसरों, उन्नत अवसंरचना और संसाधनों जैसे कि बाज़ार, संचार प्रणाली और परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान में, ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, और अवसंरचना के विकास के साथ कृषि उत्पादकों को भी लाभ होगा, क्योंकि वे अपने उत्पादों को बिना किसी देरी के शीघ्रता से परिवहन कर सकेंगे और कृषि उत्पाद आसानी से खरीदारों को उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई भूमि की पट्टी एकसमान (सन्निहित) थी। साथ ही, अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि केवल भू-स्वामियों के स्वामित्व वाले भूखंड का एक हिस्सा थी, सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं था। यह भूमि लगभग 250 परिवारों की थी और प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार को विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मकान या तो अधिग्रहित की जा रही भूमि पर स्थित नहीं हैं अथवा किसी अन्य भूमि पर बने हुए हैं, जिसे अधिग्रहित नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के बड़े हिस्सों पर वृक्षारोपण/फसलें थीं, जो इस अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगी।

हालाँकि, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ परिवारों को अपनी भूमि खोनी पड़ेगी, जो उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आमतौर पर कृषि पर निर्भर होते हैं और भूमि को आजीविका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति में, केवल भूमि स्वामी ही उस भूमि पर निर्भर नहीं होता, बल्कि कई अन्य लोग — जैसे कि अस्थायी मजदूर, उत्पादक, विक्रेता, खरीदार तथा कृषि एवं पशुपालन से जुड़े लोग भी उस भूमि पर निर्भर होते हैं। इसी कारण यह आवश्यक हो गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण का भूमि स्वामियों पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ उससे संबंधित सभी लोगों की आजीविका पर होने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन किया जाए और लागत-लाभ का समुचित विश्लेषण किया जाए।

2.4 परियोजना का विवरण

ग्रेट निकोबार द्वीप में सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने और आवागमन एवं परिवहन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) का निर्माण किया जाना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निकोबार जिले की ग्रेट निकोबार तहसील के 6 गांवों — कैपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय

नगर, लक्ष्मी नगर एवं गांधी नगर — में कुल 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया था। ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण हेतु निजी भूमि का यह प्रस्तावित अधिग्रहण सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यद्यपि वर्तमान भूमि स्वामियों की भूमि एवं संपत्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

बढ़ती हुई बेहतर बुनियादी सुविधाओं, आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को देखते हुए, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) के निर्माण की यह विकासात्मक पहल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजना है। यह ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में आवश्यक सड़क अवसंरचना प्रदान करेगी, जिसके लिए 6 गांवों में कुल 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 91,000 हेक्टेयर (910 वर्ग किलोमीटर, सुनामी के बाद अधिसूचित क्षेत्र) है।

सभी 6 गांवों को मिलाकर, मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 37.1512 हेक्टेयर है। मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 में दी गई है। इसी प्रकार, सभी 6 गांवों को मिलाकर, द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 42.8790 हेक्टेयर है। द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-2 में दी गई है। उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 3.268 हेक्टेयर है, जबकि बंदरगाह कॉलोनी के लिए 4.492 हेक्टेयर था। इस प्रकार, कुल मिलाकर 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसे उक्त ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना है।

2.5 विकल्पों की समीक्षा

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, वह न्यूनतम आवश्यक भूमि है। इस उद्देश्य के लिए चयनित भूमि संपूर्ण रूप से एकसंध (contiguous) है और कुल 80.0302 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना विकल्प को ANIIDCO के विशेषज्ञों द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। भूमि चयन प्रक्रिया में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प को सबसे उपयुक्त और व्यावहारिक पाया गया।

यह विकल्प पर्यावरणीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त पाया गया है। परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यक भूमि तक ही सीमित था। इस निर्माण कार्य में निश्चित रूप से कुछ हानियां होंगी, जैसे कि — परिवारों द्वारा भूमि स्वामित्व का नुकसान, आजीविका के स्रोतों का नुकसान, वृक्षारोपण और चारे की हानि, आदि। हालाँकि, जब सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की तुलना की गई, तो यह परियोजना विकल्प सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त और व्यावहारिक विकल्प के रूप में सामने आया।

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) ANIIDCO के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। इस परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा नियामक प्राधिकरणों की

विशेषज्ञ टीम द्वारा की गई तथा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए चिह्नित भूमि किसी वन्यजीव अभयारण्य अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आती है। हालांकि, इस परियोजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई आवश्यक होगी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए ऐसा कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं था, जहाँ भूमि अधिग्रहण कम होता या कहीं और संभव होता।

2.6 परियोजना निर्माण के चरण

किसी भी दीर्घकालिक विकास परियोजना में, परियोजना को सामान्यतः तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है — अर्थात्, पूर्व-निर्माण चरण, निर्माण चरण और अंतिम निर्माण चरण। प्रत्येक चरण की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो नीचे दी गई हैं :

2.6.1 पूर्व-निर्माण चरण

परियोजना का पूर्व-निर्माण चरण उस स्थल पर विभिन्न पूर्व-तैयारी संबंधी कार्यों को सम्मिलित करेगा, जहाँ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि इस चरण में कोई निर्माण अथवा ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जाएगा, फिर भी सर्वेक्षण एवं माप कार्य, समरेखण (alignment) का मूल्यांकन आदि जैसे नियमित निरीक्षण कार्य इस चरण में संपन्न होंगे। हालाँकि, चूंकि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि मुख्यतः कृषि भूमि है और पूर्व-निर्माण चरण में भूमि अधिग्रहण, भूमि की सफाई एवं समतलीकरण शामिल होगा, इसलिए इस चरण में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में व्यवधान, वृक्षारोपण एवं उनसे प्राप्त होने वाली आय की हानि, ग्रामीण उत्पादन में निवेश में कमी, भूमि से संबंधित विवादों की संभावना तथा अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2.6.2 निर्माण चरण

निर्माण चरण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों तथा प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस चरण में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहेंगी। निर्माण सामग्री के स्थल पर डंपिंग, सड़क निर्माण हेतु तैनात भारी वाहनों की आवाजाही, तथा आवागमन में बाधाएं इस चरण की सामान्य विशेषताएं होंगी। हालाँकि, इस भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा, अतः पुनर्वास की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चूंकि ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में अब तक इस स्तर का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, इसलिए अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, परियोजना से संबंधित कार्यबल एवं प्रवासी श्रमिकों की भी क्षेत्र में आवक होगी।

2.6.3 निर्माण का अंतिम चरण

निर्माण के अंतिम चरण में, जब प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना पूर्ण रूप से तैयार होकर उपयोग के लिए उपलब्ध होगी, तब संबंधित लोगों के जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छी गुणवत्ता वाली, बेहतर सड़क से क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्यों की गति प्रभावित होगी — जैसे कि आवागमन, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवाएं और संसाधनों की उपलब्धता, आदि में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार आएगा। हालाँकि, इस चरण से जुड़े कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे — वाहनों की संख्या और गति में वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाओं में वृद्धि होना।

2.7 प्रमुख डिजाइन विशेषताएं, आकार एवं सुविधाओं का प्रकार

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना का निर्माण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा ANIIDCO के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाएगा।

2.8 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के निर्माण हेतु बड़ी मात्रा में मिट्टी, ईट, गिट्टी आदि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ स्थानीय स्तर पर प्राप्त की जाएंगी तथा कुछ सामग्री बाहरी क्षेत्रों से लाई जाएगी।

2.9 कार्यबल आवश्यकताएँ

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना का संपूर्ण निर्माण कार्य न्यूनतम संभव समय में पूर्ण किया जाएगा। इस निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों के लिए, विशेष रूप से अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार/निर्माण कंपनी को परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार कैम्प/प्लांट स्थापित करने होंगे। तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ, स्थानीय क्षेत्र से आवश्यकतानुसार अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को भी कार्य में लगाया जा सकेगा। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (Social Impact Management Plan) का पालन करते हुए, ठेकेदार/निर्माण कंपनी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

2.10 यदि पहले से किया गया हो तो SIA या EIA का विवरण एवं तकनीकी व्यावहार्यता रिपोर्ट

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में पूर्व में कोई सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) नहीं किया गया है। हालांकि, परियोजना से संबंधित तकनीकी विस्तृत रिपोर्ट (Technical Detailed Report) एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (EIA Report) ANIIDCO के पास उपलब्ध है।

2.11 लागू विधिक प्रावधान एवं नीतियाँ

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए नीतिगत ढाँचा एवं पात्रता भारत सरकार के "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" पर आधारित है। साथ ही, यह "अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता (सामाजिक प्रभाव आकलन एवं सहमति) नियम, 2018" पर भी आधारित है, जो पुनर्वास, पुनर्स्थापन तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों का संचालन करते हैं।

भारत सरकार का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, यह सुनिश्चित करता है कि जिस परिवार की भूमि अधिग्रहीत की गई हो, या प्रस्तावित रूप से अधिग्रहीत की जा रही हो, अथवा इस अधिग्रहण से प्रभावित हुई हो — उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उचित और न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान किया जाए, तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की जाए। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि आवश्यक अवसंरचना, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सहानुभूतिपूर्ण, सहभागी एवं पारदर्शी हो, जिससे भूमि मालिकों तथा अन्य प्रभावित परिवारों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और उन्हें न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान किया जा सके।

यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है या जिनका जीवन-यापन इस अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है, उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए समुचित प्रावधान किए जाएं, और इस अनिवार्य अधिग्रहण का सामूहिक परिणाम यह हो कि प्रभावित व्यक्ति विकास प्रक्रिया के केंद्रबिंदु एवं भागीदार बनें और अधिग्रहण के उपरांत उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

धारा 11 के अनुसार, जब कभी किसी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में कोई भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है या संभावित रूप से अधिग्रहीत की जा सकती है, तो इस संबंध में एक अधिसूचना राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित की जाएगी, साथ ही दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ताकि प्रभावित क्षेत्र के सभी प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण उपलब्ध हो सके। अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से पूर्व यह अनिवार्य है कि प्रभावित क्षेत्र में एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाए, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि प्रस्तावित परियोजना का प्रभावित परिवारों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति, उनके आजीविका स्रोत, सार्वजनिक एवं सामुदायिक संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

इसी प्रकार, जब भूमि अधिग्रहीत की जा रही हो, तो अधिनियम की धाराएँ 28, 29 और 30 के अनुसार सभी प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित प्रतिकर प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखा जाएगा :

- अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल।
- जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित संपत्ति का बाजार मूल्य।
- भूमि या भवन से संलग्न संपत्तियों का मूल्य।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अन्य संपत्तियों की हानि।
- भूमि स्वामी के निवास स्थान या व्यवसाय में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थितियाँ।
- भूमि अधिग्रहण के कारण लाभ हानि की हानि।
- प्रतिकर राशि का निर्धारण।
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लेकर निर्णय की घोषणा की तिथि तक निर्धारित बाजार मूल्य पर न्यूनतम 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान।
- प्रस्तावक द्वारा प्रभावित लोगों के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु उपयुक्त उपाय विकसित किए गए हैं। प्रस्तावक द्वारा भूमि अधिग्रहण के कार्यान्वयन में अधिनियम की आवश्यकताओं का पूर्ण पालन किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 उन मामलों में लागू होता है जहाँ भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय प्रशासन की भागीदारी को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में परामर्श और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बनाता है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा एक विशेषज्ञ समूह द्वारा की जाती है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि प्रस्तावित परियोजना से होने वाले संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल प्रभावों से अधिक हैं या नहीं।

टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का समय-निर्धारण

3.1 सभी टीम सदस्यों की सूची एवं उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ

एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक अग्रणी संगठन है जो सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में संलग्न है। यह संगठन देश के अनेक राज्यों में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए सक्रिय है। इस संगठन में विभिन्न क्षेत्रों के योग्य और विशेषज्ञ पेशेवर कार्यरत हैं, जिनमें प्रबंधन विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री/मानवशास्त्री आदि शामिल हैं। संगठन को विभिन्न राज्यों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का अनुभव है। एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि. को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए कई राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य को संपन्न करने वाली टीम के सभी सदस्य पूर्णतः योग्य, अत्यंत समर्पित एवं अनुभवी व्यक्ति थे। टीम के सदस्यों को विकास क्षेत्र में कार्य करने का वर्षों का अनुभव प्राप्त है। कुल मिलाकर, इस टीम के सदस्यों ने अब तक 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, जिनमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं के लिए परामर्श, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं।

इस टीम के सदस्यों को देश के कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों — जैसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, आदि के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। इस टीम ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा प्रमुख औद्योगिक समूहों सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए कार्य किया है। टीम के सदस्य देशभर में व्यापक भ्रमण कर चुके हैं और उन्हें विकास क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने एवं विकासपरक रिपोर्ट तैयार करने का समृद्ध अनुभव है। इस टीम के सदस्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका-10 : सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के सदस्यों की सूची

क्र.	नाम	शैक्षणिक योग्यता	भूमिका
1	श्री विक्रम श्रीवास्तव	MBA, M.A. (समाजशास्त्र)	टीम लीडर
2	सुश्री प्रिया श्रीवास्तव	M.A., MBA, PGDDE, MADE	शोधकर्ता
3	श्री संजय सिंह	ICWAI, LLB, PGDRD	डाटा पर्यवेक्षक
4	श्री घनश्याम पांडेय	DCA	डाटा प्रबंधक

उपरोक्त के अतिरिक्त, 4 अतिरिक्त स्थानीय शोध अन्वेषक भी टीम का हिस्सा थे, जिन्हें क्षेत्र से डाटा संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शामिल किया गया था।

3.2 कार्यप्रणाली एवं प्रयुक्त उपकरणों का विवरण और औचित्य

3.2.1 अध्ययन का उद्देश्य और क्षेत्र

यह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया :

- यह आकलन करना कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण जनहित में है या नहीं।
- प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या का निर्धारण करना।
- यह समझना कि परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा न्यूनतम आवश्यक सीमा तक सीमित है या नहीं।
- परियोजना क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना।
- परियोजना के नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करना।

3.2.2 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के चरण

टीम संरचना / गठन

एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस अध्ययन के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसे प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

डेस्क समीक्षा

अध्ययन के दौरान "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" तथा "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता (सामाजिक प्रभाव आकलन एवं सहमति) नियम, 2018", परियोजना से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों/दस्तावेजों, तथा सामाजिक कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिला (जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए नोडल सरकारी निकाय है) से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त, सहायक आयुक्त, कैपबेल बे कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और भूमि अभिलेखों की भी समीक्षा की गई, जिनमें भूमि एवं भूमि मालिकों से संबंधित जानकारी शामिल थी। यह समीक्षा इसलिए की गई ताकि परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति, परियोजना के दायरे की व्यापकता, तथा परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु संभावित उपायों को समझा जा सके।

प्रश्रावली का विकास

परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं परियोजना के सभी प्रकार के प्रभावों को समझने के लिए एक परिवार प्रश्रावली तैयार की गई। यह प्रश्रावली खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्नों को शामिल करते हुए तैयार की गई ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। एक नमूना प्रश्रावली परिशिष्ट-3 में संलग्न की गई है।

परियोजना क्षेत्र का दौरा

परियोजना के लिए गठित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का दौरा किया, ताकि परियोजना हेतु आवश्यक भूमि पर उपलब्ध संसाधनों तथा भूमि उपयोग के स्वरूप का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। परियोजना क्षेत्र का यह दौरा भूमि पर परियोजना के संभावित प्रभावों का आकलन करने में भी सहायक रहा। स्थानीय फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया, ताकि भाषा संबंधी अवरोध तथा क्षेत्र में परियोजना टीम की स्वीकृति के कारण प्रभावित परिवारों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के नुकसान को कम किया जा सके।

हितधारक परामर्श

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी हितधारकों के साथ साक्षात्कार / चर्चा / परामर्श अप्रैल-मई 2025 के दौरान किए गए। इसके पश्चात विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सभी आंकड़ों और सूचनाओं को संकलित किया गया, उनका अध्ययन और विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में उस विश्लेषित डेटा को सारणीबद्ध कर प्रस्तुत किया गया है। स्थिति की गहन समझ प्राप्त करने हेतु, परियोजना प्रभावित परिवारों, संबंधित पंचायत सदस्यों, राजस्व अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ परामर्श किया गया।

भूमि से संबंधित विवरण, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, गांव को परियोजना से होने वाले संभावित लाभ और हितधारकों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए संबंधित दस्तावेजों का उपयोग किया गया। भूमि की पृष्ठभूमि और परियोजना के संभावित प्रभावों पर परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इन चर्चाओं से यह समझने में सहायता मिली कि GNI में प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों की राय क्या है। परामर्श के दौरान, प्रभावित परिवारों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अपने विचार, चिंताएं और शर्तें साझा कीं।

डेटा विश्लेषण

प्रभावित सर्वेक्षण और परामर्शों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, ताकि प्रभावित जनसंख्या की प्रासंगिक आधारभूत जानकारी का सार प्रस्तुत किया जा सके। इसमें परियोजना के सभी प्रकार के प्रभाव – चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, भौतिक हों या आर्थिक – लोगों तथा सामान्य पर्यावरण/प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं। जन परामर्श और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को इस रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

जन सुनवाई

"भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 5 के अनुसार, जब भी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना आवश्यक हो, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित क्षेत्र में एक जन सुनवाई आयोजित की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों के विचारों को दर्ज किया जा सके और उन्हें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियमावली, 2018" में जन सुनवाई आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त अनुसार, प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक व्यापक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।

रिपोर्ट लेखन

अंतिम रिपोर्ट जन सुनवाई पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। प्राथमिक और द्वितीयक अनुसंधान के माध्यम से एकत्रित सभी आंकड़ों को संकलित और विश्लेषित कर प्रारूप रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियमावली, 2018" में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार की गई है।

निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- ❖ परियोजना की निगरानी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के प्रमुख द्वारा की गई। अध्ययन कार्य शुरू होने से पहले परियोजना टीम के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई थीं।
- ❖ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें विभिन्न गतिविधियों और चरणों की प्राथमिकता को चिह्नित किया गया।
- ❖ प्रत्येक गतिविधि की प्रारंभ और समाप्ति तिथि तथा मील के पथर को परिभाषित करने हेतु गतिविधियों का एक कार्यक्रम तय किया गया। इस दस्तावेज़ की समय-समय पर समीक्षा की गई ताकि नियोजित लक्ष्य तिथि के अनुसार प्रगति की स्थिति को जांचा जा सके।

गुणवत्ता की कुछ आवश्यकताएँ थीं जैसे कि सटीकता या परिशुद्धता, पूर्णता, प्रतिनिधित्व क्षमता, अपनाई गई तकनीक आदि, ताकि परियोजना के प्रत्येक चरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अध्ययन की प्रत्येक प्रक्रिया में गुणवत्ता जांच को शामिल किया गया था।

3.2.3 कार्यप्रणाली का विवरण एवं उसके पीछे का तर्क

पूर्ण एवं समग्र मूल्यांकन के लिए, प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का प्लॉट/सर्वेक्षण नंबर सहायक आयुक्त, कैम्पबेल बे कार्यालय से प्राप्त किया गया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, जिन निजी भूमि मालिकों की भूमि अधिग्रहित की जानी थी, उनमें से प्रत्येक से संबंधित 6 गांवों में जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया।

गांवों की स्थिति की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए, गांवों के प्रमुख स्थानीय जनप्रतिनिधियों/मतनिर्माताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई, जैसे कि – पेयजल के स्रोत, आजीविका, उगाई जाने वाली फसलें, स्थानीय बाजार, पशुधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्कूली शिक्षा, ऋण के स्रोत, गांव से विशिष्ट स्थानों की दूरी आदि। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित परियोजना के लिए जिन परिवारों की निजी भूमि अधिग्रहित की जानी थी, उन सभी परिवारों की विस्तृत जानकारी परिवार प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई।

जिन विषयों पर जानकारी एकत्र की गई उनमें शामिल हैं — परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, धर्म, जाति, परिवार के सदस्यों का विवरण, परिवार में सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग, मुख्य पेशा, आय, पेयजल का मुख्य स्रोत, खाना पकाने में उपयोग होने वाला ईंधन, बिजली की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, दिव्यांगता, आदि।

3.2.4 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किए गए उपकरण

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए जानकारी एकत्र करने हेतु एक प्रमुख उपकरण का उपयोग किया गया, जो निम्नलिखित है:

➤ परिवार प्रश्नावली

डेटा संग्रहण के उद्देश्य से, टीम ने विस्तारपूर्वक स्थल भ्रमण कर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के डेटा एकत्र किए। इसके लिए सहभागी विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे: सामाजिक मानचित्रण, केन्द्रित समूह चर्चा, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक, सूचना प्रदाता साक्षात्कार, परिवार स्तर पर एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर यह जानकारी एकत्र की गई, ताकि सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

3.3 सैपलिंग पद्धति

अध्ययन हेतु डेटा एकत्र करते समय किसी भी प्रकार की सैपलिंग नहीं की गई। प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए जिन-जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की जानी थी, उन सभी वर्तमान भूमि मालिकों को शामिल करने का प्रयास किया गया। यह जानकारी सहायक आयुक्त कार्यालय, कैंपबेल बे द्वारा प्रदान की गई भूमि एवं भू-स्वामियों की सूची के आधार पर एकत्र की गई। हालांकि, कुछ मामलों में ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि स्वामी के नाम में जो प्रविष्टि है, वह व्यक्ति अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका है।

इसी प्रकार, कुछ मामलों में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि भूमि स्वामी के रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज था, वह व्यक्ति दिवंगत हो चुका है। ऐसे मामलों में पारिवारिक वंशवृक्ष के अनुसार वैधानिक उत्तराधिकारियों को अध्ययन में शामिल किया गया। कुछ परिवार ऐसे भी थे जो ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में निवास नहीं कर रहे थे और या तो मुख्यभूमि (mainland) या अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित हो चुके थे। इनमें से अधिकांश का वर्तमान स्थान पता नहीं चल पाया। लेकिन जो परिवार GNI से बाहर रहते हुए भी संपर्क में आ सके, उन सभी को टेलीफोन साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

3.4 जानकारी/डेटा स्रोतों का अवलोकन

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए दो प्रकार की जानकारी एकत्र की गई – प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। फील्ड में जाकर जानकारी एकत्र करने से पहले एक गहन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रश्नावली में दिए गए प्रत्येक विषय को एक-एक करके पढ़ा गया और चर्चा के दौरान उनके अर्थ समझाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि कार्यरत टीम के सभी सदस्यों को प्रत्येक विषय/प्रश्न के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, द्वितीयक डेटा का भी अध्ययन किया गया, जिसमें परियोजना से संबंधित दस्तावेज़, भूमि अभिलेख, सरकारी रिपोर्टें आदि शामिल थीं।

विभिन्न द्वितीयक आंकड़े समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिला से प्राप्त किए गए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने हेतु नामित सरकारी निकाय है। इसके अतिरिक्त, सहायक आयुक्त,

कैपबेल बे के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं भूमि तथा भू-स्वामियों से संबंधित रिकॉर्ड का भी गहन अध्ययन किया गया और उनके प्रासंगिक अंशों को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

3.5 परामर्श की समय-सारणी

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी हितधारकों के साथ साक्षात्कार/चर्चा/परामर्श अप्रैल-मई 2025 के दौरान आयोजित किए गए। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चाएं की गईं : श्री रविंद्र कुमार, निदेशक, सामाजिक कल्याण विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, डॉ. केशव नरेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त, कैपबेल बे, श्री निशांत लाल, समन्वयक, सामाजिक कल्याण विभाग, श्री ई. एस. रमेश, प्रमुख, श्री संजय कुमार एक्का, उप-प्रमुख, श्री प्रहलाद सिंह, प्रधान, लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत, श्रीमती रमेश्वरी, प्रधान, कैपबेल बे पंचायत, श्री अय्यप्पन, सरपंच, लक्ष्मीनगर पंचायत, इनके अतिरिक्त अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी विचार-विमर्श किया गया। श्री मोहम्मद परवेज़, महाप्रबंधक (परियोजनाएं), एएनआईआईडीसीओ और उनकी टीम के सदस्यों के साथ भी चर्चा की गई।

भूमि स्वामियों के क्षेत्रीय दौरे के दौरान, भूमि स्वामियों, उनके परिवार के सदस्यों और क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानीय नेताओं के साथ विस्तृत चर्चाएं की गईं। इसके पश्चात, विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सभी आंकड़ों और सूचनाओं को संकलित किया गया, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषित आंकड़े को इस रिपोर्ट में तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि वर्तमान स्थिति की गहराई से समझ प्राप्त की जा सके।

3.6 सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक व्यापक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।

3.7 रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट फीडबैक

इस परियोजना के लिए जन सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात, प्राप्त विशिष्ट फीडबैक को रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

भूमि का आंकलन

4.1 परियोजना के अंतर्गत प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र

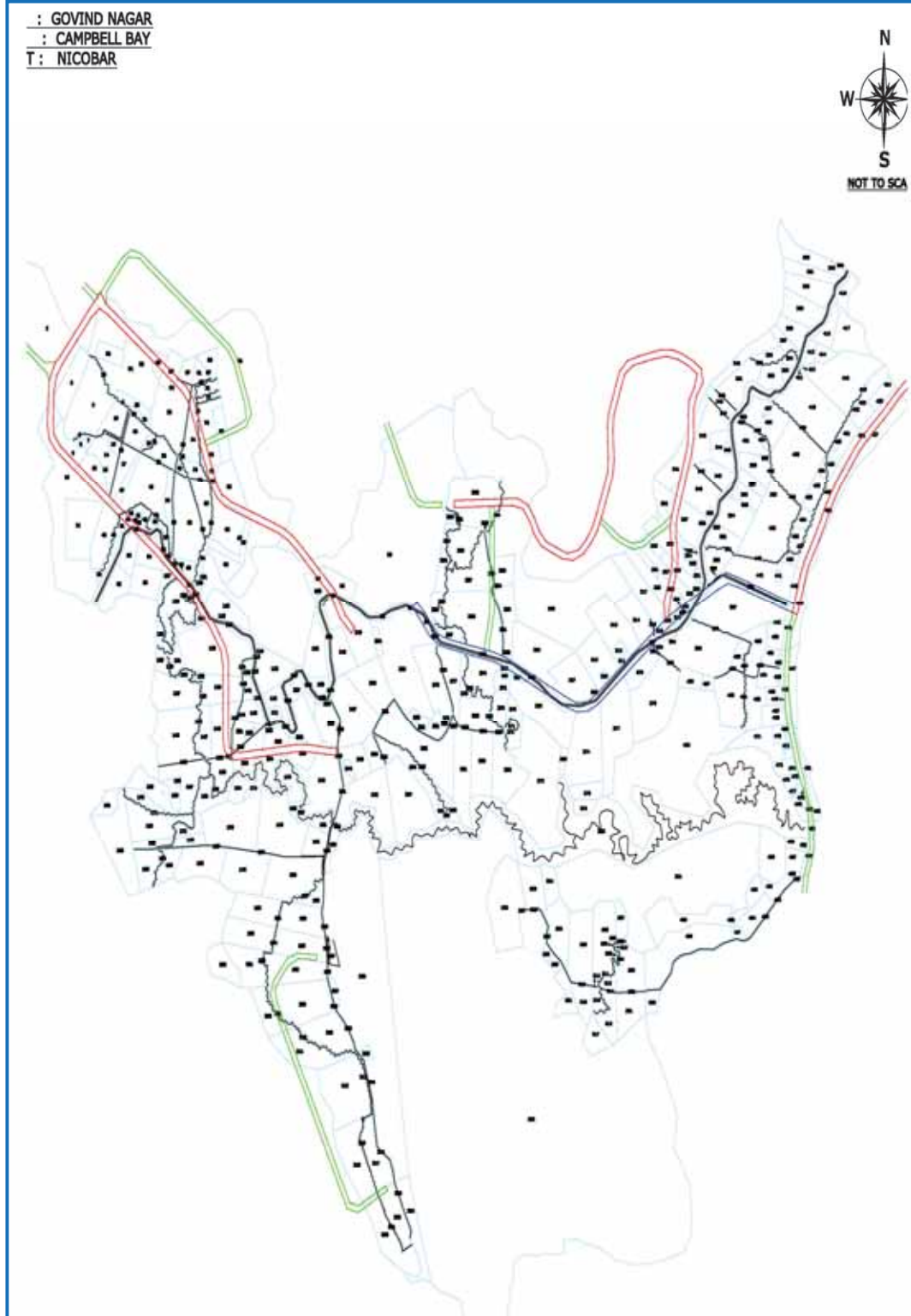
(क) गांव कैपबेल बे

गांव कैपबेल बे की कुल भौगोलिक भूमि क्षेत्रफल 752.40 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव कैपबेल बे में जो भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है, उसका कुल क्षेत्रफल 0.4654 हेक्टेयर है। यह गांव कैपबेल बे की कुल भूमि का मात्र 0.062 प्रतिशत है।



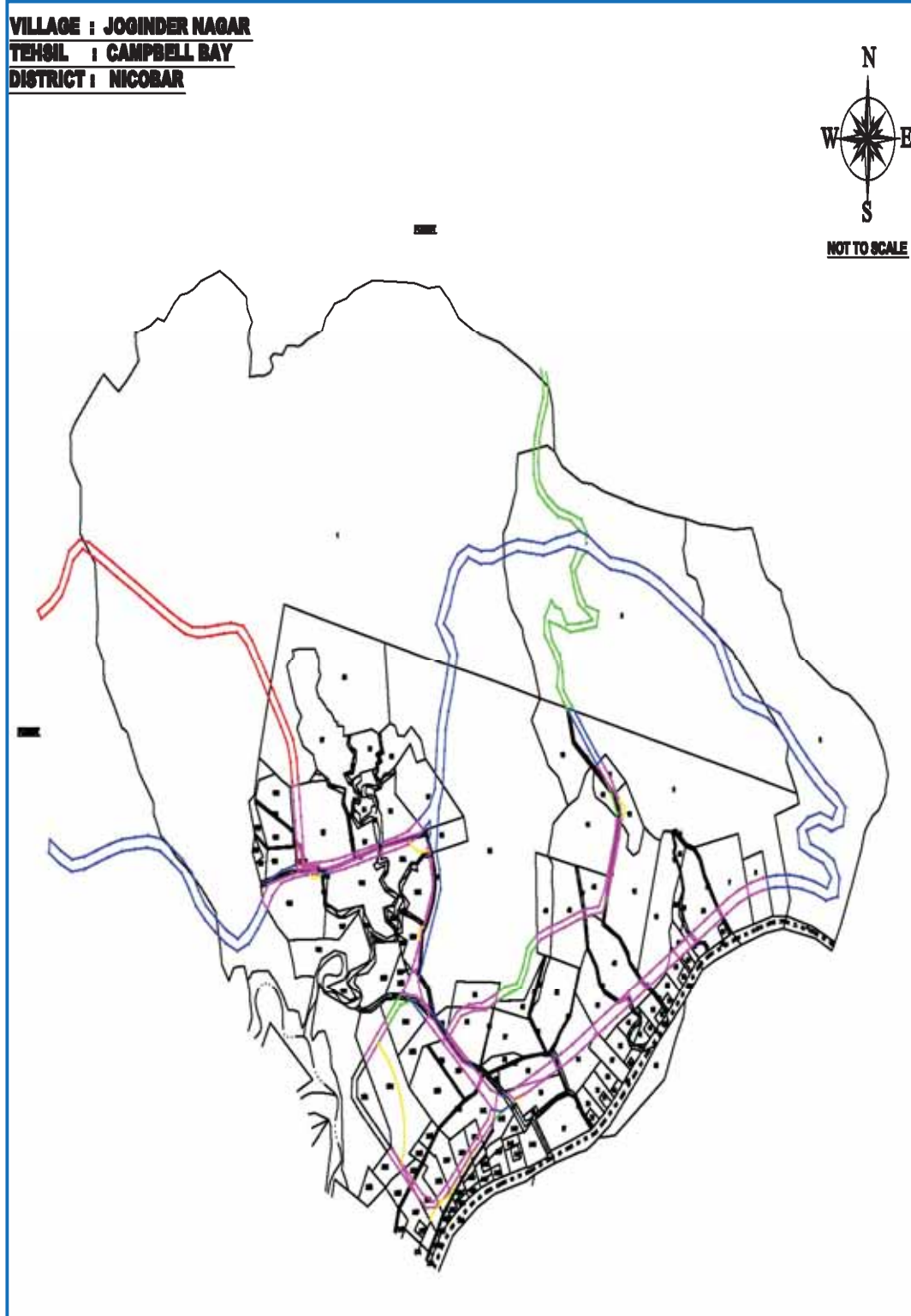
(ख) गांव गोविंद नगर

गांव गोविंद नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 750.08 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव गोविंद नगर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 21.9221 हेक्टेयर है, जो गांव गोविंद नगर के कुल भूमि क्षेत्रफल का 2.923 प्रतिशत है।



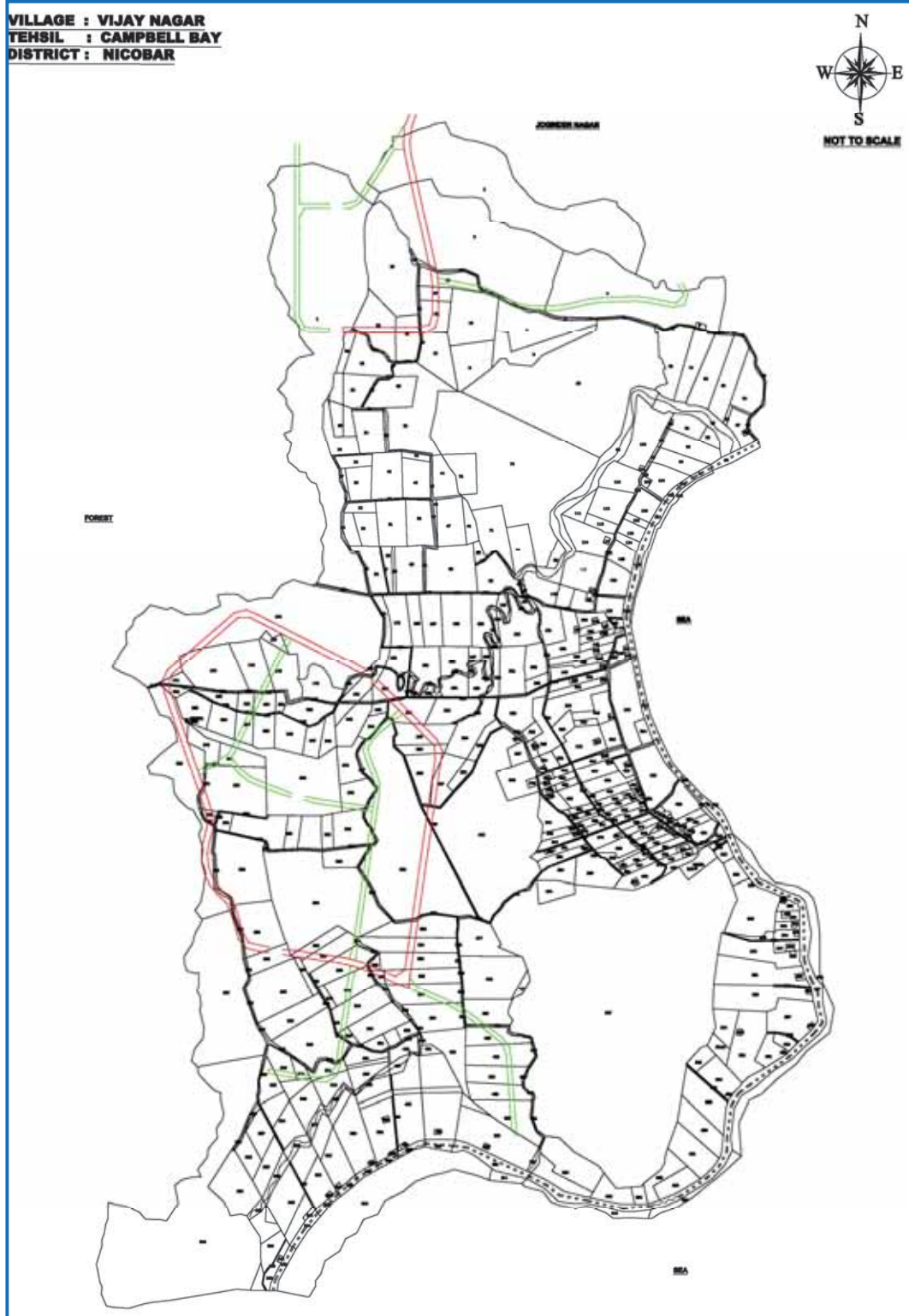
(ग) गांव जोगिंदर नगर

गांव जोगिंदर नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 838.51 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव जोगिंदर नगर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 12.9185 हेक्टेयर है, जो गांव जोगिंदर नगर के कुल भूमि क्षेत्रफल का 1.540 प्रतिशत है।



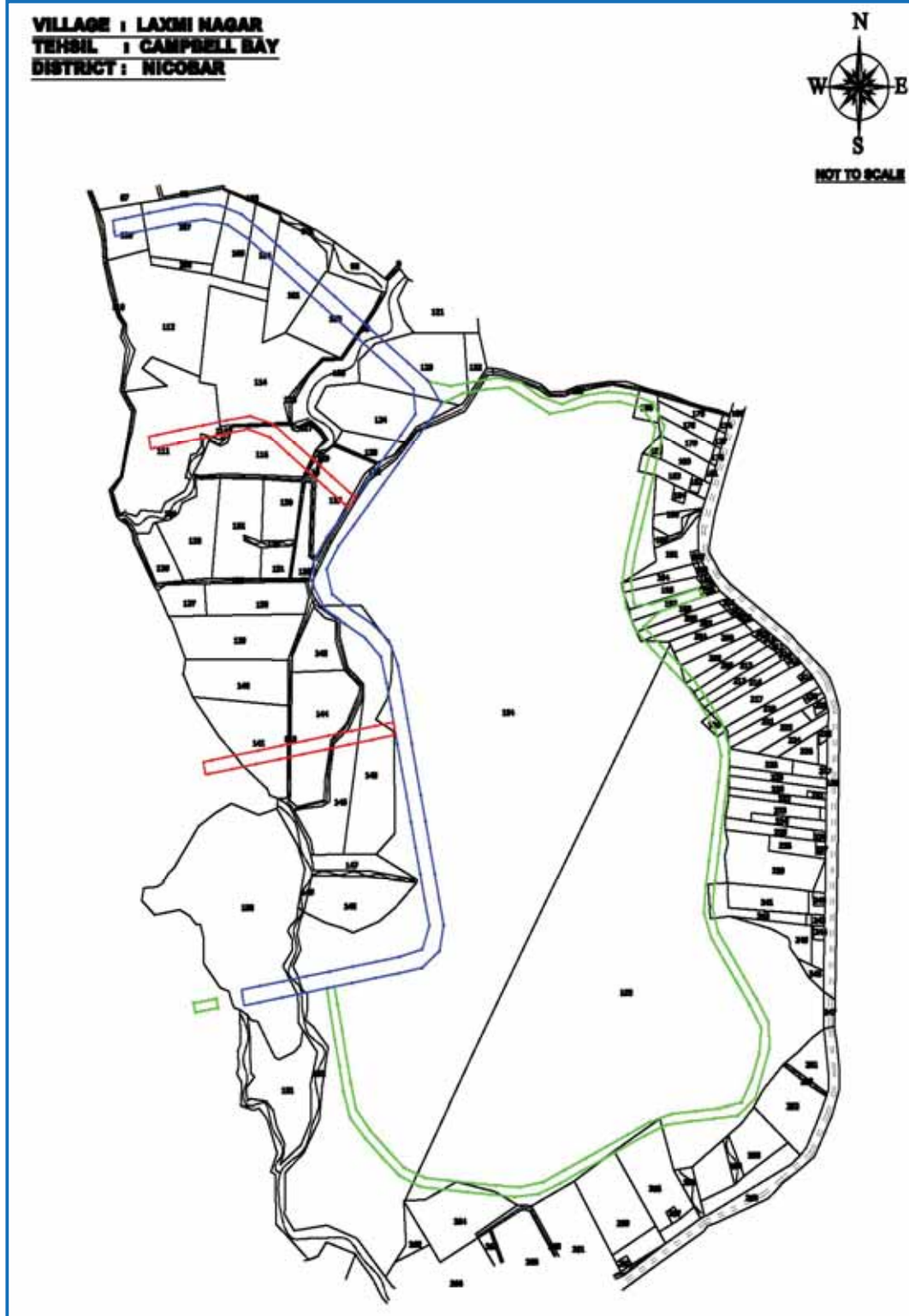
(घ) गांव विजय नगर

गांव विजय नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 808.71 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव विजय नगर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 12.7449 हेक्टेयर है, जो गांव विजय नगर के कुल भूमि क्षेत्रफल का 1.576 प्रतिशत है।



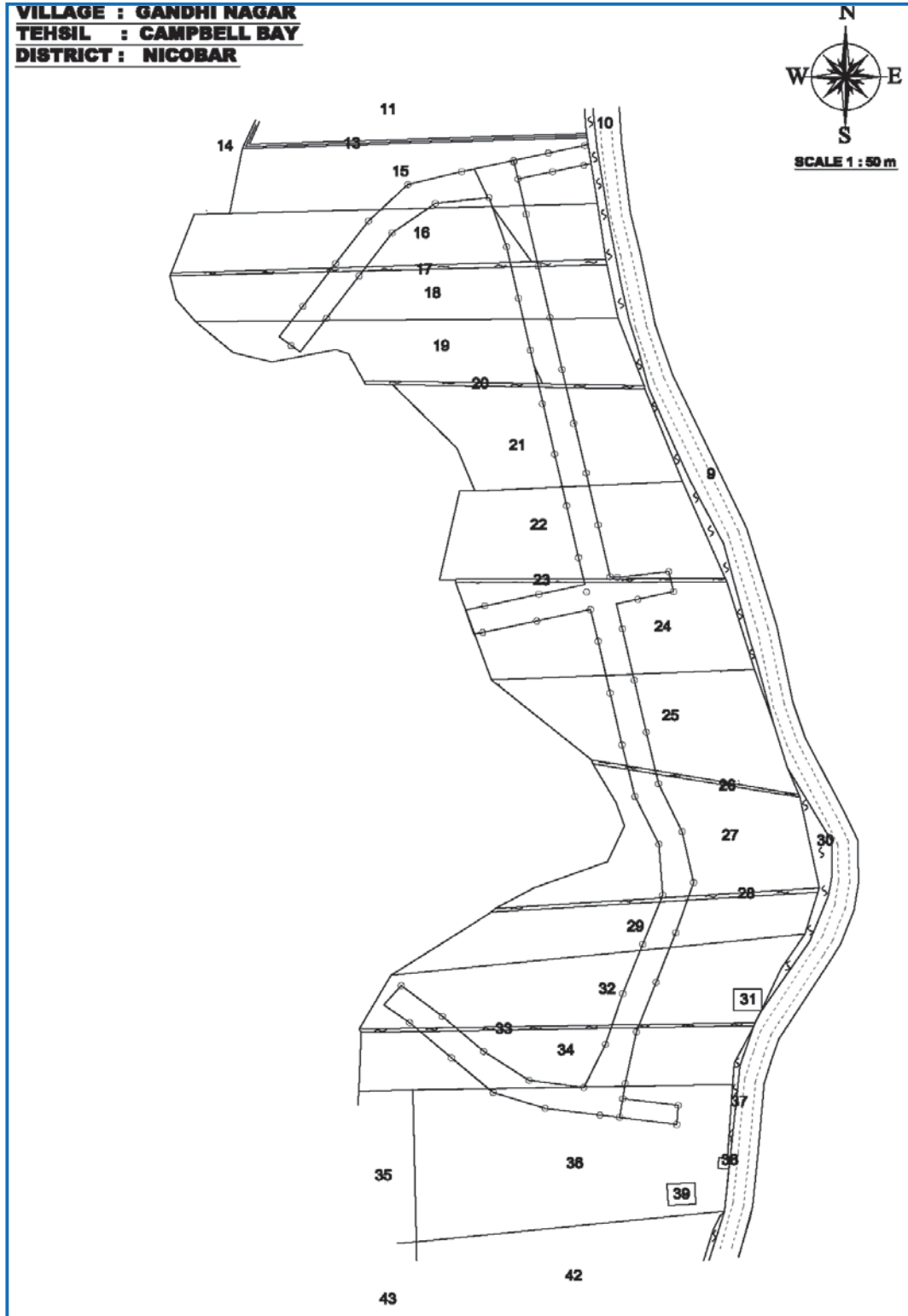
(ड) गांव लक्ष्मी नगर

गांव लक्ष्मी नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 447.60 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव लक्ष्मी नगर में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 17.8715 हेक्टेयर है, जो गांव लक्ष्मी नगर के कुल क्षेत्रफल का 3.992 प्रतिशत है।



(च) गांव गांधी नगर

गांव गांधी नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 599.49 हेक्टेयर है (जनगणना 2011 के अनुसार)। प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए गांव गांधी नगर में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 21.8678 हेक्टेयर है, जो गांव गांधी नगर के कुल क्षेत्रफल का 3.647 प्रतिशत है।



4.2 प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्रभाव क्षेत्र

ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह (GNI) निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह श्री विजयपुरम् (जो कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है) से 520 किलोमीटर दूर स्थित है। GNI का मुख्यालय कैपबेल बे है। भौगोलिक रूप से, GNI 6°45' से 7°15' उत्तरी अक्षांश और 93°37' से 93°56' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है तथा यह एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है। यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और वार्षिक तापमान लगभग 23°C से 30°C के बीच बना रहता है। निकोबार द्वीपसमूह को दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसूनों से पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है, तथा यहां का औसत वार्षिक वर्षा मान लगभग 2,900 मिमी है।

ग्रेट निकोबार द्वीप के समीप समुद्र तल बहुमूल्य खनिजों जैसे मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट और तांबे से समृद्ध है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे कि विद्युत वाहन बैटरियों और पवन टर्बाइनों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कों) के निर्माण हेतु निकोबार जिले की ग्रेट निकोबार तहसील के 6 गांवों – कैपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर – में कुल 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

4.3 प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का विस्तार एवं स्थान

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-11 : प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का आकार

क्र.	वर्गीकरण	55 मीटर सड़क के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	द्वितीयक सड़कों के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बंदरगाह कॉलोनी के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कैपबेल बे	-	0.4654	-	-	0.4654
2	गोविंद नगर	12.6162	9.3059	-	-	21.9221
3	जोगिंदर नगर	2.1136	10.7979	0.007	-	12.9185
4	विजय नगर	6.0118	6.7331	-	-	12.7449
5	लक्ष्मी नगर	5.3554	12.2821	0.234	-	17.8715
6	गांधी नगर	11.0542	3.2946	3.027	4.492	21.8678
कुल		37.1512	42.8790	3.268	4.492	87.7902

(स्रोत: राजस्व विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन)

सभी 6 गांवों को मिलाकर, मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 37.1512 हेक्टेयर है। मुख्य सड़क (55 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 में दी गई है। इसी प्रकार, सभी 6 गांवों को मिलाकर, द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 42.8790 हेक्टेयर है। द्वितीयक सड़कों (18/24/30 मीटर चौड़ी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-2 में दी गई है। उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि का क्षेत्र 3.268 हेक्टेयर है, जबकि बंदरगाह कॉलोनी के लिए 4.492 हेक्टेयर है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 87.7902

हेक्टेयर निजी भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसे उक्त ट्रंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना है।

4.4 क्या प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि न्यूनतम आवश्यक सीमा में है

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के सभी गांवों को आपस में जोड़ेगी, जिससे लोगों और वस्तुओं की आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास आदि जैसी परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु एक सुदृढ़ सड़क नेटवर्क की आवश्यकता होगी। बेहतर संपर्क, बढ़ती गतिविधियों और विकास की संभावनाओं के साथ, स्थानीय निवासियों को बेहतर अवसरों, उन्नत बुनियादी ढांचे और संसाधनों जैसे बाजार, संचार माध्यम और परिवहन की सुविधा प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार, परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यक सीमा में है।

हालाँकि, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा, जिससे कुछ परिवारों को अपनी भूमि गंवानी पड़ेगी, जो उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रायः कृषि पर निर्भर होते हैं और भूमि को आजीविका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ऐसी स्थिति में केवल भूमि का मालिक ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी—जैसे अस्थायी मजदूर, उत्पादक, विक्रेता, खरीदार एवं कृषि एवं पशुपालन से जुड़े व्यक्ति—उस भूमि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर होते हैं।

यह भूमि लगभग 201 परिवारों की है और यह संभावना है कि इन परिवारों में से कोई भी प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि उनके घरों पर प्रस्तावित अधिग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है या उनके घर किसी अन्य भूमि पर बने हुए हैं, जो अधिग्रहित नहीं की जा रही है।

परियोजना से प्रभावित गांवों में वर्तमान में रह रहे लोगों को न्यूनतम असुविधा पहुँचाने और मौजूदा संरचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, प्रस्तावित सहायक सड़कों की चौड़ाई को परिवर्तनीय (18/24/30 मीटर) रखा गया है। भूमि की उपलब्धता और वर्तमान निवासियों तथा उनकी संपत्तियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के आधार पर ही यह भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है।

4.5 परियोजना के संभावित वैकल्पिक स्थल एवं उनकी व्यवहार्यता

पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से यह विकल्प सबसे उपयुक्त पाया गया है। ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के निर्माण हेतु जो भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, वह न्यूनतम आवश्यक भूमि है। हालाँकि, इस निर्माण कार्य से कुछ हानियाँ अवश्य होंगी, जैसे—परिवारों की भूमि का नुकसान, आजीविका के स्रोतों का नुकसान, फसलों और चारे की हानि, पशुओं के लिए चरागाह भूमि की हानि, आदि। फिर भी, जब इस परियोजना विकल्प के लाभों और हानियों की तुलना की गई, तो यह विकल्प सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त पाया गया।

4.6 क्या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अंतिम एवं अपरिहार्य विकल्प है

छह गांवों में प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा न्यूनतम आवश्यक सीमा में है। इस उद्देश्य के लिए चयनित भूमि एकसमान और सटे हुए भू-भाग में स्थित है, और कुल प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्रफल 87.7902 हेक्टेयर है। यह परियोजना विकल्प अंडमान एवं निकोबार द्वीप विकास निगम (ANIIDCO) के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात चयनित किया गया है। अतः प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को एक अंतिम और अपरिहार्य विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है।

4.7 पहले से खरीदी, स्थानांतरित, पट्टे पर दी गई या अधिग्रहित भूमि एवं प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए प्रस्तावित किसी भी निजी भूमि की पूर्व में कोई खरीद, स्थानांतरण, पट्टा या अधिग्रहण नहीं किया गया है। प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु सभी भूखंडों का उपयोग केवल छह गांवों में प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए ही किया जाएगा। इन भूखंडों का किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग प्रस्तावित नहीं है।

4.8 परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अथवा अप्रयुक्त भूमि के उपयोग की संभावना एवं क्या ऐसी भूमि पर किसी का कब्जा है

इस परियोजना हेतु चयनित भूमि क्षेत्र एकसमान और सटी हुई है, और प्रस्तावित अधिग्रहण का कुल क्षेत्रफल 87.7902 हेक्टेयर है। यह परियोजना विकल्प अंडमान एवं निकोबार द्वीप विकास निगम (ANIIDCO) के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद तय किया गया है। प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के उद्देश्य से पूर्व में आसपास के क्षेत्र में कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है, जो अब तक अप्रयुक्त हो। अतः, इस परियोजना के लिए किसी भी सार्वजनिक अथवा अप्रयुक्त भूमि का उपयोग संभव नहीं है।

4.9 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित समस्त 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि को राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। गांव-वार प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि के प्रकार का विवरण नीचे दिया गया है। भूखंडवार/सर्वे संख्या अनुसार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में उपलब्ध है।

तालिका-12 : अधिग्रहण हेतु भूमि का प्रकार

क्र.	गांव का नाम	55 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार	सहायक सड़कों हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार
1	कैपबेल बे	—	P-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल, वाणिज्यिक
2	गोविंद नगर	P-I, पहाड़ी	P-I, पहाड़ी, आवासीय स्थल
3	जोगिंदर नगर	P-I	P-I, P-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल
4	विजय नगर	P-I	P-I
5	लक्ष्मी नगर	P-I, P-II	P-I, P-II, पहाड़ी, आवासीय स्थल
6	गांधी नगर	P-I, P-II, पहाड़ी	P-I, P-II

(स्रोत: राजस्व विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन)

क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग मुख्य रूप से बागवानी फसलों जैसे नारियल, सुपारी, केले के पेड़, कुछ अन्य फलदार वृक्षों तथा सब्जियों की खेती के लिए किया जा रहा था। हालांकि, कई परिवारों ने यह बताया कि उन्होंने वर्षों से अपनी भूमि का दौरा नहीं किया है। ऐसे परिवारों द्वारा इसका कारण यह बताया गया कि परिवार में कार्यशील आयु वर्ग का कोई सदस्य नहीं है जो इन बागानों की देखभाल कर सके।

उपेक्षा के कारण इन स्थानों पर भूमि झाड़ियों, लताओं एवं दलदली क्षेत्रों से घिरकर एक जंगल जैसे घने क्षेत्र में परिवर्तित हो गई थी, जहाँ हरियाली की बहुतायत थी। इन सभी कारकों के कारण इन क्षेत्रों में पहुंचना कठिन हो गया था और संबंधित परिवारों के लिए उनकी स्वयं की भूमि भी दुर्गम हो गई थी। फिर भी, जो परिवार अपनी भूमि की देखभाल कर रहे थे, उनके लिए नारियल, सुपारी, केला, अन्य फलदार वृक्षों एवं सब्जियों की खेती से अच्छी आमदनी हो रही थी और यह उनकी पारिवारिक आय का एक प्रमुख स्रोत था।

बंदरों का आतंक इन परिवारों के लिए एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि द्वीप में सैकड़ों की संख्या में बंदरों के झुंड पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जिससे बागवानी फसलों और फलों को भारी नुकसान पहुँचता है। ये बंदर खेतों में घुसपैठ कर सब्जियों, फलों और अन्य फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान अपनी फसलों को बंदरों के इन हमलों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में नुकसान इतना गंभीर है कि इससे आजीविका प्रभावित हुई और कई किसानों को मजबूरन अपने खेत छोड़ने पड़े।

4.10 क्या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में खाद्य सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधानों का पालन किया गया है

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि लगभग 201 परिवारों की निजी संपत्ति है। यह भूमि बागवानी और कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जो परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है। भूमि अधिग्रहण से इन परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, वर्तमान प्रस्तावित अधिग्रहण केवल आंशिक रूप से उनकी भूमि को प्रभावित करेगा, क्योंकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी परिवार की पूरी भूमि अधिग्रहित की जा रही हो। प्रत्येक परिवार की भूमि का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, और किसी भी परिवार को इस अधिग्रहण के कारण पूर्ण रूप से भूमिहीन नहीं किया जाएगा। अतः खाद्य सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधानों का पालन किया गया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 भारत सरकार का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई है, प्रस्तावित है या अधिग्रहण से प्रभावित हुई है, उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उचित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाए तथा उनके लिए पर्याप्त पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक बुनियादी ढांचे, औद्योगीकरण और शहरीकरण के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मानवीय, सहभागी और पारदर्शी हो, जिससे भूमि स्वामियों तथा अन्य प्रभावित परिवारों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और उन्हें उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा प्रदान किया जा सके।

ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवज़ा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करना, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, प्रस्तावित है या अधिग्रहण से प्रभावित हुई है, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का समष्टिगत परिणाम यह हो कि प्रभावित व्यक्ति विकास प्रक्रिया के केंद्र में रहें और वे केवल प्रभावित नहीं, बल्कि विकास में सहभागी बनें। अधिग्रहण के उपरांत उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो, यही इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है।

4.11 भू-स्वामित्व का आकार, स्वामित्व के स्वरूप, भूमि वितरण, आवासीय मकान, सार्वजनिक एवं निजी आधारभूत संरचनाएं एवं संपत्तियां

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए चयनित भूमि क्षेत्र एकसमान है, और ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के 6 गांवों में कुल 80.0302 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है। उक्त भूमि पर कुछ आवासीय मकान निर्मित हैं, जो प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं, किन्तु किसी भी निवासी को पुनर्वास हेतु अन्यत्र स्थानांतरित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। हालाँकि, कुछ पूजा स्थलों (जैसे मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च) की अग्रभूमि की भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन पूजा स्थल की मुख्य इमारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.12 भूमि मूल्य एवं हाल के वर्षों (पिछले 3 वर्षों) में स्वामित्व, हस्तांतरण एवं उपयोग में हुए परिवर्तन

अधिकांश वर्तमान भूमि स्वामियों ने पैतृक रूप से यह भूमि प्राप्त की है और वे बहुत लंबे समय से—प्रायः जब उनके पूर्वज 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक के बीच इस द्वीप में आकर बसे थे—इस भूमि के स्वामी और भोगकर्ता रहे हैं। क्षेत्र का निरीक्षण करने और परियोजना से प्रभावित परिवारों से बातचीत करने के उपरांत, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम को भूमि उपयोग के स्वरूप एवं स्वामित्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिला। अर्थात्, जो भूमि पूर्व में जिस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही थी, वर्तमान में भी वह भूमि उसी उद्देश्य के लिए उपयोग हो रही है।

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों का अनुमान एवं गणना

5.1 परिवार जिनकी भूमि या अन्य अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाना है

5.1.1 परियोजना हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूखंडों की संख्या

सभी 6 गांवों को सम्मिलित रूप से लेने पर, प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए कुल 433 निजी भूखंडों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। गांव-वार स्थिति निम्नलिखित है:

तालिका-13 : अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूखंडों की संख्या

क्र.	वर्गीकरण	55 मीटर सड़क के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निजी भूखंडों की संख्या	द्वितीयक सड़क के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निजी भूखंडों की संख्या	उपयोगिताओं के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निजी भूखंडों की संख्या	बंदरगाह कॉलोनी के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निजी भूखंडों की संख्या	कुल प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निजी भूखंडों की संख्या
1	कैपबेल बे	-	57	-	-	57
2	गोविंद नगर	24	45	-	-	69
3	जोगिंदर नगर	06	74	01	-	80
4	विजय नगर	12	39	-	-	51
5	लक्ष्मी नगर	20	75	01	-	95
6	गांधी नगर	65	16	06	05	81
कुल		127	306	08	05	446

(स्रोत: राजस्व विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन)

इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत, प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली सभी 446 निजी भूखंडों का भ्रमण किया गया, ताकि उन भूखंडों के स्वामियों को शामिल किया जा सके। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में एक ही भूखंड पर एक से अधिक परिवारों का स्वामित्व था, जबकि कुछ अन्य मामलों में एक ही परिवार के स्वामित्व में एक से अधिक भूखंड थे, जिन्हें इस परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के अंतर्गत आने वाले सभी निजी भूखंडों के उपलब्ध स्वामियों को सर्वेक्षण के दौरान सम्मिलित किया गया। जो भूखंड स्वामी प्रारंभिक दौर में उपलब्ध नहीं थे, उन्हें शामिल करने के लिए कई बार पुनः दौरे किए गए। इसके बावजूद, कुछ भूखंड स्वामियों को शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि वे सभी या तो ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के बाहर स्थायी रूप से बसे हुए हैं, या फिर विभिन्न कारणों जैसे चिकित्सा उपचार, अवकाश, मुख्यभूमि में पारिवारिक समारोह में भाग लेने, या सेवा/निजी नौकरी में कार्यरत होने के कारण लंबे समय से GNI से बाहर थे। ऐसे लोग केवल कभी-कभार ही अपने गांव आया करते हैं।

5.1.2 परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या

सभी 6 गांवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों को इस अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया गया। इन 201 परिवारों में कुल 779 व्यक्ति थे। इन परिवारों की भूखंडवार सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है। इन 201 परिवारों में से किसी भी परिवार को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित नहीं होना पड़ेगा।

तालिका-14 : परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या

क्र.	वर्गीकरण	प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित परिवारों की जनसंख्या
1	कैपबेल बे	13	61
2	गोविंद नगर	41	189
3	जोगिंदर नगर	13	48
4	विजय नगर	25	101
5	लक्ष्मी नगर	39	132
6	गांधी नगर	70	248
कुल योग		201	779

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

गांव कैपबेल बे में 13 परिवारों के कुल 61 व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जबकि गांव गोविंद नगर में 41 परिवारों के 189 व्यक्ति और गांव जोगिंदर नगर में 13 परिवारों के 48 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, गांव विजय नगर में 25 परिवारों के 101 व्यक्ति, गांव लक्ष्मी नगर में 39 परिवारों के 132 व्यक्ति, और गांव गांधी नगर में 70 परिवारों के 248 व्यक्ति शामिल किए गए हैं।

5.2 किरायेदारों के अधिपत्य में भूमि

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कुछ किरायेदारों का अधिपत्य पाया गया। इन किरायेदारों ने वर्तमान भूखंड स्वामियों से दुकानें किराए पर ली हुई थीं और वहाँ वे छोटे-मोटे व्यापार जैसे चाय-नाश्ते की दुकान, सब्जी की दुकान, किराना दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, आदि चला रहे थे। ये सभी किरायेदार ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के स्थानीय निवासी थे और वे वर्तमान भूखंड स्वामियों को ₹3,000 से ₹8,000 प्रति माह के बीच किराया दे रहे थे।

5.3 अनुसूचित जनजाति/परंपरागत वनवासी परिवार जो वन अधिकार खो देंगे

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें से कोई भी परिवार अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वनवासी परिवार से संबंधित नहीं है।

5.4 कृषि श्रमिकों, उपभोग अधिकार धारकों, बटाईदारों या शिल्पकारों के परिवार जो प्रस्तावित अधिग्रहण से पूर्व 3 वर्षों तक प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत रहे हों

कुछ परिवारों ने बताया कि उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे स्थानों से कृषि श्रमिकों को लाकर अपने बागवानी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत किया था। जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी ओर से कोई उपभोग अधिकार धारक, बटाईदार या शिल्पकार नियोजित नहीं

पाया गया। ये अनौपचारिक कृषि श्रमिक भी केवल कुछ महीनों अथवा अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियोजित थे। प्रस्तावित अधिग्रहण से पूर्व पिछले तीन वर्षों की अवधि में कोई भी व्यक्ति उस भूमि पर लगातार नियोजित नहीं था।

5.5 राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित किए गए परिवार

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में निवास करने वाले लगभग सभी परिवार पुनर्वासित परिवार हैं, जो पिछले 2 से 3 पीढ़ियों से, यानी पिछले 5 दशकों से यहाँ रह रहे हैं। इन सभी परिवारों को 1969 से लेकर 1980 के प्रारंभिक वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। समय के साथ कुछ प्रवासी लोग भी यहाँ रोज़गार की तलाश में आकर बस गए हैं। वर्तमान में बहुत कम मूल आवंटी ऐसे हैं जो अब भी अपने भूखंडों में निवास कर रहे हैं। अधिकांश परिवारों में मूल आवंटियों का निधन हो चुका है और वर्तमान पीढ़ी ने पैतृक उत्तराधिकार के माध्यम से भूमि प्राप्त की है।

5.6 प्रस्तावित अधिग्रहण से पूर्व 3 वर्षों या उससे अधिक समय तक शहरी क्षेत्रों में निवासरत परिवार

इस अध्ययन में शामिल 201 परिवारों में से कुछ में ऐसे सदस्य थे जो पिछले 3 वर्षों या उससे अधिक समय से किसी शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे थे। ये सभी सदस्य या तो शहरी क्षेत्रों में कार्यरत थे या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

5.7 परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, कुछ परिवारों ने बताया कि उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से कृषि श्रमिकों को काम के लिए बुलाया था, जो उनके बागवानी क्षेत्रों में अनौपचारिक मजदूर के रूप में कार्यरत थे। ये मजदूर अस्थायी रूप से नियोजित थे और वर्तमान भूमि स्वामियों द्वारा कुछ महीनों या अधिकतम एक वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे। ऐसे कुछ श्रमिक इस परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि, किसी भी भूमि स्वामी की पूरी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है, केवल आंशिक भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है और कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं होगा। इसलिए, ऐसे श्रमिकों पर परियोजना का प्रभाव बहुत कम या नगण्य होगा, क्योंकि उनकी आजीविका के सारे साधन प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

5.8 उत्पादक परिसंपत्तियों एवं महत्वपूर्ण भूमियों की सूची

प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कुछ उत्पादक परिसंपत्तियाँ मौजूद थीं, जिनमें बागवानी फसलें (जैसे नारियल, सुपारी, केला, आदि) प्रमुख थीं, जो इस परियोजना के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ संरचनाएं, जैसे, मकान, शेड, कुएं, तालाब, आदि भी उस भूमि पर स्थित पाए गए, जो अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। हालाँकि, अधिग्रहण पूरे भूखंड का न होकर केवल आंशिक है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उत्पादक परिसंपत्तियों पर प्रभाव किस सीमा तक होगा।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

6.1 प्रभावित जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

6.1.1 परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परियोजना प्रभावित परिवारों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इन परिवारों का भूखंडवार/सर्वे नंबरवार विवरण परिशिष्ट-5 में दिया गया है। इन परियोजना से प्रभावित किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण उन्हें कोई विस्थापन नहीं होगा।

तालिका-15 : परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या

क्र.	वर्गीकरण	प्रभावित परिवारों की संख्या	कुल प्रभावित जनसंख्या		
			पुरुषों की संख्या	महिलाओं की संख्या	कुल जनसंख्या
1	कैपबेल बे	13	29	32	61
2	गोविंद नगर	41	104	85	189
3	जोगिंदर नगर	13	23	25	48
4	विजय नगर	25	49	52	101
5	लक्ष्मी नगर	39	68	64	132
6	गांधी नगर	70	119	129	248
कुल योग		201	392	387	779

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.1.2 लोगों की आयु एवं लिंग आधारित प्रोफ़ाइल

सभी 6 गांवों को मिलाकर, इन 201 परियोजना प्रभावित परिवारों में कुल 779 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से 392 पुरुष और 387 महिलाएं थीं। इन 201 परियोजना प्रभावित परिवारों में शामिल व्यक्तियों की आयु वर्ग के अनुसार संख्या निम्नलिखित है।

तालिका-16 : लोगों की आयु एवं लिंग आधारित प्रोफ़ाइल

क्र.	वर्गीकरण	0-5 वर्ष		6-17 वर्ष		18-35 वर्ष		36-60 वर्ष		>60 वर्ष		कुल	
		पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म
1	कैपबेल बे	0	4	4	3	8	9	9	12	8	4	29	32
2	गोविंद नगर	6	4	18	11	31	22	31	35	18	13	104	85
3	जोगिंदर नगर	2	0	4	3	2	6	7	8	8	8	23	25
4	विजय नगर	2	3	10	6	8	10	20	18	9	15	49	52
5	लक्ष्मी नगर	3	2	8	9	23	13	24	31	10	9	68	64
6	गांधी नगर	2	7	17	17	33	39	56	52	11	14	119	129
कुल योग		15	20	61	49	105	99	147	156	64	63	392	387

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.1.3 परिवारों का धर्म

सभी 6 गांवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 106 परिवार (53 प्रतिशत) हिंदू थे, 53 परिवार (26 प्रतिशत) ईसाई थे, 38 परिवार (19 प्रतिशत) सिख थे, 2 परिवार (1 प्रतिशत) मुस्लिम थे और शेष 2 परिवार (1 प्रतिशत) बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गांववार विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका-17 : परिवारों का धर्म

क्र.	वर्गीकरण	हिंदू		ईसाई		सिख		मुस्लिम		बौद्ध		कुल	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	6	46.15	3	23.08	4	30.77	0	0.00	0	0.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	8	19.51	13	31.71	20	48.78	0	0.00	0	0.00	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	1	7.69	3	23.08	9	69.23	0	0.00	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	21	84.00	2	8.00	1	4.00	1	4.00	0	0.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	34	87.18	3	7.69	0	0.00	0	0.00	2	5.13	39	100.00
6	गांधी नगर	36	51.43	29	41.43	4	5.71	1	1.43	0	0.00	70	100.00
कुल योग		106	52.74	53	26.37	38	18.91	2	1.00	2	1.00	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.1.4 परिवारों की जाति

हालाँकि मुख्य भूमि पर जाति समूह वर्गीकरण के अनुसार ये परिवार विभिन्न जाति समूहों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की प्रोटोकॉल के अनुसार, यहां बसाए गए सभी परिवार सामान्य जाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

6.1.5 साक्षरता स्थिति

बच्चों की विद्यालय जाने की स्थिति

लड़के (6-14 वर्ष आयु वर्ग)

सभी 6 गांवों को मिलाकर इन 201 परिवारों में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में कुल 38 लड़के थे। सभी लड़कों के वर्तमान में स्कूल जाने की सूचना दी गई।

लड़कियां (6-14 वर्ष आयु वर्ग)

सभी 6 गांवों को मिलाकर इन 201 परिवारों में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में कुल 37 लड़कियां थीं। सभी लड़कियों के भी वर्तमान में स्कूल जाने की सूचना दी गई।

परिवारों में वयस्क पुरुष (≥18 वर्ष आयु)

सभी 6 गांवों को मिलाकर इन 201 परिवारों में कुल 316 वयस्क पुरुष थे। इनमें से 2 प्रतिशत वयस्क पुरुष निरक्षर थे और लगभग 7 प्रतिशत पुरुषों ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) तक शिक्षा प्राप्त की थी। जबकि 14 प्रतिशत पुरुषों ने माध्यमिक स्तर (कक्षा VIII) तक, और 26 प्रतिशत ने हाई स्कूल (कक्षा X) तक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा, 36 प्रतिशत वयस्क पुरुष

तालिका-18 : वयस्क पुरुषों की शैक्षिक स्थिति (≥18 वर्ष आयु)

क्र.	वर्गीकरण	n	%
1	निरक्षर	7	2.22
2	केवल प्राथमिक विद्यालय (कक्षा V तक)	22	6.96
3	मध्य विद्यालय (कक्षा VIII तक)	45	14.24
4	हाई स्कूल (कक्षा X तक)	83	26.27
5	इंटरमीडिएट (कक्षा XII तक)	114	36.08
6	स्नातक या उससे ऊपर	44	13.92
कुल योग		316	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

इंटरमीडिएट (कक्षा XII) तक शिक्षित थे और 14 प्रतिशत पुरुष स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त थे। वयस्क पुरुषों की शैक्षिक स्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत है। गांव-वार विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है।

परिवारों में वयस्क महिलाएं (≥18 वर्ष आयु)

सभी 6 गांवों को मिलाकर इन 201 परिवारों में कुल 318 वयस्क महिलाएं थीं। इनमें से 9 प्रतिशत से अधिक वयस्क महिलाएं निरक्षर थीं, और लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) तक शिक्षा प्राप्त की थी। जबकि 14 प्रतिशत महिलाओं ने माध्यमिक स्तर (कक्षा VIII) तक शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार, लगभग 21 प्रतिशत वयस्क महिलाएं हाई स्कूल

तालिका-19 : वयस्क महिलाओं की शैक्षिक स्थिति (≥18 वर्ष आयु)

क्र.	वर्गीकरण	n	%
1	निरक्षर	30	9.43
2	केवल प्राथमिक विद्यालय (कक्षा V तक)	25	7.86
3	मध्य विद्यालय (कक्षा VIII तक)	45	14.15
4	हाई स्कूल (कक्षा X तक)	66	20.75
5	इंटरमीडिएट (कक्षा XII तक)	87	27.36
6	स्नातक या उससे ऊपर	65	20.44
कुल योग		318	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

(कक्षा X) तक शिक्षित थीं, जबकि 27 प्रतिशत से अधिक ने इंटरमीडिएट (कक्षा XII) तक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक वयस्क महिलाएं स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त थीं। वयस्क महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विवरण साथ में प्रस्तुत तालिका में दिया गया है। गांव-वार विवरण परिशिष्ट-7 में उपलब्ध है।

6.1.6 स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति

गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं

गांवों में स्वास्थ्य उप-केंद्रों में कार्यरत एएनएम नियमित रूप से गांवों का दौरा करती थीं। उनका मुख्य कार्य नियमित टीकाकरण करना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की गोलियां वितरित करना और प्रसवपूर्व जांच करना था। यह पाया गया कि उनका कार्यक्षेत्र कुछ गतिविधियों तक सीमित था, जैसे – स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना, संतुलित आहार की आदतों के बारे में जानकारी देना, गांव में समूह चर्चा आयोजित करना, आदि। द्वीप में ग्रामीणों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सेवा सुविधा कैम्पबेल बे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था।

गांव की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं

गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। गांव में पाए जाने वाले सामान्य स्थानीय रोगों में डायरिया (दस्त), उल्टी, पेट से संबंधित रोग आदि प्रमुख थे।

गांव में आंगनवाड़ी सेवाओं की उपलब्धता

गांवों में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं उपलब्ध थीं। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य आकर्षण वहां बच्चों और उनके माता-पिता के लिए दिया जाने वाला पूरक पोषण आहार था। बच्चों का नियमित टीकाकरण भी एएनएम द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता था।

लोगों की खाद्य आदतें

परिवारों से बातचीत के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि वे किन-किन खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इन गांवों के लोग मछली, चिकन, अंडे, चावल, सब्जियां और फल नियमित रूप से खाते थे। हालांकि, रोटी और दूध का सेवन यहां नियमित नहीं पाया गया। इन गांवों में रोटी और दाल का सेवन अपेक्षाकृत कम बताया गया।

6.2 आय और गरीबी का स्तर

6.2.1 पारिवारिक आय का स्तर

सभी 6 गांवों को मिलाकर, इन 201 परिवारों में से 5 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने बताया कि उनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹60,000/- या उससे कम है। वहीं, 8 प्रतिशत से अधिक परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹60,000/- से अधिक लेकिन ₹1,20,000/- से कम पाई गई।

तालिका-20 : वार्षिक पारिवारिक आय का गांववार स्तर

क्र.	वर्गीकरण	₹60,000/- तक		₹60,001/- से ₹1,20,000/-		₹1,20,001/- से ₹1,80,000/-		₹1,80,001/- से ₹2,40,000/-		₹2,40,000/- से अधिक		कुल	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	1	7.69	1	7.69	3	23.08	1	7.69	7	53.85	13	100.00
2	गोविंद नगर	3	7.32	3	7.32	3	7.32	2	4.88	30	73.17	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	0	0.00	1	7.69	0	0.00	2	15.38	10	76.92	13	100.00
4	विजय नगर	2	8.00	1	4.00	0	0.00	2	8.00	20	80.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	2	5.13	7	17.95	6	15.38	1	2.56	23	58.97	39	100.00
6	गांधी नगर	3	4.29	4	5.71	2	2.86	8	11.43	53	75.71	70	100.00
कुल योग		11	5.47	17	8.46	14	6.97	16	7.96	143	71.14	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

इसी प्रकार, लगभग 7 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनकी कुल वार्षिक आय ₹1,20,000/- से अधिक लेकिन ₹1,80,000/- से कम थी, और अन्य 8 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय ₹1,80,000/- से अधिक लेकिन ₹2,40,000/- से कम थी। 71 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने बताया कि उनकी सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय ₹2,40,000/- से अधिक थी। परिवारों की वार्षिक आय का गांव-वार विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

6.2.2 वर्तमान में निवास किए जाने वाले घर का प्रकार

यदि किसी घर की तीनों संरचनात्मक इकाइयाँ – छत, दीवारें और फर्श – ईंट, सीमेंट एवं कंक्रीट से बनी होती हैं, तो ऐसे घर को पक्का घर माना गया। यदि घर की तीनों इकाइयाँ – छत, दीवारें और फर्श – अस्थायी सामग्री (जैसे मिट्टी, छप्पर, लकड़ी, प्लास्टिक, तिरपाल, एसबेस्टस, मिट्टी की टाइल्स, जस्ती लोहे की चादर, टिन, आदि) से बनी होती हैं और इनमें ईंट, सीमेंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया होता, तो ऐसे घर को कच्चा घर माना गया। यदि घर की तीनों इकाइयों में से कोई भी एक या अधिक इकाई अस्थायी सामग्री से बनी हो, तो ऐसे घर को अर्ध-पक्का घर माना गया।

सभी 6 गांवों को मिलाकर इन 201 परिवारों में से 58 परिवार (29 प्रतिशत) पक्के मकानों में रह रहे थे, जबकि शेष 143 परिवार (71 प्रतिशत) अर्ध-पक्के मकानों में निवास कर रहे थे। किसी भी परिवार ने कच्चे मकान में रहने की सूचना नहीं दी। अधिकांश अर्ध-पक्के मकान सुनामी शेल्टर होम्स थे, जो सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए थे। इन सुनामी शेल्टर होम्स की दीवारें लकड़ी की बनी थीं और छत टिन की चादरों से ढकी हुई थी।

तालिका-21 : वर्तमान में निवास किए जाने वाले मकान का प्रकार

क्र.	वर्गीकरण	पक्का		अर्ध-पक्का		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	5	38.46	8	61.54	13	100.00
2	गोविंद नगर	14	34.15	27	65.85	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	2	15.38	11	84.62	13	100.00
4	विजय नगर	8	32.00	17	68.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	17	43.59	22	56.41	39	100.00
6	गांधी नगर	12	17.14	58	82.86	70	100.00
कुल योग		58	28.86	143	71.14	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.2.3 पेयजल के मुख्य स्रोत

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से अधिकांश 199 परिवारों (99 प्रतिशत) के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत पाइपलाइन से आपूर्ति किया गया जल था। केवल 2 परिवारों (1 प्रतिशत) ने बताया कि उनके लिए पेयजल का मुख्य स्रोत झरने का पानी था। इनमें से एक परिवार लक्ष्मी नगर गांव से और एक परिवार गांधी नगर गांव से संबंधित था।

तालिका-22 : पेयजल के मुख्य स्रोत

क्र.	वर्गीकरण	पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति जल		झरना से जल		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	13	100.00	0	0.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	41	100.00	0	0.00	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	13	100.00	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	25	100.00	0	0.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	38	97.44	1	2.56	39	100.00
6	गांधी नगर	69	98.57	1	1.43	70	100.00
कुल योग		199	99.00	2	1.00	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.2.4 पेयजल के मुख्य स्रोत की दूरी

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 156 परिवारों (78 प्रतिशत) के घर के भीतर ही पेयजल का स्रोत उपलब्ध था। हालांकि, 44 परिवारों (22 प्रतिशत) को अपने घर से अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक पेयजल लाने के लिए जाना पड़ता था। एक परिवार ने बताया कि उन्हें पेयजल लाने के लिए अपने घर से 100 मीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

तालिका-23 : पेयजल के मुख्य स्रोत की दूरी

क्र.	वर्गीकरण	घर के अंदर		100 मीटर के भीतर		100-250 मीटर के भीतर		कुल	
		n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	11	84.62	2	15.38	0	0.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	19	46.34	22	53.66	0	0.00	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	12	92.31	1	7.69	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	21	84.00	4	16.00	0	0.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	33	84.62	5	12.82	1	2.56	39	100.00
6	गांधी नगर	60	85.71	10	14.29	0	0.00	70	100.00
कुल योग		156	77.61	44	21.89	1	0.50	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.2.5 बिजली की उपलब्धता

सभी 6 गांवों में, सभी 201 परिवारों ने बताया कि उनके घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है।

6.2.6 भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 197 परिवारों (98 प्रतिशत) ने बताया कि वे खाना पकाने के लिए एलपीजी चूल्हे का उपयोग करते हैं। वहीं, 8 परिवारों (4 प्रतिशत) ने बताया कि वे एलपीजी चूल्हा और लकड़ी दोनों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार, 4 परिवारों (2 प्रतिशत) ने केवल लकड़ी का उपयोग करने की बात कही।

तालिका-24 : खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

क्र.	वर्गीकरण	एलपीजी		एलपीजी व लकड़ी		केवल लकड़ी (एलपीजी नहीं)		कुल	
		n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	13	100.00	0	0.00	0	0.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	39	95.12	0	0.00	2	4.88	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	13	100.00	0	0.00	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	25	100.00	0	0.00	0	0.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	37	94.87	2	5.13	2	5.13	39	100.00
6	गांधी नगर	70	100.00	6	8.57	0	0.00	70	100.00
कुल योग		197	98.01	8	3.98	4	1.99	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण) (एक से अधिक उत्तर दर्ज किए गए)

6.2.7 शौचालय सुविधा की उपलब्धता

सभी 6 गांवों में, सभी 201 परिवारों ने बताया कि उनके घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, और शौचालय उपयोग करने योग्य स्थिति में है।

6.3 संवेदनशील समूह

6.3.1 महिलाएं

सभी 6 गांवों को मिलाकर, 201 परिवारों में कुल 779 व्यक्ति थे, जिनमें से 387 महिलाएं थीं (50 प्रतिशत)। महिलाएं मुख्यतः घरेलू कार्यों में संलग्न थीं। महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने घरों से बाहर जाती थीं और बाजार भी जाती थीं। पारंपरिक संस्कृति ने महिलाओं को आने-जाने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन आर्थिक अधिकार अब भी पुरुषों के पास ही सीमित थे।

तालिका-25 : परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या

क्र.	वर्गीकरण	प्रभावित परिवारों की संख्या	कुल प्रभावित जनसंख्या		
			पुरुषों की संख्या	महिलाओं की संख्या	कुल
1	कैपबेल बे	13	29	32	61
2	गोविंद नगर	41	104	85	189
3	जोगिंदर नगर	13	23	25	48
4	विजय नगर	25	49	52	101
5	लक्ष्मी नगर	39	68	64	132
6	गांधी नगर	70	119	129	248
कुल योग		201	392	387	779

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.3.2 बच्चे

सभी 6 गाँवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में कुल 145 बच्चे थे, जिनमें से 76 लड़के (52 प्रतिशत) और 69 लड़कियाँ (48 प्रतिशत) थीं।

तालिका-26 : परिवारों में बच्चे (आयु 0-17 वर्ष)

क्र.	वर्गीकरण	आयु 0-5 वर्ष		आयु 6-17 वर्ष		कुल	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	कैपबेल बे	0	4	4	3	4	7
2	गोविंद नगर	6	4	18	11	24	15
3	जोगिंदर नगर	2	0	4	3	6	3
4	विजय नगर	2	3	10	6	12	9
5	लक्ष्मी नगर	3	2	8	9	11	11
6	गांधी नगर	2	7	17	17	19	24
कुल योग		15	15	20	61	49	76

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.3.3 महिला मुखिया वाले परिवार

सभी 6 गाँवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 46 परिवार (23 प्रतिशत) ऐसे थे जिनके मुखिया महिला सदस्य थीं।

शेष 155 परिवार (77 प्रतिशत) ऐसे थे जिनके मुखिया पुरुष सदस्य थे।

तालिका-27 : परिवार के मुखिया

क्र.	वर्गीकरण	महिला मुखिया परिवार		पुरुष मुखिया परिवार		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	2	15.38	11	84.62	13	100.00
2	गोविंद नगर	6	14.63	35	85.37	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	5	38.46	8	61.54	13	100.00
4	विजय नगर	7	28.00	18	72.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	12	30.77	27	69.23	39	100.00
6	गांधी नगर	14	20.00	56	80.00	70	100.00
कुल योग		46	22.89	155	77.11	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.3.4 विकलांग व्यक्ति

सभी 6 गाँवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में कुल 779 व्यक्ति थे, जिनमें से 9 व्यक्ति विकलांग पाए गए। विवरण निम्नानुसार है।

तालिका-28 : विकलांग व्यक्ति

क्र.	गांव का नाम	नाम	लिंग	आयु (वर्षों में)	शिक्षा स्तर	विकलांगता का प्रकार
1	कैपबेल बे	परगट सिंह	पुरुष	65	कक्षा 8 उत्तीर्ण	बाएं पैर में विकलांगता
2	कैपबेल बे	प्रीतपाल सिंह	पुरुष	18	निरक्षर	मानसिक विकलांग
3	कैपबेल बे	बलजीत सिंह	पुरुष	14	कक्षा 9 उत्तीर्ण	मानसिक विकलांग
4	गोविंद नगर	सिमरन	महिला	23	कक्षा 9 उत्तीर्ण	मानसिक विकलांग
5	गोविंद नगर	अरुण कुमार दत्ता	पुरुष	32	कक्षा 10 उत्तीर्ण	मानसिक विकलांग
6	लक्ष्मी नगर	कैलाश शाकरे	पुरुष	48	कक्षा 12 उत्तीर्ण	शारीरिक विकलांगता
7	लक्ष्मी नगर	सिद्धार्थ यादव	पुरुष	63	स्नातक	दाहिने पैर में पक्षाघात
8	गांधी नगर	जयपाल लकड़ा	पुरुष	49	कक्षा 11 उत्तीर्ण	बाईं आंख में दृष्टि बाधित
9	गांधी नगर	अशोक कुज्जुर	पुरुष	50	कक्षा 7 उत्तीर्ण	शरीर के बाएं हिस्से में पक्षाघात

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

9 विकलांग व्यक्तियों में से 8 पुरुष थे जबकि शेष 1 महिला थी। 4 विकलांग व्यक्तियों को मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बताया गया, 2 व्यक्तियों को शारीरिक/गतिशीलता संबंधी विकलांगता थी, 2 व्यक्तियों को पक्षाघात (पैरालिसिस) था, जबकि शेष 1 व्यक्ति दृष्टि बाधित (विजन इम्पेयरमेंट) था।

6.4 भूमि उपयोग और आजीविका

6.4.1 पिछले 3 वर्षों में परिवारों द्वारा की गई सब्जियों की खेती

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 35 परिवारों (17 प्रतिशत) ने बताया कि वे उस भूमि पर खेती करते हैं जिसे अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे सभी परिवारों ने बताया कि वे वर्ष भर अपनी भूमि पर तरह-तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से उनकी सब्जी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शेष 166 परिवारों (83 प्रतिशत) ने बताया कि वे प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर सब्जियों की खेती नहीं करते हैं।

तालिका-29 : परिवारों द्वारा की गई सब्जियों की खेती (पिछले 3 वर्षों में)

क्र.	वर्गीकरण	सब्जियों की खेती करने वाले परिवार		सब्जियों की खेती नहीं करने वाले परिवार		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैंपबेल बे	0	0.00	13	100.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	12	29.27	29	70.73	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	1	7.69	12	92.31	13	100.00
4	विजय नगर	1	4.00	24	96.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	10	25.64	29	74.36	39	100.00
6	गांधी नगर	11	15.71	59	84.29	70	100.00
कुल योग		35	17.41	166	82.59	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.2 प्रस्तावित भूमि पर स्वयं का व्यवसाय चलाने वाले परिवार

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 27 परिवारों (13 प्रतिशत) ने बताया कि वे प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं। शेष 174 परिवारों (87 प्रतिशत) ने बताया कि वे प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं।

तालिका-30 : प्रस्तावित भूमि पर स्वयं का व्यवसाय चलाने वाले परिवार

क्र.	वर्गीकरण	प्रस्तावित भूमि पर स्वयं का व्यवसाय		प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यवसाय नहीं		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैंपबेल बे	4	30.77	9	69.23	13	100.00
2	गोविंद नगर	8	19.51	33	80.49	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	1	7.69	12	92.31	13	100.00
4	विजय नगर	1	4.00	24	96.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	4	10.26	35	89.74	39	100.00
6	गांधी नगर	9	12.86	61	87.14	70	100.00
कुल योग		27	13.43	174	86.57	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में संपूर्ण भूखंड नहीं बल्कि केवल भूखंडों का एक हिस्सा अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूखंड पर चल रहे व्यवसाय किस हद तक प्रभावित होंगे। प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर भू-स्वामियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विवरण नीचे दिया गया है।

जिन 28 परिवारों ने बताया कि वे अपनी ज़मीन पर व्यापार चला रहे हैं, उनमें से 19 परिवार दूध डेयरी फार्म चला रहे थे और 14 परिवार मुर्गीपालन फार्म चला रहे थे। अन्य कुछ व्यवसाय गतिविधियाँ जो परिवारों द्वारा की जा रही थीं, उनमें बकरियों का पालन, सामान्य व्यापारी की दुकान, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सब्जी की दुकान, वर्मीकम्पोस्ट बनाने का कार्य, नारियल प्रसंस्करण इकाइयाँ, आदि शामिल हैं। व्यवसायों के प्रकार का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-8 में दिया गया है।

तालिका-31: प्रस्तावित भूमि पर स्वयं के व्यवसाय का प्रकार

क्र.	वर्गीकरण	n	%
1	दुग्ध डेयरी फार्म	19	67.85
2	पोल्ट्री फार्म	14	49.99
3	बकरी पालन	2	7.14
4	जनरल मर्चेट दुकान	2	7.14
5	इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दुकान	2	7.14
6	सब्जी की दुकान	2	7.14
7	किराये की दुकान	2	7.14
8	मिठाई एवं बकरी की दुकान	1	3.57
9	रहने के लिए किराये पर कमरा	1	3.57
10	रेस्टोरेंट	1	3.57
11	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण	1	3.57
12	नारियल प्रसंस्करण इकाई	1	3.57
कुल योग		28	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.3 व्यवसाय के लिए प्रस्तावित भूमि को किराये/पट्टे पर देना

सभी 6 गांवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 5 परिवारों (2 प्रतिशत) ने बताया कि उन्होंने अपनी उस भूमि के कुछ हिस्से को, जिसे परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, व्यवसाय के लिए दूसरों को किराये/पट्टे पर दिया है। शेष 196 परिवारों (98 प्रतिशत) ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि का कोई भी हिस्सा व्यवसाय के लिए किराये/पट्टे पर नहीं दिया है।

तालिका-32 : व्यवसाय के लिए दूसरों को भूमि किराये/पट्टे पर देना

क्र.	वर्गीकरण	व्यवसाय के लिए भूमि किराये/पट्टे पर दिया गया		व्यवसाय के लिए भूमि किराये/पट्टे पर नहीं दिया गया		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	4	30.77	9	69.23	13	100.00
2	गोविंद नगर	0	0.00	41	100.00	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	0	0.00	13	100.00	13	100.00
4	विजय नगर	0	0.00	25	100.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	0	0.00	39	100.00	39	100.00
6	गांधी नगर	1	1.43	69	98.57	70	100.00
कुल योग		5	2.49	196	97.51	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

इसके अतिरिक्त, कैपबेल बे में एक भूखंड कांग्रेस कमेटी, कैपबेल बे के स्वामित्व में है। इस भूखंड पर 4 दुकानें हैं जिन्हें कांग्रेस कमेटी द्वारा किराये पर दिया गया है। हालाँकि, जैसा कि पहले भी बताया गया है, सभी मामलों में

पूरी भूमि नहीं बल्कि केवल भूमि के कुछ हिस्सों का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूखंड पर चल रहे व्यवसाय किस हद तक प्रभावित होंगे। किए जा रहे व्यवसायों के प्रकारों का विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

6.4.4 प्रस्तावित भूमि पर निर्मित भवन

सभी 6 गांवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 68 परिवारों (34 प्रतिशत) ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर उनका भवन निर्मित है। शेष 133 परिवारों (66 प्रतिशत) ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर उनका कोई भी भवन निर्मित नहीं है।

तालिका-33 : प्रस्तावित भूमि पर निर्मित भवन

क्र.	वर्गीकरण	परिवारों की संख्या जिन्होंने भवन निर्माण किया है		परिवारों की संख्या जिन्होंने भवन निर्माण नहीं किया है		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	9	69.23	4	30.77	13	100.00
2	गोविंद नगर	15	36.59	26	63.41	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	6	46.15	7	53.85	13	100.00
4	विजय नगर	3	12.00	22	88.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	12	30.77	27	69.23	39	100.00
6	गांधी नगर	23	32.86	47	67.14	70	100.00
कुल योग		68	33.83	133	66.17	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कुल 86 भवन निर्मित हैं। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में केवल भूखंडों का एक भाग ही अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, न कि पूरी भूमि। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूखंडों पर बने भवन किस हद तक प्रभावित होंगे। इन भवनों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है। कुछ भूखंडों पर केवल 1 भवन निर्मित है, जबकि कुछ भूखंडों पर एक से अधिक भवन निर्मित पाए गए। कुल मिलाकर, प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर 86 भवन बने हुए हैं।

6.4.5 प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर बने शेड

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 44 परिवारों (22 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी उस भूमि पर शेड निर्मित हैं, जो अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। शेष 157 परिवारों (78 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी भूमि पर कोई शेड निर्मित नहीं है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में केवल भूखंडों का एक भाग ही अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, न कि पूरी भूमि। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रस्तावित अधिग्रहण से शेड किस हद तक प्रभावित होंगे। निर्मित शेडों का विवरण परिशिष्ट-11 में प्रस्तुत किया गया है।

कुछ भूखंड ऐसे हैं जिन पर केवल एक ही शेड निर्मित है, जबकि कुछ भूखंडों पर एक से अधिक शेड बने हुए हैं। कुल मिलाकर, प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कुल 56 शेड बने हुए हैं।

तालिका-34 : प्रस्तावित भूमि पर निर्मित शेड

क्र.	वर्गीकरण	परिवारों की संख्या जिन्होंने शेड निर्माण किया है		परिवारों की संख्या जिन्होंने शेड निर्माण नहीं किया है		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	4	30.77	9	69.23	13	100.00
2	गोविंद नगर	10	24.39	31	75.61	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	4	30.77	9	69.23	13	100.00
4	विजय नगर	4	16.00	21	84.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	9	23.08	30	76.92	39	100.00
6	गांधी नगर	13	18.57	57	81.43	70	100.00
कुल योग		44	21.89	157	78.11	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.6 प्रस्तावित भूमि पर निर्मित बाउंड्री वॉल

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 17 परिवारों (8 प्रतिशत) ने बताया कि उनके भूखंड पर जो भूमि अधिग्रहित की जानी है, उस पर बाउंड्री वॉल बनी हुई है। शेष 184 परिवारों (92 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया है, सभी मामलों में संपूर्ण भूखंड नहीं बल्कि केवल उसका एक हिस्सा ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रस्तावित अधिग्रहण से उस भूखंड पर बनी बाउंड्री वॉल किस हद तक प्रभावित होगी। निर्मित बाउंड्री वॉल का विवरण परिशिष्ट-12 में दिया गया है।

तालिका-35 : प्रस्तावित भूमि पर निर्मित बाउंड्री वॉल

क्र.	वर्गीकरण	परिवारों की संख्या जिन्होंने बाउंड्री वॉल निर्माण किया है		परिवारों की संख्या जिन्होंने बाउंड्री वॉल निर्माण नहीं किया है		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	2	15.38	11	84.62	13	100.00
2	गोविंद नगर	4	9.76	37	90.24	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	1	7.69	12	92.31	13	100.00
4	विजय नगर	2	8.00	23	92.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	2	5.13	37	94.87	39	100.00
6	गांधी नगर	6	8.57	64	91.43	70	100.00
कुल योग		17	8.46	184	91.54	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.7 प्रस्तावित भूमि पर कुआं निर्मित

सभी 6 गांवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 51 परिवारों (25 प्रतिशत) ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर उनके द्वारा कुआं बनाया गया है। शेष 150 परिवारों (75 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी भूमि पर कोई भी कुआं निर्मित नहीं है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में भूमि का केवल एक भाग अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि भूमि अधिग्रहण से इन कुओं पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित भूमि पर बने कुओं का विवरण परिशिष्ट-13 में दिया गया है।

तालिका-36 : प्रस्तावित भूमि पर निर्मित कुआं

क्र.	वर्गीकरण	परिवारों की संख्या जिन्होंने कुआं निर्माण किया है		परिवारों की संख्या जिन्होंने कुआं निर्माण नहीं किया है		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	4	30.77	9	69.23	13	100.00
2	गोविंद नगर	13	31.71	28	68.29	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	8	61.54	5	38.46	13	100.00
4	विजय नगर	1	4.00	24	96.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	8	20.51	31	79.49	39	100.00
6	गांधी नगर	17	24.29	53	75.71	70	100.00
कुल योग		51	25.37	150	74.63	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

कुछ भूखंड ऐसे हैं जिनमें केवल 1 कुआं निर्मित है, जबकि कुछ भूखंडों में एक से अधिक कुएं भी निर्मित पाए गए। कुल मिलाकर, प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर 66 कुएं निर्मित हैं।

6.4.8 प्रस्तावित भूमि पर तालाब निर्मित

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 13 परिवारों (6 प्रतिशत) ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर उनके द्वारा तालाब का निर्माण किया गया है। शेष 188 परिवारों (94 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी भूमि पर कोई तालाब निर्मित नहीं है। हालाँकि, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में भूमि का केवल एक भाग अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि तालाबों पर अधिग्रहण से किस हद तक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित भूमि पर निर्मित तालाबों का विवरण परिशिष्ट-14 में प्रस्तुत है।

तालिका-37 : प्रस्तावित भूमि पर निर्मित तालाब

क्र.	वर्गीकरण	परिवारों की संख्या जिन्होंने तालाब निर्माण किया है		परिवारों की संख्या जिन्होंने तालाब निर्माण नहीं किया है		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	0	0.00	13	100.00	13	100.00
2	गोविंद नगर	4	9.76	37	90.24	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	4	30.77	9	69.23	13	100.00
4	विजय नगर	2	8.00	23	92.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	0	0.00	39	100.00	39	100.00
6	गांधी नगर	3	4.29	67	95.71	70	100.00
कुल योग		13	6.47	188	93.53	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

कुछ भूखंड ऐसे हैं जिन पर केवल 1 तालाब बना हुआ है, जबकि कुछ अन्य भूखंडों पर एक से अधिक तालाब बने हुए हैं। कुल मिलाकर, प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर 15 तालाब निर्मित पाए गए।

6.4.9 प्रस्तावित भूमि पर लगाए गए वृक्ष

सभी 6 गांवों को मिलाकर, कुल 201 प्रभावित परिवारों में से 134 परिवारों (67 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि पर वृक्ष मौजूद हैं। इन परिवारों ने बताया कि कुछ भूखंडों पर फलदार वृक्षों की बड़ी संख्या है और इस भूमि के अधिग्रहण से उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव

तालिका-38: प्रस्तावित भूमि पर वृक्षारोपण की स्थिति

क्र.	वर्गीकरण	भूमि पर वृक्ष हैं		भूमि पर कोई वृक्ष नहीं		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	7	53.85	6	46.15	13	100.00
2	गोविंद नगर	33	80.49	8	19.51	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	13	100.00	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	18	72.00	7	28.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	25	64.10	14	35.90	39	100.00
6	गांधी नगर	38	54.29	32	45.71	70	100.00
कुल योग		134	66.67	67	33.33	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

पड़ सकता है। वहीं, शेष 67 परिवारों (33 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी मामलों में संपूर्ण भूखंड नहीं बल्कि केवल भूखंडों का एक हिस्सा ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूखंडों पर स्थित वृक्ष किस हद तक प्रभावित होंगे। वृक्षों का विवरण परिशिष्ट-15 में दिया गया है।

6.4.10 पशुधन

पशुधन रखने वाले परिवार

सभी 6 गाँवों को मिलाकर, कुल 201 परिवारों में से 134 परिवारों (67 प्रतिशत) ने किसी न किसी प्रकार का पशुधन रखने की जानकारी दी। शेष 67 परिवारों (33 प्रतिशत) ने बताया कि उनके पास कोई पशुधन नहीं है।

तालिका-39 : पशुधन रखने वाले परिवारों का विवरण

क्र.	वर्गीकरण	कोई न कोई पशुधन रखने वाले परिवार		कोई पशुधन न रखने वाले परिवार		कुल	
		n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	7	53.85	6	46.15	13	100.00
2	गोविंद नगर	33	80.49	8	19.51	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	13	100.00	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	18	72.00	7	28.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	25	64.10	14	35.90	39	100.00
6	गांधी नगर	38	54.29	32	45.71	70	100.00
कुल योग		134	66.67	67	33.33	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

परिवारों द्वारा पाले जाने वाले पशुधन के प्रकार

कुल मिलाकर, 76 परिवारों (38 प्रतिशत) के पास पोल्ट्री (मुर्गियां आदि), 75 परिवारों (37 प्रतिशत) के पास गाय, 37 परिवारों (18 प्रतिशत) के पास बैल, 35 परिवारों (17 प्रतिशत) के पास बछड़ा और 13 परिवारों (6 प्रतिशत) के पास बकरी सहित अन्य पशुधन पाए गए। सभी परिवारों द्वारा पाले गए विभिन्न प्रकार के पशुधनों और उनकी संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-40 : 134 पशुधन रखने वाले परिवारों में कुल पशुधन की संख्या

पोल्ट्री	गाय	बकरी	बछड़ा	बैल	भैंस (मादा)	सुअर	भैंस (नर)
4354	721	351	250	172	31	3	1

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

गांवों में उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाएं

गांवों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह रिपोर्ट किया गया कि गांधी नगर गांव में एक पशु चिकित्सा केंद्र है, जहां एक पशु चिकित्सक तैनात है, लेकिन यह केंद्र बहुत सीमित संसाधनों से युक्त है। वहां के लोगों ने बताया कि सरकार को पशु चिकित्सकों, दवाओं, टीकों और उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

6.4.11 औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य और रोजगार

आय के स्रोत

सभी परिवारों को मिलाकर देखा जाए, तो सेवा क्षेत्र (41 प्रतिशत) परिवार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि कृषि से लगभग 19 प्रतिशत और व्यवसाय से लगभग 16 प्रतिशत योगदान है। अन्य स्रोतों में पेंशन (15 प्रतिशत), गैर-कृषि मजदूरी (7 प्रतिशत) और किराये की आय (2 प्रतिशत) है।

तालिका-41 : पारिवारिक आय के स्रोत

क्र.	वर्गीकरण	नौकरी	कृषि	व्यवसाय	पेंशन	गैर-कृषि मजदूरी	किराये से आय	कृषि मजदूरी	कुल
1	कैपबेल बे	6.64	0.70	59.99	11.47	2.35	18.86	0.00	100.00
2	गोविंद नगर	44.11	19.15	7.87	17.72	6.04	4.64	0.00	100.00
3	जोगिंदर नगर	45.54	20.90	5.34	24.37	0.00	0.00	0.00	100.00
4	विजय नगर	59.16	15.76	8.35	13.10	3.47	0.16	0.00	100.00
5	लक्ष्मी नगर	49.12	20.79	3.67	19.94	6.00	0.00	0.48	100.00
6	गांधी नगर	27.60	21.73	28.76	8.42	12.96	0.00	0.53	100.00
कुल योग		40.85	18.75	15.94	14.71	7.03	2.11	0.24	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.12 परिवार में श्रम का विभाजन एवं महिलाओं का कार्य

कामकाजी आयु वर्ग (18-60 वर्ष) के वयस्कों का मुख्य व्यवसाय

इन परिवारों में कुल 507 व्यक्ति ऐसे हैं जो कामकाजी आयु वर्ग (18-60 वर्ष) में आते हैं। इनमें से 252 पुरुष और 255 महिलाएं हैं।

वयस्क पुरुष

कामकाजी आयु वर्ग के कुल 252 वयस्क पुरुषों में से 30 प्रतिशत पुरुषों की मुख्य आजीविका नौकरी है, जबकि लगभग 19 प्रतिशत पुरुषों की मुख्य आजीविका गैर-कृषि मजदूरी है और 17 प्रतिशत पुरुषों की मुख्य आजीविका कृषि है। इसी प्रकार, 12 प्रतिशत से अधिक पुरुषों की मुख्य आजीविका व्यापार है, जबकि 11 प्रतिशत पुरुष छात्र हैं। 8 प्रतिशत से अधिक पुरुषों ने बताया कि वे कोई कार्य नहीं करते हैं। कामकाजी आयु वर्ग के वयस्क पुरुषों की मुख्य आजीविका का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-16 में दिया गया है।

तालिका-42 : कामकाजी आयु वर्ग (18-60 वर्ष) के पुरुषों का मुख्य व्यवसाय

क्र.	वर्गीकरण	n	%
1	नौकरी	76	30.16
2	गैर-कृषि मजदूरी	47	18.65
3	कृषि	43	17.06
4	व्यापार	31	12.30
5	छात्र	28	11.11
6	कोई कार्य नहीं	21	8.33
7	कृषि मजदूरी	3	1.19
8	पेंशन	2	0.79
9	किराये से आय	1	0.40
कुल योग		252	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

वयस्क महिलाएं

कामकाजी आयु वर्ग की कुल 255 वयस्क महिलाओं में से लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में लगी हुई हैं। लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका नौकरी है, जबकि लगभग 9 प्रतिशत महिलाएं छात्रा हैं। 3-3 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका गैर-कृषि मजदूरी और व्यापार है। इसी प्रकार, 2 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका कृषि है। लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे कोई कार्य नहीं करती हैं। कामकाजी आयु वर्ग की वयस्क महिलाओं की मुख्य आजीविका का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-17 में दिया गया है।

तालिका-43 : कामकाजी आयु वर्ग (18-60 वर्ष) की महिलाओं का मुख्य व्यवसाय

क्र.	वर्गीकरण	n	%
1	घरेलू कार्य	142	55.69
2	नौकरी	50	19.61
3	छात्रा	22	8.63
4	कोई कार्य नहीं	15	5.88
5	गैर-कृषि मजदूरी	8	3.14
6	व्यापार	7	2.75
7	कृषि	6	2.35
8	पेंशनभोगी	4	1.57
कुल योग		255	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

6.4.13 प्रवास

GNI (जीएनआई) क्षेत्र से नई आजीविका के अवसरों की तलाश में युवा पीढ़ी का बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया। GNI में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अत्यधिक सीमित अवसरों के कारण, अपेक्षाकृत कम संपन्न परिवार भी अपने बच्चों को श्री विजयपुरम या भारत के मुख्यभूमि के विभिन्न शहरों में भेजने के पक्ष में थे ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।

6.4.14 खाद्य सुरक्षा

यह बताया गया कि सामान्यतः परिवारों को भोजन की कोई कमी नहीं होती है। अपनी सीमित आय के बावजूद, इन लोगों में पूरे वर्ष परिवार के सभी सदस्यों को भरपूर भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता है। यह भी बताया गया कि पिछले एक वर्ष में गरीबी के कारण किसी भी परिवार के किसी सदस्य को भूखा नहीं रहना पड़ा।

6.5 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

6.5.1 औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग

परियोजना प्रभावित 6 गांवों में कोई प्रमुख औपचारिक उद्योग मौजूद नहीं है। क्षेत्र में कुछ छोटे नारियल प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, जिनमें बहुत कम संख्या में लोग कार्यरत हैं, वह भी अस्थायी मज़दूर के रूप में। इसी प्रकार, सीमा सड़क संगठन (BRO) का एक हिस्सा जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स (GREF) GNI क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रखरखाव में संलग्न है। कुछ लोग इस कार्य में अस्थायी मज़दूरों के रूप में जुड़े हुए हैं और GREF द्वारा समय-समय पर उन्हें काम पर रखा जाता है।

गैर-औपचारिक उद्योगों के संदर्भ में, नारियल के पेड़ लगाना और नारियल तोड़ना इस क्षेत्र में अस्थायी मज़दूरों की एक अन्य महत्वपूर्ण और नियमित गतिविधि है। द्वीप में सैकड़ों बंदरों के झुंडों से बागानों की सुरक्षा करना भी एक ऐसा कार्य है जिसमें अस्थायी मज़दूर लगे हुए हैं। गांवों में कई स्वयं-सहायता समूह सक्रिय हैं; हालांकि, वे किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं। ये सभी स्वयं-सहायता समूह मुख्य रूप से अपने सदस्यों की मासिक अंशदान से एकत्रित धनराशि से आवश्यकता पड़ने पर ब्याज पर ऋण देने का कार्य करते हैं।

6.5.2 ऋण की उपलब्धता

वाहन ऋण और कृषि ऋण के लिए लोग स्थानीय बैंकों का रुख करते हैं। हालांकि, शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, चिकित्सा उपचार आदि जैसे अन्य आवश्यकताओं के लिए लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं।

6.5.3 मजदूरी दरें

यहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रतिदिन ₹500/- से ₹750/- तक की मजदूरी दी जाती है।

6.5.4 महिलाओं की विशेष आजीविका गतिविधियाँ

कामकाजी आयु वर्ग की कुल 255 वयस्क महिलाओं में से लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न हैं। लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका नौकरी है, जबकि लगभग 9 प्रतिशत महिलाएं छात्रा हैं। 3-3 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका गैर-कृषि मजदूरी और व्यापार थी। इसी प्रकार, 2 प्रतिशत महिलाओं की मुख्य आजीविका कृषि है। लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे कोई कार्य नहीं करती हैं।

6.5.5 गांवों में प्रमुख कृषि/बागवानी उपज

सब्जियां

इन गांवों के परिवारों द्वारा बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेती की जाती है। ऐसे परिवार पूरे वर्ष अपने खेतों में सभी प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, जैसे – टमाटर, भिंडी, खीरा, करेला, लौकी, बैंगन, मूली, आदि।

बागान फसलें

स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और लोग विशेष रूप से बागान फसलों पर निर्भर हैं, जो उनके घरेलू आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन गांवों में परिवारों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख बागान फसलें हैं – नारियल, सुपारी, केले के पेड़ और कुछ अन्य फलदार वृक्ष।

6.6 स्थानीय आजीविका में योगदान देने वाले कारक

6.6.1 प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच

इन गांवों के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार बागान खेती है, विशेषकर नारियल और सुपारी की खेती तथा सब्जियों की खेती। इसके अलावा, समुद्री मछली GNI के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल, जो लकड़ी और वन्य जीव-जंतुओं का एक प्रमुख स्रोत हैं, GNI का एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

6.6.2 सड़क और परिवहन

गांवों की अधिकांश सड़कें पक्की हैं। गांवों के अंदर की सड़कें स्थानीय आवागमन और परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि, विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का रखरखाव नहीं हुआ है और ऊबड़-खाबड़ भू-भाग सुगम यात्रा और परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। सरकारी बसें गांवों के बीच नियमित समय सारणी के अनुसार

लोगों को लाने-ले जाने के लिए उपलब्ध हैं। ग्रामीण अपने निजी वाहन भी गांवों के भीतर और बाहर यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं।

6.6.3 सिंचाई की सुविधा

GNI में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। हालांकि, भूजल और सतही जल स्रोतों के उपयोग से कुछ सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई हैं। कुओं और तालाबों के माध्यम से वर्षा जल संचयन यहां की कृषि को सहारा दे रहा है।

6.6.4 बाज़ार तक पहुँच

गांवों में कुछ सामान्य किराना/ग्रोसरी की दुकानें और सब्जी की दुकानें इधर-उधर स्थित हैं। हालांकि, बड़ी खरीदारी के लिए लोगों को कैम्पबेल बे ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है, जहां GNI के निवासियों के लिए सप्ताह के सभी दिनों में एकमात्र बड़ा बाज़ार उपलब्ध है।

6.6.5 पर्यटक स्थल

कैम्पबेल बे, जो GNI में स्थित है, भारतीय मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी के पार लगभग 1,300 किलोमीटर दूर स्थित है। यद्यपि यहाँ समुद्र और वायु मार्ग से संपर्क उपलब्ध है, लेकिन केवल प्राकृतिक प्रेमी और अन्वेषण में रुचि रखने वाले उत्साही पर्यटक ही इस स्थान को विविधतापूर्ण और रोमांचक पाएंगे। यहाँ का आकर्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं :

1. **ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिज़र्व** – यह रिज़र्व GNI के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 85 प्रतिशत भाग शामिल करता है और इसमें दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं – कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता, पक्षी अवलोकन, वन्यजीवों को देखने और प्राकृतिक भ्रमण के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्री फर्न, ऑर्किड जैसे पौधे और क्रेब ईटिंग मकाक, जायंट रॉबर क्रेब, मेगापोड्स तथा निकोबार कबूतर जैसी कई पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
2. **इंदिरा प्वाइंट** – भारत का दक्षिणतम स्थल, इंदिरा प्वाइंट जिज्ञासु और खोजकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पहले पाइगमेलियन प्वाइंट और पार्सन्स प्वाइंट के नाम से जाना जाता था।

6.6.6 आजीविका संवर्धन कार्यक्रम

गांवों में कोई प्रमुख आजीविका संवर्धन कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है। हालांकि, कुछ स्व-सहायता समूह मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच धन उधार देने के कार्य में लगे हैं। ये स्व-सहायता समूह कोई आय सृजन गतिविधि नहीं चला रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कभी-कभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्थानीय मजदूरों को कुछ कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

6.6.7 सहकारी समितियाँ और अन्य आजीविका संबंधी संघ

गांवों में कोई सहकारी समिति या अन्य आजीविका संबंधित संगठन मौजूद नहीं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, कुछ स्व-सहायता समूह हैं, लेकिन वे किसी विशिष्ट आय-संबंधित गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।

6.7 रिश्तेदारी के पैटर्न और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

6.7.1 रिश्तेदारी के पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका

यहां का समाज पितृसत्तात्मक है, जहाँ परिवार का मुखिया एक पुरुष सदस्य होता है। यहाँ परिवार मुख्य रूप से एकल (न्यूक्लियर) परिवार है, जिसमें पिता, माता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। विवाहित बच्चे अपने माता-पिता से अलग होकर स्वतंत्र घर बसाते हैं, अपनी अलग परिवार व्यवस्था बनाते हैं और अलग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। हालांकि, कुछेक मामलों में संयुक्त परिवार भी पाए गए।

इस क्षेत्र की महिलाएं मेहनती हैं और मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं। इसलिए, 18-60 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकांश महिलाओं का प्रमुख कार्य घरेलू कामकाज है। कुछ महिलाएं नौकरी और गैर-कृषि मजदूरी के कार्यों में भी लगी हुई हैं। महिलाओं पर घर के भीतर परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें उनका अधिकांश दैनिक समय व्यतीत होता है।

6.7.2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

परिवार यहाँ की सबसे छोटी सामाजिक इकाई है। क्षेत्र में परिवार मुख्यतः एकल परिवार हैं। समाज, धर्म और संस्कृति से जुड़े निर्णयों में पुजारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकतर घर अर्ध-पक्के निर्माण शैली के हैं। लोग यहाँ एक पत्नी प्रथा (एकपत्नीत्व/मोनोगैमी) का पालन करते हैं। समुदाय के सदस्यों के बीच आपसी जुड़ाव और सामंजस्य है। यहां के लोग विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम।

6.8 धार्मिक स्थल एवं पवित्र स्थान

गांवों में कई स्थानीय पूजास्थल हैं, जिनमें मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदें शामिल हैं, जहाँ लोग पूजा-अर्चना करने जाते हैं। त्योहारों के अवसरों पर लोग समूहों में इन पूजास्थलों पर जाते हैं।

6.9 प्रशासनिक संगठन

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र का संचालन सरकारी विभागों और उनके जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें नगरपालिका/पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी भी होती है।

6.10 राजनीतिक संगठन

चर्चा के दौरान, कुछ परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार के कुछ सदस्य सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। GNI में विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हैं। चुनावों के दौरान, GNI के लोग सरकारी पदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

6.11 समुदाय आधारित एवं नागरिक समाज संगठन

चर्चा के दौरान, प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य GNI या बाहर के किसी भी नागरिक समाज संगठन का सदस्य नहीं है। वास्तव में, लोगों की स्मृति में अब तक गांवों में कोई भी सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है।

6.12 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

कैम्पबेल बे तहसील मुख्यतः कृषि आधारित है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं – नारियल, सुपारी, केला, आदि जैसी बागान फसलें और मौसमी सब्जियाँ। अस्थायी मजदूरी स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक मुख्य स्रोत है, जबकि कुछ लोग छोटे-मोटे व्यापार में लगे हुए हैं। सीमित सिंचाई सुविधाएं, कम निवेश क्षमता और सामान्य आर्थिक गरीबी ने इस क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली को प्रभावित किया है।

गांवों के आसपास कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जिससे लोगों को नियमित रूप से काम मिल सके। स्थानीय लोग, जो कम शिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कृषि और अस्थायी मजदूरी ही आजीविका का मुख्य साधन है। चूंकि गांवों के निकट कोई प्रमुख उद्योग नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों की जीवनशैली मुख्यतः बागान, कृषि और संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। नई आजीविका के अवसरों की तलाश में कुछ लोग द्वीप से बाहर प्रवास कर गए और गैर-कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करने लगे। कुछ शिक्षित लोग भी द्वीप के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में कार्यरत हैं।

6.13 जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता

6.13.1 धारणाएं, व्यवहारिक विशेषताएं, लगाव और आकांक्षाएं

इन गांवों में रहने वाले लोग परंपरागत जीवनशैली और सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं। लोग मुख्यतः कृषि और गैर-कृषि श्रमिक कार्यों में संलग्न हैं और सीमित उत्पादन संसाधनों के साथ गरीबी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। गांवों के अधिकांश वयस्कों की शिक्षा बहुत सीमित है। शिक्षा की कमी के कारण लोगों को उन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है, जो सीधे तौर पर उनके जीवन और कल्याण से जुड़े हैं, जैसे – स्वास्थ्य जानकारी, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, पोषणयुक्त भोजन का सेवन, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, आदि।

कुछ युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण या अतिरिक्त कौशल की कमी के कारण बेरोज़गार हैं और वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपनी पहचान स्थापित करने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना आवश्यक है, ताकि उनसे समाज को सकारात्मक योगदान मिल सके। इसी कारण, नई आजीविका के अवसरों की तलाश में GNI से युवा पीढ़ी का पलायन देखा गया है। GNI में शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बेहद सीमित होने के कारण, कम संपन्न परिवार भी अपने बच्चों को श्री विजयपुरम या भारत के मुख्य भूभाग के विभिन्न शहरों में भेजने के पक्ष में हैं, ताकि वे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें।

6.13.2 सामुदायिक और सामाजिक स्थल

गांवों में लोगों के घरों के बाहर खुले स्थान हैं, जहां लोग विभिन्न अवसरों पर एकत्र होते हैं और बच्चे खेलते हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त, पूजास्थल जैसे, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदें भी ऐसे स्थल हैं, जहां लोग त्योहारों, विवाह कार्यक्रमों या साप्ताहिक प्रार्थनाओं के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं।

6.13.3 धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के स्थल

गांवों में कई स्थानीय पूजास्थल हैं, जिनमें मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदें शामिल हैं, जहाँ लोग पूजा-अर्चना के लिए जाते हैं। त्योहारों के अवसरों पर लोग समूहों में इन स्थानों पर जाते हैं।

6.13.4 भौतिक आधारभूत संरचना (जल आपूर्ति, सीवेज प्रणाली, आदि सहित)

गांवों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत सामुदायिक जल पाइपलाइन है। हालांकि, यह जल आपूर्ति केवल सप्ताह में 3 से 4 दिन ही उपलब्ध होती है, वह भी केवल कुछ घंटों के लिए। इसके अलावा, गांवों में कुएं और तालाब भी हैं, जो लोगों की अन्य आवश्यकताओं जैसे स्नान, बर्तन धोना, घर की सफाई, पशुओं के लिए पीने का पानी, आदि की पूर्ति करते हैं। गांवों में कोई सीवेज प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

6.13.5 सार्वजनिक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)

गांवों में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय हैं। उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए बच्चों को जोगिंदर नगर या कैम्पबेल बे जाना पड़ता है। सभी गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद है। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें भी हैं, जिनसे ग्रामीणों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रियायती दरों पर राशन प्राप्त होता है।

6.13.6 स्वास्थ्य सेवाएं

गांवों में स्वास्थ्य उप-केंद्र हैं, जो छोटी-मोटी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, गांधी नगर और कैम्पबेल बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) हैं, जो बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित हैं और वहां इन-पेशेंट (भर्ती) चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

6.13.7 आंगनवाड़ी केंद्रों की भौतिक संरचना

गांवों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र अर्ध-पक्के भवनों में संचालित हो रही हैं और वे निर्धारित मानकों के अनुसार बच्चों और महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

6.13.8 सरकारी योजनाओं से लाभ

गांवों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगभग सभी परिवारों ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी मानदंडों के अनुसार रियायती दरों पर खाद्यान्न मिल रहे हैं। गांवों में संचालित अन्य सरकारी योजनाओं में शामिल हैं – एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS), बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Program), विद्यालयी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मनरेगा (MGNREGS) जॉब कार्ड, आदि।

6.13.9 सुरक्षा, अपराध, हिंसा

सभी 6 गांव सामान्यतः शांतिपूर्ण हैं और अपराध या हिंसा से जुड़ी कोई प्रमुख सुरक्षा चिंता नहीं है। समाज में अपराध की घटनाएं लगभग नहीं के बराबर हैं और लोगों में हिंसा का कोई डर नहीं है। यहां महिलाएं और बच्चे भी निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से इधर-उधर घूमते हैं।

6.13.10 महिलाओं के लिए सामाजिक मिलन स्थल

गांवों में महिलाओं के लिए कोई विशेष सामाजिक एकत्रीकरण स्थल नहीं है। महिलाएं आमतौर पर एक-दूसरे के घर जाकर या घर के पास खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे, जहां बच्चे खेलते हैं, आपस में मिलती-जुलती हैं।

6.14 लोगों की धारणा

26 दिसंबर 2004 की सुनामी का GNI में मानव जीवन पर पड़ा विनाशकारी प्रभाव अत्यंत भयावह था, और दो दशक बाद भी, जब भी लोग उस समय को याद करते हैं, वह भयावह स्मृति उनके मन में सिहरन पैदा कर देती है। मानव जीवन, संपत्ति, बागानों, पशुधन और सबसे महत्वपूर्ण तथा अत्यल्प भूमि संसाधनों का जो विनाश हुआ था, वह उनकी स्मृतियों में गहराई से अंकित है। सैकड़ों परिवारों ने अपने प्रियजनों, संपत्ति, मकान, आजीविका और अपने ठिकाने को खो दिया था, जिससे वे आर्थिक रूप से टूट गए, सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ गए, और भावनात्मक रूप से शून्य हो गए — परिणामस्वरूप कई लोग दरिद्रता की ओर धकेल दिए गए।

जिन लोगों को विस्थापित किया गया था, उन्हें सरकार द्वारा आवासीय आश्रय (होम शेल्टर) तथा अन्य सहायता प्रदान की गई, जिससे इन ग्रामीणों को कुछ राहत मिली और फिर से जीने व पुनर्निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई। समय के साथ, कुछ परिवार अपने मूल गांव में स्थित आवासीय आश्रय में लौट आए हैं, जबकि अभी भी कई परिवार कैपबेल बे और द्वीप के अन्य स्थानों पर स्थित अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। यह भी देखा गया कि इन गांवों की बसावट मुख्य भूमि (mainland) के गांवों से भिन्न है, क्योंकि यहां की जनसंख्या बिखरी हुई है और हर परिवार का घर किसी एक स्थान पर तथा उनका कृषि क्षेत्र किसी दूसरे स्थान पर स्थित है।

सुनामी से प्रभावित कई परिवारों ने अपनी बागवानी/कृषि भूमि को दोबारा पुनः प्राप्त किया और काफी परिश्रम के बाद, वर्षों में फिर से अपने खेतों को खड़ा किया, जिसमें नारियल, सुपारी, केला, दालचीनी, काजू, आम, कटहल, आदि जैसे फलदार वृक्ष लगाए गए। यह खेती उनके परिवार की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक बन गई है। कई परिवार अपनी भूमि पर विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ भी उगा रहे हैं और उसी से अपनी आजीविका चला रहे हैं। कुछ परिवारों ने मुख्य भूमि (mainland) से मजदूरों को बुलाया है जो बागवानी और सब्जी उत्पादन का काम संभालते हैं। बदले में, इन मजदूरों को निःशुल्क आवास और भोजन के साथ-साथ मासिक गुजारे के लिए कुछ वेतन भी दिया जाता है।

परियोजना से प्रभावित सभी 6 गाँवों का दौरा करने के दौरान यह देखा गया कि वहाँ की सड़कें बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं। लोगों ने बताया कि सुनामी से पहले सड़कें अच्छी हालत में थीं, लेकिन आपदा के बाद जब सब कुछ बह गया और जलमग्न हो गया, तो सड़क अवसंरचना को भारी क्षति पहुँची। स्थानीय लोगों ने स्वीकार किया कि ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़क) का निर्माण गाँवों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और

सुधार देगा। सभी मौसम में चलने योग्य सड़क संपर्क से क्षेत्र का कुल मिलाकर विकास होगा और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

चर्चाओं के दौरान, लोगों ने सहमति जताई कि इन सड़कों के निर्माण से वे अपने गंतव्य तक अधिक आसानी और तेजी से पहुँच सकेंगे। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता की सड़कों से वाहनों के रखरखाव की लागत, ईंधन की खपत में कमी आएगी और सफ़र अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा। यह सड़कें भविष्य में सभी के लिए आगामी ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), नए नगर क्षेत्रों (Townships) और द्वीप के अन्य प्रमुख स्थलों से सुरक्षित और बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी।

इन गाँवों के लोग (मुख्य रूप से गाँधी नगर गाँव के), जहाँ प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़क) के लिए अपनी ज़मीन खोने की आशंका से चिंतित हैं। यहाँ तक कि वे परिवार भी जो वर्तमान में गाँधी नगर गाँव में नहीं रहते हैं, लेकिन ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं और गाँधी नगर में उनकी ज़मीन है, वे भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं — जैसे कि ज़मीन से वंचित हो जाने का डर, आजीविका खोने का खतरा, पेशे से जुड़ी जोखिमें, खाद्य सुरक्षा का नुकसान, आय में गिरावट और महत्वपूर्ण संपत्तियों के खोने की आशंका, जबकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है।

(क) गैर-जनजातीय समुदाय के विचार

अधिकांश लोगों की 2 से 3 पीढ़ियों से मुख्य भूमि से कोई सीधा संपर्क नहीं है, और उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। निम्न शिक्षा स्तर, बाहरी दुनिया के प्रति अपरिचय और संसाधनों की कमी के कारण वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, यह भावना मुख्य रूप से बुजुर्ग पीढ़ी में अधिक है जो कम शिक्षित, सीमित कौशल वाले और पारंपरिक सोच रखने वाले हैं। युवाओं का एक वर्ग आजीविका की तलाश में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) से बाहर जा रहा है। चूंकि GNI में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा अत्यंत सीमित हैं, इसलिए अपेक्षाकृत कम साधन वाले परिवार भी अपने बच्चों को श्री विजयपुरम या भारत की मुख्य भूमि के विभिन्न शहरों में भेजने के पक्ष में हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लोगों की मुख्य आशंकाएँ इस प्रकार हैं :

1. हमें यहाँ बसाया गया था, अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से दूर, अपनी मूल पैतृक भूमि से बहुत दूर।
2. हमने सरकार की सहायता से यहाँ की ज़मीन को साफ़ किया और नारियल, सुपारी, केला, आम, आदि के पेड़ लगाए। चावल और मक्का की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। यह प्रक्रिया तीसरी पीढ़ी (1960 के दशक से 1980 के दशक) के दौरान हुई।
3. उस समय यहाँ मुख्य भूमि की तुलना में कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी। यह क्षेत्र मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों से ग्रसित था, नमकयुक्त पानी खाना पकाने के लिए प्रयोग होता था, कोई सड़क संपर्क नहीं था, अंडमान और मुख्य भूमि से जुड़ाव बहुत कमजोर था। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में 4-5 दिन और मुख्य भूमि पहुँचने में 15-20 दिन लगते थे। कोई चिकित्सीय सुविधा भी नहीं थी।

4. कई वर्षों की कठिन मेहनत के बाद जब थोड़ी प्रगति हुई और पेड़ बड़े हुए, आय का स्रोत बना और हम यहाँ बसने लगे — तभी 2004 के अंत में सुनामी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे घर, संपत्ति, खेती की ज़मीन सब बह गई। जीवन और परिवार के कई प्रिय सदस्य समुद्र की इस विनाशलीला में मारे गए।
5. फिर सरकार ने एक बार फिर सहायता की और कई वर्षों की मेहनत के बाद जीवन धीरे-धीरे सामान्य हुआ। एक बार फिर नारियल, सुपारी, फलदार वृक्ष, आदि लगाए गए।
6. फिर एक दशक बाद, 2020 और 2021 में, कोविड महामारी आई और जीवन रुक गया। जैसे बाकी जगहों पर लोगों ने कष्ट झेला, वैसे ही यहाँ भी अत्यधिक आर्थिक और मानसिक पीड़ा हुई। मुख्य भूमि से दूर होने के कारण हमारी समस्याएँ और जटिल रहीं। फिर भी, हमने साहस और संकल्प से जीवन को पटरी पर लाया।
7. अब विकास के नाम पर हमारी अधिकांश ज़मीन हवाई अड्डे के लिए और अब ट्रंक रोड के लिए ली जा रही है। हमने वर्षों से जिन पेड़ों को लगाया, उनकी देखभाल की, और जिनसे आजीविका प्राप्त कर रहे थे — वे सब दाँव पर हैं। अब हम कैसे जीवित रहेंगे? हम सरकार की विकास योजनाओं के विरोधी नहीं हैं। हम समझते हैं कि बेहतर जीवन और अच्छे भविष्य के लिए आधुनिक अवसंरचना ज़रूरी है।
8. लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि द्वीप में ज़मीन अत्यंत सीमित संसाधन है और अगर इसे अधिग्रहित कर लिया गया, तो हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति से वंचित हो जाएँगे। हम इस द्वीप के वास्तविक निवासी हैं, इसलिए हमें यहाँ के विकास का लाभ मिलना चाहिए। अगर स्थानीय निवासी ही इस प्रक्रिया से बाहर रह गए तो इस विकास और आधुनिकीकरण का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा?
9. हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें इतनी पर्याप्त मुआवज़ा राशि दी जाए जिससे हम बाज़ार दर पर नई ज़मीन खरीद सकें। अगर संभव हो तो सरकार हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे और जब तक हमारे नए लगाए गए पेड़ फल देने लगे और आजीविका सुनिश्चित हो जाए, तब तक जीवनयापन के लिए सहायता भी प्रदान करे।
10. हमें विश्वास है कि सरकार समझती है कि हम पहले ही अपने पूर्वजों की ज़मीन से अलग हो चुके हैं। यदि अब यहाँ की ज़मीन भी चली गई, तो हम कहाँ जाएँगे? जब तक हमारे नए पेड़ बड़े नहीं हो जाते, सरकार को प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को नियमित रोज़गार सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ख) जनजातीय समुदाय के विचार

ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रमुख जनजातियाँ शम्पेन और निकोबारी हैं। इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के तहत, परियोजना से प्रभावित 6 गाँवों में विभिन्न वर्गों के लोगों से, जिनमें शम्पेन और निकोबारी समुदाय के लोग भी शामिल थे, व्यापक चर्चाएँ की गईं। हालाँकि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना के लिए चिह्नित की गई ज़मीन का कोई हिस्सा इन जनजातीय समुदायों के व्यक्तिगत स्वामित्व

में नहीं है, फिर भी परियोजना के संबंध में उनके विचार लिए गए, क्योंकि वे ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) की जनसांख्यिकी का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

शम्पेन ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाली एक अर्ध-घुमंतू स्वदेशी जनजाति है। इन्हें "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह क्षेत्र की उन कुछ स्वदेशी जनसंख्याओं में से एक हैं जो आज भी काफी हद तक मुख्यधारा से अलग-थलग हैं। वहीं, निकोबारी जनजाति को PVTG की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन वे भी इस द्वीप की एक स्वदेशी जनजाति हैं और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। शम्पेन जनजाति के साथ बातचीत उनके दूरस्थ गाँव – चिंगम (तहसील कैम्पबेल बे) में की गई, जबकि निकोबारी जनजाति के साथ बातचीत कैम्पबेल बे में की गई।

अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (AAJVS) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंजीकृत एक संस्था है, जो "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों" (PVTGs) जैसे कि शम्पेन और निकोबारी जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए कार्य करती है। शम्पेन जनजाति ने उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में AAJVS की भूमिका की सराहना की। समिति द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क राशन, कपड़े, अन्य आवश्यक वस्तुएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ (जैसे आउटरीच शिविर एवं टीकाकरण कार्यक्रम), सामुदायिक भवन एवं आवास जैसी आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की गईं। AAJVS ने जनजातीय समुदायों को स्व-रोज़गार और आजीविका संवर्धन के लिए सक्षम बनाने हेतु कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

जनजातीय समुदाय के इन लोगों की अपनी एक स्पष्ट राय थी कि वे किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। निकोबारी जनजाति के लोग शम्पेन जनजाति की तुलना में अधिक मिलनसार और सहज स्वभाव के हैं। हालाँकि, अपने गैर-जनजातीय समकक्षों की तरह, इन जनजातीय समुदायों के लोगों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें द्वीप में किसी भी प्रकार के विकास कार्य, जिसमें प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य एवं सहायक सड़कों) परियोजना भी शामिल है, से कोई आपत्ति नहीं है। वे समुद्र तट के पास बसना पसंद करते हैं और इसके लिए वे द्वीप में वर्तमान सड़क नेटवर्क का उपयोग भी करते हैं। चूँकि प्रस्तावित सड़कें उनके जीवनशैली या रहन-सहन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ट्रंक परियोजना के प्रति अपना समर्थन जताया। उनका कहना है कि जब तक वे जंगल में प्राकृतिक परिवेश में रह सकते हैं, शिकार और मछली पकड़ने जैसी पारंपरिक गतिविधियाँ प्रभावित नहीं होतीं, तब तक उन्हें इस परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

वास्तव में, चिंगम गाँव के शम्पेन समुदाय ने सरकार की सहायता से स्वेच्छा से एक अधिक विकसित जीवनशैली को अपनाया है। सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार के लिए ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बने आवास (पेड़ के घर जैसी संरचना), जल आपूर्ति पाइपलाइन, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, सड़क संपर्क, बस सेवा, आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, इस गाँव के लिए विशेष रूप से एक ओवरहेड जल टंकी, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं। चिंगम गाँव के शम्पेन समुदाय के लोग इन सभी सुविधाओं का खुशी-खुशी लाभ उठा रहे हैं।

(ग) परियोजना हेतु भूमि देने की स्वेच्छा

सभी 6 गाँवों को मिलाकर कुल 201 परिवारों में से 175 परिवारों (87 प्रतिशत) ने प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के लिए अपनी भूमि देने की इच्छा व्यक्त की। वहीं, 13 परिवारों (6 प्रतिशत) ने अपनी भूमि देने से असहमति जताई। शेष 13 परिवारों (6 प्रतिशत) ने कहा कि वे अब तक इस विषय में निर्णय नहीं ले सके हैं कि वे परियोजना के लिए अपनी भूमि देंगे या नहीं।

तालिका-44 : परियोजना हेतु भूमि देने की स्वेच्छा

क्र.	वर्गीकरण	भूमि देने को इच्छुक		भूमि देने को इच्छुक नहीं		भूमि देने को लेकर अनिर्णीत		कुल	
		n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	9	69.23	2	15.38	2	15.38	13	100.00
2	गोविंद नगर	41	100.00	0	0.00	0	0.00	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	10	76.92	3	23.08	0	0.00	13	100.00
4	विजय नगर	20	80.00	1	4.00	4	16.00	25	100.00
5	लक्ष्मी नगर	28	71.79	7	17.95	4	10.26	39	100.00
6	गांधी नगर	67	95.71	0	0.00	3	4.29	70	100.00
कुल योग		175	87.06	13	6.47	13	6.47	201	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

जिन परिवारों ने प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी भूमि देने की इच्छा व्यक्त की, उनसे उनकी भूमि के बदले मिलने वाले मुआवज़े को लेकर उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछा गया। 112 परिवारों (64 प्रतिशत) ने यह अपेक्षा जताई कि उन्हें समय पर और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाए, जबकि, 73 परिवारों (42 प्रतिशत) ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि उन्हें ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में ही भूमि के बदले भूमि दी जाए। विवरण नीचे प्रस्तुत है।

तालिका-45 : परियोजना हेतु भूमि देने को इच्छुक परिवारों की अपेक्षाएं

क्र.	वर्गीकरण	समय पर एवं पर्याप्त मुआवज़ा		भूमि के बदले भूमि मुआवज़ा		इच्छुक परिवार	
		n	%	n	%	N	%
1	कैम्पबेल बे	7	77.78	3	33.33	9	100.00
2	गोविंद नगर	28	68.29	19	46.34	41	100.00
3	जोगिंदर नगर	6	60.00	5	50.00	10	100.00
4	विजय नगर	15	75.00	6	30.00	20	100.00
5	लक्ष्मी नगर	24	85.71	4	14.29	28	100.00
6	गांधी नगर	32	47.76	36	53.73	67	100.00
कुल योग		112	64.00	73	41.71	175	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण) (एक से अधिक उत्तर दर्ज किए)

जिन परिवारों ने प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी भूमि देने में अनिच्छा जताई, या जो परिवार अब तक इस पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, उनसे उनके निर्णय के कारणों के बारे में पूछा गया।

तालिका-46 : परियोजना हेतु भूमि न देने की अनिच्छा/दुविधा के कारण

क्र.	वर्गीकरण	सभी परिवारजन मिलकर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे		हम इस भूमि पर निर्भर हैं		भूमि के बदले भूमि की माँग		अनिच्छुक/दुविधा में परिवार	
		n	%	n	%	n	%	N	%
1	कैपबेल बे	2	50.00	2	50.00	0	0.00	4	100.00
2	गोविंद नगर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	जोगिंदर नगर	0	0.00	2	66.67	2	66.67	3	100.00
4	विजय नगर	4	80.00	0	0.00	1	20.00	5	100.00
5	लक्ष्मी नगर	4	36.36	4	36.36	3	27.27	11	100.00
6	गांधी नगर	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
कुल योग		13	50.00	8	30.77	6	23.08	26	100.00

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण) (एक से अधिक उत्तर दर्ज किए)

यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और "सभी परिवारजन मिलकर चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे" — यह कारण 13 परिवारों (50 प्रतिशत) ने अपनी भूमि न देने की अनिच्छा/दुविधा के रूप में बताया। वहीं, "हम इस भूमि पर निर्भर हैं" — यह कारण 8 परिवारों (31 प्रतिशत) ने बताया। इसी प्रकार, "ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए" — यह कारण 6 परिवारों (23 प्रतिशत) द्वारा व्यक्त किया गया। विस्तृत जानकारी ऊपर तालिका में दी गई है।

सामाजिक प्रभाव

7.1 प्रभावों की पहचान की रूपरेखा एवं दृष्टिकोण

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किसी कार्यवाही के सामाजिक परिणामों/प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने का एक प्रयास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास कार्यों की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकताएं तय करना, सामाजिक जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, उस जानकारी को समेकित करना और उन कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। इस प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि विकास कार्य से जुड़ी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, प्रमुख एवं प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों को शामिल किया जाए, और विभिन्न हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक सहभागी रणनीति विकसित की जा सके।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के परिणामों की सहायता से संभावित संघर्षों से निपटने के लिए वैकल्पिक शमन उपायों (mitigation measures) और संभावित समाधान खोजे जा सकते हैं। यह एक उपयुक्त निगरानी कार्यक्रम/टीम की स्थापना में भी सहायक होता है, जो प्रस्तावित परियोजना से होने वाले संभावित विचलनों, अप्रत्याशित प्रभावों और उनके समाधान की पहचान कर सके। यह प्रक्रिया वास्तविक प्रभावों की पहचान करने और उन्हें अनुमानित प्रभावों से तुलना करने में मदद करती है। इन मुद्दों पर समय पर ध्यान देने से निवेश करने वाली संस्था के लिए जोखिम कम हो जाता है। यदि प्रभाव अपेक्षा से अधिक या अप्रत्याशित हों, तो ऐसी स्थिति को उचित और समयबद्ध ढंग से संभाला जा सकता है।

इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में प्रभावित क्षेत्र के सभी जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतकों सहित जानकारी एकत्र की गई, जबकि दूसरे भाग में लोगों के जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों का अवलोकन किया गया। पृष्ठभूमि ढाँचे के समर्थन हेतु जनगणना 2011 के आँकड़ों का अध्ययन किया गया। अन्य जानकारीयों के लिए स्थानीय सरकारी अधिकारियों से सहयोग लिया गया, जैसे कि सामाजिक कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान जिला के निदेशक, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने हेतु नामित शासकीय संस्था है।

तहसील स्तर पर सहयोग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया, जिनमें शामिल थे – सहायक आयुक्त, कैपबेल बे; पटवारी, कैपबेल बे; सर्वेयर एवं ड्राफ्ट्समैन, कैपबेल बे; स्थानीय पंचायत राज संस्थाओं (PRI) के सदस्य जैसे प्रमुख एवं उप-प्रमुख, पंचायत समिति, कैपबेल बे; कैपबेल बे की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान; सरपंच; प्रमुख स्थानीय जनमत निर्मातागण और द्वीप के दीर्घकालिक निवासी। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, जैसे – सेवा वर्ग के लोग, कृषक, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार, व्यवसायी, युवा, महिलाएं, सेवानिवृत्त व्यक्ति, आदि।

प्राथमिक डेटा के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार से सामाजिक-आर्थिक प्रभावली के माध्यम से साक्षात्कार लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एकत्र की गईं। गांवों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए गांव के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे – सरपंच, पंचायत सदस्य, समाजसेवी, स्कूल शिक्षक तथा स्वास्थ्य/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आदि की सहायता ली गई। प्राथमिक डेटा संग्रहण के समय अवलोकन के माध्यम से गांवों की समग्र स्थिति/परिस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। स्थानीय जनजीवन को समझने के लिए गांवों में छोटे-छोटे समूहों में फोकस ग्रुप चर्चाएं आयोजित की गईं, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन एवं परिस्थितियों की गहराई से समझ मिल सकी।

शोधकर्ताओं ने मुख्य रूप से अध्ययन के दूसरे भाग में प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए। चयनित स्थानों पर ग्रामीणों के साथ फोकस ग्रुप चर्चाओं के माध्यम से परियोजना से संबंधित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहाँ लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। लोगों ने परियोजना से होने वाले प्रभावों को दो दृष्टिकोणों — सकारात्मक और नकारात्मक — के रूप में स्वतंत्र रूप से साझा किया।

अंततः, प्रभावों का आकलन प्रभावित परिवारों की प्रतिक्रियाओं, फोकस ग्रुप चर्चाओं के निष्कर्षों और शोधकर्ताओं के क्षेत्रीय अवलोकनों के आधार पर किया गया। प्रत्यक्ष प्रभाव उन प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं जो परियोजना से प्रभावित परिवारों द्वारा दी गई हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव गांवों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं और शोधकर्ताओं के क्षेत्रीय अवलोकनों पर आधारित हैं। प्रभावों का आकलन विभिन्न चरणों में किया गया, जैसे कि पूर्व-निर्माण चरण, निर्माण चरण और अंतिम निर्माण चरण।

7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

7.2.1 पूर्व-निर्माण चरण

छह गांवों में प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कें) परियोजना के निर्माण के कारण इस चरण में कुछ प्रभावों की संभावना है। हालांकि, प्रस्तावित निजी भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। इस क्षेत्र में भूमि की कोई महत्वपूर्ण खरीद या बिक्री नहीं हुई है, इसलिए भूमि दरों का आकलन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

स्थानीय लोगों के बीच परियोजना को लेकर फैले निराधार भय और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना के निर्माण से पहले पर्याप्त जानकारी औपचारिक रूप से प्रसारित की जानी चाहिए और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, उन्हें अधिग्रहित भूमि एवं संपत्तियों के लिए वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार वित्तीय मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को गांवों में बैठकें आयोजित कर परिवारों को आश्वस्त करना चाहिए। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर, सहजता एवं आपसी समन्वय के साथ पूरी की जा सकेगी।

7.2.2 निर्माण चरण

किसी भी परियोजना के निर्माण चरण में भूमि समतलीकरण, संपर्क सड़कों का निर्माण, संसाधनों की व्यवस्था, आदि गतिविधियाँ की जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस चरण में लोगों का विस्थापन और पुनर्स्थापन भी किया जाता है। इस क्षेत्र में पर्याप्त स्थानीय श्रमिक उपलब्ध हैं, इसलिए बाहरी श्रमिकों के प्रवासन की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। स्थानीय लोग परियोजना कार्यों के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि, यदि परियोजना क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी श्रमिक लाए जाते हैं, तो इससे स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार की हानि और मजदूरी दरों में गिरावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

निर्माण चरण के दौरान परियोजना से प्रभावित परिवारों से उन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे गए। लोगों ने उत्तर देते हुए बताया कि निर्माण कार्य के दौरान परियोजना क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों तथा प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। क्षेत्र की सामाजिक संरचना को प्रभावित किए बिना, बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण स्थानीय लोगों को कई सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करेगा।

7.2.3 अंतिम निर्माण चरण

निर्माण के अंतिम चरण में, प्रभावित परिवारों ने बताया कि प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क एवं सहायक सड़कों) परियोजना के निर्माण के कारण प्रदूषण में वृद्धि से पर्यावरण की स्थिति बिगड़ने और भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि की संभावना हो सकती है। हालांकि, इसके साथ-साथ आर्थिक विकास, व्यवसाय में वृद्धि, तथा रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता जैसे कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे।

इन तीनों चरणों में प्रभावों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छह परियोजना प्रभावित गांवों के लोगों के जीवन पर प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना का नकारात्मक प्रभावों की तुलना में सकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा, जिसका विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है।

7.2.4 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभावों का सारांश

उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में संभावित प्रभाव निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं –

तालिका-47 : परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	पूर्व-निर्माण चरण।	भूमि अधिग्रहण के कारण कोई विस्थापन नहीं होगा।	लोग अपने मूल निवास स्थान पर रहते हुए नई आधारभूत संरचना और भविष्य की विकास गतिविधियों के लाभ प्राप्त कर सकेंगे।	यदि किसी परिवार की अधिकांश भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित कर ली गई और केवल थोड़ी-सी भूमि उनके पास बची, तो वह परिवार अपने आप को असहाय और वंचित महसूस करेगा।

तालिका-47 : परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
		भूमि से संबंधित अशांतियों की संभावना	परिवारों को मुआवज़े के रूप में प्राप्त धनराशि से उन्हें पूंजी तक पहुंच, नए और मौजूदा कार्यों में निवेश के अवसर, भूमि और संपत्तियों की खरीद, तथा पारिवारिक और व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति में सहायता मिलेगी।	भूमि, संपत्तियों और मुआवज़े की राशि के बंटवारे को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की संभावना। भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद की संभावना, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ मौखिक रूप से लेन-देन हुआ हो और उसका कोई दस्तावेज़ीकरण न हुआ हो — ऐसे मामलों में दावेदारों के बीच दुश्मनी और मुकदमों में वृद्धि हो सकती है।
		ग्रामीण उत्पादन गतिविधियों में निवेश	कई परिवारों के पास विभिन्न स्थानों पर कई भूखंड हैं। ऐसे परिवारों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी मौजूदा भूमि के पास की भूमि खरीदकर अपनी भूमि जोत को एक स्थान पर समेकित कर सकें। इससे प्रतिस्पर्धी खेती को बढ़ावा मिल सकता है और नई तकनीकों को अपनाने की संभावना बढ़ सकती है। इस प्रकार का निवेश खेती को अधिक कुशल, उत्पादक, समय और श्रम लागत में बचत करने वाला तथा समृद्ध बनाने में योगदान दे सकता है।	भूमि अधिग्रहण के कारण, वर्तमान भूमि मालिक जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं, उस भूमि पर समय निवेश, पौधारोपण कार्य, बीज/पौधों की खरीद, उपकरणों और औजारों में कोई निवेश नहीं करेंगे। अपनी भूमि की सफाई और रख-रखाव जैसी गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी, जिससे कृषि श्रमिकों के लिए काम की हानि होगी और रोजगार के अवसर घटेंगे।
		किसी भी अनिश्चितता के कारण तनाव की संभावना	प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का समय पर पूरा किया जाना, वर्तमान भूमि मालिकों को प्रचलित कानूनों के अनुसार समय पर और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना, तथा सभी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हितधारक को अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव न झेलना पड़े।	अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनजाने में हुई देरी से वर्तमान भूमि मालिकों की पूरी योजना और गतिविधियाँ ठप पड़ जाएंगी, जिससे उत्पादक संपत्तियों की हानि और अनिश्चितता की भावना के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा।

तालिका-47 : परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
2	निर्माण चरण	परियोजना क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों और प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार जिम्मेदार और संवेदनशील तरीके से मुद्दों को संभालना इस चरण के दुष्प्रभावों को कम करेगा, जो किसी भी स्थिति में एक सीमित अवधि का होगा। सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और व्यवहारों में सुधार सुनिश्चित होगा।	यदि उचित और पर्याप्त शमन उपाय नहीं अपनाए गए और कार्यान्वयन प्राधिकरण एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यप्रणालियों की कड़ी निगरानी नहीं की गई, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
		वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।	यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने से भीड़भाड़ में कमी आएगी और वाहनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे उत्सर्जन और ध्वनि स्तर में कमी आएगी। साथ ही, बेहतर दृश्यता और दुर्घटनाओं की संभावित जगहों में कमी के माध्यम से अधिक सुरक्षित सड़कों का निर्माण भी संभव हो सकेगा।	यदि उचित और पर्याप्त शमन उपाय लागू नहीं किए गए और कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा ठेकेदारों द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
		प्रवासी श्रमिकों के कारण रोजगार की हानि और मजदूरी दरों में गिरावट की समस्या	परियोजना के तहत कार्य की मात्रा को देखते हुए, विशेष रूप से अल्प-कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के लिए व्यापक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।	ठेकेदारों और निगरानी प्राधिकरणों की संवेदनहीनता का स्थानीय कार्यबल और भूमि गंवाने वाले परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
3	निर्माण का अंतिम चरण	पेड़ों की कटाई, प्रदूषण में वृद्धि और वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से पर्यावरण की गुणवत्ता के खराब होने की संभावना है।	बेहतर और चौड़ी सड़कों से वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और सहज हो जाएगी। इससे वाहनों के खराब होने के मामले, मरम्मत और रखरखाव की लागत तथा ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी।	वाहनों की संख्या, आकार और गति में वृद्धि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है तथा दुर्घटनाओं के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है, यदि वाहन चालकों द्वारा आवश्यक यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया और ठेकेदारों तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त संकेतचिह्न, गति अवरोधक और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई।
		नए रोजगार के अवसर	आर्थिक गतिविधियों और व्यावसायिक विकल्पों में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय	चूंकि स्थानीय लोग अपेक्षाकृत कम शिक्षित हैं और उनके तकनीकी

तालिका-47 : परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
			लोगों के लिए नए और अधिक लाभकारी रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे।	कौशल का स्तर भी कम है, इसलिए परियोजना के कारण सृजित नए रोजगारों में ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के बाहरी लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है। बाहरी लोगों से होने वाला धन प्रवाह स्थानीय द्वीपवासियों की आर्थिक क्षमता से अधिक हो सकता है, जिससे नई परिस्थितियों में उनके कमाई के अवसर घट सकते हैं।

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

7.3 भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना प्रभावित लोगों की भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव निम्नलिखित हैं –

तालिका-48 : भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	सामाजिक प्रभाव	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रमुख संपत्ति होने के कारण सामाजिक दर्जे में परिवर्तन	वर्तमान भूमि मालिकों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे कारण हैं—परिवार में कार्य करने योग्य आयु के सदस्य का न होना, समय, धन और जनशक्ति की कमी, तथा बंदरों और चोरी से बागानों की सुरक्षा करने में असमर्थता। बड़ी मात्रा में भूमि का स्वामी होने के बावजूद उससे लाभ न प्राप्त कर पाना, एक खोखले सामाजिक दर्जे की भावना उत्पन्न कर रहा है।	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आज भी किसी भी परिवार की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है। भूमि अधिग्रहण के साथ, वर्तमान भूमि मालिक सामाजिक दर्जे और आर्थिक सुरक्षा—दोनों से वंचित हो जाएंगे। जैसा कि ग्रामीण लोगों द्वारा व्यापक रूप से कहा जाता है—भूमि पीढ़ियों के लिए होती है, जबकि पैसा खर्च के लिए होता है और टिकाऊ नहीं होता।
		पारंपरिक/पैतृक भूमि के खोने के कारण भावनात्मक पीड़ा	अधिकांश परिवार सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने जीवनयापन के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। पैतृक संपत्तियों से बिछड़ना भावनात्मक रूप से पीड़ादायक लग सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि यह अलाभकारी संपत्ति परिवार के लिए वर्तमान में आर्थिक	पैतृक भूमि के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है, और ऐसी संपत्तियों को छोड़ पाना कठिन है, जो पीढ़ियों से परिवार के पास रही है।

तालिका-48 : भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
			स्थिरता और भविष्य में सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।	
		परियोजना के निर्माण के कारण ग्रामीणों को हुई असुविधा	यह असुविधा एक अल्पकालिक स्थिति होगी। यदि परियोजना को समय पर क्रियान्वित किया गया, तो ग्रामीणों को जितना कष्ट होगा उससे कहीं अधिक लाभ उन्हें प्राप्त होगा।	यह परियोजना ग्रामीणों को स्थायी रूप से प्रभावित करेगी, और विशेष रूप से निर्माण अवधि के दौरान, क्योंकि अज्ञात के भय और मानव स्वभाव में निहित परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध के कारण।
		प्रवासन और सिविल कार्यों के कारण सुरक्षा संबंधी समस्याएं	परियोजना की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थानीय जनशक्ति उपलब्ध है। फिर भी, यदि कुछ प्रवासन होता भी है, तो वह केवल परियोजना अवधि तक सीमित रहेगा और उसकी संख्या भी सीमित होगी।	चूंकि यह अनुमान है कि स्थानीय लोगों का कोई विस्थापन नहीं होगा, इसलिए मौजूदा समुदाय एकजुट होकर वहीं बना रहेगा और प्रवासन के कारण उत्पन्न किसी भी अप्रिय स्थिति का सामूहिक रूप से सामना करने में सक्षम होगा।
2	आर्थिक प्रभाव	कृषि भूमि और संपत्तियों की हानि	वर्तमान भूमि मालिकों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि परिवार में कार्य करने योग्य आयु के सदस्य नहीं हैं, समय, धन और जनशक्ति की कमी है, और बंदरों व चोरी से बागानों की सुरक्षा कर पाना संभव नहीं है। बड़ी मात्रा में भूमि के स्वामी होने के बावजूद उससे लाभ न प्राप्त कर पाना, एक खोखले सामाजिक दर्जे की भावना उत्पन्न कर रहा है।	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आज भी किसी भी परिवार की प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है। भूमि अधिग्रहण के साथ, वर्तमान भूमि मालिक सामाजिक दर्जे और आर्थिक सुरक्षा—दोनों से वंचित हो जाएंगे। भूमि के बड़े हिस्से बागवानी के लिए उपयोग हो रहे हैं। इस भूमि के अधिग्रहण से उनकी आय के स्रोतों में से एक स्थायी रूप से छिन जाएगा।
		रोजगार के अवसरों की हानि	परियोजना के तहत आवश्यक कार्य की मात्रा को देखते हुए, विशेष रूप से अल्प-कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के लिए व्यापक रोजगार के अवसर होंगे।	ठेकेदारों और निगरानी प्राधिकरणों की संवेदनहीनता का स्थानीय कार्यबल और भूमि गंवाने वाले परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
		उत्पादन और आय की हानि	कई परिवारों के पास विभिन्न स्थानों पर कई ज़मीन के टुकड़े हैं। ऐसे परिवारों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी मौजूदा भूमि के पास की भूमि खरीदकर अपनी ज़मीन को	भूमि अधिग्रहण के कारण, वर्तमान भूमि मालिक जो मुख्यतः कृषि से जुड़े हैं, उस भूमि पर समय, पौधारोपण, बीज/पौधे, उपकरण और औजारों में कोई निवेश नहीं

तालिका-48 : भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
			एक स्थान पर समेकित कर सकें। इससे खेती अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सकती है और नई तकनीकों को अपनाने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही, इस प्रकार के निवेश से खेती का क्षेत्र अधिक कुशल, उत्पादक, समय और श्रम लागत में बचत करने वाला तथा अधिक समृद्ध हो सकता है।	करेंगे। अपनी भूमि की सफाई और रख-रखाव जैसी गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी, जिससे कृषि श्रमिकों के रोजगार में कमी आएगी।
		पशुओं के चरने की भूमि की हानि	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद भी, ग्रामीणों के पाले हुए पशुओं के लिए चराई के लिए पर्याप्त भूमि और खुला स्थान उपलब्ध रहेगा।	इससे पशुओं के चरने की भूमि की हानि होगी, जिससे वे अपनी वैकल्पिक आय के स्रोत से वंचित हो सकते हैं।
		भूमि के मूल्य में परिवर्तन	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के बाद, गांवों और आस-पास के क्षेत्रों की भूमि का मूल्य बढ़ने की संभावना है, और लोग अपनी भूमि की बिक्री या किराए की आय दोनों के लिए भविष्य में बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगे।	भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण, यदि लोग अपनी अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े से क्षेत्र में भूमि खरीदना चाहते हैं, या यदि वे ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के अन्य स्थानों पर भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।
		बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधाएँ	यह क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें व्यापार, यात्रा और संचार के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा शामिल है। यह द्वीप के गांवों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगा। इससे क्षेत्र में अधिक लोग आ सकेंगे और यहां की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।	समान अवसरों का वितरण और स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों पर विशेष सहायता देने से ही स्थानीय लोगों को लाभ सुनिश्चित होगा। स्थानीय लोगों की आशंकाओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।
		संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ	क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी क्योंकि नई आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, बेहतर संचार और परिवहन के साधनों के निर्माण से कई नई आर्थिक गतिविधियों को यहां बढ़ावा मिलेगा, जो समय के साथ सक्रिय होने की संभावना है।	यह आशंका है कि भविष्य में संबंधित गतिविधियों के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता होगी और स्थानीय निवासियों की बाकी भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाएगी, जिससे वे भूमिहीन और असहाय हो जाएंगे। उनकी नाजुक आर्थिक स्थिति और मुख्यभूमि में अपने संबंधियों से लंबे समय से टूटे संबंध उनके जीवन निर्वाह के समर्थन को अस्थिर बना देते हैं।

7.4 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण भौतिक संसाधनों पर संभावित प्रभाव नीचे प्रस्तुत हैं –

तालिका-49 : भौतिक संसाधनों पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	भौतिक संसाधन	व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व और निजी भूमि तथा अन्य संपत्तियों/संसाधनों के भविष्य में उपयोग की हानि	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सबसे मूल्यवान संपत्ति बनी रहती है। हालांकि, अलाभकारी या उपेक्षित भूमि वास्तविक अर्थों में संसाधन नहीं होती। इसलिए, यदि बिना विस्थापन के समय पर और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाता है, तो यह भूमि मालिकों के लिए सकारात्मक दिशा में एक कदम होता। उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कोई अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति प्रभावित नहीं होगी।	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आज भी किसी भी परिवार की प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है। भूमि अधिग्रहण के साथ, वर्तमान भूमि मालिक सामाजिक दर्जे और आर्थिक सुरक्षा—दोनों से वंचित हो जाएंगे।

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

7.5 निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर संभावित प्रभाव नीचे प्रस्तुत हैं –

तालिका-50 : निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	निजी संपत्तियाँ	कृषि भूमि और संपत्तियों की हानि	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सबसे मूल्यवान संपत्ति बनी रहती है। हालांकि, अलाभकारी या उपेक्षित भूमि वास्तविक अर्थों में संसाधन नहीं होती। इसलिए, यदि बिना विस्थापन के समय पर और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाता है, तो यह भूमि मालिकों के लिए सकारात्मक दिशा में एक कदम होता। उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कोई अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति प्रभावित नहीं होगी।	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आज भी किसी भी परिवार की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक रही है। भूमि अधिग्रहण के साथ, वर्तमान भूमि मालिक सामाजिक दर्जे और आर्थिक सुरक्षा—दोनों से वंचित हो जाएंगे।
2	सार्वजनिक सेवाएँ और उपयोगिताएँ	सामान्य क्षेत्र, खुले चरागाह, वन, और सार्वजनिक उपयोगिताओं तथा संपत्तियों	उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कोई सार्वजनिक सेवा या उपयोगिता प्रतिकूल	उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण सामान्य क्षेत्र, खुले चरागाह और वन भूमि की

तालिका-50 : निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
		की हानि	रूप से प्रभावित नहीं होगी। इसके बदले में, लोगों को आवागमन और परिवहन के लिए बेहतर सड़कें मिलेंगी।	हानि होगी।

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

7.6 स्वास्थ्य पर प्रभाव

उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव नीचे प्रस्तुत हैं –

तालिका-51 : स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	पर्यावरणीय प्रभाव	वाहनों और निर्माण के कारण प्रदूषण में वृद्धि	पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से इन मुद्दों को संभालने से इस चरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकेगा, जो वैसे भी समयबद्ध होगा। सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और व्यवहार में वृद्धि सुनिश्चित होगी।	यदि उचित और पर्याप्त शमन उपाय लागू नहीं किए गए और कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा ठेकेदारों द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
		वृक्षों की व्यापक कटाई के कारण पर्यावरण में गिरावट	गांवों में वर्तमान खराब और छोटे सड़कें अपर्याप्त और अनुपयुक्त हैं तथा समय के साथ उनके उन्नयन की आवश्यकता है। प्रस्तावित सड़कों के मार्ग में पेड़ों की कटाई आवश्यक है, हालांकि यह पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार समाधान के लिए ध्यान देने योग्य मामला है।	पेड़ों की व्यापक कटाई से क्षेत्र के पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वायु गुणवत्ता प्रभावित होगी।

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

7.7 संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर प्रभाव

उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर संभावित प्रभाव नीचे प्रस्तुत हैं –

तालिका-52 : संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	संभावित सकारात्मक प्रभाव	संभावित नकारात्मक प्रभाव
1	संस्कृति और सामाजिक एकजुटता	विस्थापन के कारण	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी विस्थापन की संभावना नहीं है।	चूंकि उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कोई विस्थापन नहीं होगा, इसलिए क्षेत्र में संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
		आव्रजन के कारण	परियोजना की मानवशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय श्रमिक पर्याप्त है। फिर भी, यदि कुछ आवासन होता भी है, तो वह केवल परियोजना अवधि के दौरान होगा और सीमित संख्या में होगा।	चूंकि यह माना गया था कि स्थानीय लोगों का कोई विस्थापन नहीं होगा, इसलिए मौजूदा समुदाय एक साथ रहना जारी रखेगा और आवासन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अनहोनी स्थिति का एकजुट होकर सामना करने में सक्षम होगा।
		दीर्घकालिक सुरक्षा समस्याएं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए	आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ, जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, आय के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। अधिक रोजगार के अवसरों के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।	समय के साथ, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, लोगों के आवासन, बढ़ते यातायात, आदि के कारण, ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनकी वर्तमान जीवनशैली प्रभावित हो सकती है, जिससे कुछ सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

(स्रोत: SIA सर्वेक्षण)

7.8 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव

यह देखा गया कि वर्तमान जमीन के मालिक अपनी कृषि भूमि खो देंगे, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे बागान/कृषि पर अपनी मुख्य आजीविका निर्भर करते हैं। इसके अलावा, पारिवारिक संपत्ति के नुकसान का भौतिक और भावनात्मक दोनों रूपों में नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है। हालांकि, प्रभावों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा, और साथ ही भूमि, आजीविका, भौतिक संसाधन, सार्वजनिक सुविधाएं या संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम या न्यूनतम होगा।

7.9 भिन्न-भिन्न प्रभाव

परियोजना प्रभावित परिवारों में जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है, उनमें सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। क्षेत्र में किसी भी लिंग, विशेषकर महिलाओं की आजीविका के अवसरों पर परियोजना के कारण कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि रोजगार के अवसरों में कोई लिंगभेद नहीं है, और वेतन में भी कोई लिंग आधारित भेदभाव या असमानता नहीं है, इसलिए परियोजना के कारण लिंग भेद के कारण कोई भिन्न-भिन्न प्रभाव होने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार, चूंकि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पूजा स्थल, आदि जैसे कोई भी सामुदायिक संसाधन परियोजना के अधिग्रहण के कारण प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्कूल के बच्चों, बीमार लोगों या किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.10 संघी प्रभाव

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम ने विभिन्न सामाजिक प्रभावों और शमन उपायों की पहचान के लिए गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) अनुसंधान विधियों का संयोजन उपयोग किया। दोनों विधियों के संयोजन को अपनाने का उद्देश्य अधिक व्यापक डेटा और समग्र परिणाम प्राप्त करना था, ताकि मूल्यांकन के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़े बिना पूरी जांच हो सके। प्रस्तावित शमन उपायों को परियोजना प्रभावित जनसंख्या, पंचायत सदस्यों, स्थानीय प्रमुख विचारकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अनेक बातचीत और चर्चाओं के माध्यम से विकसित किया गया।

संग्रहीत सामाजिक प्रभावों की जानकारी का आंतरिक और बाह्य विशेषज्ञों के साथ अध्ययन और चर्चा की गई ताकि एक निवारक योजना तैयार की जा सके। ऐसी बातचीत की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न उपायों का निर्माण हुआ जो नकारात्मक प्रभावों को कम करने, टालने या न्यूनतम करने में सहायक हैं। चूंकि जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, उनका विस्थापन होने की संभावना नहीं है, इसलिए आबादी पर किसी भी समग्र नकारात्मक प्रभाव की संभावना नगण्य है, क्योंकि वर्तमान समुदाय एक साथ रहना जारी रखेगा और आवासन के कारण उत्पन्न किसी भी अनहोनी स्थिति का एकजुट होकर सामना करने में सक्षम होगा।

7.11 प्रस्तावित परियोजना के प्रभावों की प्रकृति का सारांश

(क) सकारात्मक प्रभाव

तालिका-53 : सकारात्मक प्रभावों का सारांश

क्र.	सकारात्मक प्रभाव	प्रभाव की श्रेणी	प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष	स्थायी / अस्थायी	प्रमुख / गौण
(A)	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव				
1.	मुआवजे की राशि से रोजगार के अवसरों में वृद्धि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	परियोजना द्वारा नए रोजगार के अवसर सृजित होना	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी/अस्थायी	प्रमुख
3.	महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिलना	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी/अस्थायी	प्रमुख
4.	जीवन स्तर में निश्चित सुधार	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख

5.	परियोजना से व्यापारिक अवसरों में वृद्धि	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
6.	भूमि की कीमत में वृद्धि	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
7.	सहायक आर्थिक गतिविधियों से विकास को बढ़ावा	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(B) भौतिक संसाधनों पर प्रभाव					
1.	सुधरा हुआ बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	लोगों के जीवन में बढ़ी हुई गति और स्थिरता	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(C) निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव					
1.	कई लोगों को बिना आय वाली भूमि संपत्तियों से कमाई करने का अवसर	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक बेहतर पहुंच	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(D) स्वास्थ्य पर प्रभाव					
1.	प्रदूषण के बारे में जागरूकता में वृद्धि और उसे नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी	पर्यावरणीय	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों से उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण में कमी और वाहनों के घिसाव में कमी आएगी।	पर्यावरणीय	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
3.	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सक्षम बनाना और निजी वाहनों की यात्राओं को कम करना	पर्यावरणीय/ आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(E) संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर प्रभाव					
1.	आव्रजन के कारण	आर्थिक/ सामाजिक	अप्रत्यक्ष	स्थायी/अस्थायी	प्रमुख
2.	दीर्घकालिक सुरक्षा समस्याएं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख

(ख) नकारात्मक प्रभाव

तालिका-54 : नकारात्मक प्रभावों का सारांश

क्र.	नकारात्मक प्रभाव	प्रभाव की श्रेणी	प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष	स्थायी / अस्थायी	प्रमुख / गौण
(A) भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव					
1.	सामाजिक स्थिति में परिवर्तन क्योंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख संपत्ति है	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	पुश्तैनी भूमि के नुकसान के कारण मानसिक पीड़ा	सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
3.	कृषि भूमि और संसाधनों की हानि	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
4.	रोज़गार के अवसरों की हानि	आर्थिक/ सामाजिक	प्रत्यक्ष	अस्थायी	गौण
5.	उत्पादन और आय में हानि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(B) भौतिक संसाधनों पर प्रभाव					
1.	व्यक्तिगत भूमि और निजी संपत्ति के भविष्य उपयोग की हानि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	पशुओं के लिए चरागाह भूमि की हानि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख

(C) निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव					
1.	कृषि भूमि और संसाधनों की हानि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	सामान्य क्षेत्र, खुली भूमि, वन और सार्वजनिक सुविधाओं की हानि	आर्थिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
3.	परियोजना निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को असुविधा	सामाजिक	प्रत्यक्ष	अस्थायी	गौण
(D) स्वास्थ्य पर प्रभाव					
1.	वाहनों की बढ़ी आवाजाही से प्रदूषण में वृद्धि	पर्यावरणीय	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
2.	निर्माण कार्यों के कारण प्रदूषण में वृद्धि	पर्यावरणीय	प्रत्यक्ष	अस्थायी	गौण
3.	बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण की गिरावट	पर्यावरणीय	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
(E) संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर प्रभाव					
1.	आवासन और निर्माण कार्यों के कारण सुरक्षा संबंधी समस्याएं	आर्थिक/सामाजिक	प्रत्यक्ष	अस्थायी	गौण
2.	दीर्घकालिक सुरक्षा समस्याएं, विशेषकर महिलाओं के लिए	आर्थिक/सामाजिक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख

परियोजना के सभी प्रभावों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संबंधित परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रभाव के लिए सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपायों का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

लागत और लाभ का विश्लेषण एवं अधिग्रहण पर अनुशंसा

8.1 सार्वजनिक प्रयोजन का मूल्यांकन

जिस भू-भाग की पहचान अधिग्रहण हेतु की गई है, वह सन्निहित है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित अधिग्रहण के अंतर्गत जो निजी भूमि है, वह प्रत्येक ज़मीन मालिक की पूरी भूमि नहीं है, बल्कि केवल उनके भू-खण्ड का एक हिस्सा है। यह भूमि लगभग 250 परिवारों की है, और प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण इनमें से किसी भी परिवार को विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका घर या तो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर नहीं है या किसी अन्य भूमि पर स्थित है। हालांकि, जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण प्रस्तावित है, वहाँ बड़े पैमाने पर बागवानी फसलें (प्लांटेशन क्रॉप्स) हैं, जो इससे प्रभावित होंगी।

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) से GNI (ग्रेट निकोबार द्वीप) के सभी गाँव आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही अधिक सुगम होगी। सभी गाँवों की बेहतर कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देगी। यह व्यापारिक गतिविधियों को भी सुलभ बनाएगा तथा मार्ग में आने वाले सभी गाँवों और अब तक अविकसित अंदरूनी क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान देगा। इसके अलावा, प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास, आदि के लिए भी एक सुदृढ़ सड़क नेटवर्क की आवश्यकता होगी ताकि ये सुविधाएं प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

बेहतर संपर्क व्यवस्था, बढ़ी हुई गतिविधियों और विकास की संभावनाओं के साथ, स्थानीय निवासियों को बेहतर अवसरों, उन्नत अवसंरचना और संसाधनों — जैसे बाजार, संचार अवसंरचना और परिवहन — का लाभ मिलेगा। चूंकि जीएनआई की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, इसलिए बेहतर अवसंरचना से कृषकों को अपने उत्पाद समय पर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी और खरीदारों को भी यह उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

हालाँकि, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा, जिससे कुछ परिवारों को अपनी भूमि खोनी पड़ेगी, जो उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामान्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं और भूमि को आजीविका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। ऐसी स्थिति में, भूमि मालिक ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग जैसे कि, अस्थायी श्रमिक, उत्पादक, विक्रेता, खरीदार तथा कृषि एवं पशुपालन से जुड़े लोग भी उस भूमि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूमि मालिकों पर होने वाले प्रभावों के साथ-साथ इससे जुड़े सभी लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की लागत और लाभ का मूल्यांकन किया जाए।

किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। इस आकलन का आधार है – "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" तथा "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन एवं सहमति) नियम, 2018"। सरकार की सभी विकास और कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं को इन्हीं नियमों के तहत लागू किया जाना है।

8.2 न्यूनतम विस्थापन और न्यूनतम भूमि आवश्यकता वाले विकल्प

8.2.1 न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्प

यह पाया गया कि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के कारण किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाएगा। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम का मानना है कि ANIIDCO ने इस परियोजना के लिए सभी संभावित विकल्पों का अध्ययन किया है और उसके पश्चात ही इन 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अंततः, इस संदर्भ में क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान लोगों और शोधकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावित विकल्प के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश परिवार, जिनकी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, इस परियोजना हेतु अपनी भूमि देने के लिए सहमत हैं। हालांकि, यह अत्यंत आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण से पूर्व भूमि गंवाने वाले परिवारों को उचित और समय पर मुआवज़ा प्रदान किया जाए।

8.2.2 न्यूनतम भूमि आवश्यकता

ANIIDCO की तकनीकी टीम इस परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने की बेहतर स्थिति में होगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण से वर्तमान भूमि मालिकों की खेती योग्य भूमि का नुकसान हो सकता है। वर्तमान भूमि मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, भूमि की आवश्यकता रखने वाले विभाग के अधिकारियों, संबंधित राजस्व अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों तथा भूमि मालिकों की एक विस्तृत बैठक आयोजित की जा सकती है। यहाँ यह जोड़ना आवश्यक है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि मालिकों की पूरी भूमि अधिग्रहित नहीं की जा रही है, बल्कि केवल उसका एक हिस्सा ही लिया जा रहा है। इसलिए, इस अधिग्रहण के कारण कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होगा। यहाँ तक कि इस प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद भी, परियोजना प्रभावित परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि बनी रहेगी, और उन्हें सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उचित मुआवज़ा मिलने के बाद, उनके जीवन स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के निर्माण से आने वाले समय में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, साथ ही बेहतर सड़क अवसंरचना और संपर्क भी सुनिश्चित होगा। यह प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार एवं व्यापार के अवसरों की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण कर इस परियोजना का निर्माण कर एक सार्वजनिक उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। जब यह परियोजना पूर्ण होगी, तब यह स्थानीय लोगों के लिए बेहतर रोज़गार अवसरों की नींव रखेगी, साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी। विपरीत स्थिति में, यदि इस

परियोजना में विलंब होता है, तो इससे परियोजना की कुल लागत बढ़ जाएगी, जो कि इससे जुड़े सभी हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

यदि इस परियोजना को रोक दिया गया, तो इससे न केवल अब तक किए गए निवेश की हानि होगी, बल्कि अब तक इस परियोजना पर खर्च की गई पूरी मानव शक्ति और संसाधनों का भी दुरुपयोग होगा — विशेष रूप से तब, जब अधिकांश वर्तमान भूमि मालिक इस परियोजना के पक्ष में हैं और अपनी भूमि देने को तैयार भी हैं। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक लागत और लाभों का मूल्यांकन किया गया है, और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

8.3 सामाजिक प्रभावों का स्वरूप और तीव्रता

घरों के सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों पर प्रभावों का आकलन अपने निष्कर्षों के आधार पर और साथ ही चर्चाओं, शोधकर्ताओं के अवलोकनों और स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों जैसे प्रमुख स्थानीय जनमत निर्माताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, गांव के पुराने निवासियों, आदि तथा कैम्बेल बे प्रशासन के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनुसंधान को दो भागों में विभाजित किया गया है — पहले भाग में प्रभावित क्षेत्र की पृष्ठभूमि जैसे, जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतकों से संबंधित जानकारी ली गई, जबकि दूसरे भाग में लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव से संबंधित विभिन्न जानकारी का मूल्यांकन किया गया है।

आय, व्यय, व्यवसाय, आय के स्रोत, प्रवास, स्थानीय सरकारी सुविधाओं आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की गई। इसी तरह, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव के मूल्यांकन के अंतर्गत, स्थानीय और भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, आजीविका और भूमि पर प्रभाव की जानकारी भी एकत्र की गई। प्रभावों की गणना दोनों पहलुओं (सकारात्मक और नकारात्मक) के आधार पर की गई। इसके साथ ही, नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण योजना पर भी चर्चा की गई। इस परियोजना से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों पर भी चर्चा की गई और उनके प्रभावों का आकलन किया गया, और अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए या नहीं।

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में प्रतिकूल प्रभावों की तीव्रता बहुत कम है और सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए, प्रस्तावित सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण योजना के समुचित क्रियान्वयन से भूमि अधिग्रहण का प्रभाव कम किया जा सकता है।

8.4 न्यूनीकरण उपायों की व्यवहार्यता और यह प्रतिकूल प्रभावों व लागत को किस हद तक संबोधित करेगा

8.4.1 संरचनाओं पर प्रभाव और उसका आकार

परियोजना से प्रभावित परिवारों की केवल कुछ कृषि भूमि ही अधिग्रहित की जाएगी, जिससे वे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रभावित परिवार की पूरी भूमि नहीं ली जाएगी और कोई भी परिवार पूरी तरह से भूमिहीन नहीं होगा। साथ ही, किसी भी प्रभावित परिवार का आवास प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर कोई भी आवासीय संरचना प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रही है।

8.4.2 मुआवजे के निर्धारण के मानदंड

भारत सरकार के "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 26 और 27 के अनुसार, जिला कलेक्टर निम्नलिखित मानदंडों को अपनाएंगे ताकि बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण किया जा सके, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के स्थान के निकटतम गांव या आस-पास के क्षेत्र में समान प्रकार की भूमि की औसत विक्रय दर, या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत निर्धारित बाजार मूल्य। मुआवजा उपरोक्त अधिनियम की धाराओं और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से मुआवजा मिल सके।

8.4.3 पात्रता मैट्रिक्स

परियोजना के लिए सुझाए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों के अनुसार, सभी विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता के एक संयोजन का अधिकार होगा, जिसमें खोए हुए संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार की प्रकृति के अनुसार मुआवजा, सामाजिक-आर्थिक हानियों के लिए सहायता और आजीविका समर्थन शामिल होंगे, यदि आजीविका पर प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। विस्थापित लोगों को निम्नलिखित मुआवजा और सहायता पैकेज का अधिकार प्राप्त होगा :

- उनकी भूमि, फसल/वृक्षों की हानि के लिए प्रतिस्थापन लागत के आधार पर मुआवजा;
- व्यापार/मजदूरी आय की हानि के लिए आय पुनर्स्थापन में सहायता;
- सामुदायिक संसाधनों/सुविधाओं का पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापन।

8.4.4 पात्रता के मानदंड

पुनर्वास और पुनर्स्थापन रूपरेखा के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों में से निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति मुआवजा और पुनर्वास सहायता के पात्र होंगे –

- ❖ ऐसे विधिक स्वामी जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
- ❖ ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी, किंतु उनके पास उस भूमि के लिए कोई विधिक अधिकार नहीं है, परंतु वे केंद्र/राज्य अधिनियम के अंतर्गत उस भूमि पर दावा कर सकते हैं।
- ❖ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी भूमि या उसका कोई भाग कब्जे में ले रखा है, और जिनके पास न तो विधिक अधिकार है, और न ही कोई मान्यता प्राप्त या मान्यता योग्य दावा है।

नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रभाव की श्रेणी और पात्रता दर्शाई गई है। मुआवजा पैकेज को संचालित करने वाले मूल सिद्धांत नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं।

तालिका-55 : मुआवजा पैकेज के मूल सिद्धांत

क्र.	प्रभाव की श्रेणी	भारत सरकार के RFTLARR एक्ट 2013 के तहत प्रावधान	क्रियान्वयन दिशा-निर्देश
भाग-1 : निजी भूमि का मुआवजा एवं भूमि से जुड़ी संपत्तियाँ			
1.	भूमि का बाजार मूल्य	1.1 धारा 26 RFTLARR एक्ट 2013 (पहली अनुसूची – क्र. 1 से 8)	भूमि के क्षेत्र का सर्कल दर का मान, जिसे एक गुणांक से गुणा किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य को शहरी क्षेत्र से प्रोजेक्ट की दूरी के आधार पर एक से दो के बीच होगा शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य को गुणा करने के लिए जो गुणांक होगा, वह एक होगा। भूमि के बाजार मूल्य पर 100% सोलेशियम दिया जाएगा।
		1.2 भारत सरकार के RFTLARR अधिनियम 2013 की धारा 30(3)।	प्रारंभिक सूचना जारी करने की तिथि से लेकर आवंटन की तिथि तक 12% ब्याज दिया जाएगा।
2.	भूमि से जुड़ी संपत्तियों का मूल्य (घर, शेड, दुकान, पेड़)	2.1 धारा 29 RFTLARR एक्ट 2013 (पहली अनुसूची – क्र. 1 से 8)	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से जुड़ी संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सक्षम विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाएंगी। प्रस्तावित भूमि से जुड़ी संपत्तियों के लिए 100% सोलेशियम।
भाग-2 : पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अधिकार			
1.	विस्थापन की स्थिति में मकान की हानि	1.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 1)	प्रभावित परिवारों को जिन्हें विस्थापित होना होगा, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा या शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग मीटर तक का घर/फ्लैट प्रदान किया जाएगा। या यदि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों ने घर के बदले नकद विकल्प चुना, तो घर की समकक्ष राशि प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में, अगर परिवारों ने घर के बदले नकद विकल्प चुना, तो एकमुश्त वित्तीय सहायता ₹1,50,000/- दी जाएगी। ऊपर उल्लिखित लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों को भी प्रदान किए जाएंगे जो आवासीय भूमि से वंचित हैं और जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने से पूर्व लगातार 3 वर्षों तक उस क्षेत्र में निवास किया है और जिन्हें इस क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है।
		1.2 (दूसरी अनुसूची - क्र. 11)	नई मकान या भूमि के पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

तालिका-55 : मुआवजा पैकेज के मूल सिद्धांत

क्र.	प्रभाव की श्रेणी	भारत सरकार के RFTLARR एक्ट 2013 के तहत प्रावधान	क्रियान्वयन दिशा-निर्देश
2.	वार्षिकी या रोजगार का विकल्प	2.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 4)	कम से कम एक सदस्य को, जो विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवार (PAF) से संबंधित हो, परियोजना में या उनकी रुचि के क्षेत्र में पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और समान परियोजना में रोजगार दिया जाएगा, और वेतन किसी भी समकालीन कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन दर से कम नहीं होगा। या प्रत्येक प्रभावित परिवार (PAF) को एकमुश्त 5,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। या प्रत्येक प्रभावित परिवार (PAF) को 20 वर्षों तक प्रति माह 2,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसे कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार उचित रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।
3.	विस्थापित परिवारों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीविका अनुदान	3.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 5)	परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों को एक वर्ष तक ₹3,000/- प्रति माह का जीविका भत्ता दिया जाएगा, जो निर्णयकी तिथि से शुरू होगा।
4.	विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत	4.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 6)	परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों को उनके परिवार, निर्माण सामग्री, संपत्ति और मवेशियों को स्थानांतरित करने के लिए एकमुश्त परिवहन सहायता के रूप में 50,000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।
5.	विस्थापित परिवारों के लिए मवेशी शेड/छोटे दुकान निर्माण का खर्च	5.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 7)	प्रभावित परिवारों जिन्होंने मवेशी पाला है या जो छोटे दुकान चलाते हैं, उन्हें मवेशी शेड या छोटे दुकान के निर्माण के लिए एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 25,000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।
6.	कला कारीगर, छोटे व्यापारी और कुछ अन्य	6.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 8)	जो परिवार कारीगर, छोटे व्यापारी या स्व-निर्भर व्यक्ति के हैं, या ऐसे परिवार जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना का स्वामित्व रखा हो, और जो भूमि अधिग्रहण के कारण अनिवार्य रूप से प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित हुए हों, उन्हें एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम ₹25,000/- प्राप्त होगा।
7.	एक बार का पुनर्वास भत्ता	7.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 10)	प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार का पुनर्वास भत्ता के रूप में ₹50,000/- दिया जाएगा।
8.	स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	8.1 (दूसरी अनुसूची - क्र. 11)	भूमि या घर के पंजीकरण के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क लागू होंगे, वे आवश्यकताकर्ता संस्था (ANIIDCO) द्वारा वहन किए जाएंगे।

तालिका-55 : मुआवजा पैकेज के मूल सिद्धांत

क्र.	प्रभाव की श्रेणी	भारत सरकार के RFTLARR एक्ट 2013 के तहत प्रावधान		क्रियान्वयन दिशा-निर्देश
भाग-3 : निर्माण कार्य के दौरान प्रभाव				
1.	संरचनाओं/संपत्तियों/वृक्षों/ फसलों पर प्रभाव	1.1	SIA टीम की सिफारिशें	ठेकेदार को निजी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी संपत्ति/वृक्ष/फसल के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, यदि परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर नागरिक कार्यों के कारण कोई क्षति होती है।
2.	निजी भूमि का उपयोग	2.1	SIA टीम की सिफारिशें	ठेकेदार को भूमि मालिकों से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी और सामग्री भंडारण, वाहनों और मशीनरी की आवाजाही या ट्रैफिक डायवर्जन के लिए निजी भूमि के उपयोग के लिए आपसी सहमति से किराया देना होगा।
3.	प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार	3.1	SIA टीम की सिफारिशें	परियोजना से प्रभावित परिवारों को उनके द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि से प्रभावित सामग्री को अपने साथ ले जाने का अधिकार होगा।
भाग-4 : सार्वजनिक संपत्ति संसाधन				
1.	सामान्य संपत्ति संसाधनों पर प्रभाव, जैसे पूजा स्थल, सामुदायिक भवन, स्कूल, आदि।	1.1	SIA टीम की सिफारिशें	ठेकेदार को सामान्य संपत्ति संसाधनों पर होने वाले प्रभाव के लिए स्थानांतरण, मरम्मत या बहाल करना होगा, या फिर यदि परियोजना के तहत अधिग्रहित नहीं की गई भूमि पर निर्माण कार्यों के कारण कोई क्षति होती है, तो प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा देना होगा।
2.	उपयोगिताएँ जैसे जल आपूर्ति, बिजली, आदि।	2.1	SIA टीम की सिफारिशें	ठेकेदार को उपयोगिताओं जैसे जल आपूर्ति, बिजली, आदि पर होने वाले प्रभाव के लिए स्थानांतरण, मरम्मत या बहाल करना होगा, या फिर यदि परियोजना के तहत अधिग्रहित नहीं की गई भूमि पर निर्माण कार्यों के कारण कोई क्षति होती है, तो प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा देना होगा।
भाग-5 : अप्रत्याशित प्रभाव				
परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित प्रभावों का समाधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में पारदर्शिता एवं उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम, 2013 और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में पारदर्शिता एवं उचित मुआवजा (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियम 2018 के तहत किया जाएगा, और साथ ही वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले संस्थान के सिद्धांतों के अनुसार भी इसका समाधान किया जाएगा।				

8.4.5 सरकारी स्वीकृत भूमि दरों के आधार पर दिया जाने वाला मुआवजा

चर्चाओं के दौरान, जिन भूमि मालिकों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है, उन्होंने अपनी भूमि के मुआवजे की राशि और प्रक्रिया को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। मुआवजे की राशि उचित होनी चाहिए और प्रचलित कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। आवश्यकताधारी संस्था को यह मूल्य संबंधित प्रभावित क्षेत्र के राजस्व विभाग से प्राप्त करना चाहिए और इसे भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26(1) के अनुसार प्रचलित भूमि मूल्य निर्धारण में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।

❖ अचल संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवजा

यदि भूमि का अधिग्रहण किया गया, तो भूमि मालिकों की अचल संपत्तियाँ जैसे कि भवन, शेड, कुएँ, पेड़, तालाब, आदि प्रभावित होंगे। ऐसी सभी प्रभावित अचल संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवजा "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 28 और 29 के अनुसार किया जाना चाहिए।

❖ प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की आजीविका की पुनःस्थापना

प्रभावित परिवारों की कृषि आधारित आय और आजीविका या उसके एक भाग के प्रभावित होने की संभावना है। यह अनुशंसा की जाती है कि यदि भूमि का अधिग्रहण होता है, तो आवश्यकताधारी संस्था द्वारा पर्याप्त वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी आजीविका पुनःस्थापित हो सके। आजीविका की पुनःस्थापना मौजूदा आजीविका, संपत्तियों, कौशल, शिक्षा और वर्तमान व्यवसाय एवं आय के आधार पर की जानी चाहिए। सहायता इस स्तर तक दी जानी चाहिए कि उनकी आय परियोजना से पूर्व के स्तर पर लौट सके और अधिग्रहण के बाद उनकी समग्र स्थिति में सुधार हो।

8.4.6 भूमि की लागत का अनुमान

जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, उनके साथ यह विस्तृत चर्चा की गई कि उन्हें उनकी भूमि के बदले मुआवजा किस दर पर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में उनकी समग्र राय यह थी कि ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में एक हेक्टेयर कृषि भूमि की बाजार कीमत, श्री विजयपुरम में प्रचलित वर्तमान बाजार दर के बराबर होनी चाहिए। अंतिम मुआवजा प्रभावित परिवारों की सहमति से और "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

शमन (नियंत्रण) के लिए दृष्टिकोण

9.1 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक उपाय

9.1.1 सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

इस अध्याय में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तथा इसकी रूपरेखा एवं स्वरूप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में, इसे इस रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों में वर्णित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का एक अनुक्रम रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि, आजीविका तथा निर्माण कार्यों से संबंधित प्रभावों की प्रकृति एवं सीमा को चिह्नित किया गया है। प्रभावित जनसंख्या से परामर्श के उपरांत, विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही, कार्यान्वयन प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है; ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के सुझावों को पूरी तरह से लागू किया गया है।

प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को निम्नलिखित मुख्य मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है :

- परियोजना का क्रियान्वयन सभी लागू विधियों, नीतियों, शमन उपायों जैसे कि पर्याप्त मुआवज़ा अथवा आजीविका स्रोतों और संसाधनों के विकास आदि के अनुरूप राष्ट्रीय एवं केंद्रशासित प्रदेश (UT) कानूनों के अनुसार किया जाएगा।
- जहाँ तक संभव हो, परियोजना के क्रियान्वयन में प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने हेतु पर्याप्त संसाधनों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। जहाँ यह संभव नहीं होगा, वहाँ प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों की अवधि, तीव्रता और व्यापकता को न्यूनतम किया जाएगा। साथ ही, उन प्रभावों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाएगा जिन्हें पूरी तरह शमन नहीं किया जा सकता (जैसे, कृषि भूमि, आजीविका स्रोत, व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता आदि)।
- जहाँ तक संभव हो, परियोजना के क्रियान्वयन में प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ यह संभव न हो, वहाँ इन प्रतिकूल प्रभावों की अवधि, तीव्रता और व्यापकता को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, उन प्रभावों की पुनर्स्थापना का भी प्रयास किया जाएगा जिन्हें पूरी तरह से शमन नहीं किया जा सकता (जैसे—कृषि भूमि, आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवन गुणवत्ता, आदि)।
- परियोजना की प्राथमिकता प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के कल्याण और आजीविका के अनुसार होगी, जिसके लिए उपयुक्त निर्माण विधि, समय-सारणी और अन्य शमन उपायों का सही निर्धारण किया जाएगा।
- परियोजना का निर्माण और संचालन प्राकृतिक पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधे रूप से सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभावों का सही एवं पारदर्शी ढंग से आकलन करना आवश्यक है, तथा उन्हें कम करने के लिए शमन उपायों को अपनाना भी आवश्यक होगा।

- परियोजना में कमजोर व्यक्तियों और परिवारों की आजीविका के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति और परिवार नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने, परामर्श करने और चर्चाओं में भाग लेने में असमर्थ हो सकते हैं। साथ ही, वे परियोजना के तहत आजीविका और कार्य के नए साधनों से अनभिज्ञ हो सकते हैं।
- परियोजना को उन सभी व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के वैध अधिकारों और हितों को ध्यान में रखना चाहिए जो परियोजना से प्रभावित होंगे। इसमें वे सभी शामिल हैं जिनकी भूमि, फसलें और अन्य संपत्तियाँ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर स्थित हैं, और वे अन्य व्यक्ति जिनकी सुविधाएँ, जीवन स्तर एवं अन्य सुरक्षा उपाय आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- परियोजना से जुड़े हितधारकों के रूप में व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को परियोजना से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा और उनकी तर्कसंगतता, हितों और विचारों को संबोधित किया जाएगा।

9.2 प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों के लिए शमन उपाय

भूमि और संपत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन से उत्पन्न प्रभावों तथा उनके शमन उपायों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-56 : भूमि और संपत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन से उत्पन्न प्रभावों तथा उनके शमन के उपाय

क्र.	असर/प्रभाव	प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार	निवारण के उपाय
1	भूमि की हानि	उच्च, गंभीर और दीर्घकालिक	1. भूमि अधिग्रहण उस व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अंतिम विकल्प है और प्रस्तावित भूमि तकनीकी रूप से सबसे उपयुक्त है। 2. भूमि के लिए मुआवजे के लिए अधिकृत और पात्र व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तथा उन्हें मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता, मुआवजे की राशि, मुआवजा दिए जाने की समय-सीमा, मुआवजे को लेकर आपत्ति दर्ज करने की विधि आदि की जानकारी दी जाए। 3. मुआवजे के लिए एक ढांचा तैयार किया जाए जिसमें मुआवजा केवल प्रभावित संपत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि कुल मूल्यांकन के आधार पर दिया जाए। 4. सभी पुनर्वास उपायों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पूरा कर लिया जाए। 5. यह सुनिश्चित किया जाए कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बिचौलिए की कोई भूमिका न हो। 6. मुआवजा निर्धारित करने से पूर्व, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर स्थित सभी परिसंपत्तियों जैसे भवन, शेड, चारदीवारी, कुएं, तालाब, पेड़ आदि का मूल्यांकन संबंधित विभागों द्वारा किया जाए और उसके अनुसार मुआवजा दिया जाए। ऐसी संपत्तियों की एक पूरी सूची अधिग्रहण की जाने वाली वास्तविक भूमि के अनुसार तैयार की जाए। यदि इन परिसंपत्तियों जैसे पेड़-पौधों का मुआवजा प्रभावित परिवार को कम लगता है, तो उन्हें खुले बाजार में उसे बेचने की अनुमति दी जाए। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग (जैसे

तालिका-56 : भूमि और संपत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन से उत्पन्न प्रभावों तथा उनके शमन के उपाय

क्र.	असर/प्रभाव	प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार	निवारण के उपाय
			वन विभाग) से अनुमति सुनिश्चित की जाए। 7. उस छोटी भूमि को भी मुआवजे में शामिल किया जाए जो प्रत्यक्ष रूप से तो अधिग्रहण में शामिल नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य के कारण अनुपयोगी हो गई है। जैसे कि किसी परिवार की कुछ मीटर लंबी या चौड़ी ज़मीन, जो भले ही अधिग्रहण में शामिल न हो, परंतु अब उनके किसी काम की नहीं रही। सामाजिक प्रभाव अध्ययन से यह सामने आया कि इस प्रकार के मामलों को लेकर परिवारों में भ्रांतियाँ हैं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वह अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का भौतिक सत्यापन करवाए और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे ताकि परिवार वास्तविक प्रभावित भूमि को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें।
2	आजीविका की हानि एवं प्रवास	उच्च, गंभीर और अल्पकालिक	1. परियोजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों में स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3	भूमि के लिए मुआवज़े की दरें	कम गंभीर और दीर्घकालिक	1. परियोजना निर्माण की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए और एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों की सामाजिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 2. भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण एक बड़ी चुनौती है। अक्सर, उच्च स्टांप ड्यूटी से बचने के लिए भूमि की खरीद कीमत वास्तविक कीमत से कम दर्शाई जाती है। यह चुनौती तब और गंभीर हो जाती है जब भूमि का स्थानांतरण बहुत कम होता है और रजिस्ट्री बहुत कम मामलों में होती है। इसलिए, चर्चा के आधार पर क्षेत्र की भूमि दरों को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। मूल्य पुनः निर्धारण की प्रक्रिया में ग्रामीणों, कार्यान्वयन एजेंसी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच परामर्श और चर्चा की जानी चाहिए। प्रभावित भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण में कुछ नए कारकों, जैसे भूमि का प्रकार एवं उपयोग, न्यायालय द्वारा निर्धारित दरें और निजी क्षेत्र के बिल्डरों द्वारा दी गई दरें, आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 3. परियोजना के प्रति ग्रामीणों की असंतुष्टि को दूर करने या कम करने के उपायों के बारे में उन्हें जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य में पंचायती राज संस्था (पीआरआई) के सदस्यों, शिक्षकों एवं पुराने निवासियों की सहायता ली जानी चाहिए। 4. परियोजना में हितधारकों और ग्रामीणों की भागीदारी केवल एक बार नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि परियोजना से संबंधित सूचनाएं, जैसे निर्माण कार्य शुरू/समाप्त होने का समय, निर्माण कार्य के दौरान सतर्कता आदि प्रदर्शित की जा सकें; जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावना को टाला जा सके।
4	समुदायिक मूल्यों और जीवनशैली पर प्रभाव	कम गंभीर और दीर्घकालिक	1. निर्माण कार्य की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में स्थानीय निवासियों के लिए शिकायत रजिस्टर / पंजिका या हेल्पलाइन एवं फोन नंबर की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार की

तालिका-56 : भूमि और संपत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन से उत्पन्न प्रभावों तथा उनके शमन के उपाय

क्र.	असर/प्रभाव	प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार	निवारण के उपाय
			शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए। 3. यदि कोई बड़ा विवाद / टकराव उत्पन्न होता है, तो ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए। गांवों में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आगमन से आपराधिक घटनाएं और शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं। 4. ठेकेदारों को अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता या स्पष्ट नियमों का एक सेट बनाना चाहिए, जो उनके आचरण से संबंधित हो। इस नियमावली में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि कर्मचारी किन विषयों पर और किस सीमा तक स्थानीय निवासियों से बातचीत कर सकते हैं।

9.3 भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना से प्रभावित लोगों की भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव तथा उनके लिए प्रस्तावित शमन (Mitigation) उपाय नीचे प्रस्तुत किए गए हैं –

तालिका-57 : भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	प्रस्तावित शमन उपाय
1	सामाजिक प्रभाव	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्राथमिक संपत्ति होने के कारण सामाजिक स्थिति में परिवर्तन	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के लिए समुचित एवं समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
		पैतृक भूमि के नुकसान के कारण मानसिक तनाव	परिवार के सदस्यों के लिए मौद्रिक मुआवजे एवं भविष्य की राह पर परामर्श सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
		परियोजना निर्माण के कारण ग्रामीणों को असुविधा	स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु क्षेत्र में निर्माण कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी सुरक्षा एवं पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाए जाने चाहिए।
		प्रवासन एवं सिविल वर्क के कारण सुरक्षा संबंधी समस्याएं	किसी भी विवाद का पारदर्शी, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने हेतु एक सक्रिय एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।
2	आर्थिक प्रभाव	कृषि भूमि एवं संपत्ति की हानि	परियोजना हेतु अधिग्रहण के कारण कृषि भूमि की हानि की भरपाई अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 26 से 31 के अंतर्गत की जानी चाहिए।
		रोजगार के अवसरों की हानि	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
		उत्पादन एवं आय की हानि	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
		मवेशियों के लिए चारागाह भूमि की हानि	ग्राम पंचायत सदस्यों के सहयोग से पर्याप्त भूमि एवं खुले स्थान को पहचानकर मवेशियों के लिए चारागाह हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
		भूमि के मूल्य में परिवर्तन	प्रभावित भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय, भूमि का स्वभाव एवं उपयोग, न्यायालय द्वारा निर्धारित दर एवं

तालिका-57 : भूमि, आजीविका और आय पर संभावित प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा	प्रस्तावित शमन उपाय
			निजी क्षेत्र के बिल्डरों द्वारा दी गई दर, आदि जैसे नए तत्वों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
		अधोसंरचना एवं संपर्क	स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों के मुकाबले समान अवसरों का वितरण एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की आशंकाओं को संबोधित किया जाना चाहिए।
		सहायक आर्थिक गतिविधियाँ	प्रभावित परिवारों को सहयोग, प्राथमिकता, प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे परियोजना के कारण उत्पन्न नई एवं सहायक आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें। साथ ही, उन्हें यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिए कि भविष्य में परियोजनाओं हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्व सहमति के बिना पुनः भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, विशेषकर उनसे जिनकी भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।

9.4 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण भौतिक संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं उनके लिए प्रस्तावित शमन उपाय निम्नलिखित हैं –

Table-58 : भौतिक संसाधनों पर संभावित प्रभाव

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा / समस्या	प्रस्तावित शमन उपाय
1	भौतिक संसाधन	निजी भूमि स्वामित्व की हानि एवं निजी भूमि व अन्य संपत्तियों/संसाधनों के भविष्य के उपयोग पर प्रभाव	प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के लिए पर्याप्त एवं समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

9.5 निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं पर प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं उनके लिए प्रस्तावित शमन उपाय निम्नलिखित हैं –

तालिका-59 : निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा / समस्या	प्रस्तावित शमन उपाय
1	निजी संपत्तियाँ	कृषि भूमि एवं संपत्तियों की हानि	परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि भूमि की हानि का मुआवजा अधिनियम की धारा 26-31 के तहत अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।
2	सार्वजनिक सेवाएँ एवं उपयोगिताएँ	साझा क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाओं एवं संपत्तियों की हानि	उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कोई भी सार्वजनिक सेवा या उपयोगिता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रही है।

9.6 स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं उनके लिए प्रस्तावित शमन उपाय निम्नलिखित हैं –

तालिका-60 : स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा / समस्या	प्रस्तावित शमन उपाय
1	पर्यावरणीय प्रभाव	वाहनों और निर्माण के कारण प्रदूषण में वृद्धि	वाहनों के उत्सर्जन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) की नियमित जांच की जानी चाहिए। निर्माण स्थल पर वायु प्रदूषण कम करने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं अपशिष्ट का परिवहन करते समय उन्हें अच्छी तरह ढँककर रखा जाना चाहिए, ताकि रिसाव या फैलाव न हो।
		वाहनों और निर्माण के कारण प्रदूषण में वृद्धि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय गिरावट	परियोजना द्वारा पर्यावरणीय मानकों के अनुसार, सड़कों के किनारे पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।

9.7 संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर प्रभाव एवं प्रस्तावित शमन उपाय

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं उनके लिए प्रस्तावित शमन उपाय निम्नलिखित हैं –

तालिका-61: संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर संभावित प्रभाव

क्र.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दा/समस्या	प्रस्तावित शमन उपाय
1	संस्कृति एवं सामाजिक एकता	विस्थापन के कारण	चूंकि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं देखा गया, अतः क्षेत्र में संस्कृति एवं सामाजिक एकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
		बाहरी लोगों के आगमन (इन-माइग्रेशन) के कारण	किसी भी प्रकार के विवाद का पारदर्शी, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय एवं सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।
		दीर्घकालिक सुरक्षा मुद्दे, विशेषकर महिलाओं के लिए	बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन द्वारा बेहतर सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

9.8 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव एवं शमन उपाय

SIA टीम द्वारा यह भी देखा गया कि ऊपर उल्लिखित कई नकारात्मक प्रभावों को उपयुक्त और प्रभावी शमन उपायों/रणनीतियों से कम या बहुत हद तक टाला जा सकता है, जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस परियोजना और प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कों) के भूमि अधिग्रहण के संबंध में, प्रभावित गांवों के प्रमुख स्थानीय जनमत निर्माताओं एवं पंचायत सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गईं। सभी प्रतिभागियों ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी कि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में विकास कार्यों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन परियोजना प्रभावित परिवारों को समुचित एवं समयबद्ध मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए।

9.9 भिन्नात्मक (Differential) प्रभाव तथा शमन उपाय

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में महिला मुखिया वाले परिवार किसी भी पुरुष मुखिया परिवार के बराबर हैं और इस आधार पर वर्तमान में कोई भेदभाव नहीं है। प्रस्तावित परियोजना के कारण इस आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की संभावना भी अकल्पनीय है। परियोजना के क्रियान्वयन से लेकर उसके संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि तक, अस्थायी मजदूरों एवं अन्य विशेषज्ञों की नौकरियों का सृजन होगा और उनकी नियुक्ति स्थानीय पात्र जनसंख्या को उनकी योग्यता के अनुसार दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग या वृद्ध व्यक्तियों पर किसी अतिरिक्त बोझ या कष्ट की संभावना नहीं है।

9.10 संचयी प्रभाव एवं शमन उपाय

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP), परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने हेतु "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। SIMP में परियोजना की डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के विभिन्न चरणों के दौरान अपनाए जाने वाले शमन, निगरानी एवं संस्थागत उपायों का एक समूह शामिल है, ताकि प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को समाप्त किया जा सके या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों का समुचित शमन हो और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा मिले। यह SIMP परियोजना के विभिन्न चरणों—पूर्व-निर्माण, निर्माण तथा संचालन—के दौरान लागू की जाएगी।

किसी भी प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिए, कैपबेल बे के सहायक आयुक्त का कार्यालय इस कार्य के लिए नोडल कार्यालय होगा। वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार, जिला कलेक्टर का कार्यालय, सहायक आयुक्त, कैपबेल बे, एनीडको (ANIIDCO) के प्रतिनिधियों और संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत सदस्यों की सहायता से सभी शिकायतों की जांच करेगा और उनके सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रयास करेगा।

9.11 प्रस्तावक संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

प्रस्तावक संस्था—इस मामले में ANIIDCO—द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" तथा "अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियमावली, 2018" द्वारा संचालित होगी।

9.12 सार्वजनिक सुनवाई और SIA रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावक संस्था द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त कार्रवाई

इस प्रारंभिक रिपोर्ट के प्रस्तावक संस्था को सौंपे जाने और सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, ANIIDCO द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कों) परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए।

10.1 सार्वजनिक सुनवाई का विवरण

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर पारदर्शिता एवं उचित मुआवजा कानून, 2013 की धारा 5 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन की आवश्यकता हो, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित क्षेत्र में एक जन सुनवाई आयोजित की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों के विचारों को दर्ज किया जा सके और उन्हें SIA रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर पारदर्शिता और उचित मुआवजा (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सहमति) नियम 2018 में जन सुनवाई आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है, ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो व्यापक जन सुनवाई बैठकें आयोजित की गईं। जन सुनवाई बैठक के बारे में सभी भूमि मालिकों को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, जिनमें समाचार पत्र, पंचायत कार्यालयों में नोटिस और अन्य मीडिया शामिल हैं, 21 दिन पहले सूचना दी गई। SIA एजेंसी के प्रतिनिधियों के अलावा, जिला प्रशासन के अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी, आवश्यक संगठन के प्रतिनिधि, ANIIDCO, संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, अन्य संबंधित अधिकारी, प्रभावित भूमि मालिक और प्रमुख स्थानीय जनमत निर्माता को जन सुनवाई बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से जन सुनवाई बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को दस्तावेजित किया जा सके।

जन सुनवाई बैठकों के सभी प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की ताकि उनकी भागीदारी का दस्तावेजीकरण किया जा सके। चर्चा में उठाए गए सभी मुद्दों को शब्द दर शब्द दस्तावेजित किया गया। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सुनवाई बैठकों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, जो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का एक हिस्सा है। इस प्रकार, परियोजना के तहत प्रभावित गांवों से उपस्थित सीधे प्रभावित लोगों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंच पर अपनी चिंताओं को दर्ज करने का अवसर प्राप्त हुआ। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और ग्रामीणों से प्राप्त सभी आपत्तियाँ/सुझाव और आवश्यक निकाय के प्रतिनिधियों के उत्तरों को दस्तावेजित किया गया।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन के तहत, सार्वजनिक सुनवाई बैठकें 14.07.2025 और 15.07.2025 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं –

तालिका-62 : जन सुनवाई बैठकों का कार्यक्रम

तिथि	प्रारंभ समय	जन सुनवाई बैठकों का स्थल
14.07.2025	11.00 पूर्वाह्न	गोविंद नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार
15.07.2025	11.00 पूर्वाह्न	लक्ष्मी नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार

बैठकों में श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैम्पबेल बे, श्री ए.के. बिस्वास, प्रॉबेशन अधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, श्री विजय पुरम, श्री साजी सैमुअल, सीनियर मैनेजर (प्रोजेक्ट), एएनआईआईडीसीओ लिमिटेड, श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैम्पबेल बे, श्री संजय एक्का, उप-प्रधान, पंचायत समिति, कैम्पबेल बे, श्रीमती रामेश्वरी, ग्राम प्रधान, कैम्पबेल बे ग्राम पंचायत, श्री प्रहलाद सिंह, ग्राम प्रधान, लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत, वर्तमान भूमि मालिक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि और ग्रामीण आदि उपस्थित थे। जन सुनवाई बैठकों का नोटिस की प्रति परिशिष्ट-18 में दी गई है।

निम्नलिखित में उन मुद्दों का उल्लेख किया गया है जो हितधारकों/भूमि मालिकों द्वारा उठाए गए थे और जिन पर जिला प्रशासन तथा एएनआईआईडीसीओ की ओर से उत्तर दिए गए थे। 14.07.2025 को गोविंद नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार में आयोजित जन सुनवाई बैठक की कार्यवाही के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं –

1. श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक सुनवाई बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। शुरुआत में, उन्होंने सभी लोगों का, जिनमें उपस्थित भूमि मालिक, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रशासन शामिल थे, SIA अध्ययन के लिए गांवों में डेटा संग्रह कार्य के दौरान टीम को दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। जन सुनवाई बैठक के सभी प्रतिभागियों के साथ SIA अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण साझा किया गया।
2. श्री ए.के. बिस्वास, परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, श्री विजय पुरम, ने ट्रंक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण दिया और प्रतिभागियों से इस प्रस्तावित परियोजना और भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर अपने विचार और चिंताएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
3. श्री ई.एस. राजेश, प्रमुख, पंचायत समिति, कैम्पबेल बे, भूमि मालिक, ने सभी प्रतिभागियों को बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और परियोजना पर सभी आपत्तियों, दावों और सुझावों का स्वागत किया। उन्होंने अपने विचार साझा किए, न केवल भूमि मालिक के रूप में, जिनकी भूमि प्रस्तावित ट्रंक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जानी थी, बल्कि एक जन प्रतिनिधि के रूप में भी, जो क्षेत्र के पंचायत राज संस्थान का सदस्य है।

अपने परिचय संदेश में, श्री ई.एस. राजेश ने साझा किया कि GNI के समग्र विकास के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ANIIDCO ने ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास और एक पावर प्लांट के निर्माण की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि GNI के समग्र विकास की दृष्टि केवल तभी पूरी हो सकती है जब इन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विकास परियोजनाएँ भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर और लाभकारी हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज मुख्य भूमि से यहां शिफ्ट होकर 1969 में सरकारी समर्थन से यहां बस गए थे। उस समय, क्षेत्र में पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, स्वच्छ पीने का पानी जैसे बुनियादी

सुविधाओं का अभाव था। सरकार ने समझा कि पूर्व सैनिक न केवल इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, बल्कि वे विदेशी ताकतों से भूमि की रक्षा करने में भी सक्षम हैं।

समय के साथ लोगों ने कड़ी मेहनत की और बागवानी क्षेत्र विकसित किया और क्षेत्र में सरकारी विकास गतिविधियों का इंतजार किया। जो चार प्रमुख परियोजनाएँ यहां लागू की जाने की प्रस्तावित हैं, वे पहले की सरकार द्वारा बहुत पहले योजनाबद्ध की गई थीं, लेकिन अब वे साकार होने की संभावना है, और इनकी सफल कार्यान्वयन से देश को आवश्यक रणनीतिक लाभ और आर्थिक ताकत मिल सकेगी। इन परियोजनाओं का दायरा GNI के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है और लोगों के लिए विकास और समृद्धि के अवसरों के द्वार खोलने की संभावना है।

हालाँकि, बड़ा सवाल यह है कि इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण स्थानीय लोगों के लिए कैसे फायदेमंद होगा? वर्षों तक सभी कष्टों और वंचनाओं का सामना करने के बाद, जब अब द्वीप का विकास हो रहा है, यदि हम अपनी ज़मीन खो देते हैं और क्रियावली के स्थान से परिधि तक सीमित हो जाते हैं, तो स्थानीय लोग द्वीप में बहुप्रतीक्षित विकास के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने यह दोहराया कि स्थानीय लोगों का शिक्षा स्तर कम है और मुख्यभूमि की तरह यहाँ पिछड़ी जातियों के लोगों को OBC प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि भले ही परियोजना के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए वर्तमान ज़मीन मालिकों को मौद्रिक मुआवजा दिया जाए, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि दशकों में परिवार बढ़े हैं और पात्र दावेदारों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। प्रत्येक पात्र दावेदार को उनकी ज़मीन के बदले जो राशि मिलेगी, वह नगण्य होगी और जीवनयापन की बढ़ती लागत और महंगाई के कारण व्यक्ति को लंबे समय तक वित्तीय रूप से पालन-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, वर्तमान ज़मीन मालिकों को उनके संपत्ति के लिए मौद्रिक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही, परियोजना के लिए खोई गई ज़मीन के बदले उन्हें इस द्वीप में ही ज़मीन आवंटित की जानी चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि कैम्पबेल बे में बहुत कम व्यापारिक संपत्तियाँ हैं, परियोजना को इन संपत्तियों को प्रभावित करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनसे जुड़ी लोगों की आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ेगा। स्थानीय जनसंख्या के हित में और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के संदर्भ में, यह प्रयास किया जाना चाहिए कि न्यूनतम विस्थापन हो और साथ ही लोगों की वर्तमान और सुरक्षित भविष्य की सुनिश्चितता के लिए उनकी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाए।

4. श्री अजय सेठ, भूमि मालिक, कैम्पबेल बे और श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, कैम्पबेल बे ने कहा कि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के मार्ग की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। लोग अब तक प्रस्तावित सड़क के वास्तविक मार्ग के बारे में अवगत नहीं हैं।

श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा कि प्रस्तावित सड़क के मार्ग की अंतिम स्वीकृति प्रक्रिया में है और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। व्यापक पहचान कर ली गई है और इसका सटीक आकार जल्द ही तय किया जाएगा। श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, श्री विजय पुरम, ने कहा कि सड़क की परतों के परीक्षण और उनके द्वारा भारी वाहनों का भार सहने की ताकत को निर्धारित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भारी मशीनरी और उपकरणों को लाने के लिए सड़क पर भारी वाहन चलाए जाएंगे। इस प्रकार, एक बार प्रस्तावित सड़क का मार्ग, उसकी वक्रता आदि तय हो जाने के बाद, इसके वास्तविक आकार को जमीन पर चिह्नित किया जाएगा।

5. फादर संथुईस बारा, पारिश प्रीस्ट, कैथोलिक चर्च, कैपबेल बे, ने कहा कि जिस भूमि का वर्तमान में कैथोलिक चर्च के पास है, उसका एक हिस्सा भी अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रस्तावित सड़क के आंशिक रूपरेखा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें यह पता नहीं है कि चर्च की किस भूमि को अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि दोनों ओर के वर्तमान सड़क के पास होनी चाहिए ताकि प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर के मालिकों को किसी प्रकार का नुकसान न महसूस हो। यदि केवल एक ओर भूमि अधिग्रहित की जाए और प्रस्तावित सड़क का निर्धारण केंद्र से नहीं किया जाए, तो जो भूमि खोने वाले हैं, उन्हें वंचित महसूस होगा।

श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा कि प्रस्तावित सड़क की रेखा का अंतिम निर्धारण प्रक्रिया में है और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। व्यापक पहचान कर ली गई है और सटीक रूपरेखा जल्द ही अंतिम रूप से तय की जाएगी। साथ ही, जैसा कि पहले कहा गया था, यह बताया गया था कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भारी मशीनों और उपकरणों को लेकर चलने वाले बहुत भारी वाहनों का वजन सहने के लिए मिट्टी की परतों और उनकी ताकत का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार, एक बार प्रस्तावित सड़क की रेखा, उसकी वक्रता आदि का निर्धारण हो जाने के बाद, सटीक रूपरेखा को फिर से जमीन पर तय किया जाएगा।

6. श्री शरद भिडे, भूमि मालिक, लक्ष्मी नगर, ने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी, उसके लिए क्या मुआवजा दिया जाएगा।

श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा कि परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रचलित कानून के अनुसार दिया जाएगा – "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" और "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियम, 2018"। इसके अनुसार, भूमि के लिए मुआवजा, भूमि के सर्कल रेट का चार गुना होगा, जैसा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा SIA अध्ययन के अधिसूचना की तिथि पर निर्धारित

किया गया है (जिसमें 100% सोलेशियम भी शामिल है)। इसी तरह, भूमि पर प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए संपत्तियों का मुआवजा, प्रभावित संपत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य का दो गुना होगा।

7. श्री ई.एस. राजेश, प्रमुख, पंचायत समिति, कैपबेल बे, ने कहा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सर्कल रेट बहुत कम हैं। पिछली बार, जब अंडमान और निकोबार प्रशासन के तहत सभी अन्य द्वीपों के सर्कल रेट्स को संशोधित किया गया था, तो GNI (ग्रेट निकोबार द्वीप) में सर्कल रेट्स में कोई संशोधन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि GNI में वर्तमान सर्कल रेट अन्य द्वीपों के सर्कल रेट्स और वर्तमान बाजार दरों के मुकाबले बहुत कम और अन्यथा हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सर्कल रेट्स को पहले उच्चतर पक्ष पर संशोधित किया जाना चाहिए और अन्य द्वीपों के सर्कल रेट्स, विशेष रूप से श्री विजयपुरम के समान बनाना चाहिए। मुआवजे के लिए सभी गणनाएँ GNI के संशोधित सर्कल रेट्स के आधार पर की जानी चाहिए।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैपबेल बे ने जवाब दिया कि भूमि के सर्कल रेट अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि GNI के वर्तमान भूमि मालिकों को लगता है कि GNI के वर्तमान सर्कल रेट्स में संशोधन की आवश्यकता है, तो उन्हें सरकार को एक सामूहिक प्रस्तुति करनी चाहिए, जिसे सरकार के उचित स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. श्री सुरजीत सिंह ग्रेवाल, भूमि मालिक, कैपबेल बे, ने कहा कि GNI में भूमि के वर्तमान सर्कल रेट बहुत कम हैं। भले ही वर्तमान भूमि मालिक सरकार को GNI में भूमि के सर्कल रेट्स में संशोधन के लिए एक प्रस्तुति दें, और सरकार सर्कल रेट्स को संशोधित कर दे, फिर भी सरकारी परियोजनाओं को वास्तविकता में बदलने में समय लगता है। जब तक सरकार हमारे भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लेती है, तब तक शायद 2-3 साल और बीत जाएंगे, और फिर से सर्कल रेट्स को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान बाजार दर और मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसलिए, GNI में भूमि के लिए जो संशोधित सर्कल रेट्स हम मांग रहे हैं, वे समय के साथ अप्रचलित हो सकते हैं।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैपबेल बे ने जवाब दिया कि भूमि के सर्कल रेट अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि GNI के वर्तमान भूमि मालिकों को लगता है कि GNI के भूमि के वर्तमान सर्कल रेट्स में संशोधन की आवश्यकता है, तो उन्हें सरकार को एक सामूहिक प्रस्तुति करनी चाहिए, जिसे सरकार के उचित स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड ने जोड़ा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि मालिक भूमि के अधिग्रहण में देरी के कारण नुकसान न उठाएं, "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (भारत सरकार) में एक प्रावधान है, जिसमें, अधिसूचना की तिथि से लेकर परियोजना के लिए भूमि आवंटन की तिथि तक, भूमि मालिकों को 12% ब्याज दिया जाएगा।

9. श्रीमती जयश्री, भूमि मालिक, कैपबेल बे, ने कहा कि चूँकि प्रस्तावित सड़क के रूपरेखा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि उनके भूमि के किस हिस्से को अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि दोनों ओर के वर्तमान सड़क के पास होनी चाहिए ताकि सड़क के दोनों ओर के मालिकों को किसी प्रकार का नुकसान न महसूस हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि भूमि मालिकों को मुआवजा, भूमि की दर के चार गुने के हिसाब से दिया जाना चाहिए।

श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रचलित कानून के अनुसार दिया जाएगा – "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" और "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सहमति) नियम, 2018"। इसके अनुसार, भूमि के लिए मुआवजा, भूमि के सर्कल रेट का चार गुना होगा, जैसा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा SIA अध्ययन के अधिसूचना की तिथि पर निर्धारित किया गया है (जिसमें 100% सोलेशियम भी शामिल है)।

10. श्री ग्रेगरी तिके, भूमि मालिक, गांधी नगर, ने कहा कि हम पूर्व सैनिक पुनर्वासियों के परिवार हैं और हम पहले ही एयरपोर्ट परियोजना के लिए अपनी भूमि खो रहे हैं। हमारे माता-पिता ने जब सरकार द्वारा यहाँ बसाए गए थे, तब उन्होंने हमें दी गई कच्ची भूमि को विकसित किया। हमने वर्षों में अपनी भूमि को बहुत मेहनत से विकसित किया और अब हमसे हमारी भूमि को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। एक नारियल का पेड़ उगने में लगभग 7 साल का समय लगता है और फल देना शुरू होता है। हम अनुरोध करते हैं कि हमें जो भूमि हमारे से अधिग्रहित की जा रही है, उसके बदले हमें भूमि दी जाए। इसके अलावा, भूमि खोने वाले परिवारों को 5 वर्षों के लिए एक मौद्रिक मुआवजा पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिवार नए भूमि पर बागवानी से लाभ मिलने तक अपनी आजीविका चला सकें।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि दोनों ओर के वर्तमान सड़क के पास होनी चाहिए ताकि सड़क के दोनों ओर के मालिकों को किसी प्रकार का नुकसान न महसूस हो। भूमि खोने वाले परिवारों को परियोजना में उत्पन्न होने वाले रोजगार/व्यवसाय के अवसरों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कैपबेल बे तहसील में भूमि के सर्कल रेट्स को उच्चतर पक्ष पर संशोधित किया जाना चाहिए और इन्हें पोर्ट ब्लेयर में संबंधित दरों से मेल खाना चाहिए, और यहां तक कि संशोधित दरों को भी यदि परियोजना में देरी होती है तो फिर से संशोधित किया जाना चाहिए।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैपबेल बे ने उत्तर दिया कि भूमि के सर्कल रेट अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि GNI के वर्तमान भूमि मालिकों को लगता है कि GNI के भूमि के वर्तमान सर्कल रेट्स में संशोधन की आवश्यकता है, तो उन्हें सरकार को एक सामूहिक प्रस्तुति करनी चाहिए, जिसे सरकार के उचित स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि मालिक भूमि के अधिग्रहण में देरी के कारण नुकसान न उठाएं,

"भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (भारत सरकार) में एक प्रावधान है, जिसमें, अधिसूचना की तिथि से लेकर परियोजना के लिए भूमि आवंटन की तिथि तक, भूमि मालिकों को 12% ब्याज दिया जाएगा।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैम्बेल बे ने आगे कहा कि प्रस्तावित सड़क के संरेखण (alignment) का अंतिम निर्धारण प्रक्रिया में है और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। व्यापक पहचान कर ली गई है और सटीक रूपरेखा (contours) जल्द ही अंतिम रूप से तय की जाएगी। एक बार प्रस्तावित सड़क की रेखा, उसकी वक्रता आदि का निर्धारण हो जाने के बाद, सटीक रूपरेखा को फिर जमीन पर चिह्नित किया जाएगा। मौद्रिक मुआवजा पैकेज के संबंध में, "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (भारत सरकार) का पालन किया जाएगा।

11. श्री पृथपाल सिंह तूर, भूमि मालिक, कैम्बेल बे, ने सुझाव दिया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि, मौजूदा सड़क के दोनों ओर होनी चाहिए ताकि सड़क के दोनों ओर के मालिकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैम्बेल बे ने कहा कि सड़क के संरेखण का अंतिम निर्धारण प्रक्रिया में है और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एक बार प्रस्तावित सड़क की रेखा, उसकी वक्रता आदि तय हो जाने के बाद, सटीक रूपरेखा को जमीन पर चिह्नित किया जाएगा।

12. श्रीमती रूपा तिरुके, पीआरआई सदस्य, गांधी नगर, ने कहा कि कैम्बेल बे में कई अतिक्रमणकारी परिवार हैं जिनकी आय बहुत कम है। हम लगातार ऐसे परिवारों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें सतत आय/जीविका प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया कि ANIIDCO को अपनी समग्र योजना में ऐसे परिवारों/समूहों के लिए स्थान, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए और GNI के लिए ANIIDCO की व्यापक योजना में ऐसे परिवारों/समूहों के लिए प्रावधान शामिल करने चाहिए।

श्री ए.के. बिस्वास, परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने इस सुझाव का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि सामाजिक कल्याण निदेशालय इस विषय को ANIIDCO के समक्ष उठाएगा और अनुरोध करेगा कि परियोजना के अंतर्गत ऐसे पात्र और वंचित वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान किया जाए।

13. श्री ई.एस. राजेश, प्रमुख, पंचायत समिति, कैम्बेल बे ने भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को परियोजना के अंतर्गत ANIIDCO द्वारा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि GNI के समग्र विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत ANIIDCO प्रमुख परियोजना प्रस्तावक है।

श्री ए.के. बिस्वास, परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने इस सुझाव का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि सामाजिक कल्याण निदेशालय इस विषय को ANIIDCO के समक्ष उठाएगा और परियोजना के अंतर्गत ऐसे पात्र और वंचित वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने का अनुरोध करेगा।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम, और श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे, ने जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का उनकी उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद किया। 14.07.2025 को गोविंद नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार में आयोजित जन सुनवाई में भाग लेने वाले लोगों की सूची की प्रति परिशिष्ट-19 में दी गई है।

15.07.2025 को लक्ष्मी नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही निम्नलिखित है:

1. श्री विक्रम श्रीवास्तव, निदेशक, एएमसीएस प्राइवेट लिमिटेड ने सभी प्रतिभागियों का जन सुनवाई बैठक में स्वागत किया। उन्होंने सभी लोगों, जिनमें वर्तमान भूमि मालिक, पंचायत सदस्य और प्रशासन शामिल हैं, को धन्यवाद दिया जिन्होंने सर्वेक्षण टीम को सहयोग और समर्थन प्रदान किया था जब वे गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अध्ययन के लिए डेटा संग्रह कर रहे थे। जन सुनवाई में सभी प्रतिभागियों को SIA अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।
2. श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना का संक्षिप्त विवरण दिया और प्रतिभागियों से इस प्रस्तावित परियोजना और भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सभी विचार और सुझावों को दर्ज किया जाएगा और उचित प्रशासनिक स्तरों पर विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
3. श्री साजी सैम्पूल, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रोजेक्ट), ANIIDCO ने जन सुनवाई बैठक में सभी का स्वागत किया। उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ANIIDCO द्वारा लागू की जा रही प्रमुख परियोजनाओं का विवरण दिया, जिसमें एक ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), टाउनशिप विकास, पावर प्लांट और ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड शामिल हैं।
4. श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे, ने सभी प्रतिभागियों को बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और परियोजना पर सभी आपत्तियाँ, दावे और सुझावों का स्वागत किया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे भूमि मालिक के रूप में, जिनकी भूमि प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित की जानी है, और साथ ही क्षेत्र के पंचायत राज संस्था के एक सदस्य के रूप में भी अपनी राय साझा करेंगे। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) के लिए बड़े योजनाएँ बनाई हैं और कई बड़े विकास परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में ये परियोजनाएँ द्वीपवासियों के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एक भूमि मालिक और द्वीप के स्थानीय निवासी के रूप में, उनके कुछ साझा चिंताएँ थीं जिन्हें वे सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि परियोजना के लिए कौन सी विशेष भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उस भूमि के लिए कितनी मुआवजा राशि दी जाएगी, पेड़-पौधों, भवनों और अन्य संपत्तियों के लिए क्या मुआवजा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दरें पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और सभी को गांवों की भूमि के सर्कल रेट्स के बारे में जानकारी है। उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित भूमि मालिकों से यह पूछा कि उनके अनुसार इन सर्कल रेट्स की कीमतें कितनी उचित/पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास कोई टिप्पणी हो तो वे सामने आकर इसे साझा करें ताकि उनकी माँगों को सरकार के उचित प्राधिकरणों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह पुनः कहा कि भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए मुआवजे पर एक सहमति बननी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के उचित प्राधिकरणों को लोगों की इच्छाओं के अनुसार उचित मुआवजे का निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में द्वीप पर मूल बसने वालों की तीसरी या चौथी पीढ़ी रह रही है। इन सभी वर्षों में, द्वीपवासियों ने अपनी भूमि को विकसित करने और उसे लाभकारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने जन सुनवाई में उपस्थित भूमि मालिकों से यह सवाल किया कि क्या वे अपनी भूमि और संपत्तियों के लिए घोषित मुआवजे से संतुष्ट हैं, जो परियोजना के कारण प्रभावित होने वाली हैं। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) में इतने सारे विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से भविष्य की पीढ़ियों के लिए कई अवसर पैदा होंगे, जिनमें – रोजगार, व्यवसाय, नौकरियाँ आदि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि, कैपबेल बे तहसील के कई निवासी द्वीप छोड़ चुके हैं क्योंकि यहां पर अवसंरचना की सुविधाएं खराब हैं, उचित और उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी है, चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं, आदि। हालांकि, जब विकास परियोजनाएं लागू होंगी, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह निश्चित रूप से सुविधाओं में सुधार करेगा, जो द्वीपवासियों को यहां रहने के लिए प्रेरित करेगा। हमें सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष मौद्रिक पैकेज की मांग करनी चाहिए। केवल भूमि का मौद्रिक मुआवजा भविष्य में हमारे जीवन को असुरक्षित बना देगा, क्योंकि हमारी भूमि का स्वामित्व दशकों से स्थिर रहा है और परिवार के सदस्य/हकदारों की संख्या बढ़ी है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो राशि आएगी, वह बहुत कम होगी और समय के साथ जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को हमें ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि देनी चाहिए, साथ ही भविष्य की जरूरतों के लिए उस भूमि को विकसित करने के लिए पैकेज के तहत पैसा भी देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक भूमि खोने वाले परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, जब भी परियोजना के तहत कोई व्यवसायिक अवसर उत्पन्न हो, तो स्थानीय लोगों, विशेष रूप से भूमि खोने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, भविष्य में विकास परियोजनाओं के लिए फिर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और हमें, भूमि मालिकों को, एकजुट होकर उचित मुआवजे की मांग करनी चाहिए ताकि भविष्य में हम असुरक्षित न रहें।

5. श्री पार्शुराम सिंह, भूमि मालिक ने कहा कि हम सभी अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं और हम अपने क्षेत्र में विकास कार्य के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, चूंकि हम भूमि मालिक हैं, हम ही यह निर्णय लेंगे कि हम अपनी भूमि सरकार को किस दर पर देंगे। भारतीय मुख्य भूमि के विभिन्न शहरों और यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर में भूमि की दरें ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) में सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट से कहीं अधिक हैं। हम सरकार से हमारी भूमि के बदले निम्नलिखित मांग करते हैं:

- हमारी भूमि के लिए सबसे उच्च मुआवजा दर।
- सभी भूमि खोने वालों को कम से कम 3 एकड़ भूमि दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, जो उसकी उम्र और योग्यता के अनुसार हो।
- परियोजना के तहत काम आवांछित करने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपरोक्त सभी मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए, तभी हम अपनी भूमि परियोजना के लिए देंगे, अन्यथा हमें अपनी भविष्य सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाने होंगे।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम, ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक भूमि मालिक को मिलने वाला मुआवजा वर्तमान कानून के अनुसार होगा। सरकार मुआवजे की घोषणा मानदंडों के अनुसार करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को पूरी न्यायसंगत स्थिति मिले। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मुआवजे की अतिरिक्त मांगें हों, वे मौजूदा कानून में दिए गए मुआवजे से अलग हों, तो उन्हें लिखित रूप में प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे के कार्यालय के माध्यम से एक संयुक्त पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. श्री सेल्वा बालन, भूमि मालिक, विजय नगर, ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। हालांकि, सरकार को हमें परियोजना के कारण होने वाले नुकसानों का उचित मुआवजा देना चाहिए। पेड़ों के लिए जो मौजूदा मुआवजा दर निर्धारित की गई है, वह अपर्याप्त है। वर्षों से, हमने अपनी जीविका के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हम उन लोगों के लिए घर की मांग करते हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए दुकान की मांग करते हैं जो अपनी दुकान खो देंगे और अधिगृहीत भूमि के बदले भूमि की मांग करते हैं। परियोजना के तहत जो भी नौकरियाँ/ठेके निकलेंगे, उसमें बसने वाले परिवारों के लिए कोटा आरक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम यहाँ 50-55 वर्षों से रह रहे हैं और हमें बहुत तनाव का सामना करना पड़ा है। अब जब हमारे क्षेत्र के लिए विकास की योजना बनाई जा रही है, तो हमें इसका हिस्सा होना चाहिए।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक भूमि मालिक को मिलने वाला मुआवजा वर्तमान कानून के अनुसार होगा। सरकार मुआवजे की घोषणा मानदंडों के अनुसार करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को पूरी तरह से न्याय मिले। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मुआवजे की अतिरिक्त मांगें हों, जो वर्तमान कानून में दिए गए मुआवजे से

अलग हों, वे लिखित रूप में प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे के कार्यालय के माध्यम से एक संयुक्त पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. श्रीमती टी. वृन्दा, भूमि मालिक, विजय नगर ने कहा कि द्वीपवासियों ने अपनी भूमि को विकसित करने और उसे लाभकारी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि हम में से अधिकांश के पास ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो हमें नियमित और सुनिश्चित आय प्रदान कर सके। यदि हमारी भूमि हमसे ले ली जाती है, तो हम अपनी आय के स्रोत को खो देंगे। इसलिए, हम निवेदन करते हैं कि हमें परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि प्रदान की जाए।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैपबेल बे ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक भूमि मालिक को मिलने वाला मुआवजा वर्तमान कानून के अनुसार होगा। सरकार मुआवजे की घोषणा मानदंडों के अनुसार करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को पूरी तरह से न्याय मिले।

8. श्री अजैब सिंह, भूमि मालिक, लक्ष्मी नगर ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार हमारे द्वीप में विकास कार्यों की योजना बना रही है। हम पहले कई चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। पहले, खराब कनेक्टिविटी के कारण हम अपनी खेतों में उगाई गई सब्जियाँ भी नहीं बेच पाते थे। हमें जहाजों के द्वीप पर आने का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। इसलिए, अब जब इस स्थिति को बदलने की योजना बनाई जा रही है, तो बसने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम निवेदन करते हैं कि हमें परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम जो पेड़ लगाए हैं, उन्हें फल देने में काफी समय (लगभग 7 साल) लगता है। इन पेड़ों को फल देने की अवस्था में लाने में बहुत समय, पैसा और श्रम लगता है। हमारे पास भारत मुख्य भूमि में भूमि नहीं थी, और हम केवल भूमि के लिए पंजाब से यहाँ आए थे, जो सरकार ने बसने वालों को दी थी। अब सरकार हमारी भूमि लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के लिए निर्धारित मुआवजा दर, जो लगभग ₹6,000 प्रति पेड़ है, वह अपर्याप्त है।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक भूमि मालिक को मिलने वाला मुआवजा वर्तमान कानून के अनुसार होगा। सरकार मुआवजे की घोषणा मानदंडों के अनुसार करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को पूरी तरह से न्याय मिले।

9. श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे ने कहा कि औसतन, एक नारियल का पेड़ उगने और फल देने में लगभग 7 से 9 साल का समय लेता है। अनुमान है कि एक नारियल का पेड़ लगभग 75 साल तक फल देता है। अब, चलिए हम 1 नारियल के पेड़ से कुल आय का हिसाब लगाते हैं। औसतन, 1 नारियल का पेड़ एक साल में लगभग 100 नारियल देता है। यदि 1 नारियल का औसत विक्रय मूल्य ₹20/- लिया जाए, तो 1 नारियल का पेड़ एक साल में ₹2,000/- कमाएगा। इस दर से, 75 साल में 1 नारियल का पेड़ ₹2,000/- x 75 = ₹1,50,000/- कमाएगा। भले ही नारियल के विक्रय मूल्य में 75 सालों में कोई वृद्धि न की जाए, तब भी 1 नारियल का पेड़ मालिक को ₹1.50 लाख देगा। हालांकि, वर्तमान में सरकार द्वारा 1 नारियल के पेड़ के लिए जो मुआवजा दर प्रस्तावित की गई है, वह केवल ₹5,000/- के आसपास है, जो

न्यायसंगत नहीं है। 1 नारियल के पेड़ के लिए मुआवजा दर कम से कम ₹75,000/- होनी चाहिए। इसी प्रकार, अन्य प्रकार के पेड़ों के लिए भी उनके जीवनकाल और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दरें तय की जानी चाहिए। हाल ही में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर भूमि के सर्कल रेट को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है, लेकिन कैपबेल बे के किसी भी क्षेत्र में भूमि के सर्कल रेट का संशोधन नहीं किया गया है। हमें लगता है कि सरकार ने जानबूझकर कैपबेल बे की भूमि के सर्कल रेट को संशोधित नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर उसे जीएनआई में विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान भूमि मालिकों को अधिक मुआवजा देना पड़ता।

श्री सी.एस. पिल्लई, तहसीलदार, कैपबेल बे ने जवाब दिया कि भूमि के सर्कल रेट अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि जीएनआई के वर्तमान भूमि मालिकों को लगता है कि जीएनआई की भूमि के सर्कल रेट में संशोधन की आवश्यकता है, तो उन्हें सरकार को एक सामूहिक प्रस्तुति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसे सरकार के उचित स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

10. श्रीमती एस. पापूफेल्ली, भूमि मालिक, विजय नगर ने कहा कि हमें परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, यदि किसी का घर खो जाता है, तो एक घर बनाकर मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। पेड़ों के लिए उचित मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हमें अपनी कृषि फसलों जैसे नारियल, आम, केला, काजू आदि के लिए नर्सरी सहायता की आवश्यकता है। सरकार का कृषि विभाग हमें यह सहायता प्रदान करे। श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे ने भी वही मुद्दे उठाए।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने सहमति जताई कि यह सुझाव अच्छा है और इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा हल किया जाना चाहिए।

11. श्रीमती प्रियंका जेम्स, पंचायत राज संस्थान सदस्य, लक्ष्मी नगर ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है और लोगों को भारत मुख्य भूमि की तरह ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें संबंधित लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह मूल बसने वालों की तीसरी पीढ़ी से हैं, जो इस द्वीप पर आए थे। उन्होंने कहा कि नारियल के पेड़ उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा हैं, जैसे बैंक में रखी गई फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान भी हम इन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, ताकि हम उनके फल बेचकर कुछ आय प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के तहत रोजगार उन परिवारों को दिया जाना चाहिए, जो अपनी भूमि खो रहे हैं, और यह उनके योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो परियोजना के लिए अपनी भूमि खो देंगे।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने सहमति जताई कि यह सुझाव अच्छा है और इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा हल किया जाना चाहिए।

12. श्री एस. अयप्पन, पंचायत राज संस्थान सदस्य, गांधी नगर ने कहा कि गोविंद नगर के कई प्लॉट नंबरों का उल्लेख उस सूची में नहीं किया गया है, जिसमें उन प्लॉटों के सर्वे नंबर दिए गए हैं, जो प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित हैं। क्या उन भूमि के प्लॉटों को सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाएगा या नहीं?

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने स्पष्ट किया कि जिन नामों का वर्तमान में सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉटों के सर्वे नंबरों की सूची में उल्लेख किया गया है, वह योजना के तहत हैं। वर्तमान में, प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि के प्लॉटों के अधिग्रहण का कोई अधिसूचना नहीं है।

13. श्री एन. किरण, भूमि मालिक, गांधी नगर ने कहा कि प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए लगभग पूरा गांधी नगर गांव की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इसके अलावा, सड़क परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण गांधी नगर में विभिन्न प्लॉटों को इस प्रकार प्रभावित कर रहा है। क्या सड़क परियोजना के लिए गांधी नगर के प्लॉटों को अधिग्रहित करना आवश्यक था?

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम ने स्पष्ट किया कि जिन नामों का वर्तमान में सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉटों के सर्वे नंबरों की सूची में उल्लेख किया गया है, वह ही योजना के तहत हैं।

श्री ए.के. बिस्वास, प्रोबेशन अधिकारी, सामाजिक कल्याण निदेशालय, श्री विजयपुरम और श्री ई.एस. राजेश, प्रधान, पंचायत समिति, कैपबेल बे ने जन सुनवाई बैठक में उपस्थित सभी लोगों का उनके उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद किया। 15.07.2025 को लक्ष्मी नगर पंचायत हॉल, ग्रेट निकोबार में आयोजित जन सुनवाई बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची की प्रति परिशिष्ट-20 में दी गई है।

जन सुनवाई बैठक में, सामान्य रूप से, सभी परियोजना से प्रभावित परिवारों के सदस्य जिन्होंने जन सुनवाई में भाग लिया, उन्होंने प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए अपनी भूमि देने पर सहमति जताई, बशर्ते उनकी भूमि और परियोजना के तहत प्रभावित संपत्तियों के लिए उचित और समय पर मुआवजा, उनके द्वारा मांग किए गए अनुसार, उचित दरों पर उन्हें दिया जाए।

अंतिम सिफारिशें एवं निष्कर्ष

11.1 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर SIA टीम की अंतिम सिफारिशें

11.1.1 भूमि अधिग्रहण की शर्तें

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य मार्ग एवं सहायक सड़कों) परियोजना के लिए 6 गांवों में जिस भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है, वह विशेषज्ञों से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तथा कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर चुना गया है, जैसे – न्यूनतम भूमि अधिग्रहण, भूमि का एकरूपता से जुड़ा होना, आदि। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण कर इस परियोजना का निर्माण पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य मार्ग एवं सहायक सड़कों) परियोजना के लिए ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग संभव नहीं है जहाँ कम या किसी अन्य स्थान पर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा सके। परियोजना के पूर्ण होने पर, यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों की नींव रखेगी तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालाँकि, हर स्थिति में सरकार के वर्तमान नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है।

उसी समय, SIA टीम का यह भी मत है कि स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को प्रभावित गांवों में जाकर लोगों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें प्रस्तावित परियोजना के लाभों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। परियोजना के निर्माण से पहले सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार और समुदाय की भागीदारी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ करना न्यायसंगत होगा।

11.1.2 भूमि अधिग्रहण हेतु सिफारिशें

परियोजना की सामाजिक लागतों की तुलना में, परियोजना के पूर्ण होने के बाद समुदाय को मिलने वाले लाभों का आकलन करते हुए, SIA टीम निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत करती है:

- परियोजना उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में निर्धारित मापदंडों को पूरा करती है, जिसमें यह अपेक्षित है कि परियोजना एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती हो और इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जाए।
- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और पर्यावरण पर पड़ने वाली लागतें संभवतः शमन योग्य हैं और पूरी तरह से अपूरणीय नहीं हैं।

- अतः, मांगकर्ता संस्था की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, ताकि परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

हालांकि, भूमि अधिग्रहण निम्नलिखित शर्तों एवं अनुशंसाओं के अधीन किया जाना चाहिए, जो इस रिपोर्ट के सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (Social Impact Management Plan) एवं अन्य संबंधित अध्यायों में उल्लिखित हैं। विकसित किए गए टूल्स के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों, हितधारकों के साथ बैठकों एवं जनसंपर्क के विश्लेषण के उपरांत, SIA टीम द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई हैं:

- ❖ परियोजना प्रभावित परिवारों ने साझा किया कि वे उचित बाजार दर पर मुआवज़ा मिलने की स्थिति में अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं।
- ❖ मुआवज़े की राशि का निर्धारण केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ❖ SIA टीम अनुशंसा करती है कि राजस्व विभाग के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का सीमांकन एवं सत्यापन करें, ताकि निष्पक्ष एवं सटीक मुआवज़ा तय किया जा सके।
- ❖ यदि परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार निर्माण कार्य के दौरान रोजगार लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ❖ परियोजना प्रभावित परिवारों को खड़ी फसल के कुल उत्पादन के अनुसार मुआवज़ा दिया जाना चाहिए या फिर भूमि अधिग्रहण/निर्माण कार्य फसल की कटाई पूरी होने के बाद ही आरंभ किया जाए।
- ❖ एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) तैयार की गई है जिसे क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, परियोजना से प्रभावित परिवारों पर भूमि अधिग्रहण के प्रभावों की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि सकारात्मक प्रभाव अधिक होंगे और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। इन नकारात्मक प्रभावों को सामाजिक प्रभाव शमन योजना के कार्यान्वयन द्वारा कम किया जा सकता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि सामाजिक प्रभाव शमन योजना के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों को कम करके तथा उचित मुआवज़ा/अन्य सहायता प्रदान करके भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

11.2 प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम का अंतिम निष्कर्ष

अत्यंत सीमित रोजगार के अवसर और नई पीढ़ी की ऊँची आकांक्षाओं के बीच टकराव के कारण, ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह (GNI) के युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। स्थानीय लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए GNI की आर्थिक संरचना को पुनर्परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता है। सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और परंपराओं, जनजातीय जीवन की संवेदनाओं तथा क्षेत्र की आकांक्षाओं और संभावनाओं का ध्यान रखते हुए, GNI के लोगों को समावेशी विकास और प्रगति के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता।

निश्चित ही, कोई भी विकास गतिविधि जो भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हो, स्थानीय निवासियों के बीच प्रारंभिक विरोध झेलेगी — यह विरोध बदलाव के प्रति नहीं, बल्कि अनजाने भय के कारण होता है। GNI के लोग बदलाव चाहते

हैं। वे चाहते हैं कि उनके गांवों का विकास हो और वे जीवन में समय-समय पर आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। अब तक की उपेक्षा, जिसने लोगों के मन में संदेह पैदा किया, पूरी तरह निराधार नहीं रही है। खराब सड़कों की स्थिति, अनियमित बिजली आपूर्ति, अत्यंत सीमित चिकित्सा सुविधाएं, उच्च शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों का अभाव, रोज़गार के अवसरों की अनुपस्थिति और विकासात्मक गतिविधियों के प्रति सीमित संपर्क ने स्थानीय लोगों को आशावादी बनाने के बजाय संदेहशील बना दिया है।

अतः यह परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकरणों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे आगे आकर नियमित रूप से स्थानीय लोगों से संवाद करें, उनकी शंकाओं का समाधान करें तथा उन्हें प्रस्तावित कार्यों एवं उद्देश्यों की जानकारी निरंतर रूप से दें। ऐसा करने से आपसी सामंजस्य, सहयोग और लोगों का समर्थन बढ़ेगा और अफवाहों, गलतफहमियों या किसी भी प्रकार की बेबुनियाद आपत्तियों अथवा स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में कोई रुकावट नहीं आएगी।

समृद्धि का पहुँचना ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह (GNI) तक आवश्यक है, और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वे बुनियादी ढाँचे के तीव्र विकास को प्राथमिकता दें ताकि व्यापक उद्देश्य — समृद्ध जीवन, बेहतर जीवन स्तर एवं स्थानीय समुदाय में आत्मसम्मान की वृद्धि — को प्राप्त किया जा सके। केवल इस आधार पर कि विकास आदिवासी जीवनशैली में हस्तक्षेप करेगा या संसाधनों का दोहन होगा, GNI के लोगों को प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और न ही उन्हें उपेक्षित अवस्था में गरीबी, वंचना व शोषण झेलने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अतः यह बिना किसी संदेह के निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुख्य एवं सहायक सड़कों सहित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड के निर्माण के लिए 87.7902 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण सभी हितधारकों के लिए लाभकारी होगा, बशर्ते कि सभी पात्र हितधारकों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए। जब यह प्रस्तावित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड (मुख्य सड़क और सहायक सड़कें) चालू हो जाएगी, तो उससे उत्पन्न लाभों की तुलना में किसी भी हितधारक को होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत नगण्य होगी।

संदर्भ सूची

1. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता (सामाजिक प्रभाव आंकलन एवं सहमति) नियम, 2018
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वसन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वसन तथा विकास योजना) नियम 2018
4. भारत की जनगणना, 2011, पंजीकरण जनरल कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. Indian Village Directory (<https://villageinfo.in/andaman-&-nicobar-islands/nicobars/great-nicobar.html>)
6. Andaman & Nicobar Administration Vision 2030 & 7 Year Strategy 2017-2024 Andaman & Nicobar Island by Planning Department, Andaman & Nicobar Administration
7. The Problematics of Tribal Integration Voices from India's Alternative Centers, Edited by Bodhi S.R. and Bipin Jojo
8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956
9. अंडमान और निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट (<https://andaman.gov.in>)

Photo Gallery















DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (PHASE-I)**AT GOVIND NAGAR VILLAGE (55 Meter Road)**

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	i) Gurmeet Singh Passi & 4 Others. (93/2) ii) Govt. Revenue Dept. (93)	93	3.5216	--	
2.	Shri. Shiv Singh, S/o Chand Singh	182	0.2642	P-I	
3.	Shri. Shiv Singh, S/o Chand Singh	186	0.2491	P-I	
4.	Shri Chain Singh & 3 Others	195	0.3435	P-I	
5.	Shri Chain Singh & 3 Others.	197	0.0567	Hilly	
6.	Shri. Joginder Singh, S/o Bhagawan Singh	199	0.2325	P-I	
7.	Smti Suryakala Babu, D/o Babu	205	0.5680	P-I	
8.	Smti Suryakala Babu, D/o Babu	207	0.0140	Hilly	
9.	Shri. Mohender Singh, S/o Balla Singh	209	0.7722	P-I	
10.	Shri Ranjit Singh 212/1 S/o Late Mangal Singh Shri Balkar Singh Late Mangal Singh 212/2 S/o Late Mangal Singh Shri Gulzar Singh 212/3 S/o Late Mangal Singh Shri Kartar Singh 212/4 S/o Late Mangal Singh	212	1.1698	P-I	
11.	Shri. Ajit Singh, S/o Guru Bhachan Singh	220	0.4180	P-I	
12.	Shri. Ajit Singh, S/o Guru Bhachan Singh	222	0.7121	P-I	
13.	Shri. Ajit Singh, S/o Guru Bhachan Singh	224	0.6644	Hilly	
14.	Salomi Kujur & 4 Ors.	239	0.0100	Hilly	
15.	i) Harcharan Singh & 3 Others (240/2) ii) Govt. Revenue Dept. (240/1)	240	0.5657	Hilly	
16.	Shri. Pawan Kumar Sharda & 4 Others	242	0.1174	P-I	
17.	Shri. Pawan Kumar Sharda & 4 Others	243	0.3030	P-I	
18.	Shri. Pawan Kumar Sharda & 4 Others	244	0.0700	Hilly	
19.	Salomi Kujur & 4 Others	247	1.1635	P-I	
20.	Shri. Tara Singh Pabla S/o Harnam Singh Pabla	248	0.3346	P-I	
21.	i) Jose M.C, S/o. Late. Chako (249/1) ii) Joginder Kaur, W/o. T S Pabla (249/2)	249	0.7272	P-I	
22.	Shri. Jose M.C, S/o Late Chako	250	0.1885	P-I	
23.	Smti. Joginder Kaur, W/o. T S Pabla	284	0.0162	Hilly	
24.	Shri. Dalwinder Singh Toor S/o Gurnam Singh Toor	300	0.1340	P-I	
Grand Total			12.6162		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (PHASE-I)**AT JOGINDER NAGAR VILLAGE (55 Meter Road)**

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	Smti. Surinder Kaur W/o. Late. Arjun Singh	238	0.3680	P-I	
2.	Shri. Balbir Singh & 3 Others (245/1) Govt. Rev. Land (245/2 & 245/3)	245	0.2990	P-I	
3.	Shri. Nachattar Singh & 2 Others S/o Late Tej Kaur	246	0.4952	P-I	
4.	Shri. Amarjit Singh S/o Late Hazura Singh	253	0.4664	P-I	
		254	0.4642	P-I	
		256	0.0208	P-I	
Grand Total			2.1136		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (PHASE-I)**AT VIJAY NAGAR VILLAGE (55 Meter Road)**

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	Huchiraiah, S/o Chidanandaiah	28	0.5326	P-I	
2.	N Rupabati, W/o. K N. Shetty	35	0.6233	P-I	
3.	Shri Raja Gopalan & 5 Others	39	0.1696	P-I	
4.	Saraswati Amma, K G P Kanial	53	0.6660	P-I	
5.	Selva Raj	170	0.5466	P-I	
6.	Bhagyawathi, D/o Indirani	181	0.6551	P-I	
7.	S Baby & 3 Others	183	0.3304	P-I	
8.	S Baby & 3 Others	186	0.1437	P-I	
9.	Kamala Valli, Late Rama Swamy	245	0.3762	P-I	
10.	R Laxmi, Late R P Rajan	283	0.7348	P-I	
11.	Lalitha Sharma, Omkar Dutt	537	1.1872	P-I	
12.	D Rajalu	537	0.0463	P-I	
Grand Total			6.0118		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (PHASE-I)**AT LAXMI NAGAR VILLAGE (55 Meter Road)**

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	Shivaji Khar Sagar	6	0.0098	P-II	
2.	Bachiya Devi, W/o Shiv Bachan Singh	7	0.1098	P-II	
3.	Shri Madanlal Khedla & Others	8	0.2338	P-II	
4.	K P Shakhare, S/o P Shakhare	19	0.0823	P-II	
5.	R M Kasi Viswanathan S/o Rama Swamy Pillai	20	0.1663	P-II	
6.	Sudam Ingle & 1 Other	33	0.1030	P-I	
7.	Smti. Chaya Khedkar & 1 Other	46	0.0422	P-I	
8.	Ganghu Bai Bankar & 5 Others	49	0.4474	P-I	
9.	S M Chadda, S/o M M Chadda	52	0.2659	P-I	
10.	Shri. Ashok Kumar Sadhu S/o Late L S Sadhu	81	0.6561	P-I	
11.	Ramkali Devi, Late S R Rawath	82	0.0827	P-I	
12.	A G Band, S/o Gulab Rao	85	0.5407	P-I	
13.	A G Band, S/o Gulab Rao	87	0.2377	P-I	
14.	Sharad Bhide, S/o Maheswar	109	0.2342	P-I	
15.	Chandra Kala W/o Late Uttam Rao Aher	111	1.0341	P-I	
16.	Shri. S Surender & 11 Others	133	0.0490	P-I	
17.	Hanumanth Wagh & Others	139	0.0760	P-I	
18.	Rajendran & Others	140	0.0325	P-I	
19.	Rajesh Chadda, S/o Late N M Chadda	280	0.5966	P-II	
20.	R Bethuraj, Late A P Rathinam	285	0.3553	P-II	
Grand Total			5.3554		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (PHASE-I)**AT GANDHI NAGAR VILLAGE (55 Meter Road)**

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	Raphel Minj D/o Sobra Minj	16	0.0508	P-II	
2.	Johani Toppo & 6 Others S/o Late. Ignis Lakra	18	0.2658	P-II	
3.	Dasmanoranjana, S/o Ranganathan	19	0.2681	P-II	
4.	Mickal Lakra, S/o. Silvanus Lakra	22	0.0310	P-II	
5.	Lachmi Devi & 5 Others	24	0.0393	P-II	
6.	Ammakannu & 5 Others	29	0.0027	P-II	
7.	Dasmanoranjana, S/o Ranganathan	32	0.0064	P-II	
8.	Ashok Tigga, S/o Kamil Tigga	65	0.5269	P-II	
9.	Margaret Lakra, Late Francis	67	0.1223	P-II	
10.	Raphel Minj, D/o Sobra Minj	70	0.0953	P-II	
11.	Johani Toppo & 6 Others W/o Late Ignis Laka	71	0.1238	P-II	
12.	Omkar Duhth, S/o Ram Saran	73	0.0953	P-II	
13.	Lundra Ram, S/o Lagnu Ram	74	0.1088	P-II	
14.	Mickal Lakra, S/o Silvanus Lakra	76	0.1032	P-II	
15.	Lachmi Devi & 5 Others D/o Late Chander Singh	78	0.1113	P-II	
16.	Santosh Devi & Others	80	0.0957	P-II	
17.	S Uday Kumar, S/o Late Sarguru	81	0.0953	P-II	
18.	Ammakannu & 5 Others W/o K G Balakrishnan	83	0.0634	P-II	
19.	S Ravi, S/o Shanmugha Pillai	85	0.0484	P-II	
20.	Satyanathan, S/o Gunaratnam	87	0.0503	P-II	
21.	Masih Lugun, S/o Y M Lugun	89	0.1078	P-II	
22.	Thanaji Jattar & 1 Other	92	0.1104	P-II	
23.	S M Chadda, S/o M M Chadda	93	0.0800	P-II	
24.	Surender Kaur & 8 Others	96	0.0715	P-II	
25.	Safiya Bibi, Late Abdul Desai	97	0.0570	P-II	
26.	R B Sanas, S/o Baboo Rao	100	0.0821	P-II	
27.	Bimal Kaur & 3 Others	101	0.1008	P-II	
28.	Ashok Kumar Singh S/o Late Nanak Singh	106	0.1178	P-II	
29.	Shri. John Mathew, S/o. K.C. Mathew	111	0.0092	P-I	
30.	Shri. Kumara Swamy S/o. Punnuswamy Pandaram	115	0.0098	P-II	
31.	R Damodharan S/o Ramalinga Gounder	118	0.0139	P-II	
32.	i) President Ex Serviceman Association ii) Chairman State Social Welfare Board	119	0.0064		
33.	Annathai, Late N Shanmugham	121	0.0152	P-II	
34.	N M Sarasu, Late C Munnuswamy	122	0.0212	P-II	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
35.	Santosh Mary & 11 Ors.	125	0.0118	P-II	
36.	M/s. Gein Granities Karnataka No. 59, Cathedral Road	126	0.0100	P-II	
37.	Elan Shekaran & Ors.	129	0.0115	P-II	
38.	K S Jayaraman S/o Sada Siva Mudaliyar	130	0.0153	P-II	
39.	A Vedamuthu, S/o Tyavi	133	0.0169	P-I	
40.	Manjula & Others	136	0.0124	P-II	
41.	Shri. E.S. Rajesh, S/o. Late. E. Selvaraj	137	0.0114	P-II	
42.	Shri. E.S. Rajesh, S/o. Late. E. Selvaraj	142	0.0234	P-II	
43.	K Pitachi, S/o Late Karpaiah	145	1.1100	P-II	
44.	Shri. E.S. Rajesh, S/o. Late. E. Selvaraj	156	0.5885	P-II	
45.	Philisita Beck & 4 Others	219	0.0012	P-I	
46.	Shri. S Ayyappan, S/o M Sireenivasan	220	0.0333	P-I	
47.	Filaman Tirkey, S/o Sani Tirkey	222	0.0761	P-I	
48.	Lazarus Xalxo, S/o Pumai Xalxo	224	0.1384	P-I	
49.	E C Damodharan, S/o Cheeran Kunju	225	0.1704	P-I	
50.	V K Raghavan, S/o Velutha Kunju	228	0.1222	P-I	
51.	B P Vijayan Pillai S/o Late Bhaskaran Pillai	230	0.1430	P-I	
52.	S Vijay Kumar S/o Late K P S Pillai	232	0.1352	-	
53.	P K Narayanam, S/o. Raman	234	0.1382	P-I	
54.	Ramachandra Kurup S/o. Madhavan Pillai	235	0.1462	P-I	
55.	Srimata Amma Late P Padmanabhan Nair	238	0.1534	P-I	
56.	i) V K Raghavan (240/P) S/o Velutha Kunju ii) Dilip Kumar Sikdar D/o Nagen Sikdar (240/P/1)	240	0.6631	P-I	
57.	B P Vijayan Pillai S/o Late Bhaskaran Pillai	242	0.1970	P-I	
58.	i) Sanja Devi (248/1) w/o late. Dhani Ram ii) Govt. (248/2)	248	0.7381	Hilly	
59.	Sanja Devi, W/o. Late. Dhani Ram	249	0.0061	Hilly	
60.	Shri. Gulzara Singh, S/o. Tayil Singh	252	0.2258	P-I	
61.	i) Jaswant Singh (273/1) S/o Banta Singh ii) Shri Sukhdev Singh (273/2) S/o Late Banta Singh	273	0.0200		
62.	Thanaji Jattar & 1 Other	282	0.9571	P-I	
63.	S M Chadda, S/o M M Chadda	281	0.4551	P-I	
64.	Surender Kaur & 8 Others	347	1.1430	P-I	
65.	D K Sassani	350	0.4729	P-I	
Grand Total			11.0542		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT CAMPBELL BAY VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	PARISH PRIEST CATHOLIC CHURCH GOVT. REVENUE DEPT.	19 19/P	0.0047	H/Site H/Site	
2.	GOVT. REVENUE DEPT. DURGAMMA (94) W/o APPANNA V. GURULU, S/o V. ERIAH B CHANDRA SEKHAR, S/o B MUSLIAH	23/1 23/1/P 23/2 23/3 23/4	0.0209	H/Site - H/Site H/Site H/Site	
3.	PRESIDENT OF GURUDWARA COMMITTEE	45	0.0091	H/Site	
4.	NIRANJAN SINGH, S/o BAHADUR SINGH	58	0.0004	Comm.	
5.	GURNAM SINGH TOOR S/o BASAVA SINGH	65	0.0019	Comm.	
6.	MANISH CHADDA, S/o S.M. CHADDA	67	0.0009	Comm.	
7.	OMKAR DUTT & 3 OTHERS S/o & D/o LT RAM SARAN	68	0.0088	Comm.	
8.	GOVT. REVENUE DEPT. LAKSHMI NARAYAN, S/o RAJAN S. YERRAIAH, S/o NARGAIAH	69 69/4 69/5	0.0602	H/Site H/Site H/Site	
9.	GOVT. (Sy. Nos. 86/1, 86/1/1 to 86/1/10, 86/2, 86/2/4, 86/3 to 86/6, 86/8, 86/11, 86/12 & 86/15 total area 60.4987 ha.) NICOBARES CHURCH (area 2.00 ha.)	86/8/1	- 0.6839	(Hilly H/Site Comm. Others) H/Site	
10.	GOVT. (Sy. Nos. 95/1 to 95/6, 95/9, 95/12 to 95/14 total area 33.8455 ha.) OMKAR DUTT & 3 OTHERS S/o & D/o LT RAM SARAN (Area 1.75 ha.) MAYARANI BHOWAL, W/o R.B. BHOWAL (Area 0.0250 ha.)	95/12 95/8	- 2.2758 -	(Hilly H/Site Others) P-II H/Site	
11.	PRESIDENT MURUGAN TEMPLE COMMITTEE	106	0.2413	H/Site	
12.	PERIASWAMY, S/o PERRAIYAH GOVT. REVENUE DEPT. RAJESH CHADDA, S/o N.M. CHADDA N THANGARAJ, S/o M NARAYANAN P V MARIKARASU, S/o VELLAIYAN VANATHA RAJESH, W/o E.S. RAJESH	116 116/1 116/2 116/3 116/6	0.0390	H/Site H/Site H/Site H/Site H/Site	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
13.	GOVT. REVENUE DEPT. K.C. MURGAN MANAGING DIRECTOR KCM BUILDERS & CONSTRU PRIYASA EKKA D/o LATE VINCENT EKKA	118/1 118/2 118/3	0.0588	H/Site H/Site H/Site	
14.	GOVT. REVENUE DEPT. GRAM PANCHAYAT, CAMBELL BAY K JOHN RAJ, S/O KARUPPAIAH E.S. RAJESH, S/o E. SELVARAJ VANATHA RAJESH, W/o E.S RAJESH	129/1 129/1/2 129/2 129/3 129/4 129/5 129/6 129/7	0.0877	H/Site Others H/Site H/Site H/Site H/Site H/Site H/Site	
15.	JODH SINGH, S/o HARNAM SINGH	135	0.0015	Comm.	
16.	S.S. PATANIA	136	0.0013	Comm.	
17.	D. JAYANAMAN, S/o LATE DURAISWAMY	138	0.0011	Comm.	
18.	CHARAN KAUR & 7 OTHERS W/O LATE GULZARA SINGH	139	0.0032	Comm.	
19.	PRESIDENT SREE KRISHNA TEMPLE COMMITTEE	141	0.0044	H/Site	
20.	SURJEET SINGH GREWAL & 1 OTHER S/o LATE G.S. GREWAL GURDEV KAUR & 2 OTHERS W/o & D/o LATE MANJIT SINGH	146	0.0020	Comm.	
21.	CAPT. PYARA SINGH, S/o RAJJA SINGH	148	0.0020	Comm.	
22.	JASPAL SINGH, S/o LATE RAM SINGH	149	0.0017	Comm.	
23.	SURINDER KAUR & 4 OTHERS W/o LATE SUKHWINDER SINGH	150	0.0009	Comm.	
24.	NACHATTER SINGH & 6 OTHERS S/o LATE AJIT SINGH	151	0.0005	Comm.	
25.	ANTONEY, S/o THOMAS	166	0.0004	Comm.	
26.	PRESIDENT CONGRESS COMMITTEE C/BAY GOVT. REVENUE DEPT. REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETY DIST. ADMINISTRATION	172 172/1 172/4 172/2 172/3	0.0201	H/Site H/Site Others H/Site H/Site	
27.	AVTAR SINGH KHLON SURENDER SINGH KHLON S/o LATE G.S. KHLON	174	0.0023	Comm.	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
28.	PARGAT SINGH, S/o MANJIT KAUR	209	0.0020	Comm.	
29.	T. MOKALINGAM, S/o LATE T. NARAYAN	210	0.0020	Comm.	
30.	DILIP SINGH, S/o DAM SINGH	211	0.0044	Comm.	
31.	KAHAN SINGH, S/o JODHU SINGH PARAMJIT SINGH, S/o SAROOP SINGH	214 214/P	0.0009	H/Site H/Site	
TOTAL			0.4654		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT GOVIND NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	GURUCHARAN RAM S/o LT JATU RAM	9	0.0547	Hilly	
2.	Sanjay Ekka, S/o Lt Markus Ekka	12	0.0847	Hilly	
3.	LILY EKKA, PARKASH TIRKEY	17/2	0.0105	P-I	
4.	ILIAS TIRKEY S/o WINCENT TIRKEY	25 83	0.0848 0.1854	P-I Hilly	
5.	DUKHIYA RAM LAKHMARI BAI SOBNATH RAM DOGEE BAI S/o, D/o LT. SATHLU RAM JAGDISH RAM S/o LT. ABASWAR RAM	26	0.1858	P-I	
6.	C L VERMA, S/o R L VERMA	44	0.0636	H/Site	
7.	NIMON EKKA TERESA TOPPO SARITA TOPPO ANITA TOPPO VICTORIA TOPPO MICHAEL TOPPO VIJAY TOPPO W/o, S/o, D/o LT. RAPHEL TOPPO	45 46 54/2	0.0320 0.0431 -	Hilly P-I Hilly	An area 0.2324 hec affected from Sy. No. 54. Sub-Division map is not available in this office.
8.	NIMON EKKA TERESA TOPPO SARITA TOPPO ANITA TOPPO VICTORIA TOPPO MICHAEL TOPPO VIJAY TOPPO W/O, S/o, D/o LT. RAPHEL TOPPO APWD	55/1 55/2	- -	Hilly Hilly	An area 0.0102 hec affected from Sy. No. 55. Sub-Division map is not available in this office.
9.	SHRI S K DEY S/o LATE K. N. DEY	48 51	0.0324 0.0308	P-I Hilly	
10.	ALVIS KINDO S/o DIVA KINDO	68 72 89	0.1672 0.1383 0.0723	P-I P-I Hilly	
11.	ASHOK BISWAS S/o S BISWAS	74/1 88	0.1910 0.0871	P-I Hilly	Sub-Division map is not available in this office.
12.	ASHOK BISWAS, S/o S BISWAS KIRAN DHALI, W/o S K DHALI	76/1 76/2	0.1687	P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
13.	DUKHIYA RAM LAKHMARI BAI SOBNATH RAM DOGEE BAI S/o & D/o LT SATHLU RAM JAGDISH RAM S/o LATE ABASWAR	85	0.1644	Hilly	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
14.	GURMEET SINGH PASSI JASMEET SINGH PASSI G S PASSI, S/o I S PASSI JASBIR SINGH PASSI SATBIR SINGH PASSI S/o LT BALDEV SINGH PASSI (Recorded area 0.04 hecets.) GOVT. REVENUE DEPT. (Recorded area 35.99 hecets.)	93/2 93	- -	H/Site --	An area 0.1075, 0.0403 & 0.6394 hecets affected from Sy. No. 93. Sub-Division map is not available in this office.
15.	PAWAN KUMAR SHARDA AMARDEEP KUMAR SHARDA G. LAXMI RUPESH KUMAR SHARDA VIRENDER KUMAR SHARDA S/D/W/o LATE RAMNATH	98	0.0430	Hilly	
16.	JOSE M.C, S/o LATE CHAKO	99	0.2023	H/Site	
17.	SURJIT KAUR KULWANT SINGH BHUPINDER SINGH BALWINDER SINGH PARAMJIT KAUR RAJINDER KAUR BALWINDER KAUR CHARANJIT KAUR HARWINDER SINGH PRITHAM KAUR BALBIR SINGH JASWINDER KAUR HARPREET SINGH MALKEET SINGH S/o, D/o MALKIT KAUR	133	0.4818	P-I	
18.	PARAMJEET SINGH S/o LT. GURDEEP SINGH	139	0.2242	P-I	
19.	SHRI PARAMJIT SINGH SHRI MOHINDER SINGH SHRI HERDEEP SINGH S/o LATE SAROOP SINGH	146/2 231	0.4273 0.0096	P-I Hilly	Sub-Division map is not available in this office.
20.	SMTI JAYSHREE SHRI KIRPAL SINGH SMTI NIRMAL KAUR SHRI THIRATH SINGH (381) W/D/S/o LT. MOHINDER SINGH	151 228	0.0041 0.3029	Hilly P-I	
21.	SHRI CHAIN SINGH SHRI BARINDER SINGH SHRI AVTAR SINGH SHRI BALDEV SINGH S/o LATE HARDEEP SINGH	195 319 320	0.1698 0.0295 0.2619	P-I H/Site Hilly	
22.	JOGINDER SINGH S/o BHAGAWAN SINGH	199 322 323 325	0.2632 0.0932 0.0500 0.0459	P-I Hilly H/Site Hilly	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
23.	SMTI SURYAKALA BABU D/o BABU	203 205 326 327	0.0624 0.1907 0.0059 0.1863	P-I P-I H/Site Hilly	
24.	SHRI RANJIT SINGH S/o LATE MANGAL SINGH SHRI BALKAR SINGH S/o LATE MANGAL SINGH SHRI GULZAR SINGH S/o LATE MANGAL SINGH SHRI KARTAR SINGH S/o LATE MANGAL SINGH	332/1 332/3 332/4 332/2	 0.3602 	Hilly Hilly Hilly Hilly	Sub-Division map is not available in this office.
25.	AJIT SINGH S/O GURU BHACHAN SINGH	220 222	0.0780 0.0484	P-I P-I	
26.	KARTAR KAUR D/o JAGJIT SINGH GOVT. REVENUE DEPT.	233/1 233/2	 0.1626 	Hilly P-I	Sub-Division map is not available in this office.
27.	HARCHARAN SINGH PARAMJEET SINGH PARABJODH SINGH SARBJIT KAUR W/o S/o LT GURDEEP SINGH	235	0.3240	Hilly	
28.	HARCHARAN SINGH PARAMJEET SINGH PARABJODH SINGH SARBJIT KAUR W/O S/o LT GURDEEP SINGH GOVT. REVENUE DEPT.	240/2 240/1	 0.1856 	Hilly Hilly	Sub-Division map is not available in this office.
29.	JOSE M.C S/o LATE. CHAKO JOGINDER KAUR W/o T S PABLA	249/1 249/2	 0.2929 	P-I	Sub-Division map is not available in this office.
30.	SUKHWINDER SINGH S/o GURUNAM SINGH	287 290	0.0558 0.3697	P-I P-I	
31.	GURNAM SINGH S/o LT. BIR SINGH	293	0.0051	Hilly	
32.	SARDARA SINGH S/o LT. INDER SINGH	294	0.0025	H/Site	
33.	DALWINDER SINGH TOOR S/o GURNAM SINGH TOOR	295 302	0.0513 0.5552	Hilly P-I	
34.	IQUBAL SINGH S/o DARA SINGH	307 374	0.1316 0.0597	Hilly P-I	
35.	PARGAT SINGH S/o SWARAN SINGH CHOUTHRY	316	0.0947	H/Site	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
36.	VANATHA RAJESH, W/o E S RAJESH	317	0.0304	Hilly	
37.	THIRATH SINGH S/o SWARAN SINGH CHOUTHRY	318	0.1342	Hilly	
38.	MOHENDER SINGH, S/o BALLA SINGH	329	0.1023	Hilly	
39.	SHRI RAJESH CHADDA S/o LATE N. M. CHADDA	336	0.1515	Hilly	
40.	SHIV SINGH, S/o CHAND SINGH	337	0.2271	Hilly	
41.	M/S RAJRANSH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	340	0.1853	Hilly	
42.	JOGESHWAR NATH ARORA S/o HARI NARYAN ARORA	368	0.0376	P-I	
43.	NAVNEET SINGH MANJEET SINGH AVTAR KAUR KUSHWANT KAUR RANJEET KAUR S/o & D/o LT JOGA SINGH KULVINDER SINGH S/o AVTAR SINGH	377/1 377/2	0.0451	P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
44.	PRITPAL SINGH TOOR S/o DALWINDER SINGH TOOR	378	0.0703	Hilly	
45.	SUKDEV SINGH, S/o NAURIA RAM	387	0.5088	P-I	
46.	PERMINDER SINGH TOOR S/o LATE TEJINDER SINGH	442	0.1852	P-I	
TOTAL			9.3059		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR UTILITIES AT GOVIND NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	SHRI CHAIN SINGH & 3 OTHERS	195	0	-	
TOTAL			0		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT JOGINDER NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	AMARJEET KAUR SUKWINDER KAUR GURJEET KAUR D/O LATE KHER SINGH	6 33 99 101	0.2370 0.1048 0.5979 0.1068	HILLY P-I P-I P-I	
2.	BALBIR KAUR W/O AVTAR SINGH	7 24 27	0.3491 0.3380 0.0588	HILLY P-I P-I	
3.	SURJIT SINGH GREWAL GURJEET SINGH GREWAL S/O. LATE G S GREWAL SMTI GURDEV KAUR SMTI PARMINDER KAUR SMTI ROMINDER KAUR H/O. D/O LATE MANJIT SINGH GREWAL AMARJEET SINGH GREWAL S/O LATE G S GREWAL GOVT. REVENUE DEPT.	8/2/1 8/2 8/1	 ---	P-I HILLY	An area of 0.3052 & 0.2205 hec is affected from Sy. No. 8. Sub-Division map is not available in this office.
4.	AMARJEET SINGH GREWAL S/O LATE G S GREWAL	79	0.2293	P-I	
5.	SHRI GURMEET SINGH S/O SHRI KASHMIRA SINGH	12	0.0241	P-I	
6.	SHRI RAJINDER SINGH SHRI PAVITER SINGH S/O LATE JODH SINGH SMTI PARAMJIT KAUR SMTI SANDEEP KAUR H/O & D/O. LATE GURUCHARAN SINGH	14	0.0656	P-I	
7.	KASHMIRA SINGH S/O DILIP SINGH	16	0.0881	P-I	
8.	RANI D/O LATE HARJENDIR SINGH	18 136	0.3144 0.1395	P-I P-I	
9.	JASPAL KAUR W/O RAJENDER SINGH	45 61 286	0.2019 0.4007 0.0373	P-I P-I P-II	
10.	HARDEEP SINGH S/O DAYAL SINGH AMARJIT KAUR BIRENDER SINGH JAGMEET SINGH W/O & S/O LATE JAGMAIL SINGH	46 48 49	0.2026 0.2289 0.1105	P-I P-I HILLY	
11.	JASPAL SINGH S/O LATE RAM SINGH	52	0.0008	HILLY	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
12.	SHRI BIRENDER SINGH SHRI JAGMEET SINGH S/O LATE JAGMAIL SINGH	53 55	0.1632 0.3018	HILLY P-I	
13.	SIKH SANGAT GURUDWARA	67	0.0119	P-I	
14.	SMTI SARDAR KAUR SHRI JAGDISH SINGH SHRI HARMINDER SINGH SHRI RANJIT SINGH SHRI RANDHIR SINGH H/O & S/O. LATE DARA SINGH	80 121 124 125 152	0.3106 0.1572 0.0887 0.0925 0.1013	P-I P-I P-I P-I P-I	
15.	TEHAL SINGH S/O SARDARA SINGH	93 95 157	0.2066 0.0712 0.1031	P-I P-I P-I	
16.	SHRI PRAHLAD SINGH SHRI BALKAR SINGH S/O LATE JAGIR SINGH	133 166 167	0.1195 0.0442 0.0064	HILLY P-I P-I	
17.	SHRI PRAHLAD SINGH SHRI BALKAR SINGH S/O LATE JAGIR SINGH GOVT. REVENUE DEPT.	109 /2 109/1	 0.3582	P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
18.	SHRI TEHAL SINGH SHRI. BIKAR SINGH S/O LATE SARDARA SING	118 128 160	0.2386 0.3264 0.0891	P-I HILLY P-I	
19.	JAGIR SINGH S/O NETHA SINGH GOVT. LAND	131 /2 131	 ---	HILLY ---	An area of 0.5288 hecets is affected from Sy. No. 131. Sub-Division map is not available in this office.
20.	NACHHHATTER SINGH S/O LATE AJIT SINGH SMTI AMARJEET KAUR SMTI AMANDEEP KAUR SHRI DIDAR SINGH SHRI JASMEET SINGH H/O, D/O & S/O. LATE GURNAM SINGH SMTI SAROJ SINGH DEVI NEETU SINGH GURU AVINASH SINGH D/O. & S/O. LATE AVTAR SINGH	134 164 165	0.2455 0.2033 0.0381	P-I P-I P-I	
21.	CAPT PAYARA SINGH S/O SARDAR RAJA SINGH	137 141 151	0.3171 0.4110 0.0916	P-I P-I P-I	
22.	PRAGAS SINGH S/O LATE NIRANJAN SINGH SMTI MALTI DEVI SHRI NIRMAL SINGH JARNAIL SINGH H/O. & S/O LATE BALDEV SINGH	210	0.1165	P-I	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
23.	SHRI SIKANDER SINGH S/O LATE DILIP SINGH BASANTHIA SMTI DAVINDER KAUR H/O LATE DILBAG SINGH	213 11 74	0.1928 0.1521 0.4666	P-I HILLY P-I	
24.	SHRI HARSHWINDER SINGH S/O LATE TULSI RAM SHRI HARMOHINDER SINGH S/O LATE TULSI RAM SUSHEELA MANJIT KAUR KULWINDER SINGH H/O., D/O. & S/O LATE JAGTAR SINGH SHRI BALWINDER SINGH S/O LATE TULSI RAM SHRI PARAMJIT SINGH S/O LATE TULSI RAM SURINDER KAUR D/O LATE TULSIRAM	217 /1 217/2 217/3 217/4 217/5 217/6	 0.1975	P-I P-I P-I P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
25.	SURINDER KAUR W/O LATE ARJUN SINGH	238	0.4027	P-I	
26.	BALBIR SINGH SATNAM KAUR BASSI RESHAM KAUR BASSI SARBJIT SINGH S/O & D/O. LATE UJAGAR SINGH GOVT. REVENUE DEPT.	245 /1 245/2 245/3	0.1042	P-I P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
27.	SHRI NACHATTAR SINGH SMTI NACHATTAR KAUR SHRI NIRANJAN SINGH S/O & D/O. LATE TEJ KAUR	246 30 31 291	0.1409 0.0014 0.1606 0.0070	P-I HOUSE SITE P-I P-II	
28.	SHRI AMARJIT SINGH S/O LATE HAZURA SINGH	278	0.0173	HILLY	
29.	SURINDER KAUR W/O LATE ARJUN SINGH	279	0.0945	HILLY	
30.	SHRI OMKAR DUTT SHRI PRAMOD KUMAR SHRI NEEL KANT SHARMA SMTI HEMASUNDARY S/O. & D/O LATE RAMCHARAN	280 /1	0.1538	HILLY	Sub-Division map is not available in this office.
31.	SMTI HARPAL KAUR W/O LATE BABU SINGH	285	0.5048	P-II	
32.	R K BHAI, S/O LATE K L BHAI	287	0.0837	P-II	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
33.	SHRI OMKAR DUTT SHRI PRAMOD KUMAR SHRI NEEL KANT SHARMA SMTI HEMASUNDARY S/O. & D/O LATE RAMCHARAN	321 /2	0.0683	HILLY	
TOTAL			10.7979		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR UTILITIES AT JOGINDER NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	SURINDER KAUR	238	0.007	-	
TOTAL			0.007		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT VIJAY NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	CHANGAMMA LATE A RAJA GOPAL	7	0.0150	P-I	
2.	SHRI T VINDHAN S/O Late THRUVENGADAM	10	0.0003	P-I	
3.	CHOTA RAI S/O GAYA RAI	12	0.4660	P-I	
4.	SAVITRY DEVI SABHAJIT SMTI SAVITRY DEVI BIRENDER KUMAR REKHA DEVI W/O, S/O. AND D/O. LATE SABHAJIT	18 18/1	0.3630	P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
5.	A SHARDA RIKHY BHADUR SHRI U. SITARAM S/O LATE U. SANYASI	26 241	0.0015 0.3938	P-I P-I	
6.	SHRI D. NAZIBUDEEN SHRI D. ASRAF ALI SMTI ZEENATHAMMAL SHRI D MOHAMMED IBRAHIM SMTI D. NILOFAR NISHA SHRI FAKARUDEEN ALI AHMED	175	0.1978	P-I	
7.	SMTI GOVINDAMMAL H/O LATE B.KRISHNAN INDRANI D/O LATE B.KRISHNAN USHA D/O LATE B.KRISHNAN	176 /1 176 /2 176 /4	0.1258	P-I P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
8.	USHA D/O LATE B.KRISHNAN VIJAYA D/O LATE B. KRISHNAN	259 /1 259/2	0.0277	P-I P-I	Sub-Division map is not available in this office.
9.	J. LILLY BAI S. UGINRAJ SAMPATH KUMAR S. PUPU FELSI S. P. JOTHI RAJ CHITRA MERCY ANDREWS S. ROBERT JEEVA RAJ S. MASILAMANI JAIRAJ H/O LATE J. M. SUNDARAM	178 254	0.2062 0.1200	P-I P-I	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
10.	S BABY S. MANAVALAN S. SIVASANKAR S. PARTHIBAN H/O LATE R. SEKHAR	186	0.2209	P-I	
11.	RAJANGAM, S/O VENKATESH PILLAI	238	0.2194	P-I	
12.	M/S GEN GRANITIES, KARNATAKA	240	0.2664	P-I	
13.	R VALLI, LATE RANGARAJAN	257	0.2116	P-I	
14.	INDIRANI AMMA, M D SUBRAMANIAM	270	0.0242	P-I	
15.	PARWATHI LATE A SAMPATH	279 280	0.0823 0.0066	P-I P-I	
16.	KULVINDER SINGH S/O AVTAR SINGH	299 336	0.2538 0.1555	P-I P-I	
17.	NEKIRAM LAMBA PADMA VOHRA DR S K VOHRA RAVI KANT PASRICHA S/O KAWAL KRISHNAN MADAN LALLCHAWLA	302	0.4987	P-I	
18.	C SUBRAMANIAM S/O M CHINNA SWAMY	311 314	0.2463 0.2137	P-I P-I	
19.	NEEL KANT, S/O RAM SARAN	316	0.1505	P-I	
20.	ROSSAMMA, LATE M MUNNUSWAMY	324	0.1100	P-I	
21.	N MARTIN S/O NATHAN	327 482	0.3577 0.1885	P-I P-I	
22.	SMTI JAYA MEERA SHRI J. JAYA KUMAR D/O J. RANIAMMAL	329 332	0.4363 0.1635	P-I P-I	
23.	SMTI KAVITHA D/O LATE B. BHOOPATHY SMTI KRISHNAVENI D/O LATE B. BHOOPATHY SHRI MURUGAN S/O LATE B. BHOOPATHY	334	0.1463	P-I	
24.	KAMALA AUGASTIN NEELAWATHI D/O AUGASTIN KALISILVI, D/O AUGASTIN PANNEAR SELVAM, S/O AUGASTIN	480	0.1447	P-I	
25.	S MARY, LATE G N ANTONY	483	0.1712	P-I	
26.	DORAI RAJ, S/O DHANAMOORTHY	486	0.1316	P-I	
27.	SOMA SUNDARAM	488 555	0.1119 0.2187	P-I P-I	
28.	NEEL KANT, S/O RAM SARAN	514	0.0857	P-I	
TOTAL			6.7331		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT LAXMI NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	RAMKALI DEVI LATE S R RAWATH	29 208	0.1855 0.0308	P-II P-I	
2.	GRISH JOSHI VINOD KUMAR S/O Lt. VASANT KRISHANA JOSHI	31	0.4139	P-II	
3.	SUDAM INGLE S/O LATE.J.D. INGLE GOPAL CHANDRA SAHA S/O LT. J.M. SAHA	33 35	0.0061 0.7134	P-I P-I	
4.	S M CHADDA S/O M M CHADDA	40	0.3109	P-I	
5.	HANUMANT KOKRE S/O SUKHRAM KOKRE	42	0.2221	P-I	
6.	SMTI CHAYA KHEDKAR H/O MADESH KHEDKAR SHRI SANDESH KUMAR S/O LATE B. N. KHEDKAR	46	0.2306	P-I	
7.	GANGHU BAI BANKAR RAO SAHEB NATHU BANKAR SHIVAJI NATHU BANKAR PANDHARINATH NATHU BANKAR JALINDER NATHU BANKAR RAM KRISHNA NATHU BANKAR S/O M.H BANKAR	49 54 194	0.0415 0.0078 0.0339	P-I P-I P-I	
8.	S M CHADDA S/O M M CHADDA	52	0.2347	P-I	
9.	SHANTA BAI DAN ADAS SUDHAM W/O & S/O LT MM SAKJEAL	53 156	0.2143 0.1141	P-I Hilly	
10.	SMTI CHAMPABAI SHAMRAO BHOSALE, RAKESH SHAMRAO BHOSALE VISHAL SHAMRAO BHOSALE VIVEK PRAKASH BHOSALE H/O LATE SHAMRAO DINKAR BHOSALE DIPALI SURESH BHOSALE DEVESH SURESH BHOSALE D/O LATE SURESH DINKAR BHOSALE RADHA PRAKASH BHOSALE VICKY PRAKASH BHOSALE H/O LATE PRAKASH DINKAR BHOSALE DEEPAK PRAKASH BHOSALE SUNITA SURESH BHOALE REKHA SURESH BHOSALE	55	0.2233	P-I	
11.	SRIRANG KOKRE, S/O S R KOKRE	56	0.4042	P-I	
12.	K P SHAKHARE S/O P SHAKHARE	63 203	0.2193 0.0136	P-I P-I	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
13.	JAYANTI DAIRKAR DILIP KUMAR DAIRKAR SHRI RAJESH CHADDA S/O LATE N M CHADDA	64/P 64/P/1	0.6465	P-I	Sub-Division map is not available in this office.
14.	GRISH JOSHI, VINOD KUMAR S/O Lt. VASANT KRISHANA JOSHI	65	0.2017	P-I	
15.	Shri G.KESHAVAN, S/O R.GANESHAN	101	0.3247	P-I	
16.	Shri G.GOVINDA SWAMY S/O Shree GUNASEKHARAN	104	0.1883	P-I	
17.	NILU KUMARI SINGH, F B SINGH	105	0.1950	P-I	
18.	B R PALVE S/O JANA RAO	106 217	0.0620 0.0158	Hilly P-I	
19.	A G BAND, S/O. GULAB RAO	107 212	0.5154 0.0282	P-I P-I	
20.	SHARAD BHIDE S/O MAHESWAR	109	0.1941	P-I	
21.	SMTI CHANDRA KALA W/O LT UTTAM RAO AHIR	111 195	0.3532 0.0576	P-I P-I	
22.	MUTHULAKSHMI , SUNDARVATHI , MARIAMMAL, D/O LATE S. MOOKAIAH GOVT. LAND	114/1 114/2	0.1071	P-I	Sub-Division map is not available in this office.
23.	N KALAIMAN S/O P S NAGAR	115 116 118 183	0.0263 0.3370 0.0310 0.0594	P-I P-I P-I P-I	
24.	V R PAWAR S/O REGHNMATH PAWAR	123 228	0.6537 0.0004	P-I P-I	
25.	SHRI MADANLAL KHEDLA SMTI LATA SMTI SHANTA BAI SMTI PRABHAWATI SHRI SITARAM S/O & D/O. LATE DURGA PRASAD	124	0.2962	P-I	
26.	HANUMANTH WAGH S/O LATE S S WAGH KAILASH WAGH, S/O LATE S S WAGH SMTI MALAN WAGH, W/O LATE BABINA WAGH SMTI MANJULA WAGH, D/O LATE BABINA WAGH SHRI GANESH WAGH S/O LATE BABINA WAGH	125 127	0.0524 0.2040	P-I P-I	
27.	S U JANJAL S/O VAKARDA	144 146 213	0.2102 0.1086 0.0271	P-I P-I P-I	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
28.	KALAIVASI W/O. JAIPAL R. DHAN LAKSHMI TEJESH KUMAR R PRAVEEN KUMAR W/O, S/O LATE RAVI KUMAR	155 180	0.0619 0.0016	Hilly P-I	
29.	AKKA BAI LATE S R KOKRE	179	0.0244	P-I	
30.	SMTI SARASWATHI, PRASSANNA BAND, PRIYANKA BAND H/O, S/O. & D/O LATE PRAMOD BAND	191	0.0068	P-I	
31.	VIJAY BHADUR SINGH S/O SHIV BHADUR SINGH	197 198 264	0.2939 0.0035 0.1240	P-I H/S P-I	
32.	SUNDER BAI DAIRKAR K G DAIRKAR	200	0.0386	P-I	
33.	SHRI ASHOK KUMAR SADHU S/O LATE L. S. SADHU	209	0.0364	P-I	
34.	P KUMAR S/O LATE M PALSWAMY	242	0.0594	P-I	
35.	GAMAPPO S RERUMAL	258	0.1000	P-I	
36.	SMTI PARWATHI DHOTRE, SMTI LAXMI DHOTRE, SHRI ARVIND DHOTRE, D/O & S/O LT V. T. DHOTRE SMTI SHADNA DHOTRE, PRIYAKA DHOTRE, DHURGA DHOTRE , AKASH DHOTRE, H/O. S/O & D/O LATE ARUN DHOTRE	259	0.0039	P-I	
37.	SMTI SUSHILA CHIDANAND GADIGMATH, SMTI MADHURI, SHRI DHANANJAY CHIDANAND GADIGMATH, SHRI NICOBAR CHIDANAND GADIGMATH, H/O, S/O & D/O. LATE C. S. GADIGMATH	276	0.1006	P-II	
38.	K. SUBRAMANIAN, K. RAJAMMAL, K. ANNALAXMI, K. JAYALAXMI S/O & D/O. LATE S. KANDASWAMY	277 278	0.0384 0.1574	H/Site P-II	
39.	D A YADHAV S/O ANAND RAO	279 216	0.2730 0.0201	P-II P-I	
40.	RAJESH CHADDA S/O LATE N. M. CHADDA	280 141	0.1124 0.2499	P-II P-I	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
41.	SMTI KASTURI, SMTI REBAKKAL, SMTI A GYANATHAI, SMTI ESTHER DAISY, SMTI A MARY GRADE, SHRI S/O & D/O. LATE ANANDRAJ, SHRI ANIL KUMAR, SMTI GYANASELVI, D/O. & S/O LATE GYANA SOUNDARI,	100 282 297	0.3683 0.2628 0.1000	P-I P-I Well	
42.	SMTI E. RAJESHWARI SHRI E. HARI PRAKASH , SHRI E ARUN KUMAR E. DIVYA DARSHIN H/O, S/O. & D/O. LATE S. ELANGOVAN	290	0.4403	P-II	
43.	R.SOUMYA, D/O SHRI RUPKUMAR, SHRI S. SURENDER , SHRI S. JAWAHAR, SMTI LATHA, SMTI ROHINI, SHRI KABILAN, SHRI VIJAY KUMAR, SHRI RUPKUMAR, D/O. & S/O LATE K SUNDER RAO JANARDHAN, M YOGESH, S/O. SMTI ROHINI, KEERTANA, JEEVA D/O. SHRI. KABILAN	291	0.3582	P-II	
44.	N H PANDU RANGAM S/O MARIMUTHU	295	0.1628	P-II	
45.	K. SUBRAMANIAN, K. RAJAMMAL, K. ANNALAXMI, K. JAYALAXMI S/O & D/O. LATE S. KANDASWAMY	296	0.3676	P-II	
46.	GOVT. LAND SINGARA SINGH GOVT. LAND V. JAYAPAL	154/1 154/2 154/3 154/8	-	Hilly& Rocky P-I P-II H/S	An area 5.1855 hec. affected from Sy. No. 154. Sub-Division map is not available in this office.
TOTAL			12.2821		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR UTILITIES AT LAXMI NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	NILU KUMARI SINGH W/O F B SINGH	158	0.234	-	
TOTAL			0.234		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR SECONDARY ROADS AT GANDHI NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	MARGARET LAKRA W/O LATE FRANCIS	15	0.2010	P-II	
2.	RAPHEL MINJ D/O SOBRA MINJ	16	0.2279	P-II	
3.	SMTI. JOHANI TOPPO ANUP LAKRA AJMER LAKRA SURENDER LAKRA ANIL LAKRA SMTI. RAJ KISHORI SMTI RAJESH KUMARI W/O., S/O, AND D/O. LATE EGNIS LAKRA	18	0.1388	P-II	
4.	DASMANORANJAN S/O RANGANATHAN	19	0.0700	P-II	
5.	SMTI HEERAMUNI D/O LATE LUNDRA RAM SHRI RAJ KUMAR S/O LATE LUNDRA RAM	21	0.2292	P-II	
6.	MICKAL LAKRA S/O SILVANUS LAKRA	22	0.2341	P-II	
7.	SANTHOSH DEVI D/O LATE CHANDER SINGH RAJ BALA DEVI D/O LATE CHANDER SINGH SAMUNDRA DEVI D/O LATE CHANDER SINGH SURENDER SINGH S/O LATE CHANDER SINGH	24	0.5540	P-II	
8.	KOCHUMMAL W/O LATE M PARAMASIVAM	25	0.2161	P-II	
9.	(i) S UDAY KUMAR S/O LATE SARGURU (ii) S SIVA KUMAR S/O LATE SARGURU	27/1 27/2	0.3063	P-II	
10.	AMMAKANNU K G BALAKRISHNAN B RAJENDRAN K G BALAKRISHNAN PANDURANGAN KG BALAKRISHNAN THAMBI DURAI K G BALAKRISHNAN SELVARAJ K G BALAKRISHNAN B ASAITHAMBI K G BALAKRISHNAN	29	0.1138	P-II	

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
11.	DASMANORANJAN S/O RANGANATHAN	32	0.2989	P-II	
12.	RATHEN DEVI AND 05 OTHERS	34	0.3914	P-I	
13.	(i) N. MADAN PRAVEEN, S/O. V.R.N SHETTY (ii) MANJULA KOCH, W/O. DARRYL ANTHONY KOCH (iii) N KIRAN S/O V R N SHETTY	36/1/1 36/1/2 36/2	0.3181	P-I	
TOTAL			3.2946		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR UTILITIES AT GANDHI NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	LAZARUS XALXO S/O PUMAI XALXO	279	0.609	-	
2.	SAFIA BIBI W/O LATE ABDUL DESAI	280	0.872	-	
3.	S.M. CHADDA S/O M.M. CHADDA	281	1.002	-	
4.	S.M. CHADDA S/O M.M. CHADDA	276	0.203	-	
5.	SAFIA BIBI W/O LATE ABDUL DESAI	277	0.145	-	
6.	THANAJI JATTAR S/O U. RAM CHANDRA JETTAR	282	0.196		
TOTAL			3.027		

DETAILS OF PRIVATE LAND AFFECTED IN TRUNK INFRASTRUCTURES (30m/24m/18m)
FOR PORT COLONY AT GANDHI NAGAR VILLAGE

Sl.	Name of Tenant	Survey No.	Area Affected (in Ha.)	Soil Class	Remarks
1.	LAZARUS XALXO S/O PUMAI XALXO	279	1.398	-	
2.	SAFIA BIBI W/O LATE ABDUL DESAI	280	1.142	-	
3.	S.M. CHADDA S/O M.M. CHADDA	281	0.284	-	

4.	SMT SURENDER KAUR W/O LATE SUKHWINDER SINGH MATTU SMT ARVINDER KAUR D/O LATE SUKHWINDER SINGH MATTU SMT AMARJOTH KAUR D/O LATE SUKHWINDER SINGH MATTU SMT NAVNEET KAUR D/O LATE SUKHWINDER SINGH MATTU SHRI MANINDER SINGH S/O LATE SUKHWINDER SINGH MATTU	347	0.453	-	
5.	D.K. SASSANI	350	1.215	-	
TOTAL			4.492		

Social Impact Assessment for Land Acquisition

Family Questionnaire

Family Sl. No. :

--	--	--

(A) Address :

District :

--	--

Block :

--	--

Panchayat/Municipality :

--	--

Ward No. :

--	--

Village/ Lane/Street :

--	--

Khata No. :

Plot No. :

Acquired Area : (in Acres)

Jamabandi No. :

Q (A) Status of the Respondent's Ownership of this Plot? (Landlord-1, Tenant-2).....

--

Q (B) For What Purpose the Respondent is Presently Using this Plot?

--

(Residence-1, Business-2, Both-3, Agriculture-4, No Use/Fallow/Vacant-5)

1. Where is your family currently residing?

District :..... Block :..... Municipality/Gram Panchayat :..... Village/Ward :.....

2. How much land does the family own? (In this village) (in Acre)

3. What is the type of this land? (Ryati Land-1, Government Land-2, Forest Land-3, Donated Land-4, Leased Land-5)..... ☐

4. If this land is government land or forest land, since how long has your family been using this land? (in years).....

(B) Roster and Family Tree Information :

1. Is the Family Roster filled in this form? (Yes-1, No-2, Not Applicable-3)..... ☐

2. If the Family Roster has not been filled, where is the Family Roster of this form filled?

Village/Street :..... SI. :..... Khata No. :..... Plot No. :.....

3. Has the Family Tree made for this form? (Yes-1, No-2, Not Applicable-3)

4. If the Family Tree of the family has not been made here, then where is the Family Tree of this form made?

Village/Street :..... SI. :..... Khata No. :..... Plot No. :.....

(C) Description of the Use of the Land Proposed to be Acquired :

1. Description of the present use of the land proposed to be acquired.

Sl.	Present Use of Land to be Acquired	Yes-1, No-2	Sl.	Present Use of Land to be Acquired	Yes-1, No-2
C 1	A Building is Built		C 9	Trees are Planted	
C 2	Shed / Gaushala / Garage is Built		C 10	Own Dug Well	
C 3	Boundary Wall is Built		C 11	Own Tubewell	
C 4	Cultivated by the Family (in last 3 yrs.)		C 12	Own Hand Pump	
C 5	Given on Shared Cropping (in last 3 yrs.)		C 13	Water Pipeline is there	
C 6	Given on Lease for Farming (in the last 3 yrs.)		C 14	Vacant Land, Not in Use	
C 7	Runs Own Business		C 15	Kiosk (.....)	
C 8	Given to Someone on Rent/Lease for His/Her Business				

2. Does your family agree to give this land for the proposed project on getting appropriate compensation for the proposed acquisition? (Yes-1, No-2) (If yes, go to question 5)..... ☐

3. If No, then why?

.....

4. If you do not want to give this land, then what should be done so that you agree to this proposed land acquisition?

.....

.....

5. What do you/your family plan to do with the compensation money received in lieu of this land?

.....

.....

Respondent Name : Respondent's signature/thumb impression :

Respondent's Mobile No. :

Interviewer's Name : Date :

(D) Details of Family Members Related to the Land Proposed to be Acquired : (Write the name of the Head of the Family first)

Sl.	Name	Relation with Head of the Family*	Gender (M-1, F-2)	Age ♦ (In years)	Disability (Yes-1, No-2)	If disabled, what Disability?	Marital Status ♦	Education Status ⊙	Occupation ⊕		Annual Income (in Rs.)	
									Primary	Secondary	Primary	Secondary
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												

* Relation Code : (Self-1, Husband/Wife-2, Son/Daughter-3, Daughter-in-law/Son-in-law-4, Paternal Grandson/Granddaughter-5, Maternal Grandson/Granddaughter-6, Father/Mother-7, Brother/Sister-8, Father-in-law/Mother-in-law-9, Brother-in-law/Sister-in-law-10, Nephew/Niece-11, Grandfather/Grandmother-12, Other Relative-13, No Relation-14)

♦ If age is below 1 year, then for age write 9+ months – like 901, 902, 903, etc.

✧ Marital Status : (Unmarried-1, Married-2, Divorced-3, Widow/Widower-4, Separated-5)

⊙ Education Code : (Write 1 to 12 for Class Upto Which Education Completed, Graduate-13, Post Graduate or Above-14, Literate but No Formal Education-15, Illiterate-16, Nursery/Kg-17, Going to AWC-18)

⊕ Occupation Code : (Agriculture-1, Agri. Labour-2, Non-Agri. Labour-3, Business-4, Professional (Contractor, Doctor, Lawyer, Agent, Broker, etc)-5, Service-6, Household Work-7, Student-8, No Work-9, Pensioner-10, Income from Rent-11, Others (Specify))

(D) Details of Family Related to the Land Proposed to be Acquired : (Continued from page 2)

Sl.	Name (Give details of the family members who had to stay out of the house to do their jobs / jobs / wages outside the city/village in the last one year)	Name of Place where Gone (Village/City/Place and District)	What Work Did You Do?	Period of Stay in Last 12 Months (Enter Month Code)		Total Days
				From the Month *	Till the Month *	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

*(January-1, February-2, March-3, April-4, May-5, Jun-6, July-7, August-8, September-9, October-10, November-11, December-12)

Details of Social and Economic Condition of the Family

(E) Family Details :

1. Type of house in which the family is currently living (Permanent-1, Semi-permanent-2, Temporary-3).....
2. Ownership of the house in which the family is currently living (Owned by a single family-1, Jointly owned by more than 1 family-2, Taken on rent by a single family-3, Taken on rent by more than 1 family-4, Mobile/Temporary home-5, Government house-6, House Ownership not clear-7, (Clarify))
3. Is Electricity available in the house where the family is currently living? (Yes-1, No-2).....
4. Is there an Own Toilet in the house where the family is currently living? (Yes-1, No-2)
5. If the house has its own toilet, is it in usable condition? (Yes-1, No-2)
6. If the house has its own toilet but is not in working condition, then why? Write all reasons.
7. Religion of the family (Hindu-1, Muslim-2, Christian-3, Sikh-4, Others-5)
8. Caste of the family (SC-1, ST-2, OBC-3, General-4)
9. If ST, then name of Tribe (Asur-1, Baiga-2, Banjara-3, Bathudi-4, Bedia-5, Binjhia-6, Birhor-7, Birjia-8, Chero-9, Chick-Baraik-10, Gond-11, Gorait-12, Ho-13, Karmali-14, Kharia-15, Kharwar-16, Khond-17, Kisan-18, Kora-19, Korwa-20, Lohra-21, Mahli-22, Mal-Paharia-23, Munda-24, Praon-25, Parhaiyya-26, Santhan-27, Saurya Parhaiyya-28, Sawar-29, Bhumij-30, Kol-31, Kunwar-32, Mog-33, Chakma-34, Lodha-35, Raji-36)
10. Does the family have a Ration Card (Yes-1, No-2)
11. If yes, then type of Ration Card (APL-1, BPL-2, Annapurna-3, Antyodaya-4)
12. Main source of Drinking Water of the family? (Own Well-1, Community Well-2, Own Hand Pump-3, Community Hand Pump-4, Community Tap-5, Supply Water by Tap inside the house-6, Own Boring-7, River-8, Spring-9, Pond-10, Mobile Water Tank-11)
13. What is the Distance of the Main Source of Drinking Water? (Inside the House-1, Within 100 meters-2, 100-250 meters-3, More than 250 meters-4)
14. What is the Fuel used by the family for Cooking Food? (Electricity-1, LPG-2, Gobar Gas-3, Kerosene Oil-4, Coal-5, Wood-6, Dung Cake-7, Others (specify)) (there can be more than one response, as per use).....
15. Generally, what food does your family members mainly eat?

Sl	Food Item	Frequency of Eating Food*		
		Morning	Afternoon	Night
1.	Pulses			
2.	Rice			
3.	Vegetables			
4.	Chapati			
5.	Milk			
6.	Eggs			
7.	Meat			

*Daily-1, Twice/Thrice a week-2, Once a week-3, Once in 15 days-4, Once a month-5, Sometimes-6, Never-7)

16. During Last 1 Year, did it ever happen that some family members had nothing to eat? (Yes-1, No-2)
17. If yes, then give details in the table below.

Sl.	Description	No Food for One Time in a Day (in days)	No Food for the Whole Day (in days)
1.	Only Women in the Family		
2.	All Adults (Females & Males)		
3.	Whole Family (including children)		

18. When some family member falls sick with minor ailment where do you go for treatment? (CHC-1, PHC-2, Health Sub-Center-3, Other Govt. Hospital-4, Anganwadi Center-5, Health Camp-6, Private Hospital-7, Private Doctor-8, Chemist-9, Traditional Healer-10, Home Remedies-11, Others-12 (Specify))
19. When some family member falls severely sick, where do you go for treatment? (CHC-1, PHC-2, Health Sub-Center-3, Other Govt. Hospital-4, Anganwadi Center-5, Health Camp-6, Private Hospital-7, Private Doctor-8, Chemist-9, Traditional Healer-10, Home Remedies-11, Others-12 (Specify))
20. What are the reasons to visit the place of treatment for your ailment when some family members fall sick?
.....

21. Livestock with the Family :

Sl.	Livestock	No.	Any Income in Last Year (Yes-1, No-2)	Total Annual Income (in Rs.)	Sl.	Livestock	No.	Any Income in Last Year (Yes-1, No-2)	Total Annual Income (in Rs.)
1.	Bull				6.	Goat			
2.	Cow				7.	Sheep			
3.	She Buffalo				8.	Poultry			
4.	He Buffalo				9.	Pig			
5.	Calf				10.	Dog			

22. Has the family taken any loan from any source which is still not paid yet? (Yes-1, No-2)

23. If yes, then give the description of the unpaid loan :

Sl.	Loan Amount (in Rs.)	Loan Taken from Whom*	Reason for Taking Loan**	Mortgaged What for the Loan***	Rate of Interest on Loan (Annual)
1.					
2.					
3.					

Code

*Loan Taken from Whom : (Commercial Bank-1, Gramin Bank-2, Cooperative Society-3, SHG/Mahila Mandal-4, Money Lender-5, Friend/Relative-6, Others (specify))

**Reason for Taking Loan: (Education-1, Agriculture-2, Business-3, House Construction/Repair-4, Marriage-5, Funeral/Religious Activity-6, Medical Treatment-7, Purchase Livestock-8, Purchase Vehicle-9, Others (specify))

***Mortgaged What : (Nothing-1, Land-2, House-3, Jewellery-4, LIC Bond-5, Kisan Credit Card-6, Aadhaar Card-7, Others (specify))

24. Total Agricultural Produce and Crop Details of the Family (in Last One Year)

Sl.	Season*	Name of Crop	Sown Area (in Acres)	Total Cost (in Rs.)	Total Production (in Quintal)	Market Rate per Quintal (in Rs.)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Season* : Kharif-1, Rabi-2, Garma-3, Plantation-4

25. What is the Irrigation Facility in your field? (Rainwater-1, River-2, Canal-3, Boring & Pump-4, Tubwell-5, Stream-6, Well-7, Pond-8) (There may be more than one answer)

26. Does the family have any business activity of its own? (Yes-1, No-2)
27. If yes, then what type of business activity?
28. What forest produce/natural resources does your family procure from the neighbourhood (Forest/Government Land) (Wood-1, Coal-2, Mahua-3, Tendu Leaves-4, Bamboo-5, Lac-6, Tasar-7, Other forest produce like fruits-8, Nothing-9) (there can be more than one response).....
29. If your family procures forest produce/natural resources from the neighbourhood (Forest/Government Land), then what is its estimated Annual Value? (in Rs.).....
30. Does your family have the lease document of the place from where your family procures forest produce/natural resources? (Yes-1, No-2).....
31. Is any member of your family, Member of Any Organization? (Yes-1, No-2).....
32. If yes in Q31. :

Sl.	Name of the Organisation & Position Held	Write Member Sl. No. from Page 2
1.		
2.		
3.		
4.		

33. Benefits Accruing to the family from Government Schemes : (in Last One Year)

Sl.	Name of Scheme	(Yes-1, No-2, Not Applicable-3)
1.	Public Distribution System	
2.	MGNREGS	
3.	Mid Day Meal (in School)	
4.	Anganwadi Centre-Pregnent/Lactating Women	
5.	Anganwadi Centre-Adolecent Girls	
6.	Anganwadi Centre-Infants	
7.	Old Age Pension	
8.	Widow Pension	
9.	Handicap Pension	
10.	Atal Pension Yojana	
11.	Janani Suraksha Yojana	
12.	Toilet Construction	
13.	Indira Awas Yojana	
14.	Jan Dhan Yojana	
15.	Deen Dayal Upadhayay Kaushal Vikas Yojana	
16.	Hybrid Seeds Distribution	
17.	Scholarship to Students	
18.	Free Books Distribution to Students	
19.	Free Uniform Distribution to Students	
20.	Free Bicycle Distribution to Students	
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		

Description of the Land Proposed to be Acquired

(C 1) Structure Constructed on Land Proposed to be Acquired :

1A. Description of Structure on the Land Proposed to be Acquired (Structure-1) -

Sl.	Unit	Year of Construction	No. of Rooms	Type of Roof*	Type of Wall*	Type of Floor*	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)
1.	Ground Floor								
2.	First Floor								
3.	Second Floor								
4.	Varandah								
5.	Courtyard								
6.	Kitchen								
7.	Toilet								

1B. Description of Structure on the Land Proposed to be Acquired (Structure-2) -

Sl.	Unit	Year of Construction	No. of Rooms	Type of Roof*	Type of Wall*	Type of Floor*	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)
1.	Ground Floor								
2.	First Floor								
3.	Second Floor								
4.	Varandah								
5.	Courtyard								
6.	Kitchen								
7.	Toilet								

1C. Description of Structure on the Land Proposed to be Acquired (Structure-3) -

Sl.	Unit	Year of Construction	No. of Rooms	Type of Roof*	Type of Wall*	Type of Floor*	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)
1.	Ground Floor								
2.	First Floor								
3.	Second Floor								
4.	Varandah								
5.	Courtyard								
6.	Kitchen								
7.	Toilet								

1D. Description of Structure on the Land Proposed to be Acquired (Structure-4) -

Sl.	Unit	Year of Construction	No. of Rooms	Type of Roof*	Type of Wall*	Type of Floor*	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)
1.	Ground Floor								
2.	First Floor								
3.	Second Floor								
4.	Varandah								
5.	Courtyard								
6.	Kitchen								
7.	Toilet								

*Type of Roof/Type of Wall/Type of Floor : (Mud-1, Thatched/Wood-2, Plastic-3, Tarpaulin-4, Asbestos-5, Mud Tile-6, GI Metal Sheet-7, Slate-8, Mud & Bricks-9, Concrete/Cement & Bricks-10, Tiles/Mosaic-11, No Roof-12)

2. Is Electricity Available on the Land Proposed to be Acquired? (Yes-1, No-2) ☐
3. Does your Family Reside on the Land Proposed to be Acquired? (Yes-1, No-2) ☐
4. If yes, then Since When your family resides in this place? Month: Years:
5. Will your family be Displaced & will have to Shift Residence to some other place if this land is acquired? (Yes-1, No-2) ☐
6. If your family is Not Residing on the land proposed to be acquired land, then Where Does they Currently Reside?
District : Block : Municipality/Panchayat : Village/Ward :
7. Is there Any Tenant currently residing in the building of this land that is proposed to be acquired? (Yes-1, No-2) ☐
8. Details of tenant, if any occupant is currently residing.

81A. Name of the head of the family of the tenant residing in the building of this land that is proposed to be acquired

81B. Since when the above tenant residing in this building? Month : Year :

81C. How much rent do the above tenant pay you per month? (in Rs.)

81D. Where is the original place of residence of the above tenant?

District : Block : Municipality/Panchayat : Village/Ward :

82A. Name of the head of the family of the tenant residing in the building of this land that is proposed to be acquired

82B. Since when the above tenant residing in this building? Month : Year :

82C. How much rent do the above tenant pay you per month? (in Rs.)

82D. Where is the original place of residence of the above tenant?

District : Block : Municipality/Panchayat : Village/Ward :

83A. Name of the head of the family of the tenant residing in the building of this land that is proposed to be acquired

83B. Since when the above tenant residing in this building? Month : Year :

83C. How much rent do the above tenant pay you per month? (in Rs.)

83D. Where is the original place of residence of the above tenant?

District : Block : Municipality/Panchayat : Village/Ward :

(C 2) Is Any Shed/Cowshed/Garage Costructed on the Land Proposed to be Acquired?

Sl.	Unit	Year of Construction	No. of Rooms	Type of Roof*	Type of Wall*	Type of Floor*	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)
1.	First								
2.	Second								

*Type of Roof/Type of Wall/Type of Floor : (Mud-1, Thached/Wood-2, Plastic-3, Tarpaulin-4, Asbestos-5, Mud Tile-6, GI Metal Sheet-7, Slate-8, Mud & Bricks-9, Concrete/Cement & Bricks-10, Tiles/Mosaic-11, No Roof-12, Wire/Mesh-13)

(C 3) Is Any Boundary Wall Costructed on the Land Proposed to be Acquired?

Sl.	Details	Length (in Feet)	Width (in Feet)	Height (in Feet)	Type of Construction*
1	Boundary Wall				
2	Boundary Wall Foundation				
3	Boundary Wall Pillars				

*Code : (Thached/Mud/Wood-1, Wire/Mesh-2, Asbestos-3, GI Metal Sheet-4, Slate-5, Mud & Bricks-6, Concrete/Cement & Bricks-7)

1. If there are pillars in the boundary wall, then write the number of pillars.

(C 4) Self Cultivating on the Land Proposed to be Acquired :

1. Details of Agricultural Produce and Crop Details (in Last One Year) –

Sl.	Season*	Name of Crop	Sown Area (in Acres)	Total Cost (in Rs.)	Total Production (in Quintal)	Market Rate per Quintal (in Rs.)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Season* : Kharif-1, Rabi-2, Garma-3, Plantation-4

2. What is the arrangement of Irrigation in the Land Proposed to be Acquired? (Rainwater-1, River-2, Canal-3, Boring & Pump-4, Tubwell-5, Stream-6, Well-7, Pond-8) (There may be more than one answer)

3. Does any Permanent employee/servant/laborer work in the above self cultivation? (Yes-1, No-2) ☐

4. If yes, then give details –

Sl.	Name of Employee	Have been Working Since When (Month & Year)	Current Residence	Monthly Payment (in Rs.)

(C 5) The Land Proposed to be Acquired is Given on Share Cropping :

Sl.	Name of Person Taken Land for Share Cropping	Taken Land Since When (Month & Year)	Current Residence	Annual Payment (in Rs.)

(C 6) The Land Proposed to be Acquired is Given on Lease for Cultivation :

Sl.	Name of Person Taken Land on Lease for Cultivation	Taken Land Since When (Month & Year)	Current Residence	Annual Payment (in Rs.)

(C 7) Run Own Business on the Land Proposed to be Acquired :

1. If the Family Runs Own Business on the Land Proposed to be Acquired, then what business is done?

2. How long has the above business been running on this land? Month : Year : 3. Does any Permanent employee/servant/worker work in the above business? (Yes-1, No-2) ☐

4. If yes, then give details :

Sl.	Name of Employee	Have been Working Since When (Month & Year)	Current Residence	Monthly Payment (in Rs.)

(C 8) The Land Proposed to be Acquired is Given to Someone on Rent for His/Her Business:

1. If on the Land Proposed to be Acquired, someone else runs his business, then what business is done?
2. Since when is the above business running on this land? Month : Year :
3. Where is the Original Place of Residence of the Person doing the above business?
District : Block : Municipality/Panchayat : Village/Ward :
4. Does any Permanent employee/servant/worker work in the above business? (Yes-1, No-2) ☐
5. If yes, then give details –

Sl.	Name of Employee	Have been Working Since When (Month & Year)	Current Residence	Monthly Payment (in Rs.)

(C 9) There are Trees on the Land Proposed to be Acquired :

Sl.	Name of Tree	No. of Trees	Average Age of Trees	Uses of Trees (Fruit-1, Feed-2, Wood-3)	Income from Trees Last Year (in Rs.)

(C 10) Wells on the Land Proposed to be Acquired :

Sl.	Depth of Well (in Feet)	Width of Well (in Inch)	Well Type (Kutcha-1, Semi-Pucca-2, Pucca-3)	Water Availability (Always Dry-1, Water Sometimes Available-2, Water Always Available-3)	Safety of Well (Open-1, Covered-2)	Income from Well Last Year (in Rs.)

(C 11) Own Tubewell on the Land Proposed to be Acquired :

Sl.	Depth of Tubewell (in Feet)	Width of Tubewell (in Inch)	Water Availability (Always Dry-1, Water Sometimes Available-2, Water Always Available-3)	Income from Tubewell Last Year (in Rs.)

(C 12) Own Hand Pump on the Land Proposed to be Acquired :

Sl.	Depth of Hand Pump (in Feet)	Width of Hand Pump (in Inch)	Water Availability (Always Dry-1, Water Sometimes Available-2, Water Always Available-3)	Income from Hand Pump Last Year (in Rs.)

(C 13) Land Proposed to be Acquired has Water Pipeline :

1. Expenditure on Water Pipeline on the Land Proposed to be Acquired (in Rs.)

* * * * *

III. NICOBAR DISTRICT

For villages in Campbell Bay tehsil of Nicobar District, rates of Agricultural Land shall constitute the base rates. The Agricultural Land rates (in Rupees per square metre) are as follows:-

S.No	Village Name	Rate in Rupees per square metre
1	Govind Nagar	150
2	Joginder Nagar	131
3	Gandhi Nagar	131
4	Laxmi Nagar	113
5	Vijay Nagar	113
6	Shastri Nagar	113

Multiplication factors over Agricultural Land rates shall be as follows:-

Category	Multiplication Factor on Agricultural land rates
House-site	1.1
Commercial & Institutional	1.5

IV. COST OF CONSTRUCTION

The Minimum Costs of construction for each Tehsil are given below in Rupees per square metre of floor area:-

Name of tehsil	House-site	Commercial
Port Blair	26,127	30,046
Ferrargunj	27,180	31,257
Shaheed/ Swaraj Dweep	36,030	41,434
Rangat	29,919	34,407
Mayabunder	30,130	34,650
Diglipur	30,130	34,650
Little Andaman	29,919	34,407
Great Nicobar	37,505	43,130

The Age-related Multiplication Factors are as follows:-

Year of completion	Prior to 1960	1960 to 1980	1981 to 1995	1996 to 2004	2005 to 2010	2011 to 2015	2015 onwards
Age factor	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

The Structure-related Multiplication Factors are as follows:-

Structure Type	Pucca	Semi Pucca	Katcha
Multiplication factor	1.0	0.60	0.40

V. The functionaries estimating the Stamp Duty payable in a transaction are hereby directed that the Stamp Duty shall be levied on the instruments for purpose of effecting transfer of interest in land/immovable property by way of conveyance/gift/exchange etc on the total valuation based on prescribed Circle Rates or sale consideration (whichever is higher).

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF AGRICULTURE

Port Blair dated the

29 Aug, 2011.

OFFICE ORDER NO: 1807

In super session of this Administration's Order No. 2080 dated 20.06.2009, the Lt. Governor (Administrator) Andaman & Nicobar Islands has been pleased to order that the rate of compensation for each Agricultural produce damaged by elephants or other-wise shall be as per the annexure to this order. These orders will be applicable to the entire Union Territory of Andaman & Nicobar Islands with immediate effect.



Joint Secretary-cum-Director (Agri.)
(F. No. DA/STAT/23-4)/2011-12)

Encl: Annexure

Copy to:-

1. All Head of Departments/ Offices.
2. All Zonal Officers.
3. All Sections.



Joint Secretary-cum-Director (Agri.)

**RATE OF COMPENSATION FOR AGRICULTURAL FIELD/
PLANTATION CROPS**

Sl. No. 1	Crops 2	Existing rate (Rs.) 3	Revised rate (Rs.) 4
1	Areca nut	315.00	660.00
2	Mango	310.00	2300.00
3	Sapota	260.00	1630.00
4	Coconut	480.00	1770.00
5	Jackfruit	210.00	1870.00
6	Cashew nut	184.00	1880.00
7	Banana		
(a)	Local	12.00	100.00
(b)	Tissuculture	34.00	200.00
8	Pineapple	5.00	50.00
9	Drumstick	70.00	360.00
10	Jamun	100.00	420.00
11	Tamarind	530.00	1550.00
12	Orange/ lime/ Musambi	250.00	1320.00
13	Papaya	60.00	90.00
14	Silkcotton	150.00	710.00
15	Clove	700.00	1550.00
16	Nutmeg	605.00	5140.00
17	Black pepper	125.00	790.00
18	Cinnamon	120.00	1280.00
19	Bay leaf	30.00	60.00
20	Custard apple/ Amla	125.00	730.00
21	Paddy		
(i)	HYV	6300.00/ per ha.	40,500.00
(ii)	Others	-	
(a)	Traditional variety (paddy) Transplanted	4260.00/ per ha.	24,500.00
(b)	Traditional variety (Paddy) Broadcasted.	1420.00/ per ha.	
27	Sugarcane	7500.00/ per ha.	-
28	Pulses	4000.00/ per ha.	20,000.00
29	Oilseeds (Groundnut)	-	37,500.00
30	Vegetables	10000.00/ per ha.	
i.	Exotic		96,000.00
ii.	Country		60,000.00

1. The revised rate of compensation should be for the fruit bearing trees/ crops.
2. The payment of the compensation is subject to the recommendation of the compensation Assessment Committee Constituted vide order No. 2235 dated 31.8.1966.
3. The percentage of damage of plants/ trees/ crops should be assessed and the amount of compensation should be worked out accordingly.
4. Compensation for non-bearing plants/ crops be proportioned basis on the actual age of the plants/ crops i.e. the rate of compensation fixed to be multiplied by the actual age of the plant/ crop and divided by the age of the initial bearing of the plant/ crop as recommended by the competent authority.

[Signature]
29/08/2011

Joint Secretary-cum-Director (Agri.)
F.No. DA/Stat/23-4/2011-12/1807
Dated: 29/08/11



GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE OF AGRICULTURE
 ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION, MAHIDOL, PORT BLAIR - 744102



Website: DA/STAT/US

Class Cell Contact: 2342408

Mobile No: 98223257

ORDER NO. 176

In partial modification of the Office Order No. 1807 dated 29th August 2011, the Lt. Governor/Administrator, Andaman & Nicobar Islands has been pleased to order the enhanced rate of compensation for coconut palm damaged due to acquisition of land for development activities, damage to crops by elephants of Forest Department etc. or otherwise which shall be as under:

S.No.	Crop	Existing Rate fixed vide O/O No. 1807 dated 29.08.2011 (In Rs.)	Revised Rate (In Rs.)
1.	Coconut	1770.00	5168.00

This order will be applicable to the entire Union Territory of Andaman & Nicobar Islands with immediate effect.

Terms & Conditions:

1. The revised rate of compensation should be for the bearing palms.
2. The payment of the compensation is subject to the recommendation of the Compensation Assessment Committee constituted vide letter No. 41-104/88-Devd dated 19th July 1988.
3. The percentage of damage of palm should be assessed and the amount of compensation should be worked out accordingly.
4. Compensation for non-bearing palm be on proportioned basis on the actual age of the palm i.e., the rate of compensation fixed to be multiplied by the actual age of the plant/crop and divided by the age of the initial bearing of the palm as recommended by the competent authority.

OFFICE ORDER BOOK

Class: 180

Director of Agriculture
 (No.DA/STAT/US-4/2011-21/PE/1)

1. All Head of Departments/Officers, A & N Administration, Port Blair.
2. All Zonal Officers of the Department of Agriculture, A & N Administration, Port Blair.
3. All Officers of the Directorate of Agriculture, A & N Administration, Port Blair.

Director of Agriculture

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT**

ORDER

Port Blair, dated the ²⁹ February, 2024.

No. F.No. 3-21/SR/Stamp Duty/2015-The Administrator of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is hereby pleased to fix minimum reference Circle Rates for purpose of effecting transfer of interest in land / immovable property by way of conveyance/gift/exchange etc in various areas of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands with immediate effect as specified below-

I. SOUTH ANDAMAN DISTRICT

PBMC Area

For PBMC area rates of Land for House sites shall constitute base rates. The Land Rates(Rupees per square Metre) for House sites are as follows:-

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Aberdeen Bazar	40000
2.	Minnie Bay	13000

Multiplication Factors over House site land rates shall be as follows:-

Category	Multiplication Factor on house site land rate
Agriculture	0.75
Commercial & Industrial	2.00

Non Master Plan Rural Area Villages

For Non-Master Plan Rural Area Villages, rates of Agricultural Land shall constitute the base rates. The Land rates (in Rupees per square meter) for agricultural lands are as follows:-

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Rutland	1875
2.	Kalatang	2083
3.	Mount Harriet	3750
4.	Alipur	2917
5.	Balughat	1906
6.	Mohwadera	1906
7.	Temple Myo	1906

Multiplication Factors over Agricultural land rates shall be as follows:-

Category	Multiplication Factor on Agricultural land rate
House site	1.1
Commercial & Industrial	1.5

The village Dugnabad appeared at Sl. No.17 is deleted from the list of circle rates issued by the A&N Administration order dated 22.10.2019.

II. NORTH AND MIDDLE ANDAMAN DISTRICT

For villages in North & Middle Andaman District, rates of Agricultural Land shall constitute the base rates. The land rates (in Rupees per Square Metre) for Agricultural Lands are as follows:-

DIGLIPUR TEHSIL

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Sitanagar	650
2.	V.S.Pally	650
3.	Krishnapuri	225
4.	Keralapuram	938
5.	Sagardeep	2814
6.	Ganesh Nagar	188
7.	Shanti Nagar	188
8.	Gandhinagar	188

MAYABUNDER TEHSIL

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Mayabunder	3790
2.	Avis Islands	11370
3.	Borang	138

RANGAT TEHSIL

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Shantanu	575
2.	Nilambur	600

Multiplication Factors over Agricultural land rates shall be as follows:-

Category	Multiplication Factor on Agricultural land rate
House site	1.1
Commercial & Industrial	1.5

The following village names are deleted from the list of circle rates issued by the A&N Administration order dated 22.10.2019:-

1. Ranchi Basthi appeared at Sl. No.11 (under Rangat Tehsil)
2. Golpahad appeared at Sl. No.42 (under Rangat Tehsil)
3. CFO Nallah appeared at Sl. No.23 (under Mayabunder Tehsil)
4. Khattakhari appeared at Sl. No.15 (under Rangat Tehsil)

III. Nicobar District

For villages in Campbell Bay Tehsil of Nicobar District, rates of Agricultural Land shall constitute the base rates. The Agricultural Land rates (in Rupees per Square Metre) are as follows:-

CAMPBELL BAY TEHSIL

S. No.	Name of the Village	Rates in Rupees per Square Metre
1.	Campbell Bay	180

Multiplication Factors over Agricultural land rates shall be as follows:-

Category	Multiplication Factor on Agricultural land rate
House site	1.1
Commercial & Industrial	1.5

IV. Cost of construction

The Minimum cost of construction for each Tehsil are given below in Rupees per square metre of floor area:-

Name of Tehsil	House site	Commercial
Port Blair	26,127	30,048
Ferrargunj	27,180	31,257
Shaheed Dweep/Swaraj Dweep	36,030	41,434
Rangat	29,919	34,407
Mayabunder	30,130	34,650
Diglipur	30,130	34,650
Little Andaman	29,919	34,407
Great Nicobar	37,505	43,130

The age- related Multiplication Factors are as follows:-

Year of completion	Prior to 1980	1980 to 1989	1990 to 1999	2000 to 2004	2005 to 2009	2010 to 2014	2015 onwards
Age factor	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

The Structure -related Multiplication factors are as under:-

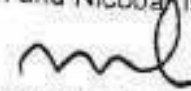
Structure type	Pucca	Semi Pucca	Katcha
Multiplication Factor	1.0	0.60	0.40

V. The functionaries estimating the Stamp Duty payable in a transaction are hereby directed that the Stamp Duty shall be levied on the instructions for purpose of effecting transfer of Interest in land/immoveable property by way of conveyance/gift/exchange etc. on the total valuation based on prescribed Circle Rates or Sale Consideration (whichever is higher).

VI. All the Sub-Registrars are hereby directed that all previous valuations made, where the process of registration was not completed, will be re-evaluated by the concerned authorities based on the above Circle Rates and the methodology prescribed in this Order.

VII. This is issued with the approval of Hon'ble Lt. Governor, Andaman and Nicobar Islands.

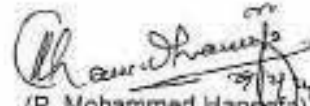
By order and in the name of the Lt. Governor,
Andaman and Nicobar Islands



(A.S.P.S. Raviprakash)
Secretary (Revenue)
A & N Islands Administration.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas, Port Blair.
2. The Deputy Commissioner, South Andaman District, Port Blair.
3. The Deputy Commissioner, North & Middle Andaman District, Mayabunder.
4. The Deputy Commissioner, Nicobar District, Car Nicobar.
5. The Manager Govt. Press Port Blair with the request that the notification may be published in the ordinary issue of the Andaman and Nicobar Gazette, forthwith 50 copies of the printed notification may be supplied to the Revenue Section Secretariat.
6. The Director of Accounts & Budget, Port Blair.
7. The Pay & Accounts Officer, Port Blair.
8. The Pay & Accounts Officer, Rangat.
9. The Pay & Accounts Officer, Car Nicobar.
10. The Chief Editor, Daily Telegrams with the request that the notification may kindly be published in the Daily Telegram for two consecutive days.
11. The Deputy Secretary (OL), Andaman and Nicobar Administration for Hindi Version of the notification.
12. The PS to Chief Secretary for kind information of Chief Secretary.
13. The PS to Secretary (Rev) for kind information of Secretary (Rev).
14. The Assistant Manager, (IT) Secretariat with the request to upload the same in the official website of the Administration.


(P. Mohammed Haneefa)
Assistant Secretary (Rev)

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
1	Campbell Bay	1	DURGAMMA	Self	Female	76	Widowed	Illiterate	Pensioner		23/2	1
	Campbell Bay	2	J. MADHAV RAO	Son	Male	38	Married	Class 5 Pass	Business			2
	Campbell Bay	3	J. KUSUMA	Daughter-in-Law	Female	35	Married	Illiterate	Household Work			
	Campbell Bay	4	J. TARAKESWAR RAO	Paternal Grand Son	Male	17	Unmarried	Class 9 Pass	No Work		23/2	
	Campbell Bay	5	J. CHANDANI	Paternal Grand Daughter	Female	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Campbell Bay	6	J. DILIP	Paternal Grand Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
2	Campbell Bay	1	JASKIRAT SINGH	Self	Male	55	Married	Class 12 Pass	Agriculture		58	3
	Campbell Bay	2	HARJINDER KAUR	Wife	Female	47	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	3	JASVINDER KAUR	Daughter	Female	28	Unmarried	PG or Above	Service			4
	Campbell Bay	4	AMRIT PAL	Son	Male	25	Unmarried	Graduate	Service		58	5
	Campbell Bay	1	S. LAXMI KUMARI	Self	Female	49	Separated	Class 7 Pass	Service		69/4	6
	Campbell Bay	2	INDERJEET KAUR	Daughter	Female	24	Unmarried	PG or Above	Student		69/4	7
3	Campbell Bay	1	ROBINSON	Self	Male	49	Married	Class 10 Pass	Service		86/8/1	8
	Campbell Bay	2	MARINA	Wife	Female	45	Married	Class 12 Pass	Household Work		86/8/1	
	Campbell Bay	3	LEENA	Daughter	Female	20	Married	Class 12 Pass	Household Work			9
	Campbell Bay	4	ANANDA	Son-in-Law	Male	27	Married	Class 7 Pass	No Work			
	Campbell Bay	5	LEHNA	Paternal Grand Daughter	Female	3	Unmarried					
	Campbell Bay	6	GEORGINA	Daughter	Female	7	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
5	Campbell Bay	1	P.V. MARIKARASY	Self	Male	75	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour		116/6	10
	Campbell Bay	2	M. SELVI	Wife	Female	57	Married	Class 5 Pass	Service		116/6	
6	Campbell Bay	1	K.C. MURGAN	Self	Male	56	Married	Class 8 Pass	Business		118/2	11
	Campbell Bay	2	VINITA MURGAN	Wife	Female	51	Married	Class 12 Pass	Business			
	Campbell Bay	3	VISHAK MURGAN	Son	Male	27	Unmarried	PG or Above	Business			12
	Campbell Bay	1	D. JAYARAMAN	Self	Male	70	Married	Class 8 Pass	Business		138	13
7	Campbell Bay	2	J. PANDIAMMAL	Wife	Female	60	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	3	PONKHULANDI	Son	Male	36	Married	Class 10 Pass	Business			14
	Campbell Bay	4	JAYATARINI	Daughter-in-Law	Female	25	Married	PG or Above	Household Work			
	Campbell Bay	5	KAVI MALAR	Paternal Grand Daughter	Female	3	Unmarried					
	Campbell Bay	6	AJEETA	Paternal Grand Daughter	Female	1	Unmarried					
	Campbell Bay	7	PANDHIYAN	Son	Male	29	Married	PG or Above	Business		138	15

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Campbell Bay	8	ACCHIYA	Daughter-in-Law	Female	23	Married	PG or Above	Household Work			
	Campbell Bay	1	GURJEET SINGH	Self	Male	78	Widowed	Class 8 Pass	Pensioner		146	16
	Campbell Bay	2	GAGANDEEP GERWAL	Son	Male	48	Married	Class 12 Pass	Business			17
8	Campbell Bay	3	JASWANT KAUR	Daughter-in-Law	Female	47	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	4	MANMOHAN SINGH GREWAL	Son	Male	46	Married	Class 12 Pass	Business		146	18
	Campbell Bay	5	MANDEEP KAUR	Daughter-in-Law	Female	36	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	1	SURJEET SINGH GREWAL	Self	Male	76	Married	Class 8 Pass	Business		146	19
9	Campbell Bay	2	SUKHDEV KAUR	Wife	Female	65	Married	Class 11 Pass	Pensioner		146	
	Campbell Bay	3	NAVJEET SINGH GREWAL	Son	Male	32	Unmarried	Graduate	No Work			20
	Campbell Bay	1	JASPAL SINGH	Self	Male	74	Married	Class 5 Pass	Pensioner		149	21
	Campbell Bay	2	GURDEEP KAUR	Wife	Female	66	Married	Class 5 Pass	Household Work			
10	Campbell Bay	3	BHUPINDER SINGH	Son	Male	48	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			22
	Campbell Bay	4	BHUPINDER KAUR	Daughter-in-Law	Female	46	Married	Graduate	Household Work			
	Campbell Bay	5	RAVINDER SINGH	Paternal Grand Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	No Work		149	23
	Campbell Bay	6	KULINDER KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	21	Unmarried	Class 12 Pass	Service			24
	Campbell Bay	1	ELANGO G.	Self	Male	32	Married	Graduate	Business		151	25
	Campbell Bay	2	SHARMILA	Wife	Female	23	Married	Graduate	Household Work			
11	Campbell Bay	3	KAVINYA SHRI	Daughter	Female	1	Unmarried				151	
	Campbell Bay	4	S. GANESHAN	Father	Male	63	Married	Class 5 Pass	Business			26
	Campbell Bay	5	G. SELWATHI	Mother	Female	57	Married	Class 5 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	1	PARGAT SINGH	Self	Male	65	Married	Class 8 Pass	Pensioner		209	27
12	Campbell Bay	2	HARJEET KAUR	Wife	Female	46	Married	Class 6 Pass	Household Work			
	Campbell Bay	3	PREETPAL SINGH	Son	Male	18	Unmarried		No Work			28
	Campbell Bay	4	BALJEET SINGH	Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student		209	
	Campbell Bay	1	T. ANTONY	Self	Male	82	Married	Illiterate	Business		166	29
	Campbell Bay	2	SALLETHU MARY	Wife	Female	71	Married	Illiterate	Household Work			
	Campbell Bay	3	A. ALEX PACKIYA RAJI	Son	Male	44	Married	Class 12 Pass	Business			30
13	Campbell Bay	4	J. DIANA PRINCY	Daughter-in-Law	Female	41	Married	Graduate	Household Work		166	
	Campbell Bay	5	A. RIBA STEFFE	Paternal Grand Daughter	Female	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			31
	Campbell Bay	6	HANNEY RACHEL	Paternal Grand Daughter	Female	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
	Campbell Bay	7	A. RUBHN FRANKLIN	Paternal Grand Son	Male	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
1	Govind Nagar	1	SATBIR SINGH PASSI	Self	Male	44	Married	Class 10 Pass	Service	93	93/2	32
	Govind Nagar	2	RAJANI	Wife	Female	44	Married	Class 10 Pass	Household Work	93	93/2	
	Govind Nagar	3	HARBAJAN SINGH PASSI	Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Govind Nagar	4	JASMEET KAUR PASSI	Daughter	Female	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
2	Govind Nagar	1	JASBIR SINGH PASSI	Self	Male	46	Married	Class 10 Pass	Service	93	93/2	33
	Govind Nagar	2	AVTAR KAUR	Wife	Female	39	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	GURMEET KAUR	Daughter	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			34
	Govind Nagar	4	KAMAL PREET KAUR	Daughter	Female	10	Unmarried	Class 5 Pass	Student	93	93/2	
	Govind Nagar	5	HARSDEEP SINGH PASSI	Son	Male	4	Unmarried	Going to AWC	Student			
3	Govind Nagar	1	GURUCHARAN RAM	Self	Male	67	Married	Class 7 Pass	Agriculture		9	35
	Govind Nagar	2	VIRAJ MANI BAI	Wife	Female	60	Married	Illiterate	Household Work			
	Govind Nagar	3	PREM PRAKASH RAM	Son	Male	45	Married	Class 9 Pass	Service			36
	Govind Nagar	4	JHALO BAI	Daughter-in-Law	Female	36	Married	Class 12 Pass	Service			
	Govind Nagar	5	KUMAR RAM	Paternal Grand Son	Male	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
4	Govind Nagar	1	AJIT SINGH	Self	Male	70	Married	Class 12 Pass	Agriculture	182,186		37
	Govind Nagar	2	MANJEET KAUR	Wife	Female	65	Married	Class 10 Pass	Household Work			
5	Govind Nagar	1	SANJAY EKKA	Self	Male	50	Married	Class 10 Pass	Service		12	38
	Govind Nagar	2	SUSHMA KERKETTA	Wife	Female	47	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	FRANK EKKA	Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			39
	Govind Nagar	4	FRANCIS EKKA	Son	Male	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student		12	
	Govind Nagar	5	SUSHIL KERKETTA	Nephew	Male	43	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour			40
6	Govind Nagar	6	NEELAM RESHMA BARA	Wife of Nephew	Female	37	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			
	Govind Nagar	7	KARITIK KERKETTA	Child of Nephew	Male	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Govind Nagar	8	SANJIT KERKETTA	Child of Nephew	Male	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Govind Nagar	9	AJARIAS KERKETTA	Nephew	Male	31	Unmarried	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			41
	Govind Nagar	1	PRAKASH TIRKEY	Self	Male	62	Married	Class 2 Pass	Pensioner		17/2	42
6	Govind Nagar	2	LILY EKKA	Wife	Female	54	Married	Class 4 Pass	Household Work		17/2	
	Govind Nagar	3	MANOJ KUMAR TIRKEY	Son	Male	43	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			43
	Govind Nagar	4	SEBARIA MINZ	Daughter-in-Law	Female	37	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	5	ARSHIT TIRKEY	Paternal Grand Son	Male	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
	Govind Nagar	1	JEROME TIRKEY	Self	Male	49	Married	Class 8 Pass	Service		25.83	44

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
7	Govind Nagar	2	NIRMALA KUJUR	Wife	Female	48	Married	Class 3 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	SANDEEP TIRKEY	Son	Male	25	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour		25,83	45
	Govind Nagar	4	SABINA TIRKEY	Daughter	Female	20	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			46
	Govind Nagar	5	ABHISHEK TIRKEY	Son	Male	19	Unmarried	Class 11 Pass	No Work			47
8	Govind Nagar	1	NOEL XESS	Self	Male	50	Married	Class 12 Pass	Service		25,83	48
	Govind Nagar	2	MANJULA TIRKEY	Wife	Female	48	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	MANISHA XESS	Daughter	Female	21	Unmarried	Class 12 Pass	No Work		25,83	49
	Govind Nagar	4	MANISH XESS	Son	Male	20	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			50
9	Govind Nagar	1	VIRENDRA MINZ	Self	Male	48	Married	Class 3 Pass	Non-Agri Labour		25,83	51
	Govind Nagar	2	SUSHMA TIRKEY	Wife	Female	42	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	NAVEEN MINZ	Son	Male	17	Unmarried	Class 10 Pass	No Work			
	Govind Nagar	4	NAVEEN MINZ	Daughter	Female	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Govind Nagar	5	MINA MINZ	Daughter	Female	15	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Govind Nagar	6	SAURABH MINZ	Son	Male	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student		25,83	
10	Govind Nagar	1	BALDEV SINGH	Self	Male	67	Married	Class 8 Pass	Pensioner	195,197		52
	Govind Nagar	2	KHUSWANT KAUR	Wife	Female	63	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	JAI SINGH	Son	Male	31	Married	Class 10 Pass	Agriculture			53
11	Govind Nagar	4	ANJU TOPPO	Daughter-in-Law	Female	32	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	1	AVTAR SINGH	Self	Male	57	Married	Class 12 Pass	Service	195,197		54
	Govind Nagar	2	JARVINDER KAUR	Wife	Female	45	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	NEHA CHEETA	Daughter	Female	25	Unmarried	PG or Above	Student			55
	Govind Nagar	4	NEHAL SINGH	Son	Male	23	Unmarried	Class 12 Pass	Student			56
12	Govind Nagar	1	DUKHIYA RAM	Self	Male	67	Married	Class 2 Pass	Agriculture		26	57
	Govind Nagar	2	ETWARI BAI	Wife	Female	62	Married	Illiterate	Household Work			
13	Govind Nagar	1	SHOBNATH RAM	Self	Male	54	Married	Class 8 Pass	Agriculture		26	58
	Govind Nagar	2	TERESA TOPPO	Wife	Female	60	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	DEEPA KUMARI	Daughter	Female	32	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			59
	Govind Nagar	4	ASHISH KUMAR	Son	Male	28	Unmarried	Graduate	Service			60
	Govind Nagar	5	SAVITRI KUMARI	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	Student		26	61
	Govind Nagar	1	JAGDISH RAM	Self	Male	40	Married	Class 6 Pass	Non-Agri Labour		26	62
14	Govind Nagar	2	SAMRI SETHI	Wife	Female	35	Married	Illiterate	Non-Agri Labour			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Govind Nagar	3	ABHINANDAN RAM	Son	Male	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Govind Nagar	1	SUNITA BAGE	Self	Female	50	Widowed	Class 10 Pass	Pensioner	199		63
15	Govind Nagar	2	PALWINDER SINGH	Son	Male	22	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture			64
	Govind Nagar	3	JASWINDER SINGH	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student	199		65
	Govind Nagar	1	NIMON EKKA	Self	Female	80	Widowed	Illiterate	Pensioner		45,46,54/2,55/1	66
16	Govind Nagar	2	VJAY TOPPO	Son	Male	41	Married	Class 12 Pass	Service		45,46,54/2,55/1	67
	Govind Nagar	3	LALITA BARAIK	Daughter-in-Law	Female	36	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	4	LIZZA TOPPO	Paternal Grand Daughter	Female	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Govind Nagar	1	K. ARUMUGAM	Self	Male	60	Married	Class 8 Pass	Service	205,207		68
	Govind Nagar	2	VELLIYAMMAL	Wife	Female	59	Married	Class 4 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	MAHENDRAN	Son	Male	41	Married	Graduate	Service			69
	Govind Nagar	4	SURYAKALA BABU	Daughter-in-Law	Female	39	Married	PG or Above	Service			
	Govind Nagar	5	MAHISH MITHRAN	Paternal Grand Son	Male	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student	205,207		
	Govind Nagar	6	SANGAMITRA	Paternal Grand Daughter	Female	1	Unmarried					
17	Govind Nagar	7	SURESH	Son	Male	37	Married	Graduate	Business			70
	Govind Nagar	8	JAYA	Daughter-in-Law	Female	31	Married	PG or Above	Household Work			
	Govind Nagar	9	RUDRAN	Paternal Grand Son	Male	5	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Govind Nagar	10	LAXMI	Daughter	Female	43	Married	Class 10 Pass	Household Work			71
	Govind Nagar	11	MUTTU KUMAR	Son-in-Law	Male	54	Married	Class 12 Pass	Service			
	Govind Nagar	12	SELVE KUMAR	Maternal Grand Son	Male	25	Unmarried	Graduate	Student			72
	Govind Nagar	13	KARAN KUMAR	Maternal Grand Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			73
18	Govind Nagar	1	DALJIT SINGH	Self	Male	66	Married	Class 5 Pass	Pensioner	209		74
	Govind Nagar	2	HARJINDER PAL KAUR	Wife	Female	64	Married	Class 12 Pass	Pensioner	209		
	Govind Nagar	1	RANJEET SINGH	Self	Male	59	Married	Class 4 Pass	Agriculture	212		75
	Govind Nagar	2	TARA SINGH	Wife	Female	30	Married	Class 5 Pass	Household Work			
19	Govind Nagar	3	AJIT SINGH	Son	Male	10	Unmarried	Class 5 Pass	Student	212		
	Govind Nagar	4	KHUSWANT KAUR	Daughter	Female	7	Unmarried	Class 2 Pass	Student			
	Govind Nagar	5	HARSEERAT KAUR	Daughter	Female	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Govind Nagar	1	BALKAR SINGH	Self	Male	65	Married	Class 5 Pass	Pensioner	212		76
	Govind Nagar	2	BALJINDER KAUR	Wife	Female	55	Married	Class 10 Pass	Household Work			
20	Govind Nagar	3	JAGPREET SINGH	Son	Male	30	Married	Class 12 Pass	Service			77

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
20	Govind Nagar	4	RAJWINDER KAUR	Daughter-in-Law	Female	30	Married	Graduate	Household Work			
	Govind Nagar	5	NAROOP SINGH	Paternal Grand Son	Male	9	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
	Govind Nagar	6	JASROOP SINGH	Paternal Grand Son	Male	8 mths.	Unmarried			212		
21	Govind Nagar	1	GULZAR SINGH	Self	Male	62	Married	Class 5 Pass	Agriculture	212		78
	Govind Nagar	2	MANJEET SINGH	Wife	Female	53	Married	Class 5 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	SANDEEP SINGH	Son	Male	28	Unmarried	Class 12 Pass	Service			79
	Govind Nagar	4	MANDEEP SINGH	Son	Male	26	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture	212		80
	Govind Nagar	5	BALRAM SINGH	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			81
	Govind Nagar	6	BALBIR SINGH	Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			82
22	Govind Nagar	1	KARTAR SINGH	Self	Male	63	Married	Class 8 Pass	Agriculture	212		83
	Govind Nagar	2	DALJEET KAUR	Wife	Female	54	Married	Class 5 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	RAJVINDER KAUR	Daughter	Female	25	Unmarried	Graduate	Service			84
	Govind Nagar	4	AMRINDER SINGH	Son	Male	17	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			
23	Govind Nagar	1	ALVIS KINDO	Self	Male	80	Married	Class 5 Pass	Pensioner		68,72,89	85
	Govind Nagar	2	MARGARET PANNA	Wife	Female	70	Married	Class 3 Pass	Pensioner			
	Govind Nagar	3	DILIP KINDO	Son	Male	46	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour			86
	Govind Nagar	4	GEETA TIRKEY	Daughter-in-Law	Female	41	Married	Class 9 Pass	Household Work		68,72,89	
24	Govind Nagar	5	NARESH KINDO	Paternal Grand Son	Male	23	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			87
	Govind Nagar	6	NIMESH KINDO	Paternal Grand Son	Male	22	Unmarried	Graduate	Student			88
	Govind Nagar	7	NITESH KINDO	Paternal Grand Son	Male	20	Unmarried	Graduate	Student			89
	Govind Nagar	1	RASHPAL SINGH	Self	Male	66	Married	Class 7 Pass	Agriculture	220,222,224		90
25	Govind Nagar	2	JATINDER KAUR	Wife	Female	55	Married	Illiterate	Household Work			
	Govind Nagar	3	HARPREET SINGH	Son	Male	34	Married	Class 12 Pass	Agriculture			91
	Govind Nagar	4	MANPREET KAUR	Daughter-in-Law	Female	25	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	5	HARMEERAT KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	2	Unmarried					
26	Govind Nagar	6	JASPREET SINGH	Son	Male	31	Married	Class 12 Pass	Service			92
	Govind Nagar	7	PALLAVI KAUR	Daughter-in-Law	Female	20	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	1	HARCHARAN SINGH	Self	Male	65	Married	Class 10 Pass	Business	240		93
	Govind Nagar	2	HARMAL KAUR	Wife	Female	65	Married	Class 3 Pass	Business	240		
27	Govind Nagar	1	G. LAXMI	Self	Female	65	Widowed	Class 12 Pass	Pensioner	242,243,244		94
	Govind Nagar	2	VIRENDER KUMAR	Son	Male	38	Married	Class 10 Pass	Service			95

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
26	Govind Nagar	3	SUPRIYA KAUR	Daughter-in-Law	Female	28	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	4	MEHEK SHARDA	Paternal Grand Daughter	Female	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
	Govind Nagar	5	KRITI SHARDA	Paternal Grand Daughter	Female	1	Unmarried					
	Govind Nagar	6	RUPESH KR. SHARDA	Son	Male	34	Married	PG or Above	Service			96
	Govind Nagar	7	RUKSANA KHATOON	Daughter-in-Law	Female	35	Married	PG or Above	Service			
	Govind Nagar	8	ARSH SHARDHA	Paternal Grand Son	Male	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
	Govind Nagar	9	AYAAN SHARDHA	Paternal Grand Son	Male	2	Unmarried					
	Govind Nagar	10	AMARDEEP SHARDHA	Grand Father	Male	56	Widowed	Class 9 Pass	Agriculture	242,243,244		97
	Govind Nagar	1	KULWANT SINGH	Self	Male	64	Married	Class 5 Pass	Pensioner		133	98
	Govind Nagar	2	JASWANT KAUR	Wife	Female	50	Married	Class 2 Pass	Household Work		133	
27	Govind Nagar	3	SURINDER KAUR	Daughter	Female	29	Unmarried	PG or Above	Service			99
	Govind Nagar	4	KARAMJIT KAUR	Daughter	Female	25	Unmarried	Graduate	No Work			100
	Govind Nagar	1	BALWINDER SINGH	Self	Male	57	Married	Class 12 Pass	Pensioner		133	101
	Govind Nagar	2	SUKHWINDER KAUR	Wife	Female	53	Married	Class 9 Pass	Household Work		133	
28	Govind Nagar	3	MANDEEP SINGH	Son	Male	26	Unmarried	Graduate	Service			102
	Govind Nagar	4	JASPREET KAUR	Daughter	Female	20	Unmarried	Graduate	Student			103
	Govind Nagar	1	HARPREET SINGH	Self	Male	36	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour		133	104
	Govind Nagar	2	PRATIMA SINGH	Wife	Female	28	Married	Illiterate	Household Work			
29	Govind Nagar	3	LUVPREET KAUR	Daughter	Female	10	Unmarried	Class 5 Pass	Student			
	Govind Nagar	4	PARAMVIR SINGH	Son	Male	3	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Govind Nagar	1	MALKEET SINGH	Self	Male	33	Unmarried	Class 7 Pass	Non-Agri Labour		133	105
	Govind Nagar	1	PARAMJEET SINGH	Self	Male	57	Married	Graduate	Service		139	106
31	Govind Nagar	2	PARMILA DEVI	Wife	Female	56	Married	Graduate	Service			
	Govind Nagar	3	HARCHARAN SINGH	Brother	Male	64	Married	Class 10 Pass	Pensioner			107
	Govind Nagar	4	HARMEL KAUR	Grand Mother	Female	62	Married	Illiterate	Household Work			108
	Govind Nagar	1	PARAMJEET SINGH	Self	Male	67	Married	Class 11 Pass	Pensioner		146/2,231	109
32	Govind Nagar	2	SURINDER KAUR	Wife	Female	64	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	ARVINDER SINGH	Son	Male	45	Married	Class 12 Pass	Agriculture			110
	Govind Nagar	4	DARINDER KAUR	Daughter-in-Law	Female	45	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	5	JASHAN PREET SINGH	Paternal Grand Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			111
	Govind Nagar	6	HARSH PAREET SINGH	Paternal Grand Son	Male	15	Unmarried	Class 3 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
33	Govind Nagar	1	TARA SINGH PABLA	Self	Male	75	Married	Graduate	Pensioner	248		112
	Govind Nagar	2	JOGINDER KAUR	Wife	Female	70	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	SUKHWANT SINGH PABLA	Son	Male	44	Married	Class 12 Pass	Business			113
	Govind Nagar	4	INDERJEET KAUR	Daughter-in-Law	Female	38	Married	Graduate	Service	248		
	Govind Nagar	5	MANPREET KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	17	Unmarried	Class 12 Pass	Student			
	Govind Nagar	6	ISHMEET SINGH PABLA	Paternal Grand Son	Male	12	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
34	Govind Nagar	1	JAISHREE	Self	Female	65	Widowed	Class 9 Pass	Pensioner		151,228	114
	Govind Nagar	1	BASANTI	Self	Female	48	Widowed	Class 9 Pass	Non-Agri Labour		151,228	115
35	Govind Nagar	2	SIMRAN	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 9 Pass	No Work			116
	Govind Nagar	3	KARAN SINGH	Son	Male	14	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
36	Govind Nagar	1	NIRMAL KAUR	Self	Female	46	Widowed	Class 10 Pass	Rent Income		151,228	117
	Govind Nagar	2	SAHIB KAUR GILL	Daughter	Female	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
37	Govind Nagar	1	M.C. JOSE	Self	Male	65	Married	Class 10 Pass	Pensioner	249,250		118
	Govind Nagar	2	LIZZI	Wife	Female	60	Married	Class 12 Pass	Service			
	Govind Nagar	3	ARUN KUMAR DUTTA	Son	Male	32	Unmarried	Class 10 Pass	No Work			119
38	Govind Nagar	1	THIRATH SINGH	Self	Male	54	Married	Class 9 Pass	Service		318	120
	Govind Nagar	2	GURMEET KAUR	Wife	Female	54	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	HARMEET KAUR	Daughter	Female	25	Unmarried	Class 12 Pass	Student			121
	Govind Nagar	4	KUSHAL PAL SINGH	Son	Male	22	Unmarried	Class 9 Pass	Agriculture			122
39	Govind Nagar	1	KANCHAN BARIA	Self	Male	55	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour		377/1	123
	Govind Nagar	2	KHUSHWAN KAUR	Wife	Female	45	Married	Class 10 Pass	Household Work		377/1	
	Govind Nagar	3	AKASH RITIK BARLA	Son	Male	24	Unmarried	Class 12 Pass	Service			124
	Govind Nagar	4	AMAN RITESH BARLA	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			125
	Govind Nagar	5	ANSHUL	Son	Male	17	Unmarried	Class 12 Pass	Student			
	Govind Nagar	6	MANJEET SINGH	Nephew	Male	38	Unmarried	Class 10 Pass	No Work			126
41	Govind Nagar	1	KALAI RASAN	Self	Male	42	Married	Class 7 Pass	Non-Agri Labour		377/1	127
	Govind Nagar	2	RANJEET KAUR	Wife	Female	42	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Govind Nagar	3	SURAJ	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			128
	Govind Nagar	4	SURYA	Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Govind Nagar	5	NEHA KUMARI	Daughter	Female	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student		377/1	
	Govind Nagar	1	DALWINDER SINGH TOOR	Self	Male	74	Married	Class 10 Pass	Pensioner	300		129

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
41	Govind Nagar	2	DARSHAN KAUR	Wife	Female	76	Married	Class 10 Pass	Pensioner			
	Govind Nagar	3	PARIYPAL SINGH	Son	Male	45	Married	Class 12 Pass	Rent Income			130
	Govind Nagar	4	GURJEET KAUR	Daughter-in-Law	Female	44	Married	PG or Above	Service			
1	Joginder Nagar	1	SURINDER KAUR	Self	Female	86	Widowed	Illiterate	Pensioner	238		131
2	Joginder Nagar	1	BALBIR SINGH	Self	Male	67	Married	Class 11 Pass	Pensioner	245		132
	Joginder Nagar	2	NIRMAL KAUR	Wife	Female	67	Married	Class 8 Pass	Pensioner			
	Joginder Nagar	3	MANMOHAN SINGH	Son	Male	36	Married	Graduate	Service			133
	Joginder Nagar	4	HARMEET KAUR	Daughter-in-Law	Female	39	Married	Graduate	Business			
	Joginder Nagar	5	JASKARAN SINGH	Paternal Grand Daughter	Female	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student	245		
3	Joginder Nagar	1	AMARJEET SINGH	Self	Male	64	Widowed	Class 10 Pass	Agriculture	253,254,256		134
	Joginder Nagar	2	SATINDER PAL SINGH	Son	Male	38	Married	PG or Above	Service			135
	Joginder Nagar	3	INDERJEET KAUR	Daughter-in-Law	Female	34	Married	PG or Above	Service			
	Joginder Nagar	4	TAJVIR SINGH SANDHU	Paternal Grand Son	Male	4	Unmarried	Going to AWC	Student			
	Joginder Nagar	5	MUKHUAR KAUR	Mother	Female	92	Widowed	Class 5 Pass	No Work	253,254,256		136
4	Joginder Nagar	1	AMARJEET SINGH GREWAL	Self	Male	80	Widowed	Illiterate	Agriculture		79,8/2	137
	Joginder Nagar	2	SATNAM SINGH GREWAL	Son	Male	48	Married	Class 10 Pass	Agriculture			138
	Joginder Nagar	3	BALJEET KAUR	Daughter-in-Law	Female	37	Married	Class 12 Pass	Household Work		79,8/2	
	Joginder Nagar	4	PRABJOT KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			139
	Joginder Nagar	5	ANGADJEET SINGH GERWAL	Paternal Grand Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
5	Joginder Nagar	1	KASHMIRA SINGH	Self	Male	62	Married	Class 5 Pass	Pensioner		12,16	140
	Joginder Nagar	2	RANJEET KAUR	Wife	Female	52	Married	Class 8 Pass	Household Work			141
	Joginder Nagar	3	GURMEET SINGH	Son	Male	30	Unmarried	Class 10 Pass	Agriculture		12,16	142
6	Joginder Nagar	1	RANI	Self	Female	56	Widowed	Graduate	Service		18,136	143
	Joginder Nagar	2	RAJ KAUR	Mother	Female	96	Widowed	Illiterate	Pensioner			144
	Joginder Nagar	1	JAGDESSH SINGH	Self	Male	77	Married	Illiterate	Agriculture		80	145
	Joginder Nagar	2	GURUCHARAN KAUR	Wife	Female	69	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Joginder Nagar	3	MANJEET SINGH	Son	Male	50	Married	Class 8 Pass	Business			146
	Joginder Nagar	4	LAXMI SINGH	Daughter-in-Law	Female	35	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Joginder Nagar	5	PARVINDER KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
7	Joginder Nagar	6	JASPREET KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Joginder Nagar	7	DARSHAM SINGH	Paternal Grand Son	Male	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Joginder Nagar	8	SHABDER SINGH	Son	Male	44	Married	Class 9 Pass	Agriculture			147
	Joginder Nagar	9	JYOTI DEVI	Daughter-in-Law	Female	38	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Joginder Nagar	10	ANURINDER KAUR	Paternal Grand Daughter	Female	20	Unmarried	Class 12 Pass	Student			148
	Joginder Nagar	11	GAGANPREET SINGH	Paternal Grand Son	Male	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student		80	
8	Joginder Nagar	1	AMARJEET KAUR	Self	Female	59	Widowed	Class 8 Pass	Service		134,164,165	149
9	Joginder Nagar	1	PRAGAS SINGH	Self	Male	63	Married	Class 4 Pass	Pensioner		210	150
	Joginder Nagar	2	NARENDER KAUR	Wife	Female	57	Married	Class 9 Pass	Household Work			
10	Joginder Nagar	1	HARSHVINDER SINGH	Self	Male	67	Married	Class 8 Pass	Agriculture		217/1	151
	Joginder Nagar	2	KULVINDER KAUR	Wife	Female	61	Married	Illiterate	Household Work			
11	Joginder Nagar	1	SUSHEELA	Self	Female	58	Widowed	Class 5 Pass	Agriculture		217/3	152
12	Joginder Nagar	1	NACHATTAR SINGH	Self	Male	72	Married	Class 4 Pass	Pensioner		246,30,31,291	153
	Joginder Nagar	2	BIMLA KAUR	Wife	Female	65	Married	Class 5 Pass	Agriculture			
	Joginder Nagar	3	SUKHVINDER SINGH	Son	Male	36	Married	Class 10 Pass	No Work			154
	Joginder Nagar	4	KAVITA DEVI	Daughter-in-Law	Female	32	Married	Class 7 Pass	Household Work		246,30,31,291	
13	Joginder Nagar	5	MAN SINGH MANN	Paternal Grand Son	Male	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Joginder Nagar	6	SHAMSHER SINGH	Son	Male	30	Unmarried	Graduate	No Work			155
	Joginder Nagar	1	HARPAL KAUR	Self	Female	80	Widowed	Illiterate	Agriculture		285	156
	Joginder Nagar	2	JASPAL SINGH	Son	Male	40	Married	Class 12 Pass	Service			157
1	Joginder Nagar	3	RENU SINGH	Daughter-in-Law	Female	35	Married	Graduate	Service			
	Joginder Nagar	4	JASAN SINGH	Paternal Grand Son	Male	8	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	KASHI VISHWANATH	Self	Male	74	Widowed	Class 4 Pass	Pensioner	28		158
	Vijay Nagar	1	SANDEEP KALYAN CHAKRAVARTY	Self	Male	44	Married	Class 12 Pass	Business	35		159
2	Vijay Nagar	2	P.S. SAMITHA	Wife	Female	43	Married	Graduate	Service			
	Vijay Nagar	3	YASHAVI SHETTY	Daughter	Female	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Vijay Nagar	4	ADARSH SHETTY	Son	Male	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	AMAR KARLYAN CHARAVARTY	Self	Male	46	Widowed	Class 12 Pass	Pensioner	35		160
3	Vijay Nagar	2	N. RUPA BAYI	Mother	Female	75	Widowed	Class 10 Pass	Household Work	35		161
4	Vijay Nagar	1	R. DEVARAJULU	Self	Male	55	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	39		162
	Vijay Nagar	2	T. PARVATI	Wife	Female	36	Married	Class 6 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	D. TRISHANT	Son	Male	11	Unmarried	Class 5 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	R. TULSI	Self	Female	60	Widowed	Class 8 Pass	Household Work	39		163

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
5	Vijay Nagar	2	VINKAT RAMAN	Son	Male	37	Married	Class 12 Pass	Business			164
	Vijay Nagar	3	VENKAT LAXMI	Daughter-in-Law	Female	36	Married	Graduate	Service			
	Vijay Nagar	4	G. JEMSHA	Paternal Grand Daughter	Female	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Vijay Nagar	5	G. EVANSI	Paternal Grand Daughter	Female	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Vijay Nagar	1	R. DAND PANI	Self	Male	53	Married	Class 10 Pass	Service	39		165
6	Vijay Nagar	2	RAJ MANI	Wife	Female	50	Married	Class 10 Pass	Household Work	39		
	Vijay Nagar	3	AGALYA	Daughter	Female	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			166
	Vijay Nagar	1	SARASWATI AMMA	Self	Female	74	Widowed	Class 12 Pass	Agriculture	53		167
7	Vijay Nagar	1	SAVITRI DEVI	Self	Female	64	Married	Class 6 Pass	Household Work		18,18/1	168
	Vijay Nagar	2	BIRENDRA KR. TIWARI	Son	Male	42	Separated	Class 12 Pass	Service			169
	Vijay Nagar	3	ADARSH TIWARI	Paternal Grand Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student		18,18/1	
8	Vijay Nagar	1	R. DURAIRAJ	Self	Male	70	Married	Class 8 Pass	Pensioner	181		170
	Vijay Nagar	2	S. BHAGIYAWATHI	Wife	Female	67	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	D. SELVA KUMAR	Son	Male	35	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour	181		171
9	Vijay Nagar	1	FAKRUDDIN ALI AHMED	Self	Male	48	Married	Class 12 Pass	Service		175	172
	Vijay Nagar	2	FAREEN	Wife	Female	48	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	MD. ADEEB	Son	Male	21	Unmarried	Class 12 Pass	Student			173
10	Vijay Nagar	4	MD. TAWQEER	Son	Male	19	Unmarried	Class 11 Pass	Student			174
	Vijay Nagar	5	ZEENATH AMMAL	Sister	Female	67	Widowed	Class 10 Pass	Pensioner		175	175
	Vijay Nagar	1	MURUGANANDHAM	Self	Male	50	Married	Class 10 Pass	Service		176/1,176/2,176/4	176
11	Vijay Nagar	2	JANAM	Daughter	Female	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student		176/1,176/2,176/4	
	Vijay Nagar	2	KASTURI	Wife	Female	41	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	MITESH	Son	Male	14	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
12	Vijay Nagar	1	S. BABI	Self	Female	63	Widowed	Class 8 Pass	Household Work	183,186		177
	Vijay Nagar	2	S. MANAVALAM	Son	Male	40	Married	Class 12 Pass	Service			178
	Vijay Nagar	3	M. NIRMALA	Daughter-in-Law	Female	40	Married	Class 12 Pass	Service			
13	Vijay Nagar	4	M. KRITIKA	Paternal Grand Daughter	Female	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
	Vijay Nagar	5	M. MALVIKA	Paternal Grand Daughter	Female	3	Unmarried					
	Vijay Nagar	6	S. SHIVA SHANKAR	Son	Male	37	Married	Class 12 Pass	Service			179
14	Vijay Nagar	7	TIRABAKARI	Daughter-in-Law	Female	30	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	1	R. DHARMALINGAM	Self	Male	57	Married	Class 10 Pass	Business	245		180

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
13	Vijay Nagar	2	D. VASAGI	Wife	Female	53	Married	Graduate	Business			
	Vijay Nagar	3	D. SHALINI	Daughter	Female	25	Unmarried	Graduate	No Work			181
	Vijay Nagar	4	D. RAMYA	Daughter	Female	23	Unmarried	Graduate	Service	245		182
14	Vijay Nagar	1	S. UGINRAJ SAMOATH KUMAR	Self	Male	68	Married	Class 10 Pass	Pensioner		178,254	183
	Vijay Nagar	2	ELIZABETH RANI	Wife	Female	66	Married	Class 11 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	U. CATHERENE	Daughter	Female	41	Unmarried	PG or Above	Business		178,254	184
15	Vijay Nagar	1	S. PAPU FELSI	Self	Female	66	Unmarried	Class 11 Pass	Pensioner		178,254	185
	Vijay Nagar	2	J. LILLY BAI	Mother	Female	86	Widowed	Class 8 Pass	Pensioner			186
	Vijay Nagar	1	DR. R.P. MURUGAN	Self	Male	56	Married	PG or Above	Service	283		187
16	Vijay Nagar	2	PREMA MURUGAN	Wife	Female	51	Married	Class 12 Pass	Service	283		
	Vijay Nagar	3	M. VISWA PRASANT	Son	Male	27	Married	Class 12 Pass	Service			188
	Vijay Nagar	4	AMBIKA PAUL	Daughter-in-Law	Female	27	Married	Graduate	Service			
17	Vijay Nagar	5	M. DINAKKAR VISWA	Son	Male	26	Unmarried	Graduate	Student			189
	Vijay Nagar	1	OMKAR DUTT	Self	Male	71	Married	Class 11 Pass	Pensioner	305		190
	Vijay Nagar	2	LALITA SHARMA	Wife	Female	69	Married	Graduate	Household Work	305		
18	Vijay Nagar	3	PRASHANT KUMAR	Son	Male	40	Separated	Graduate	Service			191
	Vijay Nagar	1	PARWATHI	Self	Female	76	Widowed	Class 9 Pass	Pensioner		279,280	192
	Vijay Nagar	2	S. SHIVA	Son	Male	47	Married	Class 10 Pass	Service			193
19	Vijay Nagar	3	S. JAYALAXMI	Daughter-in-Law	Female	38	Married	Graduate	Household Work			
	Vijay Nagar	4	S. PRITHA	Paternal Grand Daughter	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			194
	Vijay Nagar	5	S. KISHOR	Paternal Grand Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
20	Vijay Nagar	6	S. SHANKAR	Son	Male	46	Married	Class 12 Pass	Service			195
	Vijay Nagar	7	S. VIJAY LAXMI	Daughter-in-Law	Female	41	Married	Graduate	Household Work			
	Vijay Nagar	8	KARTIKEYAN	Paternal Grand Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
19	Vijay Nagar	9	JAYASHREE	Paternal Grand Daughter	Female	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	SELVA GANESHAN	Self	Male	61	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour		279,280	196
	Vijay Nagar	2	S. SUDHA	Wife	Female	55	Married	Class 12 Pass	Household Work			
20	Vijay Nagar	1	AVTAR SINGH	Self	Male	71	Married	Illiterate	Agriculture		299,336	197
	Vijay Nagar	2	BALBIR KAUR	Wife	Female	62	Married	Class 8 Pass	Household Work		299,336	
	Vijay Nagar	3	KULVINDER SINGH	Son	Male	32	Married	Graduate	Business			198
	Vijay Nagar	4	MANPREET SINGH	Daughter-in-Law	Female	27	Married	Graduate	Household Work			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
21	Vijay Nagar	5	DIL SHERAZ	Paternal Grand Son	Male	2	Unmarried					
	Vijay Nagar	6	HAVIRAJ	Paternal Grand Son	Male	1	Unmarried					
	Vijay Nagar	1	S. MANORANJAN	Self	Male	52	Married	Class 10 Pass	Service		311,314	199
	Vijay Nagar	2	P. NADHIYA	Wife	Female	32	Married	Illiterate	Household Work			
	Vijay Nagar	3	M. RAMESH	Son	Male	20	Unmarried	Class 10 Pass	No Work			200
	Vijay Nagar	4	M. RAMESH	Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
22	Vijay Nagar	5	M. TIRUMALAI	Son	Male	10	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	ROSAMAAL	Self	Female	81	Widowed	Illiterate	Pensioner		324	201
	Vijay Nagar	2	M. MANIVANNAN	Son	Male	53	Married	Graduate	Service			202
	Vijay Nagar	3	M. JAYALXMI	Daughter-in-Law	Female	50	Married	Class 11 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	4	JAYAM SABRI DASAM	Paternal Grand Son	Male	15	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Vijay Nagar	5	RAJESH KUMAR	Son	Male	47	Married	Class 12 Pass	Service			203
23	Vijay Nagar	6	M. MAHALXMI	Daughter-in-Law	Female	40	Married	Graduate	Household Work		324	
	Vijay Nagar	7	RAKSHANA	Paternal Grand Daughter	Female	5	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	SHOBHNATH RAM	Self	Male	70	Married	Illiterate	Pensioner		324	204
	Vijay Nagar	2	KALAWATI	Wife	Female	62	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	KALITRA	Daughter	Female	33	Unmarried	Class 12 Pass	Service			205
	Vijay Nagar	1	K. PALLANI	Self	Male	66	Married	Class 9 Pass	Pensioner		486	206
24	Vijay Nagar	2	REVATHI	Wife	Female	63	Married	Class 10 Pass	Pensioner			
	Vijay Nagar	3	KANAK SONDARAM	Son	Male	43	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			207
	Vijay Nagar	4	MANJULA LAKRA	Daughter-in-Law	Female	43	Married	Graduate	Household Work			
	Vijay Nagar	5	NAMIT KANAK	Paternal Grand Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Vijay Nagar	6	KASHISH KANAK	Paternal Grand Daughter	Female	11	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Vijay Nagar	1	R. SELVA BALAM	Self	Male	73	Married	Class 10 Pass	Business		488,555	208
25	Vijay Nagar	2	R.S. ANAND NAYAKI	Wife	Female	53	Married	Class 6 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	3	R.S. MAGHESH WARAMN	Son	Male	38	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour		488,555	209
	Vijay Nagar	4	ASHA	Daughter-in-Law	Female	25	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Vijay Nagar	5	R.S. PARMESH WARAM	Son	Male	33	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			210
	Laxmi Nagar	1	MAINA BAI	Mother	Female	75	Widowed	Class 2 Pass	No Work	6		211
	Laxmi Nagar	2	BABA SAHEB	Son	Male	53	Married	Class 9 Pass	Agriculture	6		212
1	Laxmi Nagar	3	LAXMI	Daughter-in-Law	Female	49	Married	Class 9 Pass	Household Work			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Laxmi Nagar	4	SRI RAM	Paternal Grand Son	Male	27	Unmarried	Class 12 Pass	Service			213
2	Laxmi Nagar	1	VUAY JATHAR	Self	Male	52	Married	Class 9 Pass	Agriculture	6		214
	Laxmi Nagar	2	INDU KUMARI	Wife	Female	42	Married	Class 7 Pass	Household Work	6		
3	Laxmi Nagar	1	GIRISH JOSHI	Self	Male	53	Married	Class 9 Pass	Agriculture		31,65	215
	Laxmi Nagar	2	PADMA JOSHI	Wife	Female	43	Married	Class 5 Pass	Household Work			
4	Laxmi Nagar	1	SHIVANI KHEDLA	Self	Female	50	Married	Graduate	Agriculture	8	124	216
	Laxmi Nagar	1	DILIP CHANDEL	Self	Male	60	Married	Class 7 Pass	Agriculture	8		217
5	Laxmi Nagar	2	PRABHAVATI	Daughter	Female	58	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	ADITYA CHANDEL	Son	Male	29	Unmarried	Class 9 Pass	Service			218
	Laxmi Nagar	4	AKSHAY CHANDEL	Son	Male	26	Unmarried	Class 12 Pass	Service			219
	Laxmi Nagar	5	ANSHUMAN CHANDEL	Son	Male	25	Unmarried	Class 12 Pass	Service			220
6	Laxmi Nagar	1	SITA RAM KHEDLA	Self	Male	56	Married	Graduate	Service	8		221
	Laxmi Nagar	2	NAMRATA KHEDLA	Wife	Female	50	Married	Class 11 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	ANIRUDH KHEDLA	Son	Male	22	Unmarried	Graduate	Student			222
	Laxmi Nagar	4	AKSHADA KHEDLA	Daughter	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			223
	Laxmi Nagar	1	K.P. SHAKARE	Self	Male	75	Married	Class 12 Pass	Pensioner	19		224
	Laxmi Nagar	2	REKHA SHAKARE	Wife	Female	66	Married	Class 5 Pass	Household Work	19		
	Laxmi Nagar	3	KAILASH SHAKARE	Son	Male	48	Married	Class 12 Pass	Business			225
	Laxmi Nagar	4	HEERA SHAKARE	Daughter-in-Law	Female	40	Married	Class 10 Pass	Household Work			
7	Laxmi Nagar	5	ROHIT SHAKARE	Paternal Grand Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	6	SON2 SHAKARE	Paternal Grand Son	Male	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	7	RAJKUMAR SHAKARE	Son	Male	40	Married	Class 12 Pass	Service			226
	Laxmi Nagar	8	VARSHA SHAKARE	Daughter-in-Law	Female	35	Married	Graduate	Household Work			
	Laxmi Nagar	9	SON1 SHAKARE	Paternal Grand Son	Male	10	Unmarried	Class 5 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	10	SON2 SHAKARE	Paternal Grand Son	Male	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
8	Laxmi Nagar	1	CHAYA KHEDKAR	Self	Female	40	Widowed	Class 8 Pass	Pensioner	46		227
	Laxmi Nagar	2	SAMARTH KHEDKAR	Son	Male	22	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			228
	Laxmi Nagar	3	SAI KHEDKAR	Son	Male	20	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			229
9	Laxmi Nagar	1	AMIT SHAKHARE	Self	Male	32	Married	Class 12 Pass	Business	46		230
	Laxmi Nagar	2	VAISHALI KHEDKAR	Wife	Female	29	Married	Graduate	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	RITVIK SHAKHARE	Son	Male	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
10	Laxmi Nagar	1	REKHA SAPKAL	Self	Female	53	Widowed	Class 5 Pass	Agriculture		53,156	231
	Laxmi Nagar	2	PRIYANKA SAPKAL	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			232
	Laxmi Nagar	3	VISHNU SAPKAL	Son	Male	20	Unmarried	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			233
11	Laxmi Nagar	1	RANJEET SINGH RAWATH	Self	Male	46	Married	Graduate	Agri-Labour	82		234
	Laxmi Nagar	2	RAVI RITA BIHARI LAL	Wife	Female	42	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	RASHI RAWATH	Daughter	Female	7	Unmarried	Class 2 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	4	JANVI RAWATH	Daughter	Female	3	Unmarried	Nursery/KG	Student			
12	Laxmi Nagar	1	JARNAL SINGH RAWATH	Self	Male	53	Married	Class 12 Pass	Service	82		235
	Laxmi Nagar	2	MANJU RAWATH	Wife	Female	48	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	ROHIT RAWATH	Son	Male	20	Unmarried	Class 12 Pass	Student			236
13	Laxmi Nagar	1	AMAR SINGH RAWATH	Self	Male	52	Married	Class 10 Pass	Agriculture	82		237
	Laxmi Nagar	2	RANJANA RAWATH	Wife	Female	39	Married	Class 11 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	RITA RAWATH	Daughter	Female	12	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	4	NOOR RAWAT	Daughter	Female	10	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
14	Laxmi Nagar	1	SRIRANG KOKRE	Self	Male	65	Widowed	Class 3 Pass	Pensioner		56	238
15	Laxmi Nagar	1	SNEHLATA BAND	Wife	Female	85	Widowed	Illiterate	Pensioner	85		239
	Laxmi Nagar	2	CHAYA WAGH	Daughter	Female	54	Married	Class 12 Pass	Household Work			240
	Laxmi Nagar	3	KAILASH WAGH	Son-in-Law	Male	61	Married	Class 12 Pass	No Work			
	Laxmi Nagar	4	RAKESH WAGH	Paternal Grand Son	Male	31	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture	85		241
16	Laxmi Nagar	1	DEEPAK BAND	Self	Male	59	Married	Graduate	Service	85		242
	Laxmi Nagar	2	KALPANA BAND	Wife	Female	50	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	AVILASH BAND	Son	Male	34	Unmarried	Graduate	Service			243
17	Laxmi Nagar	1	SARASWATHI	Self	Female	53	Widowed	Class 12 Pass	Household Work	85		244
	Laxmi Nagar	2	PRIYANKA BAND	Daughter	Female	24	Unmarried	Graduate	Student			245
18	Laxmi Nagar	1	DILIP KUMAR DAIRKAR	Self	Male	67	Married	Class 4 Pass	Agriculture		64/P	246
	Laxmi Nagar	2	JAYANTI DAIRKAR	Wife	Female	60	Married	Class 5 Pass	Agriculture			
19	Laxmi Nagar	1	SHARAD BHIDE	Self	Male	75	Married	Class 10 Pass	Agriculture	109		247
	Laxmi Nagar	2	JYOTHI BHIDE	Wife	Female	70	Married	Class 5 Pass	Household Work			
20	Laxmi Nagar	1	AMIT KUMAR	Self	Male	44	Married	Graduate	Service	109		248
	Laxmi Nagar	2	NEENA BHIDE	Wife	Female	43	Married	Graduate	Service			
	Laxmi Nagar	3	A. ANUSHKA KUMARI	Daughter	Female	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
21	Laxmi Nagar	1	RAMESH BHIDE	Self	Male	40	Married	Graduate	Business	109		249
	Laxmi Nagar	2	BABY	Wife	Female	30	Married	Graduate	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	RISHAP	Son	Male	3	Unmarried					
22	Laxmi Nagar	1	CHANDRA KALA	Self	Female	80	Widowed	Illiterate	Pensioner	111		250
	Laxmi Nagar	2	MANIK RAO AHER	Son	Male	56	Married	Class 11 Pass	Agri-Labour			251
	Laxmi Nagar	3	SUREKHA AHER	Daughter-in-Law	Female	50	Married	Class 7 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	4	KIRAN KUMAR AHER	Son	Male	32	Unmarried	Graduate	Service			252
	Laxmi Nagar	5	GANESH RAO	Son	Male	29	Unmarried	Class 12 Pass	Service			253
23	Laxmi Nagar	1	INDU TAI	Self	Female	55	Widowed	Class 9 Pass	Service	111		254
	Laxmi Nagar	2	SURAJ KUMAR	Son	Male	34	Married	Class 9 Pass	No Work			255
	Laxmi Nagar	3	SABITA BALA	Daughter-in-Law	Female	35	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	4	GAURAV	Paternal Grand Son	Male	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
24	Laxmi Nagar	1	MEENA DEVI	Self	Female	54	Widowed	Illiterate	Service	111		256
	Laxmi Nagar	2	MANISH KUMAR	Son	Male	36	Married	Class 8 Pass	Service			257
	Laxmi Nagar	3	ANIMA LAKRA	Daughter-in-Law	Female	39	Married	Class 12 Pass	Household Work			
25	Laxmi Nagar	4	AYUSH KUMAR	Paternal Grand Son	Male	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	1	N. JANARDHAN	Self	Male	32	Unmarried	Graduate	Service	133		258
26	Laxmi Nagar	2	N. YOGESH	Brother	Male	29	Unmarried	Graduate	Service			259
	Laxmi Nagar	1	HANUMANTH WAGH	Self	Male	78	Married	Class 8 Pass	Agriculture	139	125,127	260
27	Laxmi Nagar	2	BRUJITA WAGH	Wife	Female	66	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	1	MALAN WAGH	Self	Female	55	Widowed	Class 8 Pass	Pensioner	139	125,127	261
28	Laxmi Nagar	1	R.BETHURAJ	Self	Male	48	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour	140		262
	Laxmi Nagar	1	RAJESH CHADDA	Self	Male	40	Married	Graduate	Business	280		263
29	Laxmi Nagar	2	MANISHA ARYA	Wife	Female	30	Married	Graduate	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	MYARA CHADDA	Daughter	Female	11	Unmarried	Class 5 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	4	IRA CHADDA	Daughter	Female	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	1	R. BETHURAJ	Self	Male	48	Married	Class 10 Pass	Agriculture	285		264
30	Laxmi Nagar	2	K. MALINI	Wife	Female	45	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	B. SHARAN RAJ	Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	1	V. JAIPAL	Self	Male	76	Married	Class 9 Pass	Agriculture		155	265
31	Laxmi Nagar	2	J. KALAARASI	Wife	Female	67	Married	Class 11 Pass	Pensioner			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
32	Laxmi Nagar	1	VUAY BAHADUR SINGH	Self	Male	64	Married	Class 10 Pass	Agriculture		197,198,264	266
	Laxmi Nagar	2	SHAIL KUMAR SINGH	Wife	Female	58	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	OM PRAKASH SINGH	Son	Male	36	Married	Class 10 Pass	Agriculture			267
	Laxmi Nagar	4	PINKY SINGH	Daughter-in-Law	Female	32	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	5	AROHI SINGH	Paternal Grand Daughter	Female	12	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	6	ASHIV SINGH	Paternal Grand Daughter	Female	7	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	7	AJIT PRAKASH SINGH	Son	Male	33	Married	Class 12 Pass	No Work			268
	Laxmi Nagar	8	JYOTI SINGH	Daughter-in-Law	Female	28	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	9	AKRITI SINGH	Paternal Grand Daughter	Female	3	Unmarried					
33	Laxmi Nagar	1	GYANAPPU	Self	Female	78	Widowed	Class 5 Pass	Pensioner		258	269
	Laxmi Nagar	2	MADHAVAN	Son	Male	40	Separated	Class 11 Pass	Agriculture			270
34	Laxmi Nagar	1	BABA SAHEB SAGAR	Self	Male	52	Married	Class 9 Pass	Agriculture		259	271
	Laxmi Nagar	2	LAXMI DHUTRE	Wife	Female	48	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	SRIRAM SAGAR	Son	Male	27	Unmarried	Class 12 Pass	Service			272
	Laxmi Nagar	1	RAHUL YADHAV	Self	Male	69	Married	Class 10 Pass	Pensioner		279,216	273
35	Laxmi Nagar	2	LATA YADHAV	Wife	Female	60	Married	Class 6 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	ANAND YADHAV	Son	Male	40	Married	Class 9 Pass	Agriculture			274
	Laxmi Nagar	4	KAMLA YADHAV	Daughter-in-Law	Female	42	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	5	ROHIT YADHAV	Paternal Grand Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture			275
	Laxmi Nagar	6	ISHA YADHAV	Paternal Grand Daughter	Female	16	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	7	AVINASH YADHAV	Son	Male	33	Married	Class 12 Pass	Agriculture			276
	Laxmi Nagar	8	SEJAL YADHAV	Daughter-in-Law	Female	20	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	9	AARAV	Paternal Grand Son	Male	1	Unmarried				279,216	
	Laxmi Nagar	1	SATISH YADHAV	Self	Male	55	Married	Class 12 Pass	Service		279,216	277
36	Laxmi Nagar	2	KUNDA	Wife	Female	44	Married	Class 11 Pass	Service			278
	Laxmi Nagar	3	ANURAG YADHAV	Son	Male	20	Unmarried	Class 12 Pass	Service			279
	Laxmi Nagar	4	ANUBHAV YADHAV	Son	Male	17	Unmarried	Class 12 Pass	Student			
	Laxmi Nagar	1	SIDDHARTH YADHAV	Self	Male	63	Married	Graduate	Pensioner		279,216	280
37	Laxmi Nagar	2	LALITA YADHAV	Wife	Female	60	Married	Class 10 Pass	Household Work		279,216	
	Laxmi Nagar	3	MEGHA YADHAV	Daughter	Female	26	Unmarried	Class 12 Pass	Service			281
	Laxmi Nagar	1	MARY GRACE	Self	Female	70	Unmarried	Class 9 Pass	Pensioner		100,282,297	282

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
38	Laxmi Nagar	2	GYAN TAI	Sister	Female	52	Unmarried	Class 8 Pass	Household Work			283
	Laxmi Nagar	1	RAM KRISHNA NATHU	Self	Male	60	Married	Class 6 Pass	Agriculture		49,54,194	284
	Laxmi Nagar	2	SINDHU BANKAR	Wife	Female	50	Married	Class 6 Pass	Household Work			
	Laxmi Nagar	3	RISHI KANT	Son	Male	33	Married	Class 10 Pass	Service		49,54,194	285
	Laxmi Nagar	4	PRAMITA	Daughter-in-Law	Female	26	Married	Class 12 Pass	Household Work			
1	Gandhi Nagar	1	KRAMILA BARA	Self	Female	75	Widowed	Illiterate	Pensioner	16,70	16	286
	Gandhi Nagar	2	AMIT MINZ	Son	Male	35	Unmarried	Class 5 Pass	Non-Agri Labour			287
2	Gandhi Nagar	1	SIMPHROSA MINZ	Self	Male	63	Widowed	Class 5 Pass	Pensioner	16,70	16	288
	Gandhi Nagar	2	JYOTI TOPPO	Daughter	Female	41	Unmarried	Class 12 Pass	Household Work			289
3	Gandhi Nagar	1	WALTER MINZ	Self	Male	55	Married	Class 8 Pass	Service	16,70	16	290
	Gandhi Nagar	2	JAGAT JYOTI KHALKO	Wife	Female	50	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour			
	Gandhi Nagar	3	DEEPIKA MINZ	Daughter	Female	25	Unmarried	Class 12 Pass	Student			291
	Gandhi Nagar	4	SANJANA MINZ	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	Student			292
	Gandhi Nagar	1	PRATIMA MINZ	Self	Female	50	Widowed	Class 4 Pass	Household Work	16,70	16	293
4	Gandhi Nagar	2	RUPA KACHHAP	Daughter	Female	24	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			294
	Gandhi Nagar	3	ROHIT KACHHAP	Son	Male	23	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			295
5	Gandhi Nagar	1	RIDDAL MINZ	Self	Male	47	Married	Class 7 Pass	Non-Agri Labour	16,70	16	296
	Gandhi Nagar	2	CLARA DUNDUN	Wife	Female	43	Married	Class 8 Pass	Agriculture			
	Gandhi Nagar	3	DEEPAK MINZ	Son	Male	24	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			297
	Gandhi Nagar	4	ARUNA MINZ	Daughter-in-Law	Female	23	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	5	ARYAN MINZ	Paternal Grand Son	Male	1	Unmarried					
6	Gandhi Nagar	6	ROSHAN MINZ	Son	Male	22	Unmarried	Class 9 Pass	Non-Agri Labour			298
	Gandhi Nagar	1	JOHANI TOPPO	Self	Female	70	Widowed	Illiterate	Agriculture	18,71	18	299
7	Gandhi Nagar	2	ANIL LAKRA	Son	Male	35	Unmarried	Class 8 Pass	Non-Agri Labour			300
	Gandhi Nagar	1	ANUP LAKRA	Self	Male	51	Married	Class 12 Pass	Agriculture	18,71	18	301
	Gandhi Nagar	2	LILIGRACE KERKETTA	Wife	Female	47	Married	Class 12 Pass	Service			
	Gandhi Nagar	3	AMAN LAKRA	Son	Male	25	Unmarried	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			302
	Gandhi Nagar	4	ALISHA LAKRA	Daughter	Female	22	Unmarried	Class 12 Pass	Service			303
8	Gandhi Nagar	5	ARPAN LAKRA	Son	Male	21	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			304
	Gandhi Nagar	1	SURENDRA LAKRA	Self	Male	46	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour	18,71	18	305
	Gandhi Nagar	2	ANIMA MINZ	Wife	Female	42	Married	Class 10 Pass	Household Work			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Gandhi Nagar	3	ALEX LAKRA	Son	Male	17	Unmarried	Class 12 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	ATUL LAKRA	Son	Male	6	Unmarried	Class 2 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	RAJ KISHORI	Self	Female	47	Widowed	Class 9 Pass	Service	18,71	18	306
	Gandhi Nagar	2	RESHMA	Daughter	Female	28	Married	Class 10 Pass	Household Work			307
	Gandhi Nagar	3	AJAY KUMAR	Son-in-Law	Male	35	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour			
	Gandhi Nagar	4	RAHUL	Son	Male	23	Unmarried	Class 12 Pass	Non-Agri Labour	18,71	18	308
	Gandhi Nagar	5	ROSHAN	Daughter	Female	20	Unmarried	Graduate	Student			309
	Gandhi Nagar	1	JUGNU EKKA	Self	Male	50	Married	Illiterate	Agri-Labour	18,71	18	310
	Gandhi Nagar	2	RAJESH KUMARI	Wife	Female	45	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour			
	Gandhi Nagar	3	VINAY EKKA	Son	Male	24	Unmarried	Class 12 Pass	No Work	18,71	18	311
	Gandhi Nagar	4	VINDIYA EKKA	Daughter	Female	20	Unmarried	Class 12 Pass	Student			312
	Gandhi Nagar	1	DASMANORANJAN	Self	Male	85	Widowed	Class 6 Pass	Pensioner	19,32	19,32	313
	Gandhi Nagar	2	R. JAMES RAVI BABU	Son	Male	52	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			314
	Gandhi Nagar	3	R. JAYA	Daughter-in-Law	Female	47	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	4	R. JESSIKA SWARNA KUMARI	Paternal Grand Daughter	Female	23	Unmarried	PG or Above	Student	19,32	19,32	315
	Gandhi Nagar	5	R. JASON JAMES	Paternal Grand Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			316
	Gandhi Nagar	1	PANCHAM GEROGGE LAKRA	Self	Male	57	Married	Class 9 Pass	Agriculture	22,76		317
	Gandhi Nagar	2	SISILIA EKKA	Wife	Female	55	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	CRACKSY LAKRA	Daughter	Female	31	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			318
	Gandhi Nagar	4	ANKITA LAKRA	Daughter	Female	26	Unmarried	Graduate	Service			319
	Gandhi Nagar	5	AVANTIKA LAKRA	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	Service			320
	Gandhi Nagar	6	JULIET LAKRA	Daughter	Female	20	Unmarried	Class 8 Pass	Non-Agri Labour			321
	Gandhi Nagar	1	BIPIN KISHOR LAKRA	Self	Male	49	Married	Class 9 Pass	Agriculture	22,76		322
	Gandhi Nagar	2	DUMNIKA TIRKEY	Wife	Female	45	Married	Class 11 Pass	Household Work	22,76		
	Gandhi Nagar	3	MUSKAN LAKRA	Daughter	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	Service			323
	Gandhi Nagar	1	XAVIER MINZ	Self	Male	44	Married	Class 10 Pass	Service	22,76		324
	Gandhi Nagar	2	MUKTA LAKRA	Wife	Female	44	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	NANCY MINZ	Daughter	Female	3	Unmarried					
	Gandhi Nagar	1	JAIPAL LAKRA	Self	Male	49	Unmarried	Class 11 Pass	Non-Agri Labour	22,76		325
	Gandhi Nagar	1	JHONSON KISPOTTA	Self	Male	50	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour	22,76		326
	Gandhi Nagar	2	VICTORIA LAKRA	Wife	Female	47	Married	Class 9 Pass	Household Work			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
16	Gandhi Nagar	3	BASIL KISPOTTA	Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	SNEHA KISPOTTA	Daughter	Female	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	B. RAJENDRAN	Self	Male	64	Divorced	Class 10 Pass	Pensioner	29,83	29	327
	Gandhi Nagar	2	KARTIK	Son	Male	31	Unmarried	Class 12 Pass	Service			
17	Gandhi Nagar	1	B. PANDURANGAN	Self	Male	61	Widowed	Class 8 Pass	Business	29,83	29	328
	Gandhi Nagar	2	BISWA	Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			
18	Gandhi Nagar	1	B. THAMBI DURAI	Self	Male	56	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	29,83	29	329
	Gandhi Nagar	2	MAHADEVI	Wife	Female	50	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	SARASU	Daughter	Female	20	Unmarried	Class 12 Pass	Student			330
	Gandhi Nagar	4	SURTA	Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
19	Gandhi Nagar	1	B. SELVA RAJ	Self	Male	54	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour	29,83	29	331
	Gandhi Nagar	2	SELVI	Wife	Female	50	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	SUCHETNA	Daughter	Female	12	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	SHRISH	Daughter	Female	7	Unmarried	Class 2 Pass	Student			
20	Gandhi Nagar	1	INDIRA	Self	Female	70	Widowed	Illiterate	Pensioner	29,83	29	332
	Gandhi Nagar	2	ARVINDAM	Maternal Grand Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student	29,83	29	
21	Gandhi Nagar	1	ASHOK TIGGA	Self	Male	54	Married	Graduate	Business	65		333
	Gandhi Nagar	2	RAJINI TIRKEY	Wife	Female	54	Married	Graduate	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	ASHU TIGGA	Son	Male	25	Unmarried	Graduate	No Work			334
22	Gandhi Nagar	1	R. POOMLAI	Self	Male	57	Married	Graduate	Service		25	335
	Gandhi Nagar	2	P. HEIMA	Wife	Female	54	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	DINESH	Son	Male	25	Unmarried	Graduate	No Work			336
23	Gandhi Nagar	1	SARVANAN	Self	Male	52	Married	Class 9 Pass	Non-Agri Labour		25	337
	Gandhi Nagar	2	INDU	Wife	Female	50	Married	Class 12 Pass	Household Work			
24	Gandhi Nagar	3	ACHUDA NAYYAR	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student		25	338
	Gandhi Nagar	1	GUHA SHEKHARAN	Self	Male	49	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour		25	339
25	Gandhi Nagar	2	B. SHEEJA	Wife	Female	43	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	G. SHRUTI	Daughter	Female	14	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	G. SHEWATHA SRI	Daughter	Female	12	Unmarried	Class 3 Pass	Student			
26	Gandhi Nagar	1	MARGARET LAKRA	Self	Female	75	Widowed	Class 7 Pass	Household Work	67	15	340
	Gandhi Nagar	2	SURESH KUJUR	Son	Male	48	Unmarried	Class 8 Pass	Agriculture			341

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
26	Gandhi Nagar	3	BIRENDER KUJUR	Son	Male	42	Unmarried	Class 6 Pass	Agriculture			342
	Gandhi Nagar	4	SUSHMA KUJUR	Daughter	Female	37	Unmarried	Class 10 Pass	Household Work			343
	Gandhi Nagar	1	ASHOK KUJUR	Self	Male	50	Married	Class 7 Pass	No Work	67	15	344
	Gandhi Nagar	2	JYOTI LAKRA	Wife	Female	50	Married	Class 11 Pass	Service			
27	Gandhi Nagar	3	ARPIT KUJUR	Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	BENJAMIN TUTI	Self	Male	54	Married	Class 3 Pass	Service	67	15	345
	Gandhi Nagar	2	ASHA KUJUR	Wife	Female	46	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	NISHA TUTI	Daughter	Female	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student	67	15	
28	Gandhi Nagar	1	ANUP TIRKEY	Self	Male	47	Married	Class 10 Pass	Service	67	15	346
	Gandhi Nagar	2	SUSHILA KUJUR	Wife	Female	44	Married	Class 6 Pass	Service			
	Gandhi Nagar	3	RISHIKA TIRKEY	Daughter	Female	10	Unmarried	Class 4 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	VISHNA DEVI	Self	Female	52	Widowed	Class 12 Pass	Service		116/3	347
30	Gandhi Nagar	1	RAJ KUMAR	Self	Male	38	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour	74		348
	Gandhi Nagar	2	CHAMPA BAI	Wife	Female	32	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	RAIMUNI BAI	Niece	Female	23	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			349
	Gandhi Nagar	4	JAGMEET BAI	Niece	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	No Work			350
31	Gandhi Nagar	1	N. KIRAN	Self	Male	60	Married	Class 10 Pass	Business		36/1/1,36/1/2,36/2	351
	Gandhi Nagar	2	N. REKHA	Wife	Female	58	Married	Class 8 Pass	Business			
	Gandhi Nagar	3	TARUN KARTIK	Son	Male	31	Married	Class 12 Pass	Business			352
	Gandhi Nagar	4	PREETY SAHANI	Daughter-in-Law	Female	30	Married	Graduate	Service			
32	Gandhi Nagar	5	N. TUSHAR	Son	Male	27	Unmarried	Class 12 Pass	Business			353
	Gandhi Nagar	1	MANGA RAM	Self	Male	43	Married	Class 10 Pass	Non-Agri Labour	74	21	354
	Gandhi Nagar	2	HIRAMUNI BAI	Wife	Female	40	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	ARUN RAM	Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
33	Gandhi Nagar	1	MUKESH DEVI	Self	Female	49	Widowed	Class 10 Pass	Agriculture	24,78		355
	Gandhi Nagar	2	ANKIT SINGH	Son	Male	27	Unmarried	Class 12 Pass	Service			356
	Gandhi Nagar	1	S. RAVI	Self	Male	52	Married	Class 6 Pass	Agriculture	85		357
	Gandhi Nagar	2	PAPATI	Wife	Female	49	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	85		
34	Gandhi Nagar	3	R. MANGAI	Daughter	Female	23	Unmarried	Graduate	Student			358
	Gandhi Nagar	4	RAJVALLI	Mother	Female	75	Widowed	Class 5 Pass	Pensioner			358
	Gandhi Nagar	1	PRASANJEET LUGUN	Self	Male	45	Married	Class 12 Pass	Business	89		360

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
36	Gandhi Nagar	2	CELESTINA BARA	Wife	Female	40	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	MANISH CHADDA	Son	Male	17	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	3	KSHITIJ MASIH LUGUN	Son	Male	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	SAKSHAM LUGUN	Son	Male	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
37	Gandhi Nagar	1	VUAY KUMAR	Self	Male	52	Married	Class 9 Pass	Agriculture	92		361
	Gandhi Nagar	2	INDU	Wife	Female	42	Married	Class 7 Pass	Household Work			
38	Gandhi Nagar	1	MUKTA BAI	Self	Female	64	Widowed	Illiterate	Pensioner	92,282		362
	Gandhi Nagar	1	S.M. CHADDA	Self	Male	84	Married	Class 10 Pass	Business	93,281		363
39	Gandhi Nagar	2	ACHALA CHADDA	Wife	Female	80	Married	Graduate	Household Work			
	Gandhi Nagar	4	RITU CHADDA	Daughter	Female	42	Unmarried	Graduate	Household Work	93,281		364
40	Gandhi Nagar	1	THIRUGANESHAM	Self	Male	41	Married	Class 8 Pass	Agriculture	145		365
41	Gandhi Nagar	1	SAFIA BIBI	Self	Female	64	Widowed	Illiterate	Agriculture	97		366
42	Gandhi Nagar	1	JANA BAI	Self	Female	85	Widowed	Illiterate	Pensioner	100		367
	Gandhi Nagar	2	SURYAKANT	Son	Male	51	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture			368
43	Gandhi Nagar	1	ANIL KR. SINGH	Self	Male	49	Unmarried	Class 12 Pass	Agriculture	106		369
44	Gandhi Nagar	1	K. SHEKHAR	Self	Male	50	Married	Class 3 Pass	Non-Agri Labour	115		370
	Gandhi Nagar	2	S. KALARA	Wife	Female	45	Married	Class 8 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	S. PRIYA	Daughter	Female	26	Unmarried	Graduate	Service			371
	Gandhi Nagar	4	S. PRASHANT	Son	Male	22	Unmarried	Class 12 Pass	Student			372
45	Gandhi Nagar	1	D. BRAHMAN	Self	Male	54	Married	Class 7 Pass	Service	118		373
	Gandhi Nagar	2	B. LAYMI	Wife	Female	44	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	B. THANGAVEL	Son	Male	23	Unmarried	Graduate	No Work			374
	Gandhi Nagar	4	JANAVI	Daughter	Female	21	Unmarried	PG or Above	Student			375
46	Gandhi Nagar	1	G. RAGHURAJ	Self	Male	53	Widowed	Class 12 Pass	Business	122		376
47	Gandhi Nagar	1	M. MUTHUVELLA	Self	Male	54	Married	Class 12 Pass	Service	122		377
	Gandhi Nagar	2	M. RAJESHWARI	Wife	Female	48	Married	Class 10 Pass	Household Work			
48	Gandhi Nagar	1	SANTOSH MARY	Self	Female	60	Widowed	Class 8 Pass	Pensioner	125		378
	Gandhi Nagar	2	T.S. AMALA	Daughter	Female	34	Separated	PG or Above	No Work			379
	Gandhi Nagar	3	S. RACHEL	Paternal Grand Daughter	Female	11	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	SEBASTINA	Daughter	Female	32	Unmarried	Graduate	No Work			380
	Gandhi Nagar	5	STEPHEN	Son	Male	32	Unmarried	Class 12 Pass	Service			381

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
49	Gandhi Nagar	1	S. RAJANAGAM	Self	Male	59	Married	Class 8 Pass	Business	129		382
	Gandhi Nagar	2	M. MAHALXMI	Wife	Female	55	Married	Class 10 Pass	Service			
	Gandhi Nagar	3	R. CHANDRAM	Son	Male	33	Unmarried	Class 12 Pass	Service			383
50	Gandhi Nagar	1	ELAN SHEKHARAN	Self	Male	66	Married	Class 10 Pass	Pensioner	129		384
	Gandhi Nagar	2	ANNA LAXMI	Wife	Female	59	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	SUNDAR VELLAH	Son	Male	39	Married	Class 12 Pass	Non-Agri Labour			385
	Gandhi Nagar	4	KARPAHAVALLI	Daughter-in-Law	Female	34	Married	Class 12 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	5	DHAN SHEKHARAN	Paternal Grand Son	Male	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student	129		
51	Gandhi Nagar	6	KAVIARSHAN	Paternal Grand Son	Male	6	Unmarried	Class 1 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	7	T. MATHIARASI	No Relation	Female	21	Unmarried	Class 12 Pass	Service			386
	Gandhi Nagar	1	K. SUBRAMANI	Self	Male	42	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	129		387
	Gandhi Nagar	2	BHARATHI ANNAL	Wife	Female	34	Married	Class 10 Pass	Service			
	Gandhi Nagar	3	TAMARAI	Daughter	Female	13	Unmarried	Class 8 Pass	Student			
52	Gandhi Nagar	4	SHUBHIKSHA	Daughter	Female	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	K. SUDARMANI	Self	Male	45	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	129		388
	Gandhi Nagar	2	SUMITRA	Wife	Female	34	Married	Class 12 Pass	Service			
	Gandhi Nagar	3	DANESH	Son	Male	13	Unmarried	Class 7 Pass	Student			
53	Gandhi Nagar	4	MEERA	Daughter	Female	9	Unmarried	Class 4 Pass	Student	129		
	Gandhi Nagar	1	J. UGARVELLU	Self	Male	54	Married	Class 10 Pass	Business	130		389
	Gandhi Nagar	2	U. DEVI	Wife	Female	40	Married	Class 12 Pass	Service	130		
	Gandhi Nagar	3	U. BAVITRA	Daughter	Female	16	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	U. KAVITA	Son	Male	15	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
54	Gandhi Nagar	5	V. MUGAN	Son	Male	11	Unmarried	Class 6 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	J. NAGALINGAM	Self	Male	60	Married	Class 8 Pass	Non-Agri Labour	130		390
	Gandhi Nagar	2	N. MALA	Wife	Female	50	Married	Class 5 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	N. KAMALA	Daughter	Female	28	Unmarried	PG or Above	Service			391
	Gandhi Nagar	4	N. SURENDRA	Son	Male	25	Unmarried	Class 12 Pass	Student			392
55	Gandhi Nagar	5	N. RAJARAM	Son	Male	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			393
	Gandhi Nagar	1	E.S. RAJESH	Self	Male	50	Married	PG or Above	Agriculture	156		394
	Gandhi Nagar	2	VANATHA RAJESH	Wife	Female	48	Married	Graduate	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	R. DHAMINI	Daughter	Female	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Gandhi Nagar	4	E.S. RAJESH RAJAN	Brother	Male	29	Unmarried	PG or Above	Agriculture			395
	Gandhi Nagar	5	S. RAJAM	Mother	Female	59	Widowed	Illiterate	Household Work	156		396
	Gandhi Nagar	1	S. AYYAPPAN	Self	Male	45	Married	Class 10 Pass	Agriculture	220		397
	Gandhi Nagar	2	UDAY SURYA	Wife	Female	40	Married	Class 9 Pass	Household Work			
56	Gandhi Nagar	3	A. MANJU	Daughter	Female	17	Unmarried	Class 12 Pass	Student	220		
	Gandhi Nagar	4	A. ANU	Daughter	Female	14	Unmarried	Class 9 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	1	GREGORY TIRKEY	Self	Male	42	Married	Graduate	Business	222		398
	Gandhi Nagar	2	FULMANI BARLA	Wife	Female	44	Married	Class 12 Pass	Household Work			
57	Gandhi Nagar	3	ANNIE TIRKEY	Daughter	Female	4	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Gandhi Nagar	4	JHULETA KUJUR	Mother	Female	78	Widowed	Illiterate	No Work			399
	Gandhi Nagar	1	JULETA KUJUR	Self	Female	70	Widowed	Illiterate	Pensioner	224		400
	Gandhi Nagar	2	SUDHIR XALXO	Son	Male	42	Unmarried	Class 10 Pass	Non-Agri Labour			401
58	Gandhi Nagar	1	AJEET KR. XALXO	Self	Male	53	Separated	Class 12 Pass	Business	224		402
	Gandhi Nagar	2	AVINASH XALXO	Son	Male	21	Unmarried	Class 12 Pass	Service			403
	Gandhi Nagar	1	ABIS XALXO	Self	Male	42	Separated	Class 9 Pass	Non-Agri Labour	224		404
	Gandhi Nagar	1	SANJU LAKRA	Self	Male	40	Married	Class 6 Pass	Non-Agri Labour	224		405
61	Gandhi Nagar	2	HILDA XALXO	Wife	Female	36	Married	Class 9 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	SAHIS LAKRA	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			406
	Gandhi Nagar	4	ASHWIN LAKRA	Son	Male	19	Unmarried	Class 12 Pass	Student			407
	Gandhi Nagar	1	SUBU KUTTYNAIR	Self	Male	66	Married	Class 10 Pass	Pensioner	238		408
62	Gandhi Nagar	2	M. MADHU BALA	Wife	Female	64	Married	Class 7 Pass	Pensioner			
	Gandhi Nagar	1	DILIP KR. SIKDAR	Self	Male	62	Married	Class 10 Pass	Business	240		409
	Gandhi Nagar	2	SHOBHA RANI SIKDAR	Wife	Female	55	Married	Illiterate	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	LILIN KR. SIKDAR	Son	Male	36	Married	Class 12 Pass	Service			410
63	Gandhi Nagar	4	PRIYANKA SIKDAR	Daughter-in-Law	Female	30	Married	Graduate	Business			
	Gandhi Nagar	5	AKASHI SIKDAR	Paternal Grand Daughter	Female	5	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Gandhi Nagar	6	RITA RANI SIKDAR	Daughter	Female	29	Separated	PG or Above	Service			411
	Gandhi Nagar	7	S. TRISHIKA RAJ	Paternal Grand Daughter	Female	3	Unmarried	Going to AWC	Student			
64	Gandhi Nagar	1	SUNIL KUMAR	Self	Male	48	Married	Class 12 Pass	Service	248,249		412
	Gandhi Nagar	2	YOGITA	Wife	Female	42	Married	Graduate	Household Work			
	Gandhi Nagar	3	KAVYA	Daughter	Female	15	Unmarried	Class 10 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
	Gandhi Nagar	4	ARADHYA KUMAR	Son	Male	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student	248,249		
	Gandhi Nagar	1	BHARAT SINGH RAWAT	Self	Male	54	Married	Class 12 Pass	Service	248,249		413
	Gandhi Nagar	2	RUPA DEVI	Wife	Female	50	Married	Class 12 Pass	Household Work			
65	Gandhi Nagar	3	ANAMIKA RAWAT	Daughter	Female	25	Unmarried	Graduate	No Work			414
	Gandhi Nagar	4	NEHA RAWAT	Daughter	Female	23	Unmarried	Graduate	No Work	248,249		415
	Gandhi Nagar	5	DEEPA RAWAT	Daughter	Female	21	Unmarried	Graduate	Service			416
	Gandhi Nagar	1	JASWANT SINGH	Self	Male	75	Widowed	Illiterate	No Work	273/1		417
	Gandhi Nagar	2	HARPREET SINGH	Son	Male	42	Married	Class 12 Pass	Service			418
66	Gandhi Nagar	3	LATASHA MANDAL	Daughter-in-Law	Female	28	Married	Class 12 Pass	Household Work	273/1		
	Gandhi Nagar	4	HARTISHA RANDHAWA	Paternal Grand Daughter	Female	5	Unmarried	Nursery/KG	Student			
	Gandhi Nagar	5	EESHAN SINGH RANDHAWA	Paternal Grand Son	Male	1	Unmarried					
	Gandhi Nagar	1	SUKHDEV SINGH	Self	Male	70	Married	Class 12 Pass	Pensioner	273/2		419
	Gandhi Nagar	2	SARABJEET KAUR	Wife	Female	55	Married	Graduate	Service			
	Gandhi Nagar	3	KAMALJEET SINGH	Son	Male	33	Married	Class 12 Pass	Agriculture	273/2		420
	Gandhi Nagar	4	NEHA KUMARI	Daughter-in-Law	Female	22	Married	Class 12 Pass	Household Work			
67	Gandhi Nagar	5	JASKEERAT RANDHAWA	Paternal Grand Daughter	Female	2	Unmarried					
	Gandhi Nagar	6	SANDEEP SINGH	Son	Male	28	Married	Class 12 Pass	Agriculture			421
	Gandhi Nagar	7	NAJEETA KAUR	Daughter-in-Law	Female	23	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	8	MANKEERAT RANDHAWA	Paternal Grand Daughter	Female	5	Unmarried	Going to AWC	Student			
	Gandhi Nagar	9	PRITAM KAUR	Mother-in-Law	Female	90	Widowed	Illiterate	Pensioner			422
68	Gandhi Nagar	1	KAYAL BILLY	Self	Female	47	Widowed	Class 7 Pass	Business	121		423
	Gandhi Nagar	2	B. KALAYARASI	Daughter	Female	27	Unmarried	Class 12 Pass	No Work	121		424
	Gandhi Nagar	1	S. RAMESH	Self	Male	52	Married	Class 12 Pass	Business	121		425
	Gandhi Nagar	2	R. GEETA	Wife	Female	47	Married	Graduate	Household Work			
69	Gandhi Nagar	3	R. VIKRANT	Son	Male	22	Unmarried	Graduate	Student	121		426
	Gandhi Nagar	4	R. PRERNA	Daughter	Female	18	Unmarried	Class 12 Pass	Student			427
	Gandhi Nagar	5	ANNATHAI	Mother	Female	79	Married	Class 6 Pass	No Work			428
	Gandhi Nagar	1	SEEMAN	Self	Male	44	Married	Class 10 Pass	Service	145		429
	Gandhi Nagar	2	RAMESHWARI	Wife	Female	36	Married	Class 11 Pass	Service	145		
	Gandhi Nagar	3	KAVILESH	Son	Male	16	Unmarried	Class 11 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	4	SUBHASHINI	Daughter	Female	12	Unmarried	Class 7 Pass	Student			

List of Project Affected Persons

Sl.	Village	Sn.	Name	Relationship	Gender	Age (in Yrs.)	Marital Status	Education Level	Main Occupation	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	No. of Families as per RFTLARR Act
70	Gandhi Nagar	5	SANMUGAN PANNIVEL	Brother	Male	47	Married	Class 8 Pass	Agriculture			430
	Gandhi Nagar	6	CHELLA PREMA	Sister in Law	Female	44	Married	Class 10 Pass	Household Work			
	Gandhi Nagar	7	MARIYYAPPAN	No Relation	Male	19	Unmarried	Class 11 Pass	Student			431
	Gandhi Nagar	8	YOGESH	No Relation	Male	16	Unmarried	Class 10 Pass	Student			
	Gandhi Nagar	9	K. PICHAI	Father	Male	85	Widowed	Class 6 Pass	Agriculture			432

Educational Status of Adult Male Members (>=18 yrs.)

Sl.	Classification	Illiterate		Upto Primary School (Class V)		Upto Middle School (Class VIII)		Upto High School (Class X)		Upto Intermediate (Class XII)		Graduate & Above		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	Campbell Bay	1	4.00	3	12.00	6	24.00	3	12.00	6	24.00	5	20.00	25	100.00
2	Govind Nagar	0	0.00	9	11.25	11	13.75	20	25.00	30	37.50	10	12.50	80	100.00
3	Joginder Nagar	2	11.76	3	17.65	2	11.76	5	29.41	2	11.76	3	17.65	17	100.00
4	Vijay Nagar	2	5.41	1	2.70	2	5.41	12	32.43	15	40.54	5	13.51	37	100.00
5	Laxmi Nagar	0	0.00	2	3.51	4	7.02	16	28.07	23	40.35	12	21.05	57	100.00
6	Gandhi Nagar	2	2.00	4	4.00	20	20.00	27	27.00	38	38.00	9	9.00	100	100.00
Total		7	2.22	22	6.96	45	14.24	83	26.27	114	36.08	44	13.92	316	100.00

Educational Status of Adult Female Members (>=18 yrs.)

Sl.	Classification	Illiterate		Upto Primary School (Class V)		Upto Middle School (Class VIII)		Upto High School (Class X)		Upto Intermediate (Class XII)		Graduate & Above		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	Campbell Bay	3	12.00	3	12.00	2	8.00	2	8.00	8	32.00	7	28.00	25	100.00
2	Govind Nagar	7	10.00	9	12.86	3	4.29	22	31.43	17	24.29	12	17.14	70	100.00
3	Joginder Nagar	4	18.18	3	13.64	6	27.27	2	9.09	3	13.64	4	18.18	22	100.00
4	Vijay Nagar	2	4.65	0	0.00	9	20.93	7	16.28	12	27.91	13	30.23	43	100.00
5	Laxmi Nagar	3	5.66	7	13.21	9	16.98	11	20.75	16	30.19	7	13.21	53	100.00
6	Gandhi Nagar	11	10.48	3	2.86	16	15.24	22	20.95	31	29.52	22	20.95	105	100.00
Total		30	9.43	25	7.86	45	14.15	66	20.75	87	27.36	65	20.44	318	100.00

Type of Own Business Activity

Sl	Village	Survey No. (55 Mtrs. Road)	Survey No. (Secondary Road)	Head of the Family of the Owner of the Own Business	Type of Own Business Activity		
1	Campbell Bay		146	GURJEET SINGH	Electric & Electronic Shop	Shop on Rent	
2	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	Electric & Electronic Shop	Shop on Rent	
3	Campbell Bay		151	ELANGO G.	Sweet & Bakery Shop		
4	Campbell Bay		166	T. ANTONY	Room on Rent for Stay		
5	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	Milk Dairy Farm		
6	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
7	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
8	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	Milk Dairy Farm		
9	Govind Nagar	212		KARTAR SINGH	Milk Dairy Farm		
10	Govind Nagar		139	PARAMJEET SINGH	Milk Dairy Farm		
11	Govind Nagar		146/2,231	PARAMJEET SINGH	Milk Dairy Farm		
12	Govind Nagar		318	THIRATH SINGH	Milk Dairy Farm		
13	Joginder Nagar		79,8/2	AMARJEET SINGH GREWA	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
14	Vijay Nagar		175	FAKRUDDIN ALI AHMED	Poultry Farm		
15	Laxmi Nagar	8		SITA RAM KHEDLA	Vegetable Shop	Poultry Farm	Milk Dairy Farm
16	Laxmi Nagar	82		RANJEET SINGH RAWATH	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
17	Laxmi Nagar		56	SRIRANG KOKRE	Poultry Farm		
18	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	Goat Rearing
19	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	Vermi Compost Making
20	Gandhi Nagar	145		RHIRUGANESHAM	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
21	Gandhi Nagar	115		K. SHEKHAR	Milk Dairy Farm		
22	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	General Merchant Shop	Restaurant	
23	Gandhi Nagar	220		S. AYYAPPAN	Milk Dairy Farm		
24	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	General Merchant Shop	Vegetable Shop	Poultry Farm
25	Gandhi Nagar	248,249		BHARAT SINGH RAWAT	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
26	Gandhi Nagar	273/1		JASWANT SINGH	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	Goat Rearing
27	Gandhi Nagar	145		SEEMAN	Poultry Farm	Milk Dairy Farm	
28	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	Coconut Processing Unit		

Type of Business Activity being Done by Others by Taking Shop on Rent

Sl	Village	Survey No. (55 Mtrs. Road)	Survey No. (Secondary Road)	Head of the Family of Plot Owner	Type of Business Activity Done by Others		
1	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	1 Hardware Shop	1 Readymade Garment Shop	
2	Campbell Bay		149	JASPAL SINGH	1 Wine Shop		
3	Campbell Bay		172	CONGRESS COMMITTEE	1 Vegetable Shop	2 Readymade Garment Shops	1 Tea & Snacks Shop
4	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH	1 General Merchant Shop	1 Readymade Garment Shop	
5	Campbell Bay		166	T. ANTONY	1 Tea & Snacks Shop		
6	Gandhi Nagar	93,281		S.M. CHADDA	1 Poultry Farm		

Description of Building Built on the Proposed Land

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Floor	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
1	Campbell Bay		58	JASKIRAT SINGH		Concrete	Concrete	Concrete	12.00	15.00	10.00
1	Campbell Bay		58	JASKIRAT SINGH	First	Concrete	Concrete	Concrete	12.00	15.00	10.00
2	Campbell Bay		65	GURNAM SINGH TOOR	Ground	Concrete	Concrete	Concrete	100.00	100.00	10.00
2	Campbell Bay		65	GURNAM SINGH TOOR	First	Concrete	Concrete	Concrete	100.00	100.00	10.00
2	Campbell Bay		65	GURNAM SINGH TOOR	Second	Concrete	Concrete	Concrete	100.00	100.00	10.00
3	Campbell Bay		69/4	S. LAXMI KUMARI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	30.00	11.00
4	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	25.00	12.00	12.00
5	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	60.00	40.00	12.00
6	Campbell Bay		116/6	P.V. MARIKARASY		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	20.00	12.00
7	Campbell Bay		118/2	K.C. MURGAN		Asbestos	Concrete	Concrete	15.00	12.00	10.00
8	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL		Concrete	Concrete	Tiles/Mosaic	50.00	60.00	12.00
8	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	First	Concrete	Concrete	Tiles/Mosaic	50.00	60.00	12.00
9	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	Second	Concrete	Concrete	Tiles/Mosaic	50.00	60.00	12.00
10	Campbell Bay		151	ELANGO G.		Concrete	Concrete	Concrete	15.00	25.00	10.00
11	Campbell Bay		172	CONGRESSCOMMITTEE		Concrete	Concrete	Concrete	18.00	12.00	10.00
12	Campbell Bay		172	CONGRESSCOMMITTEE		Concrete	Concrete	Concrete	18.00	12.00	10.00
13	Campbell Bay		172	CONGRESSCOMMITTEE		Concrete	Concrete	Concrete	18.00	5.00	10.00
14	Campbell Bay		172	CONGRESSCOMMITTEE		Concrete	Concrete	Concrete	18.00	5.00	10.00
15	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	15.00	10.00
16	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH		Concrete	Concrete	Concrete	15.00	20.00	10.00
17	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH		Concrete	Concrete	Concrete	15.00	20.00	10.00
18	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH		Concrete	Concrete	Concrete	15.00	15.00	10.00
19	Campbell Bay		166	T. ANTONY		Concrete	Concrete	Concrete	40.00	20.00	10.00
19	Campbell Bay		166	T. ANTONY	First	Concrete	Concrete	Concrete	40.00	20.00	10.00
20	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	32.00	25.00	10.00
21	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	12.00	10.00	10.00
22	Govind Nagar		25.83	JEROME TIRKEY		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	40.00	30.00	12.00

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Floor	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
23	Govind Nagar		25.83	NOEL XESS		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	30.00	20.00	10.00
24	Govind Nagar		26	SHOBNATH RAM		GI Metal Sheet	Mud	Concrete	20.00	20.00	12.00
25	Govind Nagar		26	JAGDISH RAM		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	12.00	20.00	10.00
26	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	15.00	10.00	12.00
27	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	10.00	10.00	12.00
28	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH		GI Metal Sheet	Mud & Bricks	Mud	10.00	10.00	12.00
29	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH		Concrete	Concrete	Concrete	45.00	45.00	12.00
29	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	First	GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	25.00	20.00	12.00
30	Govind Nagar		68,72,89	ALVIS KINDO		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	20.00	10.00
31	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	50.00	20.00	12.00
32	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Tiles/Mosaic	40.00	25.00	12.00
33	Govind Nagar	242,243,244		G. LAXMI		Tarpaulin	Concrete	Concrete	30.00	40.00	12.00
34	Govind Nagar	242,243,244		G. LAXMI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	50.00	40.00	12.00
35	Govind Nagar		133	KULWANT SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	30.00	12.00
36	Govind Nagar		133	KULWANT SINGH		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	20.00	12.00
37	Govind Nagar	248		TARA SINGH PABLA		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	45.00	30.00	10.00
38	Govind Nagar		318	THIRATH SINGH		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	60.00	10.00	10.00
39	Govind Nagar		377/1	KANCHAN BARIA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	20.00	12.00
40	Joginder Nagar		79,8/2	AMARJEET SINGH GREWA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	18.00	18.00	10.00
41	Joginder Nagar		12,16	KASHMIRA SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	10.00	12.00	10.00
42	Joginder Nagar		18,136	RANI		Concrete	Concrete	Tiles/Mosaic	25.00	25.00	12.00
43	Joginder Nagar		217/1	HARSHVINDER SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	18.00	9.00	10.00
44	Joginder Nagar		246,30,31,291	NACHATTAR SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	20.00	10.00
45	Joginder Nagar		285	HARPAL KAUR		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	20.00	10.00	10.00
46	Vijay Nagar	39		R. DAND PANI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	5.00	5.00	3.00
47	Vijay Nagar		175	FAKRUDDIN ALI AHMED		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	32.00	30.00	12.00
48	Vijay Nagar		178,254	S. PAPU FELSI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	12.00	10.00	10.00
49	Laxmi Nagar		31,65	GIRISH JOSHI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	15.00	10.00
50	Laxmi Nagar		53,156	REKHA SAPKAL		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	10.00	10.00
51	Laxmi Nagar	82		AMAR SINGH RAWATH		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	22.00	30.00	10.00

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Floor	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
52	Laxmi Nagar		56	SRIRANG KOKRE		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	20.00	10.00
53	Laxmi Nagar	85		SNEHLATA BAND		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	10.00	8.00
54	Laxmi Nagar	87		SNEHLATA BAND		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	6.00	5.50	7.00
55	Laxmi Nagar		64/P	DILIP KUMAR DAIRKAR		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	20.00	16.00	10.00
56	Laxmi Nagar	111		CHANDRA KALA		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	20.00	22.00	12.00
57	Laxmi Nagar	280		RAJESH CHADDA		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	8.00	12.00
58	Laxmi Nagar	285		R. BETHURAJ		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	20.00	8.00
59	Laxmi Nagar		155	V. JAIPAL		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	36.00	32.00	10.00
60	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	80.00	30.00	12.00
61	Laxmi Nagar		279,216	RAHUL YADHAV		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	15.00	10.00
62	Gandhi Nagar	19,32	19,32	DASMANORANJAN		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	15.00	12.00	10.00
63	Gandhi Nagar	22,76		PANCHAM GEROGGE LAKRA		Asbestos	Concrete	Concrete	20.00	20.00	10.00
64	Gandhi Nagar	22,76		PANCHAM GEROGGE LAKRA		Asbestos	GI Metal Sheet	Concrete	20.00	20.00	10.00
65	Gandhi Nagar	29,83	29	B. RAJENDRAN		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	30.00	25.00	12.00
66	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	13.00	4.00	3.00
67	Gandhi Nagar		116/3	VISHNA DEVI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	25.00	12.00
68	Gandhi Nagar		36/1/1,36/1/2,36/2	N. KIRAN		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	18.00	15.00	10.00
69	Gandhi Nagar	92,282		MUKTA BAI		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	20.00	12.00	10.00
70	Gandhi Nagar	93,281		S.M. CHADDA		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	15.00	15.00	10.00
71	Gandhi Nagar	145		RHIRUGANESHAM		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	20.00	20.00	10.00
72	Gandhi Nagar	145		RHIRUGANESHAM		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	35.00	20.00	10.00
73	Gandhi Nagar	97		SAFIA BIBI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	20.00	10.00
74	Gandhi Nagar	100		JANA BAI		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	30.00	10.00
75	Gandhi Nagar	106		ANIL KR. SINGH		GI Metal Sheet	Thatched/Wood	Concrete	20.00	18.00	12.00
76	Gandhi Nagar	115		K. SHEKHAR		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	18.00	10.00
77	Gandhi Nagar	118		D. BRAHMAN		GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	25.00	18.00	10.00
78	Gandhi Nagar	122		M. MUTHUVELLA		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	35.00	27.00	10.00
79	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	25.00	30.00	12.00
80	Gandhi Nagar	130		J. NAGALINGAM		Concrete	Concrete	Concrete	30.00	20.00	12.00
81	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH		Concrete	Concrete	Tiles/Mosaic	9.00	6.00	3.50

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Floor	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
82	Gandhi Nagar	222		GREGORY TIRKEY		GI Metal Sheet	Thatched/Wood	Concrete	30.00	20.00	12.00
83	Gandhi Nagar	238		SUBU KUTTYNAIR		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	20.00	12.00
84	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	30.00	10.00
85	Gandhi Nagar	248,249		SUNIL KUMAR		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	25.00	10.00
86	Gandhi Nagar	273/1		JASWANT SINGH		GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	20.00	12.00	10.00

Description of Shed Built on the Proposed Land

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
1	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	20.00	15.00	12.00
2	Campbell Bay		116/6	P.V. MARIKARASY	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	8.00	8.00
3	Campbell Bay		129/3,129/4	PANCHAYAT OFFICE	GI Metal Sheet	Concrete	Tiles/Mosaic	8.00	5.00	10.00
4	Campbell Bay		138	D. JAYARAMAN	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	30.00	9.00	12.00
5	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	48.00	48.00	10.00
6	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	GI Metal Sheet	-	Mud	10.00	5.00	10.00
7	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	GI Metal Sheet	-	Mud	8.00	5.00	10.00
8	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	GI Metal Sheet	Metal Net	GI Metal Sheet	16.00	8.00	12.00
9	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	GI Metal Sheet	Metal Net	GI Metal Sheet	6.00	4.00	3.00
10	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	GI Metal Sheet	Metal Net	GI Metal Sheet	80.00	10.00	12.00
11	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	GI Metal Sheet	Mud	Mud	30.00	20.00	10.00
12	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	GI Metal Sheet	Mud	Mud	30.00	20.00	10.00
13	Govind Nagar	212		KARTAR SINGH	GI Metal Sheet	-	Mud	100.00	20.00	5.00
14	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH	GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	30.00	30.00	12.00
15	Govind Nagar	242,243,244		G. LAXMI	GI Metal Sheet	-	GI Metal Sheet	10.00	10.00	12.00
16	Govind Nagar		133	KULWANT SINGH	Tarpaulin	Tarpaulin	Mud	10.00	18.00	12.00
17	Govind Nagar		133	KULWANT SINGH	Tarpaulin	Tarpaulin	Mud	10.00	18.00	12.00
18	Govind Nagar	249,250		M.C. JOSE	GI Metal Sheet	-	GI Metal Sheet	20.00	15.00	12.00
19	Govind Nagar	284		TARA SINGH PABLA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	12.00	10.00	12.00
20	Govind Nagar	300		DALWINDER SINGH TOOR	Tarpaulin	Tarpaulin	Mud	12.00	10.00	12.00
21	Joginder Nagar	253,254,256		AMARJEET SINGH GREWAL	GI Metal Sheet	-	Mud	9.00	4.00	12.00
22	Joginder Nagar		79,8/2	AMARJEET SINGH GREWAL	-	-	Concrete	22.00	22.00	-
23	Joginder Nagar		217/1	HARSHVINDER SINGH	GI Metal Sheet	-	Mud	12.00	20.00	10.00
24	Joginder Nagar		285	HARPAL KAUR	GI Metal Sheet	-	Mud	12.00	12.00	10.00
25	Vijay Nagar	53		SARASWATI AMMA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	10.00	8.00	12.00
26	Vijay Nagar	53		SARASWATI AMMA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	8.00	5.00	12.00
27	Vijay Nagar		175	FAKRUDDIN ALI AHMED	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	20.00	10.00	10.00

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Type of Roof	Type of Wall	Type of Floor	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
28	Vijay Nagar	183,186		S. BABI	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Concrete	30.00	20.00	12.00
29	Vijay Nagar		279,280	PARWATHI	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	21.00	18.00	10.00
30	Laxmi Nagar	8	124	SHIVANI KHEDLA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	12.00	10.00	12.00
31	Laxmi Nagar	8		SITA RAM KHEDLA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	12.00	10.00	12.00
32	Laxmi Nagar	19		K.P. SHAKARE	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud & Bricks	3.00	3.00	10.00
33	Laxmi Nagar	46		CHAYA KHEDKAR	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	3.00	4.00	3.00
34	Laxmi Nagar		56	SRIRANG KOKRE	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	15.00	8.00	10.00
35	Laxmi Nagar	85		SNEHLATA BAND	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	9.84	9.84	6.56
36	Laxmi Nagar	87		SNEHLATA BAND	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud & Bricks	4.00	5.00	2.00
37	Laxmi Nagar	109		SHARAD BHIDE	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	12.00	12.00	7.00
38	Laxmi Nagar	111		CHANDRA KALA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	6.00	8.00	7.00
39	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	30.00	15.00	10.00
40	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	10.00	10.00	10.00
41	Gandhi Nagar	19,32	19,32	DASMANORANJAN	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	15.00	12.00	10.00
42	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	18.00	9.00	10.00
43	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA	GI Metal Sheet	-	Concrete	18.00	12.00	10.00
44	Gandhi Nagar	145		THIRUGANESHAM	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	40.00	40.00	10.00
45	Gandhi Nagar	145		THIRUGANESHAM	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	20.00	20.00	10.00
46	Gandhi Nagar	97		SAFIA BIBI	GI Metal Sheet	Concrete	Concrete	15.00	10.00	10.00
47	Gandhi Nagar	100		JANA BAI	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	Mud	8.00	8.00	8.00
48	Gandhi Nagar	115		K. SHEKHAR	GI Metal Sheet	-	Mud	35.00	20.00	10.00
49	Gandhi Nagar	118		D. BRAHMAN	-	-	Concrete	10.00	10.00	-
50	Gandhi Nagar	122		M. MUTHUVELLA	GI Metal Sheet	Metal Net	Concrete	15.00	15.00	10.00
51	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	8.00	5.00	8.00
52	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Mud	10.00	12.00	8.00
53	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	30.00	12.00	3.00
54	Gandhi Nagar	222		GREGORY TIRKEY	GI Metal Sheet	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	4.00	3.00	3.00
55	Gandhi Nagar	238		SUBU KUTTYNAIR	GI Metal Sheet	Thatched/Wood	Mud	15.00	8.00	8.00
56	Gandhi Nagar	273/1		JASWANT SINGH	GI Metal Sheet	Mud	Mud	15.00	10.00	8.00

Description of Boundary Wall Built on the Proposed Land

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Material Used	Length (in feet)	Width (in feet)	Height (in feet)
1	Campbell Bay		69/4	S. LAXMI KUMARI	Asbestos	40.00		3.00
2	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON	Slate	100.00	60.00	5.00
3	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	Plastic Sheet	50.00	40.00	4.00
4	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	Slate	30.00	30.00	5.00
5	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH	Slate	50.00	40.00	4.00
6	Govind Nagar	248		TARA SINGH PABLA	Plastic Sheet	360.00	240.00	4.00
7	Govind Nagar	284		TARA SINGH PABLA	Plastic Sheet	300.00	300.00	4.00
8	Joginder Nagar	253,254,256		AMARJEET SINGH	Plastic Sheet	50.00	40.00	2.00
9	Joginder Nagar		285	HARPAL KAUR	Plastic Sheet	100.80	-	5.00
10	Vijay Nagar	53		SARASWATI AMMA	Asbestos	15.00	10.00	3.00
11	Vijay Nagar	183,186		S. BABI	Mud/Thatched/Wood	30.00	25.00	5.00
12	Laxmi Nagar	85		SNEHLATA BAND	Wood/Net	130.00	90.00	1.00
13	Laxmi Nagar	87		SNEHLATA BAND	Wood/Net	360.89	5.00	3.28
14	Laxmi Nagar	109		SHARAD BHIDE	Plastic Sheet	328.00	8.00	1.00
15	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA	Mud/Thatched/Wood	90.00	90.00	5.00
16	Gandhi Nagar		116/3	VISHNA DEVI	Slate	45.00	-	5.00
17	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	Plastic Sheet	1500.00	600.00	5.00
18	Gandhi Nagar	220		S. AYYAPPAN	Plastic Sheet	90.00	350.00	5.00
19	Gandhi Nagar	222		GREGORY TIRKEY	Plastic Sheet	60.00	40.00	4.50
20	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	Plastic Sheet	30.00	30.00	5.00

Description of Well Built on the Proposed Land

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Depth (in feet)	Width (in feet)	Type of Well	Availability of Water	Open/Closed
1	Campbell Bay		69/4	S. LAXMI KUMARI	12.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
2	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON	12.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
3	Campbell Bay		106	MURUGAN TEMPLE	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
4	Campbell Bay		118/2	K.C. MURGAN	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
5	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
6	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
7	Govind Nagar	195, 197		BALDEV SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
8	Govind Nagar	195, 197		BALDEV SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
9	Govind Nagar		26	SHOBNATH RAM	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
10	Govind Nagar	199		SUNITA BAGE	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
11	Govind Nagar	205, 207		K. ARUMUGAM	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
12	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	10.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
13	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
14	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH	15.00	6.00	Semi-Pucca	Always Water	Open Well
15	Govind Nagar	242, 243, 244		G. LAXMI	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
16	Govind Nagar	242, 243, 244		G. LAXMI	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
17	Govind Nagar	248		TARA SINGH PABLA	18.00	6.56	Pucca	Always Water	Open Well
18	Govind Nagar	249, 250		M.C. JOSE	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
19	Govind Nagar	249, 250		M.C. JOSE	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
20	Govind Nagar	249, 250		M.C. JOSE	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
21	Govind Nagar		377/1	KANCHAN BARIA	15.00	16.00	Pucca	Always Water	Open Well
22	Govind Nagar	300		DALWINDER SINGH TOOR	10.00	7.00	Kutchha	Always Water	Open Well
23	Joginder Nagar	238		SURINDER KAUR	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
24	Joginder Nagar	253, 254, 256		AMARJEET SINGH	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
25	Joginder Nagar	253, 254, 256		AMARJEET SINGH	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
26	Joginder Nagar		79, 8/2	AMARJEET SINGH GREWAL	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
27	Joginder Nagar		79, 8/2	AMARJEET SINGH GREWAL	15.00	3.00	Pucca	Always Water	Open Well

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Depth (in feet)	Width (in feet)	Type of Well	Availability of Water	Open/Closed
28	Joginder Nagar		80	JAGDESSH SINGH	12.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
29	Joginder Nagar		80	JAGDESSH SINGH	12.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
30	Joginder Nagar		80	JAGDESSH SINGH	12.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
31	Joginder Nagar		210	PRAGAS SINGH	12.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
32	Joginder Nagar		217/1	HARSHVINDER SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
33	Joginder Nagar		246,30,31,291	NACHATTAR SINGH	10.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
34	Joginder Nagar		285	HARPAL KAUR	27.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
35	Vijay Nagar	283		DR. R.P. MURUGAN	18.00	1.50	Pucca	Always Water	Open Well
36	Vijay Nagar	283		DR. R.P. MURUGAN	18.00	1.50	Kutchha	Always Water	Open Well
37	Laxmi Nagar		31,65	GIRISH JOSHI	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
38	Laxmi Nagar		53,156	REKHA SAPKAL	10.00	3.00	Pucca	Always Water	Open Well
39	Laxmi Nagar	85		SNEHLATA BAND	24.00	6.00	Semi-Pucca	Sometimes Water	Open Well
40	Laxmi Nagar	87		SNEHLATA BAND	24.00	6.00	Semi-Pucca	Sometimes Water	Open Well
41	Laxmi Nagar		64/P	DILIP KUMAR DAIRKAR	10.00	3.00	Pucca	Always Water	Open Well
42	Laxmi Nagar		155	V. JAIPAL	10.00	10.00	Pucca	Always Water	Open Well
43	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
44	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
45	Laxmi Nagar		259	BABA SAHEB SAGAR	12.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
46	Laxmi Nagar		279,216	RAHUL YADHAV	12.00	8.00	Pucca	Always Water	Open Well
47	Gandhi Nagar	18,71	18	ANUP LAKRA	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
48	Gandhi Nagar	18,71	18	ANUP LAKRA	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
49	Gandhi Nagar	22,76		PANCHAM GEORGE LAKRA	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
50	Gandhi Nagar	29,83	29	B. RAJENDRAN	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
51	Gandhi Nagar	65		ASHOK TIGGA	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
52	Gandhi Nagar	74		RAJ KUMAR	15.00	6.00	Kutchha	Always Water	Open Well
53	Gandhi Nagar		36/1/1,36/1/2,36/2	N. KIRAN	9.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
54	Gandhi Nagar	24,78		MUKESH DEVI	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
55	Gandhi Nagar	93,281		S.M. CHADDA	15.00	3.00	Pucca	Always Water	Open Well
56	Gandhi Nagar	97		SAFIA BIBI	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
57	Gandhi Nagar	106		ANIL KR. SINGH	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
58	Gandhi Nagar	115		K. SHEKHAR	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Depth (in feet)	Width (in feet)	Type of Well	Availability of Water	Open/Closed
59	Gandhi Nagar	118		D. BRAHMAN	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
60	Gandhi Nagar	122		M. MUTHUVELLA	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
61	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	15.00	6.00	Kutchra	Always Water	Open Well
62	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
63	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	10.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
64	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	10.00	9.00	Pucca	Always Water	Open Well
65	Gandhi Nagar	220		S. AYYAPPAN	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well
66	Gandhi Nagar	238		SUBU KUTTYNAIR	15.00	6.00	Pucca	Always Water	Open Well

Description of Pond Built on the Proposed Land

SL	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Head of the Family	Length (in feet)	Width (in feet)
1	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	30	25
2	Govind Nagar	199		SUNITA BAGE	40	20
3	Govind Nagar	199		SUNITA BAGE	36	18
4	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	144	72
5	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	30	30
6	Joginder Nagar	238		SURINDER KAUR	40	30
7	Joginder Nagar	245		BALBIR SINGH	150	60
8	Joginder Nagar	253,254,256		AMARJEET SINGH	50	40
9	Joginder Nagar		210	PRAGAS SINGH	50	30
10	Vijay Nagar	53		SARASWATI AMMA	50	40
11	Vijay Nagar		279,280	PARWATHI	50	30
12	Gandhi Nagar	145		RHIRUGANESHAM	50	40
13	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	120	90
14	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	90	75
15	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	90	60

Description of Trees on the Plot

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
1	Campbell Bay		69/4	S. LAXMI KUMARI	Coconut	Don't Know	6,000
2	Campbell Bay		69/4		Mango	Don't Know	0
3	Campbell Bay		69/4		Areca Nut	Don't Know	0
4	Campbell Bay		86/8/1	ROBINSON	Coconut	20	0
5	Campbell Bay		86/8/1		Mango	3	0
6	Campbell Bay		86/8/1		Guava	1	0
7	Campbell Bay		86/8/1		Banana	50	0
8	Campbell Bay		86/8/1	MURUGAN TEMPLE	Areca Nut	5	0
9	Campbell Bay		106		Coconut	400	40,000
10	Campbell Bay		106		Mango	6	25,000
11	Campbell Bay		116/6	P.V. MARIKARASY	Banana	100	50,000
12	Campbell Bay		116/6		Mango	1	12,000
13	Campbell Bay		116/6		Coconut	4	15,000
14	Campbell Bay		116/6		Areca Nut	5	4,000
15	Campbell Bay		118/2	K.C. MURGAN	Coconut	5	0
16	Campbell Bay		129/3,129/4	PANCHAYAT BUILDING	Ashok	Don't Know	0
17	Campbell Bay		129/3,129/4		Guava	Don't Know	0
18	Campbell Bay		146	SURJEET SINGH GREWAL	Mango	1	0
19	Campbell Bay		172	CONGRESS COMMITTEE	Cotton	1	0
20	Campbell Bay		172		Jamun	1	0
21	Campbell Bay		172		Peepal	1	0
22	Campbell Bay		209	PARGAT SINGH	Coconut	4	0
23	Govind Nagar		9	GURUCHARAN RAM	Coconut	Don't Know	60,000
24	Govind Nagar		9		Areca Nut	Don't Know	1,50,000
25	Govind Nagar		9		Jayphal	Don't Know	2,000
26	Govind Nagar		9		Laung	Don't Know	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
27	Govind Nagar	182,186		AJIT SINGH	Coconut	100	1,50,000
28	Govind Nagar	182,186			Areca Nut	200	25,000
29	Govind Nagar		12	SANJAY EKKA	Coconut	60	60,000
30	Govind Nagar		12		Areca Nut	300	60,000
31	Govind Nagar		12		Jackfruit	Don't Know	0
32	Govind Nagar		12		Lemon	Don't Know	0
33	Govind Nagar		12		Mango	Don't Know	0
34	Govind Nagar		12		Dalchini	Don't Know	0
35	Govind Nagar		17/2	PRAKASH TIRKEY	Areca Nut	Don't Know	0
36	Govind Nagar		17/2		Coconut	Don't Know	0
37	Govind Nagar		17/2		Banana	Don't Know	0
38	Govind Nagar		17/2		Jackfruit	Don't Know	0
39	Govind Nagar		25,83	JEROME TIRKEY	Coconut	70	0
40	Govind Nagar		25,83		Areca Nut	50	15,000
41	Govind Nagar		25,83		Banana	50	0
42	Govind Nagar		25,83		Jackfruit	3	0
43	Govind Nagar		25,83	VIRENDRA MINZ	Guava	10	0
44	Govind Nagar		25,83		Areca Nut	50	20,000
45	Govind Nagar		25,83		Coconut	30	5,000
46	Govind Nagar	195,197			Coconut	30	15,000
47	Govind Nagar	195,197		BALDEV SINGH	Areca Nut	30	5,000
48	Govind Nagar	195,197			Mango	2	0
49	Govind Nagar		26	SHOBNATH RAM	Areca Nut	50	15,000
50	Govind Nagar		26		Coconut	9	9,000
51	Govind Nagar		26		Tamarind	2	0
52	Govind Nagar		26		Neem	1	0
53	Govind Nagar		26		Sapota	2	0
54	Govind Nagar	199			Coconut	50	40,000
55	Govind Nagar	199		SUNITA BAGE	Areca Nut	35	10,000
56	Govind Nagar	199			Mango	5	2,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
57	Govind Nagar	199		SUNITA BAGE	Jamun	2	0
58	Govind Nagar	199			Laung	3	0
59	Govind Nagar	199			Bay Leaf	6	0
60	Govind Nagar		45,46,54/2,55/1	NIMON EKKA	Coconut	Don't Know	30,000
61	Govind Nagar		45,46,54/2,55/1		Areca Nut	Don't Know	50,000
62	Govind Nagar		45,46,54/2,55/1		Banana	Don't Know	0
63	Govind Nagar		45,46,54/2,55/1		Laung	Don't Know	0
64	Govind Nagar	205,207		K. ARUMUGAM	Banana	150	20,000
65	Govind Nagar	205,207			Areca Nut	1500	2,50,000
66	Govind Nagar	205,207			Coconut	40	3,00,000
67	Govind Nagar	205,207			Dalchini	30	0
68	Govind Nagar	205,207			Mango	5	0
69	Govind Nagar	209		DALJIT SINGH	Coconut	40	0
70	Govind Nagar	209			Areca Nut	80	0
71	Govind Nagar	209			Cashew	10	2
72	Govind Nagar	209			Jamun	30	0
73	Govind Nagar	209			Dalchini	10	0
74	Govind Nagar	212		GULZAR SINGH	Areca Nut	4500	70,000
75	Govind Nagar	212			Coconut	150	0
76	Govind Nagar	212			Coconut	250	20,000
77	Govind Nagar	212			Lemon	70	10,000
78	Govind Nagar	212			Pepper	40	5,000
79	Govind Nagar	212		ALVIS KINDO	Dalchini	20	5,000
80	Govind Nagar		68,72,89		Coconut	Don't Know	20,000
81	Govind Nagar		68,72,89		Areca Nut	Don't Know	1,00,000
82	Govind Nagar		68,72,89		Banana	Don't Know	0
83	Govind Nagar		68,72,89		Jackfruit	Don't Know	0
84	Govind Nagar		68,72,89	RASHPAL SINGH	Orange	Don't Know	0
85	Govind Nagar	220,222,224			Areca Nut	300	0
86	Govind Nagar	220,222,224			Mango	2	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
87	Govind Nagar	220,222,224		RASHPAL SINGH	Dalchini	8	0
88	Govind Nagar	220,222,224			Jackfruit	5	0
89	Govind Nagar	240		HARCHARAN SINGH	Coconut	500	28,000
90	Govind Nagar	240			Areca Nut	3000	0
91	Govind Nagar	240			Banana	200	36,000
92	Govind Nagar	240			Laung	10	0
93	Govind Nagar	240			Jayphal	5	0
94	Govind Nagar	240			Pepper	20	1,500
95	Govind Nagar	242,243,244		G. LAXMI	Coconut	200	60,000
96	Govind Nagar	242,243,244			Areca Nut	600	80,000
97	Govind Nagar	242,243,244			Dalchini	200	10,000
98	Govind Nagar	242,243,244			Mango	6	0
99	Govind Nagar	242,243,244			Banana	200	30,000
100	Govind Nagar	242,243,244			Ananaas	20	0
101	Govind Nagar		133	KULWANT SINGH	Coconut	Don't Know	0
102	Govind Nagar		133		Areca Nut	Don't Know	0
103	Govind Nagar		133		Mango	Don't Know	0
104	Govind Nagar		139	PARAMJEET SINGH	Coconut	10	0
105	Govind Nagar		139		Areca Nut	10	0
106	Govind Nagar		146/2,231		Coconut	Don't Know	30,000
107	Govind Nagar		146/2,231		Areca Nut	Don't Know	50,000
108	Govind Nagar		146/2,231		Banana	Don't Know	0
109	Govind Nagar		146/2,231		Mango	Don't Know	0
110	Govind Nagar		146/2,231	TARA SINGH PABLA	Pepper	Don't Know	16,000
111	Govind Nagar		146/2,231		Laung	Don't Know	6,000
112	Govind Nagar	248			Areca Nut	3000	25,000
113	Govind Nagar	248			Jayphal	10	0
114	Govind Nagar	248			Coconut	60	45,000
115	Govind Nagar	248			Dalchini	10	0
116	Govind Nagar	249,250		M.C. JOSE	Areca Nut	100	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
117	Govind Nagar	249,250		M.C. JOSE	Coconut	40	0
118	Govind Nagar	284		TARA SINGH PABLA	Areca Nut	1000	1,50,000
119	Govind Nagar	284			Coconut	60	30,000
120	Govind Nagar	284			Jayphal	2	0
121	Govind Nagar	284			Mango	10	0
122	Govind Nagar	284			Dalchini	30	2,00,000
123	Govind Nagar	284			Lemon	4	0
124	Govind Nagar		318	THIRATH SINGH	Coconut	50	20,000
125	Govind Nagar		318		Areca Nut	50	10,000
126	Govind Nagar		318		Jackfruit	1	0
127	Govind Nagar		318		Mango	3	0
128	Govind Nagar		318	KANCHAN BARIA	Banana	13	0
129	Govind Nagar		377/1		Coconut	40	0
130	Govind Nagar		377/1	DALWINDER SINGH TOOR	Mango	4	0
131	Govind Nagar	300			Coconut	10	8,40,000
132	Govind Nagar	300			Areca Nut	400	3,50,000
133	Govind Nagar	300			Mango	4	0
134	Joginder Nagar	238		SURINDER KAUR	Coconut	150	1,00,000
135	Joginder Nagar	238			Areca Nut	400	25,000
136	Joginder Nagar	238			Laung	8	5,000
137	Joginder Nagar	238			Dalchini	50	0
138	Joginder Nagar	238			Mango	1	0
139	Joginder Nagar	245		BALBIR SINGH	Coconut	100	0
140	Joginder Nagar	245			Areca Nut	100	0
141	Joginder Nagar	245			Laung	10	0
142	Joginder Nagar	245			Pepper	10	0
143	Joginder Nagar	253,254,256		AMARJEET SINGH	Coconut	300	80,000
144	Joginder Nagar	253,254,256			Areca Nut	500	50,000
145	Joginder Nagar	253,254,256			Dalchini	10	70,000
146	Joginder Nagar	253,254,256			Mango	5	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
147	Joginder Nagar		79,8/2	AMARJEET SINGH GREWAL	Coconut	550	1,08,000
148	Joginder Nagar		79,8/2		Areca Nut	250	22000
149	Joginder Nagar		79,8/2		Guava	50	0
150	Joginder Nagar		79,8/2		Mango	12	0
151	Joginder Nagar		12,16	KASHMIRA SINGH	Coconut	300	12,00,000
152	Joginder Nagar		18,136	RANI	Coconut	400	1,20,000
153	Joginder Nagar		18,136		Mango	5	0
154	Joginder Nagar		18,136		Areca Nut	200	0
155	Joginder Nagar		18,136		Dalchini	5	0
156	Joginder Nagar		80	JAGDESSH SINGH	Coconut	Don't Know	60,000
157	Joginder Nagar		80		Areca Nut	Don't Know	50,000
158	Joginder Nagar		80		Mango	Don't Know	0
159	Joginder Nagar		80		Dalchini	Don't Know	15,000
160	Joginder Nagar		80		Laung	Don't Know	25,000
161	Joginder Nagar		134,164,165	AMARJEET KAUR	Coconut	1000	2,40,000
162	Joginder Nagar		210	PRAGAS SINGH	Coconut	80	40,000
163	Joginder Nagar		210		Areca Nut	100	40,000
164	Joginder Nagar		210		Cashew	6	0
165	Joginder Nagar		210		Jamun	1	0
166	Joginder Nagar		210		Guava	5	0
167	Joginder Nagar		210		Dalchini	50	0
168	Joginder Nagar		217/1	HARSHVINDER SINGH	Guava	20	0
169	Joginder Nagar		217/1		Areca Nut	20	10,000
170	Joginder Nagar		217/1		Dalchini	50	0
171	Joginder Nagar		217/3	SUSHEELA	Coconut	50	0
172	Joginder Nagar		217/3		Areca Nut	Don't Know	0
173	Joginder Nagar		246,30,31,291		Areca Nut	150	20,000
174	Joginder Nagar		246,30,31,291	NACHATTAR SINGH	Coconut	500	80,000
175	Joginder Nagar		246,30,31,291		Mango	4	0
176	Joginder Nagar		246,30,31,291		Dalchini	5	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
177	Joginder Nagar		246,30,31,291	NACHATTAR SINGH	Banana	5	0
178	Joginder Nagar		285	HARPAL KAUR	Coconut	450	1,00,000
179	Joginder Nagar		285		Areca Nut	300	1,10,000
180	Joginder Nagar		285		Mango	30	0
181	Joginder Nagar		285		Dalchini	10	15,000
182	Joginder Nagar		285		Cashew	15	0
183	Joginder Nagar		285	KASHI VISHWANATH	Jamun	12	0
184	Vijay Nagar	28			Coconut	200	1,15,000
185	Vijay Nagar	35			Coconut	100	0
186	Vijay Nagar	35		SANDEEP KAILYAN CHAK	Mango	10	0
187	Vijay Nagar	35			Areca Nut	150	0
188	Vijay Nagar	35			Cashew	10	0
189	Vijay Nagar	35		R. DEVARAJULU	Banana	200	0
190	Vijay Nagar	39			Coconut	12	0
191	Vijay Nagar	39			Mango	4	0
192	Vijay Nagar	53		SARASWATI AMMA	Coconut	300	2,500
193	Vijay Nagar	53			Coconut	40	2,500
194	Vijay Nagar	53			Areca Nut	1000	15,000
195	Vijay Nagar	53			Mango	10	0
196	Vijay Nagar	53			Jackfruit	1	0
197	Vijay Nagar	53			Banana	20	4,000
198	Vijay Nagar		18,18/1	SAVITRI DEVI	Coconut	180	2,50,000
199	Vijay Nagar		175	FAKRUDDIN ALI AHMED	Coconut	100	0
200	Vijay Nagar		175		Mango	8	0
201	Vijay Nagar		175		Areca Nut	200	0
202	Vijay Nagar	183,186		S. BABI	Coconut	500	1,44,000
203	Vijay Nagar	183,186			Banana	1000	1,80,000
204	Vijay Nagar	183,186			Lemon	7	35,000
205	Vijay Nagar	183,186			Areca Nut	200	25,000
206	Vijay Nagar	245		R. DHARMALINGAM	Coconut	50	2,00,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
207	Vijay Nagar	245		R. DHARMALINGAM	Areca Nut	200	80,000
208	Vijay Nagar		178,254		Coconut	50	0
209	Vijay Nagar		178,254		Areca Nut	150	0
210	Vijay Nagar		178,254	S. PAPU FELSI	Mango	4	0
211	Vijay Nagar		178,254		Sapota	3	0
212	Vijay Nagar		178,254		Tamarind	4	0
213	Vijay Nagar	283			Coconut	300	0
214	Vijay Nagar	283		DR. R.P. MURUGAN	Areca Nut	200	0
215	Vijay Nagar	283			Mango	5	0
216	Vijay Nagar	305			Areca Nut	Don't Know	0
217	Vijay Nagar	305		OMKAR DUTT	Coconut	Don't Know	0
218	Vijay Nagar		279,280		Coconut	60	1,20,000
219	Vijay Nagar		279,280	PARWATHI	Areca Nut	200	2,50,000
220	Vijay Nagar		279,280		Jackfruit	5	10,000
221	Vijay Nagar		311,314		Coconut	20	0
222	Vijay Nagar		311,314		Areca Nut	150	0
223	Vijay Nagar		311,314	S. MANORANJAN	Cashew	Don't Know	0
224	Vijay Nagar		311,314		Mango	2	0
225	Vijay Nagar		324	ROSAMAAL	Coconut	22	0
226	Vijay Nagar		486	K. PALLANI	Coconut	25	0
227	Vijay Nagar		488,555		Coconut	Don't Know	0
228	Vijay Nagar		488,555	R. SELVA BALAM	Areca Nut	Don't Know	0
229	Laxmi Nagar	6			Coconut	40	0
230	Laxmi Nagar	6			Areca Nut	1000	60,000
231	Laxmi Nagar	6		MAINA BAI	Mango	1	0
232	Laxmi Nagar	6			Lemon	2	0
233	Laxmi Nagar	6			Banana	5	0
234	Laxmi Nagar		31,65		Coconut	500	60,000
235	Laxmi Nagar		31,65	GIRISH JOSHI	Areca Nut	150	11,000
236	Laxmi Nagar	8		SITA RAM KHEDLA	Dalchini	1200	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
237	Laxmi Nagar	8		SITA RAM KHEDLA	Coconut	56	1,12,000
238	Laxmi Nagar	8			Areca Nut	400	0
239	Laxmi Nagar	8			Guava	20	0
240	Laxmi Nagar	19		K.P. SHAKARE	Coconut	Don't Know	0
241	Laxmi Nagar	19			Areca Nut	Don't Know	0
242	Laxmi Nagar	19			Mango	Don't Know	0
243	Laxmi Nagar	46		CHAYA KHEDKAR	Coconut	24	0
244	Laxmi Nagar	46			Areca Nut	25	0
245	Laxmi Nagar	46			Lemon	3	0
246	Laxmi Nagar		53,156	REKHA SAPKAL	Coconut	300	1,50,000
247	Laxmi Nagar		53,156		Areca Nut	100	2,00,000
248	Laxmi Nagar	82		AMAR SINGH RAWATH	Coconut	150	2,00,000
249	Laxmi Nagar	82			Areca Nut	1000	1,00,000
250	Laxmi Nagar	82			Mango	2	0
251	Laxmi Nagar	82			Lemon	5	5,000
252	Laxmi Nagar	82			Jackfruit	2	0
253	Laxmi Nagar	82		SRIRANG KOKRE	Banana	100	50,000
254	Laxmi Nagar		56		Coconut	350	3,00,000
255	Laxmi Nagar		56		Areca Nut	1000	4,80,000
256	Laxmi Nagar		56		Dalchini	200	5,000
257	Laxmi Nagar		56		Laung	5	30,000
258	Laxmi Nagar	85		SNEHLATA BAND	Coconut	20	0
259	Laxmi Nagar	85			Areca Nut	150	0
260	Laxmi Nagar	85			Mango	3	0
261	Laxmi Nagar	85			Guava	3	0
262	Laxmi Nagar	87			Coconut	100	0
263	Laxmi Nagar	87		DILIP KUMAR DAIRKAR	Areca Nut	30	0
264	Laxmi Nagar	87			Mango	3	0
265	Laxmi Nagar		64/P		Coconut	150	50,000
266	Laxmi Nagar		64/P		Areca Nut	300	15,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
267	Laxmi Nagar		64/P	DILIP KUMAR DAIRKAR	Mango	6	0
268	Laxmi Nagar		64/P		Tamarind	2	0
269	Laxmi Nagar	109		SHARAD BHIDE	Mango	2	0
270	Laxmi Nagar	109			Coconut	10	0
271	Laxmi Nagar	109			Areca Nut	500	0
272	Laxmi Nagar	109			Lemon	5	0
273	Laxmi Nagar	111		CHANDRA KALA	Coconut	40	20,000
274	Laxmi Nagar	111			Areca Nut	7000	30,000
275	Laxmi Nagar	111			Mango	4	0
276	Laxmi Nagar	111			Sapota	2	0
277	Laxmi Nagar	139	125,127	HANUMANTH WAGH	Areca Nut	3	0
278	Laxmi Nagar	280		RAJESH CHADDA	Coconut	25	40,000
279	Laxmi Nagar	285			Coconut	200	1,20,000
280	Laxmi Nagar	285		R. BETHURAJ	Mango	70	20,000
281	Laxmi Nagar	285			Lemon	3	0
282	Laxmi Nagar	285			Areca Nut	20	0
283	Laxmi Nagar	285			Mango	2	0
284	Laxmi Nagar	285			Guava	5	0
285	Laxmi Nagar		155	V. JAIPAL	Coconut	70	45,000
286	Laxmi Nagar		155		Areca Nut	50	20,000
287	Laxmi Nagar		155		Mango	3	0
288	Laxmi Nagar		155		Lemon	2	0
289	Laxmi Nagar		197,198,264	VIJAY BAHADUR SINGH	Coconut	300	60,000
290	Laxmi Nagar		197,198,264		Areca Nut	250	25,000
291	Laxmi Nagar		258	GYANAPPU	Coconut	100	0
292	Laxmi Nagar		258		Areca Nut	100	0
293	Laxmi Nagar		259	BABA SAHEB SAGAR	Coconut	500	25,000
294	Laxmi Nagar		259		Areca Nut	150	0
295	Laxmi Nagar		279,216	RAHUL YADHAV	Coconut	300	2,00,000
296	Laxmi Nagar		279,216		Areca Nut	500	60,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
297	Laxmi Nagar		279,216	RAHUL YADHAV	Mango	20	0
298	Laxmi Nagar		279,216		Jackfruit	6	0
299	Laxmi Nagar		279,216		Cashew	5	0
300	Laxmi Nagar		100,282,297	MARY GRACE	Coconut	25	4,000
301	Gandhi Nagar	16,70	16	RIDDAL MINZ	Coconut	500	1,50,000
302	Gandhi Nagar	16,70	16		Areca Nut	1000	40,000
303	Gandhi Nagar	16,70	16		Lemon	20	5,000
304	Gandhi Nagar	16,70	16		Banana	400	5,000
305	Gandhi Nagar	16,70	16		Ananaas	10	0
306	Gandhi Nagar	16,70	16		Guava	10	0
307	Gandhi Nagar	18,71	18	ANUP LAKRA	Coconut	450	15,000
308	Gandhi Nagar	18,71	18		Banana	55	0
309	Gandhi Nagar	18,71	18		Mango	1	0
310	Gandhi Nagar	18,71	18		Guava	5	0
311	Gandhi Nagar	18,71	18		Lemon	3	0
312	Gandhi Nagar	18,71	18		Jackfruit	1	0
313	Gandhi Nagar	19,32	19,32	DASMANORANJAN	Coconut	600	25,000
314	Gandhi Nagar	19,32	19,32		Areca Nut	1000	40,000
315	Gandhi Nagar	19,32	19,32		Dalchini	50	4,000
316	Gandhi Nagar	19,32	19,32		Lemon	20	5,000
317	Gandhi Nagar	19,32	19,32		Mango	20	5,000
318	Gandhi Nagar	19,32	19,32		Banana	200	5,000
319	Gandhi Nagar	22,76		PANCHAM GEROGE LAKRA	Coconut	Don't Know	0
320	Gandhi Nagar	22,76			Areca Nut	Don't Know	0
321	Gandhi Nagar	22,76			Lemon	Don't Know	0
322	Gandhi Nagar	22,76			Jackfruit	Don't Know	0
323	Gandhi Nagar	22,76			Jamun	Don't Know	0
324	Gandhi Nagar	22,76			Banana	Don't Know	0
325	Gandhi Nagar	29,83	29	B. RAJENDRAN	Coconut	290	1,60,000
326	Gandhi Nagar	29,83	29		Areca Nut	60	50,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
327	Gandhi Nagar	29,83	29	B. RAJENDRAN	Mango	3	0
328	Gandhi Nagar	29,83	29		Sapota	1	0
329	Gandhi Nagar	29,83	29		Guava	5	0
330	Gandhi Nagar	29,83	29		Lemon	3	0
331	Gandhi Nagar	29,83	29	INDIRA	Coconut	30	50,000
332	Gandhi Nagar	29,83	29		Areca Nut	30	2,000
333	Gandhi Nagar		25	R. POOMLAI	Coconut	70	1,50,000
334	Gandhi Nagar		25		Mango	5	0
335	Gandhi Nagar		25		Areca Nut	15	2,000
336	Gandhi Nagar		25		Dalchini	2	0
337	Gandhi Nagar		25	GUNA SHEKHARAN	Coconut	150	0
338	Gandhi Nagar		25		Areca Nut	50	0
339	Gandhi Nagar	67	15	MARGARET LAKRA	Coconut	35	10,000
340	Gandhi Nagar	67	15		Cotton	5	10,000
341	Gandhi Nagar	67	15		Guava	2	0
342	Gandhi Nagar	67	15		Cashew	2	0
343	Gandhi Nagar	67	15	VISHNA DEVI	Tamarind	1	0
344	Gandhi Nagar		116/3		Coconut	2	6,000
345	Gandhi Nagar		116/3		Areca Nut	50	40,000
346	Gandhi Nagar		116/3		Mango	1	5,000
347	Gandhi Nagar		116/3	RAJ KUMAR	Banana	20	10,000
348	Gandhi Nagar	74			Coconut	600	2,00,000
349	Gandhi Nagar	74			Mango	4	0
350	Gandhi Nagar	74			Jackfruit	2	0
351	Gandhi Nagar	74		N. KIRAN	Areca Nut	30	7,000
352	Gandhi Nagar	74			Guava	3	0
353	Gandhi Nagar	74			Banana	7	0
354	Gandhi Nagar		36/1/1,36/1/2,36/2		Coconut	150	2,00,000
355	Gandhi Nagar		36/1/1,36/1/2,36/2	N. KIRAN	Lemon	6	0
356	Gandhi Nagar		36/1/1,36/1/2,36/2		Areca Nut	40	10,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
357	Gandhi Nagar	24,78		MUKESH DEVI	Coconut	150	1,00,000
358	Gandhi Nagar	85		S. RAVI	Coconut	100	10,000
359	Gandhi Nagar	85			Areca Nut	600	25,000
360	Gandhi Nagar	85			Mango	4	0
361	Gandhi Nagar	85			Sahajan	4	0
362	Gandhi Nagar	85			Tamarind	1	0
363	Gandhi Nagar	85		PRASANJEET LUGUN	Lemon	10	0
364	Gandhi Nagar	89			Coconut	10	0
365	Gandhi Nagar	89			Mango	5	0
366	Gandhi Nagar	89			Lemon	1	0
367	Gandhi Nagar	89			Areca Nut	10	0
368	Gandhi Nagar	92,282		MUKTA BAI	Coconut	Don't Know	0
369	Gandhi Nagar	92,282			Areca Nut	Don't Know	0
370	Gandhi Nagar	92,282			Jackfruit	1	0
371	Gandhi Nagar	92,282			Mango	Don't Know	0
372	Gandhi Nagar	92,282			Lemon	3	0
373	Gandhi Nagar	93,281		S.M. CHADDA	Coconut	150	2,00,000
374	Gandhi Nagar	145		THIRUGANESHAM	Coconut	100	1,00,000
375	Gandhi Nagar	145			Areca Nut	600	1,30,000
376	Gandhi Nagar	145			Mango	3	0
377	Gandhi Nagar	145			Cashew	2	0
378	Gandhi Nagar	145			Jackfruit	2	0
379	Gandhi Nagar	145		SAFIA BIBI	Banana	300	50,000
380	Gandhi Nagar	97			Coconut	52	10,50,000
381	Gandhi Nagar	97			Mango	5	0
382	Gandhi Nagar	97			Guava	1	0
383	Gandhi Nagar	97			Areca Nut	150	12,000
384	Gandhi Nagar	97		JANA BAI	Jackfruit	4	0
385	Gandhi Nagar	97			Star Fruit	3	0
386	Gandhi Nagar	100			Coconut	96	1,50,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
387	Gandhi Nagar	100		JANA BAI	Areca Nut	150	25,000
388	Gandhi Nagar	100			Mango	9	0
389	Gandhi Nagar	100			Ananaas	115	0
390	Gandhi Nagar	100			Banana	60	0
391	Gandhi Nagar	106		ANIL KR. SINGH	Coconut	150	2,50,000
392	Gandhi Nagar	106			Mango	3	0
393	Gandhi Nagar	106			Areca Nut	50	20,000
394	Gandhi Nagar	106			Sapota	2	0
395	Gandhi Nagar	106		K. SHEKHAR	Cashew	1	0
396	Gandhi Nagar	115			Coconut	134	55,000
397	Gandhi Nagar	115			Areca Nut	40	0
398	Gandhi Nagar	115			Neem	1	0
399	Gandhi Nagar	118		D. BRAHMAN	Coconut	60	60,000
400	Gandhi Nagar	118			Areca Nut	100	20,000
401	Gandhi Nagar	118			Sapota	1	0
402	Gandhi Nagar	118			Lemon	3	0
403	Gandhi Nagar	122		M. MUTHUVELLA	Coconut	76	50,000
404	Gandhi Nagar	122			Areca Nut	315	40,000
405	Gandhi Nagar	122			Guava	12	0
406	Gandhi Nagar	122			Palm	1	0
407	Gandhi Nagar	122		SANTOSH MARY	Cashew	3	0
408	Gandhi Nagar	125			Coconut	72	60,000
409	Gandhi Nagar	125			Areca Nut	60	20,000
410	Gandhi Nagar	125			Mango	1	0
411	Gandhi Nagar	125		S. RAJANAGAM	Guava	3	0
412	Gandhi Nagar	125			Cashew	1	0
413	Gandhi Nagar	129			Coconut	50	60,000
414	Gandhi Nagar	129			Guava	5	0
415	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	Lemon	3	0
416	Gandhi Nagar	129			Banana	20	5,000

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
417	Gandhi Nagar	129		S. RAJANAGAM	Areca Nut	50	20,000
418	Gandhi Nagar	156			Coconut	500	10,00,000
419	Gandhi Nagar	156			Mango	5	0
420	Gandhi Nagar	156			Areca Nut	20	0
421	Gandhi Nagar	156		E.S. RAJESH	Jackfruit	4	0
422	Gandhi Nagar	156			Dalchini	Don't Know	0
423	Gandhi Nagar	156			Banana	Don't Know	0
424	Gandhi Nagar	220			Coconut	100	4,00,000
425	Gandhi Nagar	220			Mango	5	0
426	Gandhi Nagar	220			Guava	10	0
427	Gandhi Nagar	220		S. AYYAPPAN	Areca Nut	80	40,000
428	Gandhi Nagar	220			Banana	150	10,000
429	Gandhi Nagar	220			Jackfruit	6	0
430	Gandhi Nagar	222			Coconut	106	2,50,000
431	Gandhi Nagar	222			Jackfruit	4	20,000
432	Gandhi Nagar	222		GREGORY TIRKEY	Areca Nut	40	30,000
433	Gandhi Nagar	222			Mango	3	25,000
434	Gandhi Nagar	222			Guava	5	10,000
435	Gandhi Nagar	222			Lemon	2	25,000
436	Gandhi Nagar	224			Coconut	50	32,000
437	Gandhi Nagar	224			Areca Nut	40	10,000
438	Gandhi Nagar	224		AJEET KR. XALXO	Jackfruit	2	0
439	Gandhi Nagar	224			Banana	16	0
440	Gandhi Nagar	224			Sapota	1	0
441	Gandhi Nagar	238			Coconut	147	1,50,000
442	Gandhi Nagar	238		SUBU KUTTYNAIR	Areca Nut	80	40,000
443	Gandhi Nagar	238			Mango	10	0
444	Gandhi Nagar	238			Guava	5	0
445	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	Coconut	1000	70,000
446	Gandhi Nagar	240			Mango	10	0

Sl.	Village	Survey No. (55 Mtrs. Rd.)	Survey No. (Secondary Rd.)	Name of Head of the Family	Name of Tree	Number of Trees	Avg. Annual Income (in Rs.)
447	Gandhi Nagar	240		DILIP KR. SIKDAR	Jackfruit	10	0
448	Gandhi Nagar	240			Banana	900	40,000
449	Gandhi Nagar	240			Jamun	5	0
450	Gandhi Nagar	240			Laung	2	0
451	Gandhi Nagar	248,249		SUNIL KUMAR	Coconut	100	50,000
452	Gandhi Nagar	248,249			Areca Nut	300	1,25,000
453	Gandhi Nagar	248,249			Mango	3	5,000
454	Gandhi Nagar	248,249			Cashew	20	10,000
455	Gandhi Nagar	248,249		JASWANT SINGH	Jackfruit	3	5,000
456	Gandhi Nagar	273/1			Coconut	300	2,20,000
457	Gandhi Nagar	273/1			Mango	12	15,000
458	Gandhi Nagar	273/1			Banana	250	60,000
459	Gandhi Nagar	273/1		S. RAMESH	Laung	15	40,000
460	Gandhi Nagar	273/1			Areca Nut	1500	2,50,000
461	Gandhi Nagar	273/1			Sapota	5	0
462	Gandhi Nagar	121			Coconut	70	1,30,000
463	Gandhi Nagar	121			Areca Nut	120	30,000

Main Occupation of Males in Working Age Group (18-60 years)

Sl.	Classification	Service		Non-Agri. Labour		Agriculture		Business		Student		No Work		Agri.- Labour		Pensioner		Rental Income		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	Campbell Bay	2	11.76	1	5.88	1	5.88	9	52.94	0	0.00	4	23.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	100.00
2	Govind Nagar	21	33.87	12	19.35	9	14.52	2	3.23	12	19.35	4	6.45	0	0.00	1	1.61	1	1.61	62	100.00
3	Joginder Nagar	3	33.33	0	0.00	3	33.33	1	11.11	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	100.00
4	Vijay Nagar	14	50.00	5	17.86	0	0.00	4	14.29	3	10.71	1	3.57	0	0.00	1	3.57	0	0.00	28	100.00
5	Laxmi Nagar	19	40.43	2	4.26	14	29.79	4	8.51	2	4.26	4	8.51	2	4.26	0	0.00	0	0.00	47	100.00
6	Gandhi Nagar	17	19.10	27	30.34	16	17.98	11	12.36	11	12.36	6	6.74	1	1.12	0	0.00	0	0.00	89	100.00
Overall		76	30.16	47	18.65	43	17.06	31	12.30	28	11.11	21	8.33	3	1.19	2	0.79	1	0.40	252	100.00

Main Occupation of Females in Working Age Group (18-60 years)

Sl.	Classification	Household Work		Service		Student		No Work		Non-Agri. Labour		Business		Agriculture		Pensioner		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	Campbell Bay	14	66.67	4	19.05	2	9.52	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	21	100.00
2	Govind Nagar	33	57.89	9	15.79	5	8.77	5	8.77	3	5.26	0	0.00	0	0.00	1	1.75	57	100.00
3	Joginder Nagar	6	42.86	4	28.57	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	7.14	0	0.00	14	100.00
4	Vijay Nagar	16	57.14	7	25.00	2	7.14	1	3.57	0	0.00	2	7.14	0	0.00	0	0.00	28	100.00
5	Laxmi Nagar	31	70.45	5	11.36	2	4.55	1	2.27	0	0.00	0	0.00	3	6.82	2	4.55	44	100.00
6	Gandhi Nagar	42	46.15	21	23.08	9	9.89	8	8.79	5	5.49	3	3.30	2	2.20	1	1.10	91	100.00
Overall		142	55.69	50	19.61	22	8.63	15	5.88	8	3.14	7	2.75	6	2.35	4	1.57	255	100.00

File No.:A/150/2024-SW-SW_AN/1961

अंडामान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
समाज कल्याण निदेशालय
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE
गोलघर, श्री विजयपुरम
GOALGHAR, SRI VIJAYA PURAM

Dated: 23 June 2025

NOTICE

Subject: Public Hearing for Draft Social Impact Assessment Report by M/s Atlas Management Consultancy Services Pvt. Ltd. for Trunk Infrastructure Project at Great Nicobar Island under Section 5 and Rule 8 of the RFCTLARR Act, 2013

In accordance with the provisions of Section 5 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and Rule 8 of the A&N Islands Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, it is hereby informed that M/s Atlas Management Consultancy Services Pvt. Ltd., Jharkhand, has prepared the *Draft Social Impact Assessment (SIA) Report* for the proposed Trunk Infrastructure Project at Great Nicobar Island.

The *Draft SIA Report* will be available for public review at the following locations:

- Directorate of Social Welfare, A&N Administration, Sri Vijay Puram.
 - Office of the Assistant Commissioner, Campbell Bay
 - Office of the Pradhan, Campbell Bay Panchayat
 - Office of the Pradhan, Govind Nagar Panchayat
 - Office of the Pradhan, Laxminagar Panchayat
- i) Gandhi Nagar
 - ii) Jogindher Nagar
 - iii) Vijay Nagar

All concerned stakeholders are requested to review the report at the designated locations. Comments and objections, if any, may be submitted via email to directorsw4@gmail.com and at the public hearing.

In this regard, the Social Welfare Department, A&N Administration, will conduct public hearings as per the schedule below:

1. **Date:** July 14, 2025
Time: 11:00 AM
Venue: Govind Nagar Panchayat Hall, Great Nicobar

2. **Date:** July 15, 2025

Time: 11:00 AM

Venue: Laxminagar Panchayat Hall, Great Nicobar

All concerned stakeholders, including local residents, landowners, and community and local representatives, local media & local voluntary organizations are invited to attend the public hearings and express their views, comments, or objections on the Draft SIA Report during the proceedings or through email within the specified period.

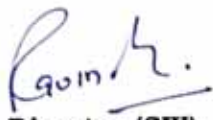

Director (SW)

To,

1. O/o the Assistant Commissioner, Campbell Bay for kind information.
2. The Land Owners and neighboring residents of the proposed land (as per list)
3. O/o of the Pradhan, Gram Panchayat, Laxminagar, Campbell Bay, Nicobar with request to ensure the participation of the Gram Sabha, Panchayat Members and public in the Public Hearing.
4. O/o of the Pradhan, Gram Panchayat, Campbell Bay, Nicobar with request to ensure the participation of the Gram Sabha, Panchayat Members and public in the Public Hearing.
5. O/o of the Pradhan, Gram Panchayat, Govind Nagar, Campbell Bay, Nicobar with request to ensure the participation of the Gram Sabha, Panchayat Members and public in the Public Hearing.
6. The Chief Editor, The Daily Telegrams with request to publish this notice in the very next edition of The Daily Telegrams.
7. The News Correspondent, All India Radio with the request to broadcast the news in the Pradcschik Samachar.
8. The Director, Information & Publicity, Andaman & Nicobar Administration with request to give wide publicity through public announcement and to ensure the presence of members in the Public Hearing.
9. The Station House Officer, Campbell Bay with the request to provide necessary security and support in crowd management.

Copy to:-

1. The Deputy Commissioner, Nicobar, for kind information.
2. The Secretary (SW), Andaman & Nicobar Administration for kind information.
3. The Block Development Officer, Car Nicobar for information.


Director (SW)

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत

जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक : 14/07/2025

समय : 11.00AM बजे से
1.30 PM बजे तक

परियोजना का नाम : ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड
परिभोजन के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
अध्ययन

अधियाची विभाग/संस्था का नाम : Andaman & Nicobar Islands Integrated
Development Corporation Limited
(ANIIDCO)

VENUE : GOVIND NAGAR PANCHAYAT HALL, GREAT NICOBAR

इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का विवरण :

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
1	SHARAD BHIDE	क्रिस्चियन - लड़/नगर	शिवराम मोड 9476068510
2	Ajay Seth	Shree Radha Krishna Temple	शिवराम मोड 9476068510
3	SANTHUS BARRA	PARISH PRIEST, St. Joseph's Catholic Church	शिवराम मोड 9476068510
4	Jr. Arun kr. Turkey	Asst. P. Priest, St. Joseph's Catholic Church	शिवराम मोड 9476068510
5	M. Leonard Tinkler	St. Joseph Catholic Church	शिवराम मोड 9476068510
6	Rajesh Turkey	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
7	Arundeep Singh	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
8	Vijay Toppo	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
9	Sumita Kaur	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
10	Arjun Turkey	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
11	Jagdish Ram	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
12	Sanjay Singh	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
13	Prithpal Sahar	Govind Nagar	शिवराम मोड 9476068510
14	Murich Hazalani	BPRS Colony	शिवराम मोड 9476068510
15	S. Shule	BPRS Colony	शिवराम मोड 9476068510

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत

जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक : 15/07/2025

समय : 11-00 AM बजे से
1.45 PM बजे तक

परियोजना का नाम : ग्रेट निकोबार द्वीप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेड
परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
अध्ययन

अधियाची विभाग/संस्था का नाम : Andaman & Nicobar Islands Integrated
Development Corporation Limited
(ANIDCO)

VENUE : LAXMI NAGAR PANCHAYAT HALL, GREAT NICOBAR

इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का विवरण :

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
1	AVLA S	Joginder Nagar	AVLB 9434272539
2	E. C. Damadaram	Grandhi Nagar	E. C. Damadaram 94342727
3	R. DHARMA LINHAM	VISAY NAGAR	Rahman 947425
	Dilip K. Sikkola	Grandnagar	D. Sikkola 94760115
5	T. V. V. V. V. V.	Vijay Nagar	T. V. V. V. V. 262634
6	A. J. P. Shingh	Sector 1, Shingh	A. J. P. Shingh 9434271263
7	R. S. S. S. S. S.	Vijay Nagar	R. S. S. S. S. 9434271263
8	P. P. P. P. P.	J. Nagar	P. P. P. P. P. 9434271263
9	T. S. S. S. S.	J. Nagar	T. S. S. S. S. 9434271263
10	J. S. S. S. S.	J. Nagar	J. S. S. S. S. 9434271263
11	Sukhinder Singh	J. Nagar	Sukhinder Singh 9531811382
12	S. S. S. S. S.	J. Nagar	S. S. S. S. S. 9531811382
13	Raj Kumar	J. Nagar	Raj Kumar 9531879249
14	H. S. S. S. S.	J. Nagar	H. S. S. S. S. 9434271388
15	A. CHRISTOPHER	Vijay Nagar	A. CHRISTOPHER 9531993333

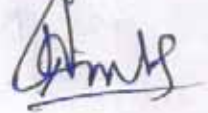
क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
16	P. Shomnagchhunda	Grandi Nagar	9474256538
17	Kasmera Singh	Joginder Nagar	9474211304
18	R. Pannay Selvam	Carphel Bay	9474225180
19	Mahezh waran	Joginder Nigay Nagar	7695045409
20	Biswas Tigga	Rajiv Nagar	8900327015
21	Mukti Prakash Tikar	Shashini Nagar	9476066799
22	Kanchan	J N	9474204022
23	Champa Das	J N	9474263848
24	LOLITA DAS	J N	9474224883
25	Ayesha Abhilaasha	J/Nagar	9531907488 Ayesha
26	Sita Devi	J/Nagar	9474245505 Sita
27	Dulani mayhi	V/Nagar	9531854587 Dulani
28	Jyothi Tirkey	N/Nagar	9474288446 Jyothi
29	Harpal Kar	N/Nagar	-
30	Suseela	J. Nagar	-
31	Saraswathi Anna	V/Nagar	9476026376 Saraswathi
32	Malti Devi	J. Nagar	8900223897 Malti
33	PRIVANKA JAMES	U. Nagar	9476070008 Privanka
34	UJALA BAI	J. Nagar	9474269371 Ujala
35	S. ANVAPPAN	GANDHI NAGAR	9434273038
36	Sandeep kalyan	V/Nagar	9434262222 Sandeep
37	GREGORY TIRKEY	GANDHI NAGAR	9434273004 Gregory
38	S. Shiva	V/Nagar	9531802268 S. Shiva
39	MARITA	MARITA NANDHI	9531851363
40	V. Rohini	Grandhi Nagar	9531814356 Rohini
41	K. Malini	Laxmi Nagar	-
42	Chhaya Khedkar	Laxmi Nagar	9476056847 Chhaya
43	Rekha	Laxmi Nagar	9474293217 Rekha
44	N. M. Saravanan	Grandhinagar	9474262613 N. M. Saravanan
45	Gopal krishna	Vijay Nagar	9474202022 Gopal
46	Rakshika	Vijay Nagar	9434222491 Rakshika
47	BARAN SINGH	S/N	9939259755 Baran
48	S. Pappi fahri.	V/Nagar	9434272864 S. Pappi fahri.

49) M. MAHALAXMI - Orathi nagar 9474244537 

50) Ibrahim Syh - Brotham 9/P/2/N
9434271245 

51) Saji Samuel Sr Manager, ANIIDCO 9434269946 

52) Omprakash Kumar - Consultant (Env) 9694209302 

53) A K. Business - Thiruvananthapuram 9933283146 

54) VIKRAM SRIVASTAVA - DIRECTOR
AMCS PVT. LTD.

9431105022 